अष्टम माला, खंड 8, अंक 17

बुधवार, 14 अगस्त, 1985

23 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 8 में अंक 11 से 20 तक हैं) .

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 8, तीसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 17, बुधवार, 14 अगस्त, 1985/23 श्रावण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 325, 327, से 330, 333, और 334	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20—150
तारांकित प्रश्न संख्या : 326, 331, 332, 335 से 338, 340, 343 और 344	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3417 से 3421, 3423 से 3441, 3443 से 3453 और 3455 से 3572	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	150—153
राज्य-सभा से संदेश	153
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	153
चौथा प्रतिवेदन	
प्राक्कलन समिति	153—154
तीसरा प्रतिवेदन	
लोक लेखा समिति	154
पहला, दूसरा, छठा और सातवां प्रतिवेदन	

* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति 154

पहला प्रतिवेदन

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण ... ... 155—180

वनों के विनाश तथा वायु, जल और वायुमंडल के प्रदूषण का समाचार

श्रीमती कृष्णा साही 155
श्री वीर सेन 155
श्री डी० एन० रेड्डी 164
श्री श्रीहरि राव 169
श्री धर्मपाल सिंह मलिक 176

कार्य मंत्रणा समिति ... ... 180—181

ग्यारहवां प्रतिवेदन

नियम 377 के अधीन मामले ... ... 181—186

(एक) मध्य प्रदेश के सात राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता

कु० पुष्पा देवी 181

(दो) "डाई अमोनिया फास्फेट" और "सुपर फास्फेट क्रिस्टलों" के रंगों में भिन्नता लाने की आवश्यकता

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी 182

(तीन) सातवीं योजना के दौरान मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा को पर्याप्त प्राथमिकता देने की आवश्यकता

श्रीमती किशोरी सिंह 183

(चार) नलगोंडा के लिये दूरदर्शन रिले केन्द्र

श्री एम० रघुमा रेड्डी 183

(पांच) छित्तौनी और दीघाघाट में रेलवे पुलों का निर्माण करने तथा बिहार के सीवान स्टेशन और दिल्ली के बीच एक और रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता

श्री काली प्रसाद पाण्डेय 183

(छः) मुरैना जिले में चम्बल नदी पर एक पक्का पुल बनाने के लिये मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री कमोदी लाल जाटव 184

(सात) पश्चिम बंगाल में माल डिब्बों के लिये पर्याप्त ऋयादेश देने के लिये कदम उठाने की आवश्यकता

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी 185

भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक ... ... 186—232

विचार करने के लिये प्रस्ताव

श्री सी० पी० ठाकुर 186
डा० गौरीशंकर राजहंस 188
श्री एम० सुब्बा रेड्डी 190
श्री चिन्तामणि जेना 192
श्री रामश्रेष्ठ खिरहर 195
श्री एम० रघुमा रेड्डी 195
श्री एम० एल० झिकराम 197
डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी 199
श्री के० आर० नटराजन 200
श्रीमती मनोरमा सिंह 201
श्री वृद्धि चन्द्र जैन 202
श्री नारायण चौबे 203
श्री राम भगत पासवान 205
श्री विजय एन० पाटिल 206
श्री हरीश रावत 208
श्री एन० वी० एन० सोमू 209
श्री शांति धारीवाल 210
श्री आर० जीवरत्नम 212
श्री अब्दुल हन्नान अंसारी 214
श्री काली प्रसाद पाण्डेय 215
श्री प्रताप भानु शर्मा 216
श्री राम बहादुर सिंह 217
श्री मानकूराम सोडी 219
श्री मूल चन्द डागा 219

पृष्ठ

श्री बंसी लाल 221

खण्ड 2 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री बंसी लाल 231

प्रो० सैफुद्दीन सोज 231

कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक 232

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री वसंत साठे 232

आधे घंटे की चर्चा ... ... 233—249

टायर उद्योग संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

प्रो० पी० जे० कुरियन 233

श्री वीरेन्द्र पाटिल 237

श्री अजित कुमार साहा 243

श्री अजय विश्वास 244

श्री सोमनाथ रथ 245

श्री हन्नान मोल्लाह 246

उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और देश के कुछ अन्य भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर हुए अत्याचारों, जिनके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अनेक व्यक्ति घायल हुए, के समाचार के बारे में चर्चा ... ... 249—288

प्रो० मिजिनलंग कामसन 249

श्री चिन्त मोहन 252

श्री बापूलाल मालवीय 252

श्री बी० एन० रेड्डी 255

श्री पी० के० थुंगन 256

श्री मोहम्मद महफूज अली खां 260

श्री माणिकराव होडल्या गावीत 261

श्री एस० जयपाल रेड्डी 262

श्री हरीश रावत 265

श्री चिन्तामणि जेना 267

श्री सी० माधव रेड्डी 272

श्रीमती गीता मुखर्जी 279

श्री एस० बी० चव्हाण 280

लोक सभा

बुधवार, 14 अगस्त, 1985/23 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

कलकत्ता-जद्दाह के बीच सीधी विमान सेवा

*325. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी क्षेत्र के हजारों हज तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए एक सीधी कलकत्ता-जद्दाह विमान सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव एयर इण्डिया से किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर एयर इण्डिया की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री के संसदीय सचिव (श्री अहमद एम० पटेल) : (क) पश्चिमी बंगाल राज्य हज कमेटी से मार्च, 1984 में प्राप्त पत्र के अनुसरण में, जिसमें कलकत्ता से जद्दाह और वहां से वापसी के लिए हज चार्टर उड़ानें प्रचालित करने का अनुरोध किया गया था, एयर इंडिया से इस प्रकार के प्रचालन की व्यावहारिकता की जांच करने के लिए कहा गया था। तथापि, 1985 में सरकार द्वारा ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रचालन संबंधी कठिनाइयों के कारण 1984 में एयर इंडिया ने प्रस्ताव को व्यवहारिक नहीं समझा था। 1985 के सम्बन्ध में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उत्तर यह स्पष्ट नहीं करता कि इस मामले के सम्बन्ध में एयर इंडिया व्यावहारिकता की कौन-सी कसौटी अपना रहा है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि देश के पश्चिमी भाग – पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, तथा उड़ीसा से भी— बहुत संख्या में तीर्थयात्री इस तीर्थयात्रा के लिए जद्दाह जा रहे हैं। इस समय उन्हें बम्बई जाना पड़ता है और कभी-कभी उन्हें बम्बई में एक सप्ताह या दस दिन तक इन्तजार करना पड़ता है क्योंकि उड़ानों का समय या उन्हें विमान में स्थान मिल जायेगा अथवा नहीं कुछ भी निश्चित नहीं है एवं उनमें से बहुत से लोगों को जो हवाई जहाज से जाना चाहते हैं अन्त में शायद बम्बई से पोत द्वारा जाना पड़ता है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि

क्या एयर इंडिया की दलील यह है कि कलकत्ता से पर्याप्त तीर्थयात्री नहीं जाते हैं या कि उनके पास हवाई जहाजों की कमी है अथवा उनकी समस्या क्या है ? वह देश के पश्चिमी भाग से जाने वाले इतने अधिक लोगों को क्यों अपनी सेवाएं अर्पित नहीं कर पा रहा है ?

श्री अहमद एम० पटेल : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं के साथ पूरी तरह से सहमत हूं। पूर्वी भाग से जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बहुत है। निस्सन्देह असम, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मेघालय से तीर्थयात्रियों की संख्या 1985 में 767 थी; बिहार से 1061 और उड़ीसा से 76, तथा पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार से 1600 थी। पश्चिम बंगाल की राज्य हज समिति ने भी अनुरोध किया था। इसकी पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जांच की गई थी परन्तु विभिन्न विवशताओं के कारण और विशेषकर कर्मचारियों की ड्यूटी के समय की सीमाओं, 'फेरी'-सेवा परिचालन पर बहुत अधिक खर्च होने तथा अतिरिक्त उड़ानों की उपलब्धता भी न होने के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आशा करता था कि सरकार स्वतन्त्र तौर पर इस मामले में कुछ रुचि लेगी और इसे पूरी तरह से एयर इंडिया पर नहीं छोड़ेगी। उदाहरण के तौर पर, मुझे पता लगा है कि अकेले पश्चिम बंगाल से गत वर्ष 600 लोग हवाई जहाज द्वारा तथा 2100 तीर्थयात्री समुद्र द्वारा गए हैं। परन्तु इस वर्ष किसी कारणवश—हालांकि, मैं इसके लिए मंत्री महोदय को जिम्मेदार नहीं ठहराता—बम्बई से जाने वाले जहाजों की संख्या तथा उपलब्ध जहाजों की संख्या में कमी होने अथवा किसी और बात के कारण सिर्फ 661 तीर्थयात्रियों को पश्चिम बंगाल से बम्बई पहुंचने के बाद और वहां इन्तजार करने के बाद जहाज द्वारा जाने दिया गया और बाकियों को हवाई जहाजों द्वारा जाना पड़ा। बम्बई में भीड़ होने के कारण अवश्य ही उन्हें बहुत असुविधाओं तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामले में, जो इस देश के एक महत्वपूर्ण अल्प समुदाय का एक मुख्य कर्त्तव्य है, सरकार को रुचि लेकर कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। अगर एयर इंडिया के जहाज की क्षमता से काफी अधिक लोग आते हैं – वे कई एयर इंडिया के जहाज भर सकते हैं—तो ऐसी स्थिति में सरकार को कुछ प्रबन्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आंकड़े अधिक जानकारी देने वाले हैं। अतः कुछ प्रबन्ध किया जाना चाहिए और उन्हें इस कठिनाई में नहीं डालना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार इस मामले पर विचार कर रही है अथवा इसे साधारणतः एयर इंडिया पर निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया गया है।

श्री अहमद एम० पटेल : जहां तक इस वर्ष का संबंध है राज्य हज समिति से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। परन्तु, फिर भी, भविष्य में जब भी कोई अनुरोध आयेगा तो हम निश्चित रूप से उस पर गौर करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हज यात्रियों के लिए जो आपने सुविधाएं दी हैं, समूचे देश के परिप्रेक्ष्य में आप

कितनी सुविधाएं इसमें बढ़ा रहे हैं और किन सुविधाओं की ओर आप विशेष कदम उठाने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अहमद एम० पटेल : सर, जहां तक सुविधाओं का सवाल है, मुगल लाइन्स लिमिटेड, जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की कम्पनी है, वह डील करती थी, अब भी डील कर रही है, पहले दो पानी के "हवाई-जहाज" जाते थे, उनमें से एक का नाम था नूरजहां और दूसरे का नाम था अकबर। सॉरी सर, पानी के जहाज जाते थे···

अध्यक्ष महोदय : आजकल पानी के भी हवाई जहाज होते हैं ?

श्री अहमद एम० पटेल : जहां तक एम० वी० नूरजहां जहाज का सवाल है उसको स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया गया है और जहां तक अकबर का सवाल है, वह भी अंडमान निकोबार आइलेंड को बेच दिया गया है, लेकिन कंडीशन यह रखी गई है कि जब भी हज की यात्रा आएगी, तब उनको अवेलेबल किया जाएगा। जहां तक एडीशनल फेसिलिटीज का सवाल है, जो फेसिलिटीज इस मामले में दी गई हैं, वे मैं पढ़कर सुनाता हूं —

[अनुवाद]

(1) एयर इंडिया विमान में उपलब्ध स्थान का 1 प्रतिशत स्थान हज समिति को निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है।

(2) यह 10 किलोग्राम तक जूम-जूम जल के एक कनस्तर को प्रति तीर्थयात्री द्वारा मुफ्त लाने की अनुमति दे रहा है।

(3) जद्दाह और भारत के बीच दोनों तरफ की यात्राओं में हज समिति के 500 किलोग्राम तक के उपकरणों को मुफ्त ढोया जायेगा।

(4) साउदिया अपनी उड़ानों पर 20 किलोग्राम तक निःशुल्क सामान ले जाने की अनुमति देता है जबकि एयर इण्डिया में 35 किलोग्राम प्रति यात्री तक का सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति होगी।

(5) 35 किलोग्राम से अधिक सामान पर एयर इंडिया द्वारा यात्रियों से वसूल किया गया किराया हज समिति को दिया जायेगा।

[हिन्दी]

ये सुविधाएं सिर्फ एयर इंडिया देता है। सउदी एयर लाइंस ने ये सुविधाएं देने से इन्कार कर दिया है।

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल : महोदय, चूंकि प्रश्न कलकत्ता हवाई अड्डे से संबंधित है

इसलिए मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसे मंत्री महोदय द्वारा ठुकराया नहीं जाना चाहिए। क्या यह सत्य है कि ब्रिटिश एयरवेज अपनी उड़ानें बन्द करने पर विचार कर रहा है···

अध्यक्ष महोदय : संगत नहीं है।

श्री तम्पन थामस : महोदय, मैं मन्त्री महोदय की जानकारी में एक दूसरा क्षेत्र लाना चाहता हूं, अर्थात्, कोचीन जहां से हज तीर्थयात्री जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वहां क्या सुविधायें दी जाती हैं। दूसरे, मैं यह बताना चाहता हूं कि त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों के बीच नियमित उड़ानें हैं परन्तु एयर इंडिया द्वारा अन्य एयर लाइनों की अपेक्षा अधिक किराया वसूल किया जाता है। क्या सरकार को इसके बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है?

अध्यक्ष महोदय : संगत नहीं है।

श्री तम्पन थामस : त्रिवेन्द्रम तथा जद्दाह के बीच एयर इंडिया द्वारा वसूल किए जाने वाले किराये में कितना अन्तर है? दूसरे, क्या वह अधिक सुविधायें उपलब्ध करायेंगे?

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। यह असंगत है। आप अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर उनके पास जानकारी उपलब्ध नहीं है तो वह कैसे उत्तर दे सकते हैं।

महाराष्ट्र को विशेष सहायता

*327. **प्रो० मधु दण्डवते** †
श्री जी० एम० बनातवाला } : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने योजना आयोग से बम्बई शहर, जो अत्यधिक जनसंख्या के कारण अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है, के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य को 1000 करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि योजना आयोग बम्बई शहर के विकास के लिए केवल 50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता देने के लिए सहमत हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्णय पर पुनर्विचार करेगी तथा बम्बई शहर का विकास करने के लिए महाराष्ट्र राज्य को अधिक धन का आवंटन करेगी?

प्रधान मन्त्री के संसदीय सचिव (ओस्कर फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यों को केन्द्रीय सहायता, विशेष परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए नहीं दी जाती है बल्कि, परिशोधित गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य की योजना के लिए सक्ल (ब्लाक) सहायता के रूप में दी जाती है। इस फार्मूले के अन्तर्गत, राज्य की विशेष योजनाओं के लिए 10 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता का आवंटन किया जाता है और बम्बई नगर के विकास की विशेष

समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र को सातवीं योजना की अवधि के लिए 50 करोड़ रुपये की रकम उपलब्ध कराई गई है।

(ग) राज्यों की सातवीं योजना के लिए उपलब्ध केन्द्रीय सहायता, परिशोधित गाडगिल फार्मूले के आधार पर, विभिन्न राज्यों में आवंटित की गई है। गाडगिल फार्मूले के बाहर, राज्यों को विशेष सहायता के आवंटन के लिए योजना में कोई प्रावधान नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि बम्बई शहर में बहुत सी औद्योगिक प्रतिष्ठान होने के परिणामस्वरूप भारत सरकार बम्बई शहर से आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा अन्य कई स्रोतों से काफी मात्रा में राजस्व वसूल कर रही है; इसके बावजूद बम्बई के विकास को ध्यान में रखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए 50 करोड़ रुपए की अपर्याप्त राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, मन्त्री महोदय जानते हैं कि 1981 की जनगणना के अनुसार बम्बई की जनसंख्या 82.37 लाख है और यदि आप यह बात जानना चाहते हैं कि देश के विभिन्न भागों से कितने लोग बम्बई आते हैं तो 1977 की जनगणना से पता चलता है कि कुल जनसंख्या की 56.80%, जिसमें सिर्फ महाराष्ट्र के विभिन्न भागों से आने वाले लोग शामिल हैं, मैं उन्हें अलग नहीं करना हूं — जनसंख्या बम्बई शहर में आती है। मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री द्वारा रचनात्मक और ठोस सुझाव दिए गए हैं कि सभी महानगरों में, चाहे यह दिल्ली हो या कलकत्ता अथवा बम्बई, भीड़ भाड़ को रोकने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि उन नगरों से दूर अन्य नगर बनाए जाएं, ताकि देश के विभिन्न भागों से आने वाले लोग उन नगरों की ओर आकर्षित हो सकें और इन शहरों की ओर आकर्षित न हों और इस तरह से शहरों में भीड़-भाड़ को रोका जा सकता है। यदि यह सुझाव कार्यान्वित किया जाना है तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि योजना आयोग, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर विचार करे इसका अर्थ है कि उन्हें स्वयं को ही संबोधित करना होगा— तथा देखें कि बम्बई को 50 करोड़ रुपए की अल्प राशि ही न दी जाए, अपितु अधिक राशि आवंटित की जाए ताकि उनकी और मांग न रहे और उस संगठन को दोष देने का क्या फायदा है जिसका कहना है कि एक सीमा निर्धारित कर दी जाये और लोगों को वहां आने न दिया जाए। यदि उस नारे से बचना है तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि केन्द्र कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली जैसे शहरों के आस-पास अन्य नगर बसाने के लिए अपेक्षित खर्चों पर ध्यान दे, ताकि इस समस्या का काफी हद तक समाधान किया जा सके।

प्रधानमंत्री (श्री राजीव गांधी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री दंडवते द्वारा उठाए गए मुद्दे काफी अच्छे हैं और बम्बई में काफी काम किया जाना है। उनकी बात ठीक है कि बम्बई से अत्यधिक कर वसूली की जाती है। लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अधिकांश वसूली इसलिए होती है क्योंकि कम्पनियों के मुख्यालय बम्बई में हैं न कि इसलिए कि उत्पादन वहां किया जाता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : काला धन भी बम्बई से प्राप्त होता है।

श्री राजीव गांधी : मैं यह बताना चाहता हूं कि राज्यों में शहरों का विकास राज्य का विषय है और महाराष्ट्र को सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सबसे अधिक धनराशि अर्थात 1985-90 के दौरान 10,500 करोड़ रुपए, दी गई है और इस योजना में महाराष्ट्र को 2441 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी जानी है जो कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता से 72 प्रतिशत अधिक है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि न केवल केन्द्र सरकार को बम्बई से कर-वसूली के रूप में ही काफी राशि प्राप्त होती है अपितु महाराष्ट्र को भी प्राप्त होती है और महाराष्ट्र की कुछ धनराशि बम्बई में लगाई जानी चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, श्री बनातवाला यहां उपस्थित नहीं है और इस प्रश्न के आगे उनका नाम लिखा है। क्या मैं दो अतिरिक्त प्रश्न पूछ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जब प्रश्न पूछा जाएगा तो उत्तर दे दिया जाएगा।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है। प्रधान मन्त्री ने अभी सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार पर डाल दी है। मैं पुनः यह जिम्मेदारी उन पर डालना चाहता हूं। क्या यह सच नहीं है कि बम्बई, कलकत्ता, आदि नगरों के आस पास नए नगर के बसाने के कुछ पहलू हैं जिसके लिए केन्द्रीय हस्तक्षेप और सहायता आवश्यक है? मैं एक ठोस प्रश्न पूछूंगा। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने नई बम्बई के निर्माण में पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी है। यह भी एक जुड़वां शहर है। निश्चय ही, उससे और विस्तार होगा। मेरी यह राय है। लेकिन इस नए शहर का पहले ही विकास हो रहा है। अब यदि उसे प्रभावी बनाना है, तो हम चाहते हैं कि उसमें केन्द्र सहायता करे, उदाहरण के लिए केन्द्र मुख्य बम्बई लाइन को नई बम्बई से जोड़े ताकि थाना पुल बनाया जा सके एवं एक रेलवे लाइन बिछाई जा सके। उसके लिए मानपुर-बेलापुर लाइन का निर्माण करना होगा। पहले से ही एक महानगरीय परियोजना बनाई गई है और रेल मंत्री का कहना है कि इस समय अतिरिक्त राशि की स्वीकृति देना बिलकुल संभव नहीं है और इसलिए इससे लगते हुए नए शहर का निर्माण किया जाएगा। लेकिन शहर के एक किनारे को दूसरे से जोड़ने का यह कोई तरीका नहीं होगा। ऐसे मामलों में, महाराष्ट्र सरकार के राजस्व से जो राशि लेने की आवश्यकता है, उसके अतिरिक्त हमें रेलवे जैसी केन्द्रीय एजेंसियों से भी सहायता लेने की जरूरत है और इसके लिए केन्द्र को और अधिक धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता होगी। एक और पहलू है। मैं यह प्रश्न भी पूछूंगा; हमें ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं ··(व्यवधान)। यह बहुत संगत प्रश्न है। आप क्यों बाधा डाल रहे हैं? दोनों पक्षों के सदस्यों को एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, मैं भी आपकी सहायता करूंगा।

यदि लोग बाहर से आ रहे हैं, तो उनके प्रवेश पर रोक लगाने की बजाय एक अन्य तरीका भी है यदि विभिन्न राज्यों के बीच आर्थिक असंतुलन और प्रादेशिक असंतुलन समाप्त कर दिया जाए और बम्बई और कलकत्ता जैसे शहरों के पृष्ठ प्रदेशों का विकास किया जाए, तब उस स्थिति में कोंकण क्षेत्र जैसे प्रदेशों से लोग बम्बई में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन सभी राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र से पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं होता है। क्या सरकार समूची समस्या की समीक्षा करेगी? प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष भी हैं। मैं उन्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि वह इसके लिए

अधिक धन राशि आवंटित करें, ताकि इस समस्या का, जो कि एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है, काफी हद तक समाधान किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : आपने अब चार प्रश्न पूछे हैं।

श्री राजीव गांधी : इसमें श्री बनातवाला जी का प्रश्न भी शामिल है।

मूलत: दंडवते जी ने दो मुद्दे उठाए हैं। पहला मुद्दा नई बम्बई को पुरानी बम्बई से जोड़ने से संबंधित है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इनको अवश्य ही जोड़ा जाना चाहिए। किन्तु साथ ही साथ बंबई को बनाए रखने के लिए और बम्बई की पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए भी आर्थिक निवेश उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि बम्बई शहर को रसायन, धुएं, भीड़ भाड़ तथा इस पर पड़ने वाले ऐसे विभिन्न प्रकार के भार से, जिसे वह वहन नहीं कर सकता है, नष्ट किया जाएगा, यदि उस प्रकार से इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी बनाई नहीं रखी जा सकेगी तो हम समझेंगे कि हमारी उपलब्धि कुछ नहीं रही है। पारिस्थितिकी ही एक ऐसा कारक है जो इसमें बाधक बन रहा है और जिससे समस्या पैदा हो रही है हम देखेंगे कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से बम्बई का अच्छी तरह से विकास किया जा सकता है और हम इसकी किस तरह से अधिक सहायता कर सकते हैं।

दंडवते जी ने जो दूसरा प्रश्न पूछा है, मैं उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूं कि वह क्या कहना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि आर्थिक असंतुलन को दूर करना चाहिए। जैसा कि सभी सदस्य जानते हैं कि महाराष्ट्र हमारे देश के उन्नत राज्यों में से है। क्या दंडवते जी यह कहना चाहते हैं कि

प्रो० मधु दंडवते : मैंने जो कहा है, मैं उसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैंने महाराष्ट्र से बाहर के पिछड़े क्षेत्रों की बात कही थी। मैं चाहता हूं कि केरल का विकास किया जाए, प्रदेश मध्य मराठवाड़ा का विकास किया जाए, ताकि इन लोगों को इतनी दूर आने की जरूरत ही न पड़े। वे वहीं रह सकेंगे।

श्री राजीव गांधी : मैं इन भावनाओं की कद्र करता हूं और इसी कारण हमारे पास बम्बई को देने के लिए अधिक पैसा नहीं है।

श्री शरद दिघे : जैसा कि कहा गया है कि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बम्बई में लगभग 52.86% जनसंख्या दूसरे स्थानों से आये लोगों की है। मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि इसमें से 58% लोग देश के अन्य भागों से आये हैं न कि महाराष्ट्र से। संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कहीं भी रहने का अधिकार है; हम किसी को बम्बई जाने से नहीं रोक सकते। सभी पहलुओं से बम्बई की समस्याओं के बढ़ने का कारण देश के अन्य भागों से लोगों का बम्बई में आना है। वहां आवास समस्या बहुत जटिल हो गई है। कल ही वहां एक इमारत के गिरने से 52 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र सरकार अपने राजस्व की अल्प राशि से टूटे-फूटे घरों की मरम्मत नहीं करा सकती। अत: बम्बई को विशेष सहायता के रूप में जो 50 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है, वह बहुत कम है। सरकार ने 50 करोड़ रुपये किस आधार पर दिये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है। यह राशि गाडगिल सूत्र के अनुसार दी गई है।

प्रो० मधु दण्डवते : गाडगिल सूत्र में संशोधन किया गया है, हम चाहते हैं कि उसमें और संशोधन किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : आपको किसी चीज की आवश्यकता है तथा आप और अधिक पाना चाहते हैं। दोनों में फर्क है।

श्री राजीव गांधी : मैं समझता हूं कि वह चाहते हैं कि गाडगिल सूत्र में संशोधन किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यही वह कहना चाहते हैं। वह और क्या चाहते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : श्री वी० एन० गाडगिल को भी इसकी जानकारी दे दीजिये।

श्री राजीव गांधी : आप एक नया गाडगिल सूत्र चाहते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, हमें नया गाडगिल सूत्र चाहिये।

श्री राजीव गांधी : यह बहुत बड़ा प्रश्न है और इस तरह से गाडगिल सूत्र में संशोधन अथवा परिवर्तन करने संबंधी प्रश्न पर तुरन्त जवाब देना कठिन होगा।

श्री मुरली देवरा : आज कुल जनसंख्या का $\frac{1}{4}$ भाग बड़े शहरों में रहता है और इस शताब्दी के अन्त तक कुल जनसंख्या का एक तिहाई भाग शहरों में होगा। यदि हम योजना आयोग को देखें, तो उसमें शहरी विकास और आवास संबंधी शायद ही कोई विभाग हो। प्रधानमन्त्री ने कहा है कि संशोधित गाडगिल सूत्र के अनुसार बम्बई से जो धन राशि एकत्रित की जाती है वह महाराष्ट्र राज्य को आबंटित कर दी जाती है। किन्तु महोदय, विशिष्ट राशि का केवल 10% भाग परियोजना के लिए दिया जा सकता है। प्रधान मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि क्या वह इसमें 10% की बजाय 20% तक की वृद्धि करने पर विचार करेंगे, ताकि महाराष्ट्र के बजट से बम्बई की विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अधिक धन राशि दी जा सके।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है। श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, आप क्या कहना चाहते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : मन्त्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया।

श्री राजीव गांधी : ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज शहरों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए उसको रोकना बहुत आवश्यक है। क्या इस बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने की आपकी कोई योजना है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के सम्बन्ध में और कुछ तो नहीं कहना है।

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह के प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री के० आर० नारायणन : महोदय, मैं श्री मुरली देवरा के प्रश्न के संबंध में कुछ बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ ऐसी बात है।

आदिवासी उप-योजना के लिए केन्द्रीय सहायता

*328. **श्रीमती ऊषा चौधरी** †
श्री राधाकांत डिगाल } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 के लिए आदिवासी उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य योजना के प्रयासों के लिए एक अतिरिक्त सहायता है। इसकी मूल रूपरेखा में वर्ष 1985-86 में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस सहायता की मांग आदिवासी विकास कार्यक्रमों में विशेषत: परिवार अभिमुखी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सीमान्तरिक अन्तराल को पूरा करने के लिए की जाती है। वर्ष 1985-86 के लिए अस्थाई आबंटन 140 करोड़ रुपये है। यह 1984-85 के आबंटन से लगभग 11.50% अधिक है।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने अपने उत्तर में कहा है कि 1984-85 की मूल रूपरेखा में कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन आदिवासियों की हालत को देखते हुए परिवर्तन की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि विशेष केन्द्रीय सहायता किस आधार पर दी जाती है और क्या इसको सही रूप से खर्च करने के लिए मांनिटरिंग की व्यवस्था है या नहीं। यदि है तो उसका स्वरूप क्या है ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, विशेष केन्द्रीय सहायता के वितरण का एक आधार यह है कि ट्राइबल सब-प्लान के एरिया में आदिवासियों की जनसंख्या का देखना, दूसरा ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत ज्यूग्राफिकल एरिया और तीसरा उनकी बैकवर्डनैस है। जहां तक

मोनिटरिंग की व्यवस्था का सवाल है, उसके लिए हर राज्य में मोनिटरिंग सैल है, और वहां मोनिटरिंग होता है। गृह मन्त्रालय में भी एक मोनिटरिंग सैल है, जहां पर कि आम तौर से प्रोजेक्ट रिपोर्ट को रिव्यू किया जाता है। वह रिपोर्ट हर राज्य से आती है। प्लैनिंग कमीशन होम मिनिस्ट्री दोनों मिलकर भी प्रगति की रिपोर्ट की मोनिटरिंग करते हैं और हर राज्यों को उसकी त्रुटियां और उपलब्धियां बतलाते हैं।

श्रीमती ऊषा चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदया ने मेरे प्रश्न के उत्तर में और मोनिटरिंग सैल के बारे में बताया, मैं उस पर किसी तरह की शंका व्यक्त करना नहीं चाहती परन्तु मैं उनसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहती हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आपने कितने परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया। क्या आपने उसके लिए कोई सर्वे किया था और उस सर्वे के आधार पर या आपके पास कौन सा ऐसा आंकड़ा है, जिससे आप किसी परिवार को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा मानते हैं और कह सकें कि इतने परिवारों को हमने गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया। इसके अलावा सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार का क्या लक्ष्य निर्धारित है।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 27 लाख आदिवासी परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य निर्धारित था किन्तु 39 लाख 66 हजार परिवारों को सहायता दी गई और सातवीं पंचवर्षीय योजना में 40 लाख आदिवासी परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य निर्धारित है। पूरे देश में लगभग साढ़े पांच करोड़ आदिवासी हैं। जहां तक सर्वे किये जाने का प्रश्न है, ऐसा कोई एकानामिक सर्वे नहीं किया गया है लेकिन यदा-कदा किसी-किसी पौकेट में ट्राइबल रिसर्च इंसटीट्यूट द्वारा इस तरह का इवैल्यूएशन स्टडी किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री राधाकांत डिगाल : माननीय मन्त्री कृपया बताएं कि देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाली जनजातियों के कितने प्रतिशत लोगों को जनजाति उपयोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है ? जनजातियों के शेष लोगों को उक्त उपयोजना के अन्तर्गत शामिल करने के बारे में सरकार का क्या कार्यक्रम है ? गबन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कदम उठाती है

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : महोदय छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जनजाति उपयोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 75 प्रतिशत जनजातियों को शामिल किया गया है। जिन क्षेत्रों में आदिवासी जनजातियों की अधिक आबादी है वहां पर उस क्षेत्र के तथा वहां उन लोगों के लिए उपयुक्त विकास कार्यक्रम समेकित जनजातीय विकास कार्यक्रमों के माध्यम से समेकित रूप में शुरू किए गए हैं।

जिन क्षेत्रों में जनजातियां आम लोगों के साथ घुल-मिलकर रह रही हैं वहां 245 विशेष परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनके अन्तर्गत वे क्षेत्र शामिल किए गए हैं जहां जनजातियां घनी बसी हुई हैं। 72 आदिम जनजातियों का पता लगाया गया है और उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा

है। शेष 25 प्रतिशत जनजातियों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एकीकृत प्रयास कार्यक्रम कलस्टर एप्रोच प्रोग्राम में लिया जाएगा।

श्री सुख राम : महोदय, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और काश्मीर के जनजाति क्षेत्रों में आलू सब्जी तथा फल जैसी व्यापारिक फसलें भरपूर मात्रा में उगाई जा सकती हैं लेकिन अधिक दूरी तथा सड़क यातायात की समस्याओं के कारण उनकी बिक्री संभव नहीं है। इस तथ्य को मद्देनजर रखकर मैं माननीय गृह मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह जनजाति उप योजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में इन फसलों को विमान से भिजवाने के लिए वहां इसकी व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ताकि जनजातियों के लोगों की आर्थिक दशा सुधारी जा सके ? दूसरी बात यह है कि भारी हिमपात के कारण इन क्षेत्रों का साल में लगभग 6-7 महीने तक शेष विश्व से संपर्क टूटा रहता है। अतः क्या गृह मन्त्री रियायती दरों पर बार बार चलने वाली विमान सेवा पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए जनजाति उप-योजना में धन की व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का संबंध है कि विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा कृषि उत्पादों को विमानों द्वारा जनजाति क्षेत्रों से मंडियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए यह मामला पहली बार रखा गया है अतः हम इस पर विचार करेंगे। मेरे ख्याल से यह केवल जनजाति के लोगों की ही समस्या नहीं है। जनजातियों से भिन्न ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो विमान से यात्रा तथा उत्पादों को विमान से ले जाने की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहें। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार अगर ठोस सुझाव भेजे तो उस पर निश्चय ही विचार किया जाएगा। यही बात प्रश्न के अन्य भाग पर भी लागू होती है।

श्री बसुदेव आचार्य : एकीकृत जनजाति विकास परियोजना क्षेत्र ऐसी संयुक्त इकाइयां हैं जिनमें ऐसे ग्राम समूह शामिल हैं जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल राज्य जनजाति योजना का केवल 40 प्रतिशत ही पूरा कर सकता है जबकि समस्त देश का प्रतिशत 75 है। इस असंगति को दूर करने के लिए क्या भारत सरकार जनजातियों के अधिक लोगों को इसमें शामिल करने के लिए मानदण्ड को 50 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत करने या अनुसूचित जनजाति के समस्त लोगों को इसमें शामिल करने के लिए विशेष संघटक योजना (एस० सी० पी०) दृष्टिकोण अपनाने पर विचार करेगी ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : इसका संबंध केवल पश्चिम बंगाल से नहीं है। जनजाति उप-योजना में 17 राज्य तथा दो केन्द्र शासित प्रदेश शामिल किए गए हैं। इन्हें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है। माननीय सदस्य को बता दूं कि सातवीं योजना के दौरान अनुसूचित जनजाति विकास कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि एकीकृत प्रयास कार्यक्रम कलस्टर एप्रोच प्रोग्राम के अन्तर्गत कुल 10,000 जनसंख्या के पिछले निर्धारित मापदंड को घटाकर 5,000 किया जाए। इससे जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत, अब तक शामिल नहीं हो सकी अनुसूचित जनजातियां तथा माडल कार्यक्रम शामिल किए जा सकेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोई मूल्यांकन किया गया है ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : मैंने बताया था कि हर पंचवर्षीय योजना के अन्त में मूल्यांकन तथा जांच की जाती है और उसके बाद ही अगली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत काम शुरू किया जाता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर जांच तथा समीक्षा वैसे भी की जाती रहती है।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अभी हमारे प्रधान मंत्री जी आदिवासी क्षेत्रों में जाकर उनकी समस्याएं देख रहे हैं कि उनकी क्या तकलीफें हैं, मैं उन तमाम लोगों की तरफ से प्रधान मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वह इस प्रकार वहां जाकर उनकी समस्याओं को देख रहे हैं। माननीय मन्त्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि आदिवासियों के लिए एक आदिवासी सब-प्लान एरिया डैवलपमेंट का है जिससे वहां अस्पताल बनते हैं, सड़कें बनती हैं और तमाम लोगों को उसका लाभ मिलता है, तो क्या फैमिली डेवलपमेंट योजना में आगे इस तरह का संशोधन करके सेवेन्थ प्लान में फैमिली बेनिफिट योजना तैयार करने का विचार है ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : फैमिली बेनीफिट योजना के सम्बन्ध में मैंने पहले ही कहा कि उसका टार्गेट बढ़ा कर 40 लाख परिवार के लिए किया गया है। जहां तक प्रधानमन्त्री जी आदिवासियों और हरिजनों की झोपड़ियों में घूम-घूमकर चिराग जलाने का काम कर रहे हैं और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री जी ने 24 तारीख की संध्या को गृह मंत्रालय के मंत्रियों को बुलाया है और जो प्रधानमन्त्री जी आदेश देंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना में उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

मध्य हिमालय क्षेत्र के लोगों के लिए धुआं रहित चूल्हे

*329. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इसका कोई मूल्यांकन किया है कि यदि मध्य हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा धुआं रहित चूल्हों और प्रैशर कुकरों का प्रयोग किया जाता है, तो कितनी ईंधन लकड़ी बचाई जा सकती है;

(ख) क्या सरकार ईंधन लकड़ी बचाने की दृष्टि से इस क्षेत्र में धुआं रहित चूल्हे स्थापित करने और प्रैशर कुकर खरीदने के लिए लोगों को अनुदान देने की कोई योजना बना रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) उन्नत प्रकार

के चूल्हों के उपयोग के कारण ईंधन वाली लकड़ी की खपत बचाने के सम्बन्ध में मूल्यांकन किए जा चुके हैं। दिसम्बर, 1983 से उन्नत प्रकार के चूल्हों के प्रचार और प्रसार के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। 31. 3. 85 के अन्त की अवधि के दौरान देश भर में 8.12 लाख चूल्हों की स्थापना की गई थी जबकि लक्ष्य 5 लाख चूल्हों का था। इन चूल्हों से प्रतिवर्ष लगभग 600,000 टन ईंधन वाली लकड़ी की अनुमानित बचत होती है जिसकी लागत प्रति वर्ष 24 करोड़ रुपये होती है। इनमें से मध्य-हिमालय अर्थात् उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में 40577 चूल्हों की स्थापना की गई थी जिससे प्रति वर्ष लगभग 30,000 टन ईंधन वाली लकड़ी की बचत हुई। चालू वर्ष का राष्ट्रीय लक्ष्य 6 लाख चूल्हे स्थापित करने का है। उन्नत प्रकार के स्थिर चूल्हों के नमूने पूर्ण रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त हैं और सफरी प्रकार के चूल्हे वास्तविक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हैं। फिलहाल प्रैशर कुकर खरीदने वाले लोगों के लिए किसी प्रकार का अनुदान देने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, सरकार वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए काफी पैसा खर्च कर रही है मगर उसका जितना इम्पैक्ट दिखाई देना चाहिए था उतना हिमालयन रीजन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि हिमालयन रीजन के महत्व को देखते हुए और वनों पर से फेयर-वुड का भार घटाने के लिए आप कोई ऐसी पृथक एजेन्सी बनायेंगे जो उस क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों के प्रसार के लिए काम करे और लोगों को सब्सीडी इत्यादि देने का काम करे ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है, इसीलिए बहुत सारे कदम पहले से ही उठाए गए हैं— नये प्रकार के चूल्हा देने, उसके साथ-साथ गोबर-गैस से ऊर्जा उत्पादन करने, सौर-ऊर्जा व अन्य प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करने के वहां पर कदम उठाए गए हैं। प्रान्त की जो सरकार है उसकी मदद के द्वारा और दूसरी जो प्राइवेट एजेंसीज हैं उनके द्वारा भी यह किया गया है लेकिन इस प्रकार का अलग कोई दूसरा आर्गनाईजेशन बनायें, कोई संस्था बनायें, जो कि इस काम को करे तो इस समय यह सम्भव नहीं होगा। असल में इस समय हम जो कुछ भी कर रहें हैं उसके अच्छे परिणाम निकल रहे हैं—ऐसा हमको नजर आ रहा है और उसको और भी आगे बढ़ाने का हमारा लक्ष्य रहेगा।

श्री हरीश रावत : श्रीमन्, मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि राज्य सरकारें जो काम करती हैं उसे उनको एक व्यापक क्षेत्र के अन्तर्गत करना होता है परन्तु यह हिमालयन रीजन जिन-जिन राज्यों में पड़ता है उसकी विशेष भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, उसको ठीक से एनालाइज न करने के कारण सब्सीडी इत्यादि का जो रेशो है वह वहां पर भी वही मिल रहा है जोकि दूसरी जगहों पर मिलता है इसलिए मैं मन्त्री जी से आग्रह करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कि वहां पर वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों के विकास पर अधिक धन खर्च होता है जैसे कि कोई बायो-गैस प्लांट लगाना चाहे तो उसको बनाने पर जितना खर्च मैदानी क्षेत्र

में होगा उससे कई गुना अधिक खर्च पर्वतीय क्षेत्र में होगा तो क्या पर्वतीय क्षेत्रों में इसका प्रसार करने के लिए सरकार सब्सीडी की मात्रा बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने पहले ही बताया है कि यह जो चूल्हा दिया जाता है उसके ऊपर किसी भी व्यक्ति को एक पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है—पूरा का पूरा पैसा सरकार की ओर से दिया जाता है। चूल्हा बनाने के लिए जितना पैसा लगता है वह दिया ही जाता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा भी दिया जाता है।

श्री हरीश रावत : मैंने अन्य स्रोतों की बात भी कही है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : इसका उपयोग जितनी भी अधिक मात्रा में वहां के लोग करना चाहते हैं उतनी अधिक मात्रा में देने का आदेश प्रधान मन्त्री जी से हमको मिला है आज हम जितने चूल्हे लगा रहे हैं उससे ज्यादा चूल्हे लगाने का काम हम करना चाहते हैं।

जहां तक वैकल्पिक ऊर्जा का निर्माण करने, बायो-गैस लगाने का सवाल है, उसके लिए भी हम बड़ी मात्रा में सब्सीडी दे रहे हैं—कहीं 75 प्रतिशत दे रहे हैं और कहीं 50 प्रतिशत दे रहे हैं। और इसका जो भी उपयोग करना चाहेंगे उनको हम देंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में बायो-गैस अधिक मात्रा में नहीं लगाये जा सकते हैं लेकिन वहां कुछ जगहों पर विण्ड एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, उसके साथ सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। यह सारी चीजें करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं और इस काम में हमको प्रान्तीय सरकार की मदद की बहुत जरूरत है क्योंकि वहां की जो मशीनरी बनेगी वह हर गांव और हर घर तक पहुंचाने का प्लान बनायेंगे, पैसा देंगे और वैज्ञानिक तरीके से जो मार्ग-दर्शन जरूरी है वह भी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे।

श्री हरीश रावत : मैंने यह पूछा था कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आप सब्सीडी की राशि बढ़ाने पर भी विचार करेंगे।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने आपको बताया है कि चूल्हा तो मुफ्त में ही दिया जा रहा है इसलिए सब्सीडी का प्रश्न नहीं है।

[अनुवाद]

श्री० पी० के० थुंगन : वेदों के समय से एक पुरानी कहावत चली आ रही है कि हिमालय पर अधिकार करने का अर्थ है भारत पर अधिकार करना। हिमालय पर तभी नियन्त्रण रखा जा सकता है जब वनों की रक्षा की जाए और हिमालय के कारण आने वाली बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं पर भी नियंत्रण तभी किया जा सकेगा जबकि हिमालय की देखभाल की जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मन्त्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं। चूंकि हिमालय क्षेत्र के ठण्डे इलाकों में ईंधन की बहुत अधिक जरूरत होती है और चूंकि अधिकांश लोग ईंधन की कमी से परेशान हैं उनकी प्रतिपूर्ति करने और उन्हें ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए हिमालय के क्षेत्र में अब तक कितनी गैस एजेन्सियां दी गई हैं ?

दूसरे, लद्दाख जैसे क्षेत्रों में जहां तापमान हमेशा लगभग शून्य से नीचे रहता है उन स्थानों को

सर्दी से बचाने और लोगों को गरमाहट पहुंचाने के लिए कितनी योजनाएं हैं और विद्युत उत्पादन द्वारा अथवा अन्य वैकल्पिक साधनों के द्वारा उन्हें बिजली उपलब्ध कराने के लिए क्या-क्या अनुसंधान किए जा रहे हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : जहां तक गैस एजेन्सियों का सम्बन्ध है, मैं उनकी संख्या बताने की स्थिति में नहीं हूं। और मेरे विचार में हम गैस एजेन्सियां देकर स्थिति में सुधार भी नहीं ला सकते।

प्रश्न का दूसरा भाग है कि लद्दाख में क्या किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लद्दाख में फोटोवोलटिक प्रौद्योगिकी और अन्य विकल्पों का भी इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री टी० बशीर।

एक माननीय सदस्य : आप कृपया मुझे भी अवसर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : सभा में सभी को कुछ कहने का अवसर दिया जाता है।

डल झील (कश्मीर) में प्रदूषण

*330. **श्री टी० बशीर :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण, डल झील में प्रदूषण और अत्यधिक गाद जमने के कारण उसका आकर्षण कम हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का इस पर्यटक स्थल के महत्व को बनाए रखने के उद्देश्य से कोई उपयुक्त परियोजना आरम्भ करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। लेकिन जम्मू तथा कश्मीर की राज्य सरकार के पास झील को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना है। इसके घटकों में ये शामिल हैं :—

अनधिकार-प्रवेश पर नियंत्रण लगाने के लिए परिधि रेखा के साथ-साथ पत्थर के पक्के पुश्ते का निर्माण; गाद के झील में गिरने से पूर्व इसे रोकने के लिए तलछट बेसिन का निर्माण; अपतृ वर्धन नियंत्रण के लिए चयनात्मक अपत्रण हटाना; जलवितरण में सुधार हेतु रुकावटें हटाना; आवाह क्षेत्र में भू-संरक्षण; तथा हाउस बोटों के लिए उचित प्रकार से पुनःस्थान निर्धारण करना ताकि इन्हें मल-जल पद्धति के साथ जोड़ा जा सके।

श्री टी० बशीर : मैं सभा को हिमालय पर्वत से कश्मीर की घाटी की ओर ले जा रहा हूं। मन्त्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु एक योजना भेजी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ? इसके साथ ही मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि

क्या केन्द्रीय सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत यदि कोई राज्य सरकार देश में झीलों और नदियों का प्रदूषण दूर करने के लिए योजना लायें तो क्या उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है और यदि हां, तो मैं मन्त्री महोदय से तत्सम्बन्धी ब्यौरा चाहता हूं।

श्री वीर सेन : प्रश्न डल झील से सम्बन्धित है और मैं स्वयं को इसी तक सीमित रखूंगा। जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने डल झील में प्रदूषण नियन्त्रण के लिए 21 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है जबकि केन्द्र सरकार के बजट में वायु-प्रदूषण नियन्त्रण के लिए केवल 28 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अत: केन्द्रीय सरकार के लिए इतनी अधिक राशि उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

यह अनुरोध निर्माण और आवास मंत्रालय को प्राप्त हुआ था जिसे पर्यावरण विभाग के पास भेज दिया गया है। हमने निर्माण और आवास मंत्रालय को सूचित कर दिया है कि इतनी अधिक सहायता उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो इधर से उधर चक्कर लगवाने वाली बात है।

श्री टी० बशीर : प्रदूषण सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए चिन्ता का विषय बन गया है। आपरेशन गंगा योजना का भारत की जनता ने स्वागत किया है और उसकी सराहना की है। देश में यमुना, कावेरी, गोदावरी और केरल में पेरियार जैसी अन्य नदियां भी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने नदियों और झीलों की प्रदूषण समस्या के सम्बन्ध में कोई विस्तृत अध्ययन कराया है और यदि हां तो क्या सरकार का विचार इन झीलों और नदियों को प्रदूषण और अन्य खतरों से बचाने के लिए कोई योजना बनाने का है ?

श्री वीर सेन : भारत सरकार सभी झीलों और नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाना चाहती है परन्तु इसमें वित्तीय बाधाएं हैं। जैसे-जैसे धन उपलब्ध होगा, हम इस बारे में चरण-बद्ध रूप से उपाय करेंगे।

श्री डी० एन० रेड्डी : कश्मीर दो बातों के लिए प्रसिद्ध रहा है—एक शेरे कश्मीर और दूसरे डल झील के लिए। शेरे कश्मीर तो अब नहीं रहे हैं। क्या आप डल झील को भी उसी स्थिति में लाना चाहते हैं ? हाल ही में प्रधान मन्त्री ने पवित्र गंगा को स्वच्छ करने की एक विराट योजना हाथ में ली है। उसकी तुलना में यह एक छोटी-सी परियोजना है और इसे तत्काल आरम्भ करना होगा। डल झील के बिना कश्मीर में पर्यटन व्यवसाय नाम-मात्र का ही रह जाएगा। क्या मन्त्री महोदय डल झील को साफ करने तथा इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए तत्काल कदम उठायेंगे।

श्री वीर सेन : राज्य सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है : सरकार ने कुछ कदम पहले ही उठाए हैं। वह इस पर अब तक 8.5 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर चुकी है।

दूर संचार के लक्ष्य

* 333. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग के प्रवक्ता ने दावा किया है कि 12,000 करोड़ रुपये की दूरसंचार की मूल योजना के लक्ष्य कायम रखे जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो यह किस प्रकार किया जाएगा, जबकि वित्तीय परिव्यय में कटौती कर दी गई है; और

(ग) क्या दूर संचार योजना में की जाने वाली कटौती का 1990 तक उत्पादन को बढ़ाकर 10,000 रुपये तक का उत्पादन करने के इलेक्ट्रानिक उद्योग के कार्यक्रम पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विभाग के प्रवक्ता ने बताया था कि दूरसंचार विभाग के मूल योजनागत आबंटन में कटौती कर दी गई है। किन्तु, अन्य माध्यमों से साधन-स्रोत जुटाने के प्रयास किए जा रहे थे ताकि दूरसंचार की योजना में काफी अधिक मात्रा में कटौती करने की आवश्यकतान पड़े।

(ख) साधन-स्रोतों को जुटाने की वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार किया जा रहा है।

(ग) दूरसंचार की योजना में किसी भी प्रकार की कटौती से इलेक्ट्रानिकी उद्योग कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकी की योजना में दूरसंचार का हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मुझे प्रसन्नता है कि यह आश्वासन दिया गया है कि यद्यपि योजना आयोग ने योजना आबंटन में कटौती की है, लेकिन सरकार दूरसंचार विभाग के लिए अन्य साधनों से स्रोत जुटाने की संभावनाओं का पता लगाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दूरसंचार व्यवस्था में इलैक्ट्रोनिक्स डिजिटल प्रणाली को अधिकाधिक अपनाए जाने के कारण इसके पुर्जों की मांग बढ़ जाएगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन पुर्जों का देश में निर्माण करने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं और क्या यह सच है कि फ्रांस का एक सहयोगकर्त्ता अल्काल्टन एंड थामपसन इन पुर्जों का एक बड़ा प्रतिशत फ्रांस से आयात करने का आग्रह कर रहा है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, हमने इस उद्देश्य के लिए डिजिटल उपकरण बनाने हेतु आशय पत्र दिए हैं।

जहां तक फ्रांस की कम्पनी के आग्रह का सम्बन्ध है, हम उस पर उचित समय पर निर्णय लेंगे। वे अपना दृष्टिकोण हमारे समक्ष रख सकते हैं और हम इस मामले में ऐसा निर्णय लेंगे जो कि हमारे लिए लाभप्रद होगा।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : महोदय, उत्तर स्पष्ट नहीं है। मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार की नीति भारत में बनाये जा रहे पुर्जों का प्रतिशत बढ़ाने की है। चूंकि दूरसंचार व्यवस्था अधिकाधिक इलेक्ट्रोनिक-मूलक होती जा रही है और इस संबंध में इलेक्ट्रोनिक विभाग का बहुत बड़ा हाथ है इसलिए इसके परिणामस्वरूप दूरसंचार अभियन्ताओं में एक प्रकार का रोष व्याप्त है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दूरसंचार विभाग को इलैक्ट्रोनिकी विभाग में स्थानांतरित करने अथवा इन दोनों के बीच किसी प्रकार का समन्वय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : इन पुर्जों का देश में ही निर्माण करने की हमारी योजना है और उसे 80 प्रतिशत के स्तर तक ले जाना चाहते हैं। अगली योजना के अन्त तक हमें 20 प्रतिशत उपकरण और पुर्जे आयात करने की आवश्यकता पड़ेगी और 80 प्रतिशत उपकरण एवं पुर्जे देश में ही निर्माण किए जाएंगे।

इस समय दोनों विभागों के बीच बहुत अच्छा परस्पर सहयोग और समन्वय है और इसे बनाए रखा जाएगा।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा : माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि सन् 1990 तक करीब दस हजार करोड़ रुपये का इलेट्रोनिक्स गुड्स का उत्पादन देश में किया जायेगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत भी और सी० के० डी० और एस० के० डी० योजना के अन्तर्गत इम्पोर्टिड कम्पोनेंट मंगाऊ किये जा रहे हैं, क्या 1990 के अन्त तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी और तब तक दस हजार करोड़ रुपये में कितना हमारा स्वदेशी उत्पादन होगा ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन् मैंने इस प्रश्न का अभी जवाब दिया है कि यहां पर इक्विपमेंट, कम्पोनेंट बनाने के लिए जो कम्पनीज फैक्ट्री लगाना चाहेंगी उसके लिए हम परमीशन दे रहे हैं। लेटर आफ इन्टेन्ट दिए गए हैं, लाइसेंसिज दिए जायेंगे। ये सारे मिल के, हमारे देश में जितनी इन चीजों की जरूरत होगी, उनका 80 प्रतिशत हिस्सा यहां पर बनाया जाएगा। हो सकता है कि 20 प्रतिशत हिस्सा बाहर से लाना पड़े। इसके लिए जो कदम उठाने थे, वे हमने पहले ही उठा लिए हैं और हमें यह भरोसा है कि हम यह लक्ष्य पूरा कर लेंगे।

[अनुवाद]

नदियों में प्रदूषण

*334. **श्री बनवारी लाल पुरोहित†**
डा० विजय रामा राव } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नदी के अतिरिक्त जिन नदियों का प्रदूषण पहले चरण में समाप्त किया जाएगा, उनका ब्योरा क्या है;

(ख) प्राधिकारी लोग देश में गंगा नदी के अतिरिक्त अन्य सभी नदियों का प्रदूषण समाप्त करने का कार्य कब शुरू करेंगे; और

(ग) क्या सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि कटाव और बाढ़ से होने वाले नुकसान को घटाने के लिए वनरोपण को भी समान महत्व देगी ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मणी नदियों के बारे में प्रारम्भिक अध्ययन जारी हैं।

(ख) निधियां प्राप्त होने पर गंगा के समान परियोजनाएं आरम्भ की जायेंगी।

(ग) जी हां।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि जब तक पैसा उपलब्ध नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं हो सकता, परन्तु गंगा नदी का सवाल महत्वपूर्ण है। गंगा नदी के आसपास ऋषिकेश-हरिद्वार से लेकर बंगाल की खाड़ी तक 10 हजार कारखाने हैं और एफ्लुएंट डिस्चार्ज उनका गंगा में होता है। हरिद्वार में भेल और आई० डी० पी० एल० के कारखाने हैं और उनसे जो डिस्चार्ज होता है, वह भी गंगा में जाता है, इसी तरह से दस हजार कारखाने अपनी गन्दगी को गंगा नदी में डालते हैं। अगर आप कानून का कठोरता से पालन करें तो पोल्यूशन कम हो सकता है। इसी तरह से सीवर का डिस्चार्ज भी होता है, कारखाने गन्दगी डालते हैं, इन सबसे बहुत प्रदूषण होता है। एक जगह तो अफीम का कारखाना है और उसका पानी गंगा में जाता है। वहां के बन्दर उस पानी को पीने के आदी हो गए हैं। इस तरह के कारखानों पर रोक लगाने के लिए कानूनों का कठोरता से पालन करना चाहिए। हरिद्वार में भेल और आई० डी० पी० एल० गवर्नमेंट के कारखाने हैं, इनके द्वारा गंगा में हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने कौन से कारगर कदम उठाए हैं। इसी तरह से जो गटरों का पानी गंगा में जाता है, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इन तीनों नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

[अनुवाद]

श्री वीर सेन : सर्वप्रथम हम उद्योगों से कुछ निवारक उपाय करने का आग्रह कर रहे हैं परन्तु कुछ ऐसे मामलों में जिनमें हम देखते हैं कि कुछ एकक हठपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हैं और उन पर मुकदमा चलाते हैं।

जहां तक राज्य सरकारों के निगमों का संबंध है। हम उनसे ऐसी ही कार्यवाही करने तथा पर्याप्त निवारक उपाय करने के लिए कह रहे हैं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि आमतौर पर माननीय सदस्य समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को पढ़कर बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे अखबारों में छपे समाचारों के बहकावे में न आयें।

श्री नारायण चौबे : एक ही हल है समाचार-पत्रों पर विश्वास मत करो।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास पैसे की कमी है तो क्या इसके लिए विश्व बैंक से सहायता लेने का विचार किया जा रहा है और क्या विदेशों की कुछ एजेंसियां इन कार्यों को करें, क्या इस पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि इन नदियों का प्रदूषण दूर हो सके ?

[अनुवाद]

श्री वीर सेन : हमें विदेशों से तथा विश्व बैंक से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ब्यौरा अभी हमारे पास नहीं है। हम उनकी जांच करेंगे कि क्या वे व्यावहारिक हैं या नहीं। यदि वे व्यावहारिक पाए गए और भारत सरकार को स्वीकार्य हुए तो हम विदेशों से सहायता स्वीकार करेंगे।

डा० जी० विजय रामा राव : महोदय, जिस गंगा का पर्यावरण विभाग की कार्य योजना में भारत की पवित्रतम नदी के रूप में उल्लेख किया गया है वह अब यह पूर्णतया प्रदूषित हो गई है···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

गुजरात में वायुदूत सेवा

*326. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के किन नगरों तक वर्ष 1984-85 के अन्त तक तृतीय विमान कम्पनी की "वायुदूत सेवा" शुरू की गई है;

(ख) क्या वर्ष 1985-86 में गुजरात के कुछ और नगरों तक वायुदूत सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय वायुदूत सेवा में कितने विमान हैं;

(घ) क्या इसी वर्ष में उनकी संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वायुदूत इस समय गुजरात राज्य में कांडला, सूरत और भावनगर को प्रचालन कर रही है। अहमदाबाद को भी सूरत और भावनगर से जोड़ दिया गया था परन्तु अत्यन्त कम भार गुणक के कारण अहमदाबाद से यह सेवा बन्द कर दी गई थी।

(ख) हालांकि वर्ष 1985-86 के दौरान गुजरात में और अधिक स्टेशनों को विमान सेवा द्वारा जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है फिर भी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होने, विमान क्षमता प्राप्त हो जाने और प्रचालनों के आर्थिक दृष्टि से साध्य होने पर, वायुदूत की वर्तमान योजनावधि के दौरान द्वारका और अमरेली को विमान सेवा द्वारा जोड़ने की योजनाएं हैं।

(ग) इस समय वायुदूत सेवा में लगे हुए विमानों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

विमान	संख्या
1. एच० एस०-748	3 (इंडियन एयरलाइन्स से पट्टे पर)
2. एफ०-27	2 (इंडियन एयरलाइन्स से पट्टे पर)।
3. डोरनियर-228	4 (भूटान के मैसर्स ड्रक एयरवेज से पट्टे पर लिए गए एक विमान सहित)

(घ) और (ङ) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान वायुदूत द्वारा तीन और डोरनियर-228 विमान प्राप्त करने की आशा है।

[हिन्दी]

वायुदूत सेवा का व्यापक प्रचार

*331. **श्री विष्णु मोदी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोई नई वायुदूत सेवा प्रारम्भ करते समय उसके बारे में व्यापक प्रचार करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या बहुत ही थोड़े यात्रियों ने हाल ही में शुरू की गई वायुदूत सेवाओं का लाभ उठाया है;

(ग) यदि हां, तो नई वायुदूत सेवा प्रारंभ करते समय उसके बारे में व्यापक प्रचार करने का सरकार ने क्या कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वायुदूत नई सेवा प्रारंभ करते समय उसका पर्याप्त प्रचार करता है।

(ख) जी, नहीं। नए प्रचालनों की प्रारंभिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, वायुदूत द्वारा प्रचालित नई सेवाओं का भार गुणक आशा के अनुरूप रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

होटल उद्योग के विकास के लिए प्रोत्साहक सहायता

*332. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक नई योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत होटल उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों और अग्रिमों पर 5 प्रतिशत की राजसहायता देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) विभिन्न श्रेणी के होटलों की अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा सभी श्रेणियों के होटलों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज इमदाद देने की एक स्कीम सरकार के विचाराधीन है। इस स्कीम के अंतर्गत 4 और 5-स्टार होटलों को 2 प्रतिशत की, 3-स्टार होटल 3 प्रतिशत की ब्याज इमदाद मिलेगी; 2-स्टार होटल 4 प्रतिशत की दर से और 1-स्टार श्रेणी के होटल 5 प्रतिशत की दर से ब्याज-इमदाद के हकदार होंगे। इस स्कीम के अन्य ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

कोहेनूर की वापसी

*335. **श्री आर० एम० भोयै** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोहेनूर हीरे की वापसी के लिए सरकार ने ब्रिटिश सरकार के साथ कोई पत्राचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यावरण संबंधी व्यवस्था

*336. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल**
श्री एस० कृष्ण कुमार } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफल पर्यावरण संबंधी प्रबन्धन के लिए जनता में जागरूकता की भावना उत्पन्न करना आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो दैनिक जीवन में पर्यावरण तथा उसकी महत्ता के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) उठाये गए कदमों में शामिल हैं :—

— पर्यावरणीय विषयों को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना।

— विचारगोष्ठियों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों को सहायता देना।

— पर्यावरणीय विषयों पर बच्चों के लिए निबन्ध, पेंटिंग फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

— फिल्मों एवं दृश्य-श्रव्यों का निर्माण।

— पर्यावरणीय क्रियाकलापों एवं विषयों पर संकेन्द्रित पारि-विकास शिविरों का आयोजन करना।

— राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय (नई दिल्ली) एवं पर्यावरणीय संरक्षण केन्द्र (अहमदाबाद) की स्थापना।

सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान का रख-रखाव

*337. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस उद्यान के रख-रखाव में सहायता के लिए क्या उपाय किए हैं, ताकि उस क्षेत्र में वनस्पति और जीव-जन्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और पर्यटकों को भी आकर्षित किया जा सके ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान नेपाल का सागरमठ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें माऊंट एवरेस्ट भी शामिल है।

(ख) राष्ट्रीय उद्यान के प्रबन्ध की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार सिक्किम राज्य सरकार को 1977-78 से वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। छठी योजना अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए 11.37 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई। चूंकि उद्यान प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित है, अतः पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे उपयुक्त नहीं समझा जाता।

सैन्य सहायता के सम्बन्ध में अमरीकी नीति

*338. श्री बी० वी० देसाई
श्री कमल नाथ } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान तथा अन्य देशों को सैन्य सहायता के सम्बन्ध में अमरीकी नीति में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति परिवर्तन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इससे दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्धों में और सुधार होने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने के बारे में अमरीकी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, हमने इस बात पर गौर किया है कि हाल ही के विदेशी सहायता प्राधिकरण विधेयक में कुछ देशों के बारे में कुछ परिवर्तन करने की सिफारिश की गई है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने पाकिस्तान को अत्युन्नत हथियारों की सप्लाई पर अपनी चिन्ता अनेक अवसरों और सभी स्तरों पर व्यक्त की है। हमने अमरीकी सरकार को यह बताया है कि इस सप्लाई से हमें विकास के अपने सीमित साधनों को सुरक्षा की तरफ मोड़ना पड़ेगा और इससे उप महाद्वीप में हथियारों की दौड़ बढ़ेगी। इस क्षेत्र के लिए हथियारों की सप्लाई पर भारत की चिन्ता के प्रति अमरीका की समझ बूझ से भारत-अमरीका संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

आदिवासी क्षेत्रों में वनों का विकास

*340. श्री अमर सिंह राठवा
श्री चित्त महाता } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में वनों के विकास के लिए कोई सलाहकार समिति स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति कब तक स्थापित हो जाएगी और कार्य करना शुरू कर देगी ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

इलेक्ट्रोनिक पुर्जे विकास कोष

*343. श्री भोला नाथ सेन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा इलेक्ट्रोनिक्स के बारे में गठित सातवीं योजना कार्यकारी दल ने सिफारिश की है इलेक्ट्रोनिक पुर्जे उद्योग को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक इलेक्ट्रोनिक्स पुर्जे विकास कोष स्थापित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में सुझाव दिया गया है लेकिन अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कर्मचारियों को प्रोत्साहन

*344. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में स्मारकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मचारियों को क्या प्रोत्साहन दिया जाता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) क्या जो व्यक्ति स्मृति चिन्हों को चोरी होने से बचाता है उसे स्मृति चिन्ह के मूल्य का कुछ प्रतिशत देने का कोई विचार है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) स्मारकों की सुरक्षा में लगे स्टाफको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

20-सूत्री कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन समिति

3417. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सभी राज्यों में क्रियान्वयन समितियां बना दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इन समितियों में विभिन्न दलों के सांसदों/विधायकों को शामिल करने के बारे में कोई मार्ग निर्देश दिए हैं; और क्या उसमें विभिन्न दलों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने सभी मुख्य मंत्रियों से यह अनुरोध किया है कि वे 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन और प्रबोधन समिति में संसद सदस्यों और विधायकों का सहयोग प्राप्त करें, चाहे वे सब किसी भी पार्टी के हों। सभी राज्यों ने 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन और प्रबोधन के लिए जिला/ब्लाक/तालुका स्तर की समितियों में संसद सदस्यों और विधायकों को शामिल किया।

[अनुवाद]

आदिम जातियों का विकास

3418. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग द्वारा अपनी तीसरी रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि उनके मंत्रालय में आदिम जातीय वर्गों के बारे में प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट तुरन्त तैयार करने के लिए अलग से एक कक्ष होना चाहिए जिसमें विभिन्न व्यवसायों के विशेषज्ञ, इसके लिए मंत्रालय को वित्तीय और अन्य तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश को किस प्रकार से कार्यान्वित किया गया है तथा उनके मंत्रालय द्वारा किस प्रकार की सहायता दी गई है अथवा दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या आयोग द्वारा यह सिफारिश भी की गई थी कि आदिम जातियों के विकास के बारे में की गई प्रगति की पुनरीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर दो साल बाद की जाए; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में की गई कार्यवाही और तबसे इस बारे में की गई पुनरीक्षा का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) पता लगाए गए आदिम जनजातीय समूहों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को उपयुक्त दिशा निर्देश भेजे गए थे। इन अनुदेशों में अन्तः अनुशासनिक दल द्वारा ये रिपोर्ट तैयार करने की संकल्पना की गई है। रिपोर्ट तैयार करने में पर्याप्त प्रगति हो चुकी

है। जहां आवश्यक है वहां राज्य सरकारों द्वारा खास विषयों पर विशेषज्ञ राय भी प्राप्त की जाती है।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) यह पहले ही सांवधिक रूप से और विशेष तौर से वार्षिक योजना के विचार विमर्श के समय किया जा रहा है।

नेहरू स्मारक संग्रहालय का विस्तार

3419. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या संस्कृति मंत्री नेहरू स्मारक संग्रहालय के विस्तार के बारे में 23 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4365 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच एक उप भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उप भवन का निर्माण कार्य कब पूरा हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) पुस्तकालय भवन के उपभवन का निर्माण कार्य जून, 1985 में शुरू हुआ और नवम्बर, 1986 के अन्त तक इसके पूरे होने की आशा है।

हरियाणा द्वारा वृक्षारोपण

3420. **श्री चिन्त मोहन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा ने भी पिछले वर्ष 100 करोड़ वृक्ष लगाए हैं (हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 18 जुलाई, 1985);

(ख) यदि हां, तो इनमें से कितने पेड़ बचे हैं;

(ग) देश में कुल कितने पेड़ लगाए गए हैं और उनमें से कितने बचे हैं;

(घ) क्या हरियाणा को वनों से 400 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आय प्राप्त करनी है; और यदि हां, तो इस अनुमान का आधार क्या है; और

(ङ) इस समय वनों से संघ शासित प्रदेशों सहित राज्य वार कितनी आय होती है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीर सेन) : (क) 1984-85 के दौरान

हरियाणा में 9.67 करोड़ पौधे लगाए गए थे।

(ख) जीवित बचे पौधों की संख्या (वृक्षारोपण का प्रबोधन करते समय इस विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार) 85 से 90 प्रतिशत है।

(ग) देश में 1984-85 के दौरान लगभग 264 करोड़ पौधे लगाए गए/लोगों को वितरित किए गए थे।

इस विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार जीवित बचे पौधों की प्रतिशतता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(घ) हरियाणा में प्रति वर्ष औसतन 10 करोड़ पौधे लगाए जाते हैं। जीवित रहने की दर 80 से 90 प्रतिशत के बीच रही है। पौधों के 80 प्रतिशत जीवित रहने की संतुलित दर के आंकड़े और प्रति वृक्ष 50 रुपये मूल्य के आधार पर वार्षिक आय 400 करोड़ रुपये हो सकती है।

(ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1984-85
1	2	3
	1. राज्य	(पौधों के जीवित रहने का प्रतिशत)
1.	आन्ध्र प्रदेश	65-99
2.	असम	60-90
3.	बिहार	83-90
4.	गुजरात	60-100
5.	हरियाणा	85-90
6.	हिमाचल प्रदेश	80-100
7.	जम्मू और कश्मीर	50-80
8.	कर्नाटक	×
9.	केरल	70-100
10.	मध्य प्रदेश	70-90
11.	महाराष्ट्र	20-95

1	2	3
12.	मणिपुर	65-95
13.	मेघालय	60-95
14.	नागालैण्ड	80-95
15.	उड़ीसा	×
16.	पंजाब	80-95
17.	राजस्थान	उपलब्ध नहीं
18.	सिक्किम	90
19.	तमिलनाडु	75
20.	त्रिपुरा	80-97
21.	उत्तर प्रदेश	80-95
22.	पश्चिम बंगाल	80-95
	संघ शासित क्षेत्र	
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	×
24.	अरूणाचल प्रदेश	×
25.	चण्डीगढ़	90
26.	दादर और नागर हवेली	×
27.	दिल्ली	×
28.	गोवा, दमन और दीव	×
29.	लक्षद्वीप	××
30.	मिजोरम	×
31.	पांडिचेरी	××1

× अवधि के दौरान प्रबोधन नहीं किया गया।

×× प्रबोधन करने का प्रस्ताव नहीं किया गया।

विवरण-2

कुल राजस्व 1980-81

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राजस्व (लाख रुपये)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2896
2.	असम	12
3.	बिहार	1623
4.	गुजरात	1181
5.	हरियाणा	269
6.	हिमाचल प्रदेश	1672
7.	जम्मू और कश्मीर	34
8.	कर्नाटक	3776
9.	केरल	4580
10.	मध्य प्रदेश	14086
11.	महाराष्ट्र	5729
12.	मणिपुर	उपलब्ध नहीं
13.	मेघालय	1
14.	नागालैण्ड	48
15.	उड़ीसा	3726
16.	पंजाब	404
17.	राजस्थान	701
18.	सिक्किम	63
19.	तमिलनाडु	1458
20.	त्रिपुरा	109
21.	उत्तर प्रदेश	4913
22.	पश्चिम बंगाल	1235

1	2	3
	2. संघ शासित क्षेत्र	
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	515
2.	अरूणाचल प्रदेश	383
3.	दादर और नागर हवेली	52
4.	दिल्ली	—
5.	गोवा, दमन और दीव	197
6.	मिजोरम	12
	योग—	49,675

देश में भारत पर्यटन विकास निगम के होटल

3421. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारत पर्यटन विकास निगम के कुल कितने होटल हैं;

(ख) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान प्रत्येक होटल ने अलग-अलग कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया; और

(ग) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान प्रत्येक होटल को कितना लाभ अथवा घाटा हुआ ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

देश में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की संख्या, वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान आकुपेंसी (%) और निवल लाभ तथा हानि

(लाख रु० में)

क्रम संख्या	होटल का नाम	रूम आकपेंसी (%)		निवल लाभ/हानि	
		1983-84	1984-85	1983-84	1984-85 (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	43	47	3.10	6.36
2.	जनपथ, नई दिल्ली	86	79	68.00	58.00
3.	लोधी, नई दिल्ली	66	65	23.16	28.86
4.	रणजीत, नई दिल्ली	55	59	(—) 8.62	(—) 0.31
5.	अशोक, बंगलौर	50	36	(—) 5.49	(—) 60.58
6.	अकबर, नई दिल्ली	44	34	(—) 18.01	(—) 59.37
7.	हसन अशोक	37	31	(—) 1.68	0.10
8.	जम्मू अशोक	30	24	(—) 2.32	(—) 4.32
9.	औरंगाबाद अशोक	37	43	(—) 1.06	(—) 0.06
10.	खजुराहो अशोक	23	23	(—) 3.34	(—) 2.23
11.	कोवलम अशोक बीच रिसार्ट	40	43	1.35	3.11

1	2	3	4	5	6
12.	ललित विलास पैलेस होटल उदयपुर	72	63	11.65	6.27
13.	टैम्पल बे अशोक बीच रिसार्ट मामल्लापुरम	34	45	(—) 3.22	(—) 3.12
14.	वाराणसी अशोक	38	35	0.34	(—) 3.25
15.	कुतब नई दिल्ली	54	57	(=) 2.15	8.05
16.	एल० एम० पी० होटल मैसूर	39	47	(—) 1.09	5.39
17.	एयर पोर्ट अशोक कलकत्ता	59	54	38.53	53.79
18.	पाटलीपुत्र, अशोक पटना	39	40	(—) 9.48	(—) 7.97
19.	जयपुर, अशोक	43	47	(—) 3.75	(—) 3.09
20.	कलिंगा अशोक, भुवनेश्वर	72	46	3.41	(—) 11.05
21.	मदूरै, अशोक	30	30	(—) 6.67	(—) 6.35
22.	सम्राट, नई दिल्ली	32	43	(—) 206.67	(—) 128.91
23.	कनिष्क, नई दिल्ली	56	45	51.10	41.30
24.	अशोक यात्री निवास	88	66	(—) 14.18	16.63

एयर इंडिया के विज्ञापन

3423. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इन्डिया ने हाल ही में सिगरेट कम्पनी के साथ मिलकर "इन्डिया टुडे" और "स्वागत" आदि में कोई विज्ञापन दिए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के विज्ञापन दिए जाने के कारण क्या हैं और उन पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय टूबैको कम्पनी की अनुषंगी कम्पनी तथा आई० ए० टी० ए० (अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन) के अनुमोदित एजेंट ट्रेवल हाउस ने अपने विदेशी दौरों को प्रोत्साहन देने के लिए अपने विज्ञापनों में एयर इंडिया के नाम का उपयोग किया था जैसा कि सामान्यतया विदेशों के दौरों का प्रचालन करने वाले अन्य एजेंटों द्वारा किया जाता है। इन विज्ञापनों पर एयर इंडिया द्वारा कोई राशि खर्च नहीं की गई थी।

वैज्ञानिक संस्थानों का विकास करने के लिए कदम

3424. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में विज्ञान के विकास में कार्यरत अनुसंधान तथा विकास संस्थानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश को तकनीकी जानकारी की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने तथा विभिन्न क्षत्रों की प्रौद्योगिकी में विदेशों पर निर्भरता को कम करने के लिए इन संस्थानों की उपलब्धियों और प्रयासों के संबंध में कोई विश्लेषण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कुछ अन्य विज्ञान संस्थानों का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या इस क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई विदेशी सहायता मांगी गई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले लगभग 300 वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी संस्थान हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार के संगठन, स्वायत्तशासी निकाय, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संस्थानान्तर्गत अनुसंधान तथा विकास एकक शामिल

हैं और वे व्यावसायिक संस्थाएं शामिल हैं जो सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों के अधीन लगभग 150 विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और विपुल संख्या में विश्वविद्यालय तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के संस्थानान्तर्गत एकक हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में लगे हुये हैं।

(ख) और (ग) अनुसंधान संस्थाओं के पास सतत आधार पर समय-समय पर अपनी-अपनी उपलब्धियों का विश्लेषण और उनकी समीक्षा करने के लिये सामान्य तौर पर आंतरिक क्रियाविधि होती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारी उपलब्धियों को कृषि, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और संचार, तेल गवेषणा आदि जैसे क्षेत्रों में अच्छी मान्यता मिली हुई है। तथापि, कोई भी देश सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी में पूर्णतया आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण या तो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित संस्थान द्वारा अथवा सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम, नेशनल रिसर्च डिवलेपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से हाथ में लिया जाता है।

(घ) और (ङ) अग्ररेखीय क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिये गठित की गई विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर जब भी नये वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना करने की आवश्यकता की परिकल्पना की जाती है, उन्हें स्थापित किया जाता है। अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करने में, आधारभूत आवश्यकता उपयुक्त वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की वृद्धि है। कुल मिलाकर इस संबंध में देश हर प्रकार से आत्मनिर्भर रहा है, यद्यपि, यथा आवश्यक बाहरी परामर्श और सहयोग को उपयोग में लाया गया है।

क्षेत्रीय कला और कलाकृतियों के संरक्षण के लिए क्षेत्रीय कला संग्रहालय

3425. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नंदलाल बोस और जेमिनी राय की सभी कलाकृतियों और दस्तावेजों को राष्ट्रीय अभिरक्षा में सुरक्षित करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन बहुमूल्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक दस्तावेजों के संरक्षण के लिये भारत के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय कला संग्रहालय बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव): संस्कृति विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी नई दिल्ली ने नन्दलाल बोस की 6744 कृतियों के पूरे संग्रह और जेमिनी राय की 156 कला-कृतियों का अधिग्रहण किया है। इन्हें सुरक्षित रखा जा रहा है।

(ख) से (घ) संस्कृति विभाग मे इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

ड्यूटी के दौरान मारे गए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कार्मिकों को सहायता

3426. **श्री जैनुल बशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कानून तथा व्यवस्था बनाने के बारे में अपनी ड्यूटी के दौरान मारे गये, जख्मी हुए अथवा अंगविहीन हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों अथवा उनके परिवारों को कितनी सहायता दी गई है; और

(ग) इन अधिकारियों तथा कर्मचारियों की बढ़ती हुई जिम्मेदारी तथा इनके द्वारा किये जाने वाले कठिन कार्य को देखते हुए उन्हें प्रदान करने के लिये कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं स कार के विचाराधीन हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के मारे गये/घायल हुये/अंग विहीन हुए कार्मिकों की संख्या—

	1983	1984	1985
(i) मारे गये	16	28	13
(ii) घायल हुए	34	53	26
(iii) अंग विहीन हुए	8	10	6

(ख) और (ग) **ऐसे कार्मिकों को दी जाने वाली सहायता** :

ड्यूटी देते समय मारे गये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों के परिवार सामान्यतः असाधारण पेंशन नियमों के अधीन पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के परिवारों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल केन्द्रीय हितकारी निधि, केन्द्रीय कल्याण निधि, बटालियन कल्याण निधि, रिस्क प्रिमीया निधि, नई सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत सरकारी अनुदान और सामान्य भविष्य निधि से संबद्ध बीमा योजना से वित्तीय सहायता दी जाती है। मणिपुर तथा त्रिपुरा सरकारों ने भी अपने-अपने राज्यों में हताहत हुए मामलों में एक मुश्त अनुदान राशियां स्वीकृत की हैं।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो कार्मिक अपनी ड्यूटी देते समय लगी चोटों के परिणाम-स्वरूप अयोग्य होने के कारण सेवा के लिये अयोग्य हो जाते हैं को नियमों के अनुसार अयोग्यता पेंशन और ग्रेच्युटी दी जाती है तथा केन्द्रीय कल्याण निधि तथा जोखिम निधि से एक मुश्त अनुदान राशियां और मासिक आवृत्ति सहायता भी दी जाती है।

पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी आदि से सम्बन्धित उपबन्धों की समीक्षा करने के बाद भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय ने 9 नवम्बर, 1984 को अनुदेश जारी किये हैं कि उन सरकारी कर्मचारियों के परिवार (केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल जैसे अर्ध सैनिक बलों सहित) जो उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हमले के परिणामस्वरूप अथवा डाकुओं, तस्करों, विद्रोहियों आदि के विरुद्ध कार्रवाई करते समय अपनी ड्यूटी देते हुये वीरगति को प्राप्त होते हैं, को उदार पेंशन के लाभ दिये जा सकते हैं। इस योजना में पारिवारिक पेंशन की अधिक दर और योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन शिक्षा भत्ते तथा बाल भत्ते की अदायगी की व्यवस्था है। वे सरकारी कर्मचारी जो उल्लिखित परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी देते समय सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, भी सामान्य नियमों के अधीन स्वीकार्य पेंशन से अधिक दर पर इस योजना के अधीन अयोग्यता पेंशन के लिए पात्र हैं। ये उदार लाभ व्यक्तिगत मामलों में गुण दोष के आधार पर दिये जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों को भी अनुग्रह पूर्वक अनुदान देने का प्रश्न समीक्षाधीन है।

यह भी कहा जा सकता है कि पंजाब सरकार ने इस आशय के आदेश जारी किये हैं कि पंजाब में सक्रिय ड्यूटी देते समय 1.4.1984 को अथवा इसके बाद मारे गये अर्ध सैनिक बलों के अराजपत्रित कर्मचारियों के परिवार मृत्यु ग्रेच्युटी, परिवार ग्रेच्युटी, छुट्टी वेतन तथा केन्द्रीय पुलिस कल्याण निधि से सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार से एक लाख रुपये का अनुग्रहपूर्वक अनुदान प्राप्त करने के हकदार होंगे लेकिन इसमें पहले से स्वीकृत अथवा स्वीकृत किया जाने वाला विशेष अनुग्रहपूर्वक अनुदान शामिल होगा। 19.11.1981 से 31 मार्च, 1984 तक की अवधि के मामलों की भी इन्हीं आधारों पर पंजाब सरकार द्वारा समीक्षा की जानी है। ये आदेश उस समय तक लागू रहेंगे जब तक पंजाब विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम 1983 और सशस्त्र बल (पंजाब तथा चंडीगढ़) विशेष शक्तियां अधिनियम 1983 के अधीन पंजाब राज्य एक विक्षुब्ध क्षेत्र रहेगा।

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस में की-पंच आपरेटरों के लिए भर्ती नियम

3427. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या गृह मंत्री दिल्ली पुलिस में की-पंच आपरेटरों की पदोन्नति के बारे में 8 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5562 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस में काफी समय से कार्य करने वाले 'की पंच-आपरेटरों' को पदोन्नति देने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा बनाए गए प्रारूप भर्ती नियमों को, जिन्हें अनुमोदित कर दिया गया है; दिल्ली प्रशासन ने औपचारिक अनुमति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस द्वारा यथा प्रस्तावित की पंच आपरेटरों को पदोन्नति देने के लिए मशीन रूम प्रोग्रामरों (एस० आई० एस०) के पदों के लिए मसौदा भर्ती

नियमों की दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच की गई थी और कुछ टिप्पणियों के साथ वापस भेज दिया था। उन पर दिल्ली पुलिस की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है।

खाड़ी युद्ध में भारतीयों को हुआ नुकसान

3428. **श्री लाला राम केन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी देशों के बीच युद्धों के दौरान भारतीयों को हुए कुल जान-माल की हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन देशों में इस समय कितने भारतीय रह रहे हैं और क्या सरकार का विचार भविष्य में वहां भारतीयों को भेजने पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) अद्यतन सूचना के अनुसार ईरान-इराक युद्ध के परिणामस्वरूप इसके शुरू होने से लेकर अब तक कुल मिलाकर 18 भारतीय मारे गए हैं। सम्पत्ति की हानि के सही विवरण उपलब्ध नहीं हैं परन्तु खुर्रम शहर स्थित भारत के दूतावास को 1980 में बन्द कर देना पड़ा और वहां से भारतीय कर्मचारियों और निवासियों को अपना अधिकांश सामान वहां छोड़कर जाना पड़ा। सीमा के दोनों ओर पर स्थित सीमावर्ती शहरों में विशेषकर खुर्रम शहर आबदान और बसरा में भारतीय राष्ट्रिकों को इस संघर्ष के कारण सम्पत्ति का नुकसान हुआ। खाड़ी में आक्रमणों के परिणामस्वरूप कई भारतीय जहाज भी क्षतिग्रस्त हो गए।

(ख) और (ग) इराक में लगभग 35000 और ईरान में लगभग 2300 भारतीय हैं। भविष्य में इन देशों में जाने वाले भारतीयों पर कोई व्यापक प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव नहीं है। लेकिन इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि भारतीय श्रमिकों को संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में न भेजा जाए।

हिमाचल प्रदेश के स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन सम्बन्धी मामलों को अन्तिम रूप देना

3429. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन मंजूर करने सम्बन्धी मामलों को अन्तिम रूप देने में कोई उल्लेखनीय प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो उन स्वतन्त्रता सेनानियों की राज्यवार संख्या क्या है, जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन मंजूर की गई;

(ग) हिमाचल प्रदेश के ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों के जिला-वार नाम क्या हैं, जिन्हें पेंशन मंजूर की गई है;

(घ) हिमाचल प्रदेश के ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों के जिला-वार नाम क्या हैं, जिनके मामले मंजूरी के लिए अभी लम्बित हैं; और

(ङ) सभी मामले किस तारीख तक निपटाये जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना क्रमशः विवरण—1 और —2 में दी गई है।

(ङ) आवेदनकर्त्ताओं के ब्यौरों के साथ उनकी सूची सभा पटल पर रखना व्यवहारिक नहीं होगा। तथापि राज्य सरकार से सत्यापन रिपोर्टों के प्राप्त न होने के कारण 64 मामले लम्बित पड़े हैं। इन मामलों के जिला-वार ब्यौरे विवरण—3 में दिए गए हैं।

(ङ) चूंकि स्वतन्त्रता सेनानियों के मामलों को अन्तिम रूप सम्य सरकारों से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दिया जाता है, अतः उनके निपटान के लिए कोई विशिष्ट तिथि निर्धारित करना संभव नहीं है।

विवरण—1

चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान स्वीकृत मामलों का (राज्यवार) विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्वीकृत किए गए मामलों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	24
असम	5
बिहार	22
गुजरात	17
हरियाणा	4
हिमाचल प्रदेश	9
जम्मू और कश्मीर	135
कर्नाटक	58
केरल	31
महाराष्ट्र	206
मणिपुर	2
मेघालय	—

1	2
उड़ीसा	18
पंजाब	115
राजस्थान	1
तमिलनाडु	22
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	85
मध्य प्रदेश	2
नागालैंड	—
पश्चिम बंगाल	97
संघ शासित क्षेत्र प्रशासन	
अण्डमान और निकोबार	—
अरुणाचल प्रदेश	—
चण्डीगढ़	—
दिल्ली	6
गोआ	10
मिजोरम	—
पांडिचेरी	2

विवरण—2

चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान हिमाचल प्रदेश के जिन स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत की गई, उनकी सूची

1	2
1.	श्री लक्षमन दास, पुत्र-श्री देवी राम, गांव—सन्देहरा, डा०—तिहरा, जिला—मण्डी।
2.	श्री हीरा लाल ठाकुर, पुत्र श्री हेत राम गांव व डाकखाना —बाजार जोगिन्द्र नगर, जिला— मण्डी।

1	2
3.	श्रीमती द्वारिका देवी, पत्नि स्व० श्री खेम चन्द मकान सं० 91/8, भूत नाथ बाजार, मण्डी शहर, जिला मण्डी।
4.	श्री राम सिंह, पुत्र श्री दिल्लो, गांव—नेरेहाक, डा०—भांगरोतू, तहसील सदर, जिला—मण्डी (हि० प्र०)
5.	श्री गौरी प्रसाद, पुत्र श्री जय किशन, मकान नं० 160/3, महाजन बाजार, जिला—मण्डी (हि० प्र०)
6.	श्री घुरू राम, पुत्र श्री मणी राम, गांव—इलागा बाल्ह, तहसील सदर, जिला -मण्डी।
7.	श्री केशव चन्द्र, पुत्र श्री ठाकरदास, गांव व डा०—रियूर तहसील सदर, जिला—मण्डी।
8.	श्री मिरधारी लाल, पुत्र श्री गंगा राम, गांव—हुवारी, डा०—रेवालसर, तहसील सदर, जिला—मण्डी।
9.	श्री चैन सिंह, पुत्र श्री होशनाकी राम, गांव व डा०—तटिहाल, तहसील पालमपुर, जिला—कांगड़ा (हि० प्र०)

विवरण-3

हिमाचल प्रदेश के स्वतन्त्रता सेनानियों के लम्बित मामलों का जिलावार विवरण

बिलासपुर	28
शिमला	8
मण्डी	8
सिरमौर	11
हमीरपुर	2
कुल्लू	1
कांगड़ा	3
ऊना	3
	———
	जोड़—64
	———

खेलों में प्रतिभावान छिपे खिलाड़ियों का पता लगाने के प्रयास

3430. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का पता लगाने, उनको प्रशिक्षण देने और उनकी क्षमता में निखार लाने के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रस्ताव तैयार किए गए हैं;

(ख) क्या भारत के गांवों में प्रतिभावान छिपे खिलाड़ियों का पता लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों और सम्भावी अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित प्रतिभाशाली खेल व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने और उनका पता लगाने के लिए सरकार की निम्नलिखित योजनाएं चल रही हैं :—

(i) राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना;

(ii) खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियां;

(iii) अखिल-भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंट्स;

(iv) अखिल भारतीय महिला खेल समारोह;

(v) विश्वविद्यालयों में फील्ड स्टेशन; और

(vi) जूनियरों और उप जूनियरों के लिए वार्षिक प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय खेल संघों, भारतीय विश्वविद्यालयों की एसोशिएशन और भारतीय स्कूल खेल संघ को सहायता।

इसके अतिरिक्त, सरकार का विशेष तौर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए चुने हुए स्कूलों को अपनाने और खेल छात्रावास स्थापित करने के लिए योजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के टी० वी० सैटों का मूल्य अधिक होना

3431. **श्री नारायण चौबे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड अपने सहभागी एककों द्वारा उसे सप्लाई किए जाने वाले टी० वी० सैटों के बिक्री मूल्य के 20 प्रतिशत लागत मूल्य जमा करता है;

(ख) क्या इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के टी० वी० सैट बाजार में सबसे महंगे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

ई० सी० आई० एल० द्वारा वी० सी० आर० का निर्माण

3432. **श्री सोडे रामय्या** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का सादा टी० वी० के निर्माण को बन्द करने तथा वीडियो कैसेट रिकार्डर के निर्माण जैसी उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इलेक्ट्रानिक्स

कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन का उत्पादन बन्द किया जाए। इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्पादन की सुविधाओं, जिनमें वीडियो कैसेट रिकार्डरों के उत्पादन की सुविधा भी शामिल है, के विस्तार का कार्यक्रम है। उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम आदि का और ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है।

भारतीय संस्थाओं द्वारा अमरीकी कम्प्यूटरों का आयात

3433. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय संस्थाओं द्वारा कम्प्यूटरों का आयात करने के प्रस्तावों पर अमरीका के वाणिज्य विभाग ने अभी निर्णय नही लिया है;

(ख) यदि हां, तो अमरीकी कम्प्यूटरों के आयात के बारे में भारतीय संस्थाओं के उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अमरीका के वाणिज्य विभाग ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है;

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रयोग में लाए जाने के लिए जिन 21 बडे अमरीकी कम्प्यूटरों और अनुसंधान तथा विकास एवं शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य संगठनों द्वारा प्रयोग में लाये जाने के लिए ऐसे ही जिन 17 कम्प्यूटरों के आयात की अनुमति इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा वर्ष 1983-85 के दौरान दी गई है उन पर अमरीकी वाणिज्य विभाग द्वारा अभी तक निर्यात की अनुमति नहीं दी गई है।

(ग) देरी का कारण यह है कि अमेरिकी सरकार अन्त्य-प्रयोगकर्ता के आश्वासन की मांग कर रही है, जिस पर दोनों सरकारों के बीच अभी भी बातचीत हो रही है।

(घ) सरकार ने यह मामला अमरीकी सरकार के समक्ष उठाया है।

बम्बई में औद्योगिक प्रदूषण

3434. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि बम्बई की अनेक केन्द्रीय परियोजनाओं से औद्योगिक प्रदूषण फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कम से कम यह सुनिश्चित करने के लिए कि केन्द्रीय

परियोजनाएं वायु तथा जल प्रदूषण न फैलाएं तथा उसके कारण शहर के निवासियों को खतरे में न डालें, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) बम्बई में तीन बड़ी केन्द्रीय इकाईयां अर्थात मैसर्स हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड मैसर्स भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन तथा मैसर्स राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, को महाराष्ट्र प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा वायु व जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन का प्रबोधन एक विशेषज्ञ दल द्वारा किया जाता है। उद्योगों को सुरक्षा उपायों के अनुपालन के लिए कहा गया है।

विश्व वास्तुशिल्प सूची में प्राचीन स्मारक

3435. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के कुछ प्राचीन स्मारकों को विश्व वास्तुशिल्प सूची में सम्मिलित कराने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए पता लगाए गए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों स्मारकों के नाम और उनकी संख्या क्या है;

(ग) देश में स्थित ऐसे प्राचीन स्मारकों के नाम क्या हैं जो विश्व वास्तुशिल्प सूची में पहले ही स्थान प्राप्त कर चुके हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, नहीं, किन्तु विश्व विरासत सूची में निम्नलिखित स्मारकों का पता लगाया गया है :

1. लाल किला, दिल्ली	संघ शासित क्षेत्र
2. हुमायुं का मकबरा, दिल्ली	संघ शासित क्षेत्र
3. कुतुब मीनार, दिल्ली	संघ शासित क्षेत्र
4. गोवा स्थित गिरजाघर और आश्रम	संघ शासित क्षेत्र
5. लोथल में खुदाई किए गए अवशेष	गुजरात
6. मारतण्ड मंदिर	जम्मू और कश्मीर
7. बीजापुर स्थित गोल गुम्बज	कर्नाटक
8. ऐहोल स्थित स्मारक	कर्नाटक

9. पट्टाडकल स्थित स्मारक	कर्नाटक
10. हम्पी स्थित स्मारक समूह	कर्नाटक
11. खजुराहो मंदिर समूह	मध्य प्रदेश
12. ऐलिफेन्टा गुफाएं	महाराष्ट्र
13. कारला स्थित गुफाएं	महाराष्ट्र
14. सूर्य मंदिर कोणार्क	उड़ीसा
15. चित्तौड़गढ़ किला और स्मारक, चित्तौड़गढ़	राजस्थान
16. काली बंगा में उत्खनित अवशेष	राजस्थान
17. महाबल्लीपुरम स्थित स्मारक समूह	तमिलनाडु
18. बृहदेश्वर मंदिर, तंजावूर	तमिलनाडु
19. अकबर का मकबरा, सिकंदरा, आगरा	उत्तर प्रदेश
20. ऐतमादुद्दौला का मकबरा, आगरा	उत्तर प्रदेश
21. फतेहपुर सीकरी स्थित स्मारक समूह	उत्तर प्रदेश

(ग) और (घ) विश्व विरासत सूची में निम्नलिखित स्मारकों को शामिल किया गया है—

1. ताजमहल, आगरा
2. आगरा किला, आगरा
3. अजन्ता की गुफाएं
4. एलोरा की गुफाएं।

विज्ञान के क्षेत्र में भारत ब्राजील समझौता

3436. **श्री मुरलीधर माने** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ब्राजील के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, भारत गणराज्य

की सरकार तथा ब्राजील के संघात्मक गणराज्य की सरकार के मध्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के एक करार पर ब्राजीली, विदेश मन्त्री के आगमन के दौरान 22 जुलाई, 1985 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए।

(ख) करार की प्रमुख विशेषताएं हैं—

(1) अनुसंधान वैज्ञानिकों तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्बन्धी सूचना और प्रलेखनों का आदान-प्रदान, (2) समान हित के क्षेत्रों में संयुक्त सेमिनारों तथा पाठ्यक्रमों का आयोजन तथा (3) संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों का सूत्रपात तथा कार्यान्वयन।

(?) पेटेन्टों के आदान-प्रदान तथा अन्य देश में पेटेन्टों को संयुक्त अनुप्रयोग की भी इस करार के अन्तर्गत परिकल्पना की गई है।

प्रधान मन्त्री की यात्राओं पर हुआ व्यय

3437. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मन्त्री द्वारा दिसम्बर, 1984 में देश में की गई यात्राओं पर कुल कितना व्यय हुआ और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : अपेक्षित सूचना सहज उपलब्ध नहीं है। इस सूचना को एकत्र करने तथा संकलित करने में लगने वाला समय तथा परिश्रम प्राप्त होने वाले उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा।

दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति

3438. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अफ्रीकी देशों में दक्षिण अफ्रीका द्वारा अपनाई गई रंगभेद नीति के कारण अस्थिरता का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस मामले को किसी अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) यह सच है कि दक्षिण अफ्रीकी शासन ने पृथग्वासन की अपनी नीति के अनुसरण में पड़ोसी देशों को अस्थिर करने का प्रयत्न किया है। मई, 1985 में अंगोला के कैबिन्दा प्रदेश में इसका सशस्त्र आक्रमण और जून, 1985 में बोत्सवाना की राजधानी लबोरोन में इसका आक्रमण, जहां बहुत से लोग मारे गए थे, इसके अद्यतन उदाहरण हैं। इन सशस्त्र आक्रमणों के बारे में सुरक्षा परिषद् के विचार विमर्शों और सुरक्षा परिषद् में इन आक्रमणों की निंदा करने से संबद्ध संकल्प पारित करने में भारत ने महत्वपूर्ण भाग लिया।

सामरिक महत्व वाले क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारियों की गतिविधियां

3439. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 30 जून—6 जुलाई, 1985 के 'दि वीक' में प्रकाशित इस समाचार की जानकारी है कि लद्दाख, श्रीनगर और कारगिल जैसी सामरिक महत्व के क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी और विशेष रूप से भारत तथा पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य प्रेक्षक ग्रुप के अधिकारी अप्राधिकृत कार्यों में लिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने मामलों का पता लगा है और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सरकार ने यह खबर देखी है।

(ख) इस लेख में जिन विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख किया गया है वे सरकार के ध्यान में नहीं आई हैं। बहरहाल, पहले कुछ अवसरों पर सरकार ने संयुक्त राष्ट्र प्राधिकारियों पर इस बात के लिए जोर दिया है कि 'अनमोगिप' के कार्मिक अगर इन आपत्तिजनक कार्रवाइयों में भाग न लें तो बेहतर होगा।

(ग) संयुक्त राष्ट्र सैनिक प्रेक्षक दल की स्थापना खासतौर पर पुराने 1949 की युद्ध विराम रेखा के संदर्भ में हुई थी जिसका अब कोई महत्व नहीं है। उन्हें जम्मू एवं काश्मीर में वर्तमान नियंत्रण रेखा के सम्बन्ध में कोई दायित्व नहीं सौंपा गया है। अतः संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की वहां कोई भूमिका नहीं है। 1972 से संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक नियन्त्रण रेखा के भारतीय पक्ष की ओर उपस्थित होते हुए भी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। नियन्त्रण रेखा के किसी प्रकार के उल्लंघन पर भारत और पाकिस्तान के सैनिक कमान्डरों के बीच होने वाली बैठकों में विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जाती है।

[हिन्दी]

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में उपलब्धियां

3440. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन**
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह } : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में प्राप्त उपलब्धियों और लक्ष्य प्राप्ति दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा;

(ख) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी दूर करने में कितनी सहायता मिली है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम और गरीबी हटाने के इसके मुख्य कार्यक्रम में आमूल परिवर्तन करने का है और यदि हां, तो संशोधित कार्यक्रम की रूप रेखा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) :(क) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान,गुजरात और उत्तर प्रदेश में तीन वर्षों अर्थात् 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के लक्ष्यों और उपलब्धियों के तीन विवरण सभा पटल पर रखे गए।

[**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1418/85**]

(ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (32वें दौर) 1977-78 के अनुसार 1977-78 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का परिशोधित अनुमान 307 मिलियन अर्थात् जनसंख्या का 48.3 प्रतिशत था। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (38वें दौर) 1983 के अनुसार 1983-84 में, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनन्तिम अनुमान 271 मिलियन अर्थात् जनसंख्या का 37.4 प्रतिशत है। यह कुल अनुमान है और 20-सूत्री कार्यक्रम के विशेष रूप से गरीबी पर इसके प्रभाव के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) 20-सूत्री कार्यक्रम की, विशेष रूप से सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करने के कार्यक्रम की पुनसंरचना पर विचार किया जा रहा है।

[**अनुवाद**]

बम्बई बन्दरगाह में ड्राई डॉक परियोजना का निर्माण

3441. **श्री एस० एम० गुरुडी** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण विभाग को बम्बई बन्दरगाह में ड्राई डॉक परियोजना निर्माण के विरुद्ध कोई शिकायत है;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या बम्बई पर्यावरणीय कार्य ग्रुप द्वारा इस प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति की गई थी;

(घ) इस ग्रुप द्वारा क्या आपत्ति की गई थी; और

(ङ) क्या सरकार ने आपत्ति पर विचार कर लिया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) जी, हां। गोदी परिचालनों, क्षेत्र में भीड़-भाड़ तथा एलिफैन्टा द्वीप के समीप होने से प्रदूषण की सम्भावना

के कारण शुष्क गोदी के स्थान पर आपत्ति की गई थी।

(ग) तथा (घ) जी, हां। दल एलिफैन्टा द्वीप के नजदीक शुष्क गोदी के लंगरस्थल के विरुद्ध था क्योंकि यह क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को निम्नीकृत करेगा। दल ने यह भी उल्लेख किया कि एलिफैन्टा द्वीप पर शुष्क गोदी परिचालन से सम्बन्धित निर्माण गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(ङ) जी, हां।

संगणक पुर्जों पर आयात शुल्क में कमी

3443. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगणकों पर कुल 240 प्रतिशत से घटाकर 200 प्रतिशत शुल्क, जिसमें सहायक और अतिरिक्त दोनों शुल्क सम्मिलित हैं, किस आधार पर किया गया जबकि देश में निर्मित संगणक के पुर्जों, घटकों तथा पेरिफेरल्स पर औसतन समेकित आयात शुल्क लगभग 100 प्रतिशत आता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके अनुरूप ही उन संगणक घटकों पर भी शुल्क कम करने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है जिनका प्रयोग संगणक निर्माता कर रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 17 मार्च, 1985 को सामान्य बजट की घोषणा के परिणामस्वरूप, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के०सी०एच० 84.5/55 (2) की टैरिफ दर 100 प्रतिशत के स्थान पर 200 प्रतिशत कर दी गई है। यह दर कम्प्यूटरों पर भी लागू होता है। इस प्रकार कम्प्यूटरों पर सीमा-शुल्क की प्रभावी दर 240 प्रतिशत (अर्थात् 200 प्रतिशत मूलभूत शुल्क, तथा 40 प्रतिशत सहायता शुल्क) हो गई। चूंकि स्वदेश में विनिर्मित कम्प्यूटरों पर उत्पादन शुल्क पूरी तरह से हटा लिया गया है, अतः ऐसे मामलों में कोई सन्तुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाता। किन्तु, यह महसूस किया गया कि सीमा-शुल्क की घटी हुई दरों के फलस्वरूप मिनी, मिडी तथा मैक्सी रेंज के कम्प्यूटरों का विनिर्माण करने वाले स्वदेशी उद्योग को पर्याप्त संरक्षण मिलेगा, क्योंकि कम्प्यूटरों के विनिर्माण के लिए आयातित संघटक पुर्जों कलपुर्जों तथा अन्य आयात की जाने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगभग औसतन 50 प्रतिशत से 60% के बीच रहा। इस आधार पर मूलभूत शुल्क को 200 प्रतिशत से घटाकर 160 प्रतिशत कर दिया गया तथा इस प्रकार प्रभावी शुल्क घटाकर 200 प्रतिशत कर दिया गया जो वर्ष 1985-86 में आयात-निर्यात नीति की घोषणा के बाद लागू हुआ। इसके परिणामस्वरूप 10 लाख रुपये जिसमें लागत बीमा भाड़ा मूल्य शामिल है, से कम कीमत के कम्प्यूटरों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के उपबंध के अन्तर्गत करने की अनुमति दी गई थी।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के होटल

3444. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के पास ऐसे कुल कितने होटल हैं जो मध्यम और निम्न वर्ग की जरूरतों को पूरा करते हैं और ये होटल कहां स्थित हैं; और

(ख) क्या इस प्रकार के होटलों की संख्या बहुत कम है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के लिए और अधिक होटल खोलने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) इस समय भारत पर्यटन विकास निगम मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों की जरूरतों के अनुकूल निम्नलिखित 10 स्थानों पर होटलों/यात्री गृहों का परिचालन कर रहा है :

1. अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली
2. कुशीनगर में यात्री-गृह
3. बोधगया में यात्री-गृह
4. तिरूचिरापल्ली में यात्री-गृह
5. तंजावुर में यात्री-गृह
6. कोणार्क में यात्री-गृह
7. कांचीपुरम में यात्री-गृह
8. कुल्लू में यात्री-गृह
9. बीजापुर में यात्री-गृह
10. मनाली में यात्री-गृह

(ख) पर्यटकों के वास्ते मितव्ययी श्रेणी का आवास मुहैया कराने के लिए, भारत पर्यटन विकास निगम राज्यों के निगमों के सहयोग से पांडिचेरी और इटानगर में ½ स्टार होटलों का निर्माण कर रहा है। यह प्रस्ताव है कि राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से यात्री निवासों और निम्न श्रेणी बजट आवास का निर्माण किया जाए। पर्यटन विभाग के तत्वावधान में कार्यरत भारतीय यात्री आवास विकास समिति नामक एक पंजीकृत सोसाइटी चुने हुए स्थानों पर यात्रिकाओं (धर्मशालाओं/सरायों) का निर्माण कर रही है। राज्य सरकारों से निम्न बजट वाले स्वदेशी पर्यटकों के लिए आधार-संरचना

जुटाने के वास्ते योजनाएं तैयार करने हेतु अनुरोध भी किया गया है।

वनों के विकास के लिए आबंटन

3445. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वनों के संरक्षण और विकास के लिए केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या वृक्षारोपण का कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार रोजगार देने की दृष्टि से पौधों के संरक्षण और विकास का कार्य बेरोजगार ग्रामीण युवकों को सौंपने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) यद्यपि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं, तथापि वृक्षारोपण प्रयास को और सुदृढ़ करना और इसे एक जन आंदोलन बनाना आवश्यक है। बेरोजगार ग्रामीण युवकों को भी इस प्रयास में शामिल किया जाएगा।

विवरण

क्रम सं०	योजना का नाम	आबंटित धनराशि/ किया गया खर्च (लाख रुपये)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के वृक्षों सहित सामाजिक वानिकी	4077.12	निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता
2.	हिमालय में मृदा, जल और वृक्ष संरक्षण (आपरेशन मृदा निगरानी)	2197,61	
3.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०)	4203.00	वृक्षारोपण और चरागाह विकास पर किया गया कुल खर्च
4.	मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी० डी० पी०)	1856.66	
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०)	621.65	सामाजिक वानिकी के लिए निर्धारित 62164.60 लाख रुपये के कुल आबंटन का 10 प्रतिशत

1	2	3	4
6.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०)	4305.00	सामाजिक वानिकी के लिए मंजूर की गई धनराशि
7.	नदी घाटी परियोजना (आर० वी० पी०) के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	5708.05	वृक्षारोपण सहित मृदा संरक्षण कार्य पर किये गए कुल खर्च को दर्शाता है। अकेले वृक्षारोपण के तहत किये गये खर्च के संबंध में अलग से ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।
8	बाढ़ प्रवण नदियों (एफ० पी० आर०) के जल ग्रहण क्षेत्र में समेकित पनधारा प्रबन्ध	2935.37	

[अनुवाद]

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना

3446. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुभाशी समिति की वर्ष 1980 के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के अनुसार कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) दुभाशी समिति के प्रतिवेदन की कितनी सिफारिशें स्वीकार और कार्यान्वित की गई हैं; और

(ग) स्वीकार न की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन्हें स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) केन्द्र और राज्य मूल्यांकन संगठनों की समीक्षा और उनको सबल बनाने के लिए गठित दुभाशी समिति ने, अपनी रिपोर्ट में, 78 सिफारिश की थीं। इनमें से 17 सिफारिशों का संबंध राज्य सरकारों से है। बाकि सिफारिशों में से 40 के बारे में अन्तिम कार्यवाही कुछ संशोधनों सहित अनुमोदित हो चुकी है और उसका यथासंभव अनुपालन किया जा रहा है। इन 40 सिफारिशों में से 2 सिफारिशें प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में थीं और एक मूल्यांकन के बारे में अध्ययन के चुनावों की कसौटी से संबंधित थी, इन्हें व्यवहारिक न होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया। शेष सिफारिशों में से 12 का संबंध मुख्यालय के स्टाफिंग पैटर्न और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के क्षेत्रीय स्टाफ से है। मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए अभी इन पर अन्तिम रूप से कार्यवाही तथा इनका अनुमोदन नहीं हो पाया है।

सोवियत संघ के साथ खेल समझौता

3447. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल**
प्रो० राम कृष्ण मोरे } : क्या **युवा कार्य और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत खेल-कूद शिष्टमंडल की हाल में हमारे देश की यात्रा के दौरान खेलों के क्षेत्र में किसी भारत-सोवियत संघ समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रोटोकोल में, अन्य बातों के साथ-साथ, शतरंज, जिम्नास्टिक्स, कुश्ती, हाकी, फुटबाल, मुक्केबाजी, बास्केटबाल, भारोत्तोलन और एथलेटिक्स सहित विभिन्न विषयों में खेल टीमों के आदान-प्रदान की व्यवस्था है। इसमें यह भी व्यवस्था है कि सोवियत संघ विभिन्न विषयों में भारत में विशेषज्ञ प्रशिक्षक भेजेगा। इसमें सोवियत संघ के सहयोग से देश में उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना की सम्भावनाओं की भी परिकल्पना है।

इंडियन एयरलाइन्स की स्वदेशी मांग

3448. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स की वर्तमान स्वदेशी मांग क्या है;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स स्वदेशी मांग पूरी कर पाती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1985-86 में इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 94.2 लाख यात्री वहन किए जाने का अनुमान है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्तमान मांग इंडियन एयरलाइन्स के 54 विमानों के मौजूदा विमान बेड़े से पूरी की जाती है जिसमें 10 एयर बसें, 25 बोइंग 737, 11 एच० एल०-748 और 8 एफ०-27 विमान हैं। यातायात की प्रत्याशित वृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स की योजना विमान खरीदने और अतिरिक्त विमान पट्टे पर लेने की है।

पश्चिम बंगाल में समेकित जनजातीय विकास परियोजना

3449. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के साथ लगे हुए एकल यूनिट और 50 प्रतिशत या उससे अधिक मोहरा जनजातीय समूहों को मिलाकर बनाये गये हैं;

(ख) क्या इसी मानदंड के कारण इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बंगाल के केवल 40 प्रतिशत जनजातियों के लोग आ पाये हैं जबकि पूरे देश में यह 75 प्रतिशत है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने असमानता को दूर करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातीय उप योजना का विस्तार करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सभी अनुसूचित क्षेत्र तथा 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाली तहसीलें/ब्लाक शामिल हैं। त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल में जनजाति जनसंख्या बिखरी हुई थी इसलिए 50 प्रतिशत से अधिक जनजाति वाले गांवों के समूहों को उप-योजना में शामिल किया गया था।

(ख) 1971 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी बंगाल में जनजाति उप-योजना क्षेत्रों में राज्य की कुल जनजाति जनसंख्या का 38.81 प्रतिशत आता है।

(ग) और (घ) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजाति उप-योजना के लिए एक परिवर्तित क्षेत्र विकास नीति तैयार की गयी थी तथा न्यूनतम 10,000 जनसंख्या तथा 50 प्रतिशत अथवा अधिक जनजाति वाले क्षेत्रों का पता लगाया गया। पश्चिमी बंगाल में इन मानदण्डों के अधीन किसी क्षेत्र का पता नहीं लगाया जा सका। अनुसूचित जनजातियों के विकास सम्बन्धी कार्यकारी दल ने सुझाव दिया था कि वर्तमान जनजाति उप-योजना क्षेत्रों से बाहर के क्षेत्रों में वर्तमान मानदण्ड को कम करके जनजाति बसाकत वाले स्थलों का पता लगाया जा सकता है। मंत्रालय ने पश्चिमी बंगाल सहित सभी राज्यों से कम से कम 5,000 कुल जनसंख्या वाले तथा 50 प्रतिशत अथवा अधिक अनुसूचित जनजाति बसाकत स्थानों का पता लगाने के लिए अनुरोध किया है।

(ङ) दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत आ जाते हैं तथा योजना आयोग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

जनता शिकायतों को दूर करने के लिए तंत्र

3450. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग ने जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करने के बारे में क्या सिफारिशें की हैं; और

(ख) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा गठित अध्ययन दल ने जनता की शिकायतों के लिए "ओम्बड्समैन" प्रणाली की सिफारिश की है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग का यह मत था कि नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए देश से सम्बन्धित विशेष परिस्थितियों पर पूरी तरह से काबू पा सकने के प्रयोजन से निम्नलिखित दो विशेष संस्थाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, अर्थात् : —

—केन्द्र तथा राज्यों में मंत्रियों अथवा सरकार के सचिवों के प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध शिकायतों से निपटने के लिए एक प्राधिकरण होना चाहिए।

—अन्य कर्मचारियों के प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध शिकायतों से निपटने के लिए प्रत्येक राज्य और केन्द्र में एक अलग से प्राधिकरण होना चाहिए।

— मंत्रियों और सरकार के सचिवों के विरुद्ध शिकायतों से निपटने वाले प्राधिकरण को "लोकपाल" के नाम से पदनामित किया जा सकता है।

—केन्द्र और राज्यों में अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों से निपटने के लिए अधिकार प्राप्त अन्य प्राधिकरण को "लोकायुक्त" के नाम से पदनामित किया जा सकता है।

शिकायतों की गुंजाइश को कम करने तथा जहां आवश्यक तथा व्यवहार्य हो, उनमें सुधार लाने के लिए प्रशासन को स्वयं ही मुख्य भूमिका निभानी चाहिए और इस प्रयोजन के लिए स्थिति अनुसार प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में, शिकायतें प्राप्त करने तथा उनकी जांच-पड़ताल करने के लिए और उपचारात्मक कार्रवाई के उद्देश्य से जहां आवश्यक हो वहां प्रशासनिक प्रक्रिया को सक्रिय बनाने के प्रयोजन से भी एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

(ख) अध्ययन दल ने पाया कि "भारत जैसे विशाल देश में ओम्बड्समैन अथवा संसदीय आयुक्त जैसी संस्थाएं स्थापित करने का कार्य अनेक पेचीदगियों तथा कठिनाइयों से घिरा हुआ है"। यदि ऐसी संस्था स्थापित किया जाना वांछनीय समझा जाए तो अध्ययन दल ने कुछ सुझाव दिए थे जिनमें केन्द्र में एक अलग ओम्बड्समैन होना चाहिए; जिसे केन्द्रीय विधि के अधीन स्थापित किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक राज्य में अलग-अलग ओम्बड्समैन होना चाहिए जिसकी स्थापना राज्य विधि के अन्तर्गत राज्य द्वारा की जानी चाहिए।

पश्चिम बंगाल के पर्यावरण विभाग में वितरण सूचना केन्द्र

3451. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में 8.65 लाख रुपये की अनुमानित लागत से पर्यावरण विभाग में वितरण सूचना केन्द्र की स्थापना करने के बारे में कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त योजना को मंजूरी देने और आवश्यक धन-राशि का आवंटन करने का है; और

(ग) यह कार्य कब तक कर दिया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य पर्यावरण विभागों में वितरण सूचना केन्द्रों को पर्यावरण सूचना प्रणाली की विद्यमान योजना के अन्तर्गत निधियां नहीं दी जा सकती हैं।

प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन

3452. कुमारी पुष्पा देवी : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खेल महासंघ की विभिन्न खेलों की प्रशिक्षण की योजनाओं को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण शिविरों के उचित और सार्थक आयोजन के लिए युवा कार्य और खेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान को क्या मार्ग निर्देश दिये गये हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मार्गदर्शी रूपरेखाएं राष्ट्रीय खेल संघों/एसोसिएशनों को 1-5-85 और 1-8-85 को जारी की गई थी। मार्गदर्शी रूपरेखाओं की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध कराई गई है।

वायुदूत सेवा शुरू करना

3453. श्री एस० जी० घोलप : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई से (एक) नासिक (दो) रत्नागिरि (तीन) नांदेड़ के लिए वायुदूत सेवा शुरू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक शुरू की गई है तथा जनता की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) बम्बई से रत्नागिरि और नांदेड़ को वायुदूत सेवाएं 5 फरवरी, 1985 को आरम्भ की गई थीं। भारी वर्षा के कारण दिनांक 19 जून, 1985 से रत्नागिरि को सेवाएं अस्थायी तौर पर निलम्बित करनी पड़ीं तथा ये सेवाएं अगस्त, 1985 के अन्त तक पुनः शुरू कर दी जाएंगी। नासिक इंडियन एयर लाइन्स द्वारा विमान सेवा से जुड़ा हुआ है, वायुदूत यहां कोई सेवा प्रचालित नहीं करती है।

वायुदूत की इन सेवाओं के लिए यात्रा करने वाली जनता की बहुत ही उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया रही है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र

3455. श्री एम० एल० भिकराम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा किस स्थान पर परमाणु विद्युत संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या वर्गीदम के निकट छुटकापथ जिसकी परमाणु ऊर्जा विशेषज्ञों ने सिफारिश की थी इस संयंत्र की स्थापना के लिए उचित नहीं है; और

(ग) उचित स्थान अर्थात् वर्गीदम के निकट छुटकापथ का चयन न करने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति ने पश्चिमी विद्युत क्षेत्र में, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है विभिन्न स्थलों का अध्ययन भविष्य में परमाणु बिजलीघर लगाने की दृष्टि से किया है। समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

20-सूत्री कार्यक्रम में संशोधन

3456. श्री एस० एम० भट्टम
श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव } : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 20-सूत्री कार्यक्रम में उपयुक्त सुधार करने का है और यदि हां, तो कब;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में परिवर्तन करने का भी है;

(ग) यदि हां, तो क्यों और उसमें किस प्रकार के संशोधन किए जाएंगे;

(घ) क्या कार्यक्रम में सुधारों, परिवर्तनों तथा और कार्यक्रम जोड़ने के अतिरिक्त सरकार का विचार 20-सूत्री कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अधिक धन आवंटित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। 20-सूत्री कार्यक्रम का संशोधन और नई रूपरेखा विचाराधीन है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम समेत, सातवीं पंचवर्षीय योजना के विवरण तैयार किए जा रहे हैं और इनको राष्ट्रीय विकास परिषद् के सम्मुख अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

(घ) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मदों के लिए परिव्यय अलग से और विशिष्ट रूप से नियत नहीं किए जाते, क्योंकि 20-सूत्री कार्यक्रम राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनाओं का अभिन्न अंग होता है। 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए परिव्यय अलग-अलग योजनाशीर्ष से लिए जाते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अर्द्ध सैनिक बलों के लिए भर्ती

3457. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में खास तौर पर मणिपुर और नागालैंड राज्यों में

अर्द्ध सैनिक बलों अर्थात् सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल और प्रादेशिक सेना के लिए कितनी बार भर्ती शिविर आयोजित किये गये ;

(ख) क्या सरकार सीमावर्ती राज्यों में, जहां रोजगार के अवसर कम हैं, इस प्रकार के भर्ती शिविरों के आयोजनों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जापान के साथ इलेक्ट्रोनिकी के क्षेत्र में सहयोग

3458. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में जापान के साथ सहयोग करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कम्पनियां जापान के विनिर्माणकारी संगठनों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का प्रस्ताव करती हैं। जहां तक दूरसंचार के क्षेत्र का प्रश्न है, बहुअभिगामी ग्रामीण रेडियो प्रणालियों उपग्रह संचार उप-प्रणालियों तथा ट्रोपोस्फरिक रेडियो संचार प्रणालियों के क्षेत्र में भारतीय कम्पनियों को जापानी कम्पनियों के साथ विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई है। जहां तक संघटक-पुर्जों के क्षेत्र का सम्बन्ध है, रंगीन पिक्चर ट्यूबों फेराइट बी० सी० आर० डेक, संधारित्र तथा रंगीन दूरदर्शन विक्षेपण संघटक-पुर्जों के क्षेत्र में जापान के साथ तकनीकी सहयोग का प्रस्ताव है। कम्प्यूटर तथा नियन्त्रण प्रणालियों के जिन क्षेत्रों में भारत विभिन्न जापानी कम्पनियों के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव करता है, वे इस प्रकार हैं : आंकड़ा अभिग्रहण प्रणालियां, औद्योगिक नियन्त्रण प्रणालियां तथा फ्लापी डिस्क ड्राइव। औद्योगिक नियन्त्रण तथा फ्लापी ड्राइव के क्षेत्र में सहयोग की दिशा में भारतीय और जापानी पार्टियों के बीच कुछ समझौता-पत्रों पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं।

हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के बारे में सम्मेलन

3459. **श्री लक्ष्मण मलिक**
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जुलाई, 1985 के "अमृत बाजार पत्रिका" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के बारे में भारत एक सम्मेलन बुलाने के प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपना सहयोग देने की बात कही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने के बारे में 1971 की संयुक्त राष्ट्र घोषणा के क्रियान्वयन का सुनिश्चिय करने के लिए भारत हर प्रयत्न कर रहा है। 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 34/808 में इस घोषणा के क्रियान्वयन के लिए हिन्द महासागर सम्बन्धी सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार का हमेशा यह विचार रहा है कि हिन्द महासागर सम्बन्धी ऐसे सम्मेलन को यदि सार्थक बनाना है तो इसमें बड़ी शक्तियों और प्रमुख समुद्री उपभोक्ताओं तथा पश्च और तटवर्ती राज्यों को भाग लेना चाहिए।

(ग) यद्यपि गुट-निरपेक्ष और समाजवादी देश, जो हिन्द महासागर सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति के सदस्य हैं, सामान्य रूप से इस प्रकार का सम्मेलन शीघ्र आयोजित करने की मांग कर रहे हैं जबकि कुछ अन्य देशों ने, विशेषकर एंग्लिमी दल के देशों ने इसके आयोजन की तारीख को अन्तिम रूप दिये जाने का विरोध किया है। तदर्थ समिति में निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। इस सम्मेलन को शीघ्र आयोजित करने के उद्देश्य से परामर्श जारी है।

हाइड्रोजन ऊर्जा सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यशाला की सिफारिशें

3460. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाइड्रोजन ऊर्जा सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यशाला ने सरकार से सातवीं योजना में हाइड्रोजन ऊर्जा पर विशेष बल देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो कार्यशाला द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों को किस सीमा तक स्वीकार कर लिया है; और

(घ) इन्हें कब कार्यान्वित किये जाने की आशा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क), जी हां।

(ख) कार्यशाला द्वारा की गई सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) कुछ सिफारिशें, विशेषकर अनुसंधान और विकास कार्य के क्षेत्रों से सम्बन्धित, सरकार द्वारा पहले ही कार्यान्वित की जा रही हैं। देश में उपलब्ध वित्तीय और जनशक्ति संसाधनों के सम्बन्ध में अन्य सिफारिशों का निरीक्षण किया जाएगा।

विवरण

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के तत्वावधान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली में 4—6 जुलाई 1985 तक हाइड्रोजन ऊर्जा पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला एक पैनल चर्चा के साथ समाप्त हुई जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित सिफारिशें की गईं :

1. राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों में हाइड्रोजन ऊर्जा पर लघु अवधि और लम्बी अवधि के अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को सहायता देने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। प्राप्त जानकारी और जहां सम्भव हो, हाइड्रोजन के ईंधन के रूप में प्रयोग को अपनाने के लिए उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए।

2. प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए तथा अनुसंधान की नई दिशाओं की रूपरेखा बनाने के लिए इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।

3. इस प्रकार की कार्यशालाएं दो वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जानी चाहिए।

4. सातवीं योजना में हाइड्रोजन ऊर्जा का "कमी वाले क्षेत्रों" के रूप में अभिनिर्धारण किया जाना चाहिए। हाइड्रोजन ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए आवश्यक संसाधनों का आबंटन किया जाना चाहिए।

5. हाइड्रोजन ऊर्जा के सभी पहलुओं, अर्थात् उत्पादन, भंडारण और परिवहन, उपयोग, सुरक्षा, और अर्थव्यवस्था तथा प्रणाली विश्लेषण पर अनुसंधान और विकास कार्य प्रायोजित किया जाना चाहिए। सरकार से वित्तीय सहायता के सन्दर्भ में तुरन्त ध्यान देने वाले क्षेत्रों का अभिनिर्धारण नीचे दिया गया है :—

   (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करते हुए हाइड्रोजन का उत्पादन :

      (i) विद्युत अपघटन प्रक्रिया (विधि)

      (ii) प्रकाश अपघटन, प्रकाश-तापीय, प्रकाश जैविक तथा प्रकाश-विद्युत रासायनिक प्रक्रिया (विधि)

      (iii) ताप रासायनिक प्रक्रिया (विधि)

(iv) सूक्ष्म जीवों द्वारा हाइड्रोजन का उत्पादन।

(ख) निम्नलिखित का प्रयोग करते हुए भंडारण और परिवहन :

(i) धातु हाइड्राइड का

(ii) हाइड्रोजन द्रवीकरण का

(iii) निम्न तापकारी भंडारण और परिवहन जलयान का

(iv) गैस के उच्च दाब भंडारण का

(v) पाइपलाइन परिवहन प्रक्रिया (विधि) का

(ग) निम्नलिखित के लिए हाइड्रोजन का उपयोग :

(i) औद्योगिक दाहक, भट्टियां और कंबस्टर्स के लिए

(ii) रिहायशी और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए

(iii) स्वचालित वाहन और कृषि उपयोगों के आई० सी० इंजनों के लिए

(iv) ईंधन सैलों के लिए

(v) एम० एच० डी० विद्युत उत्पादन के लिए

(घ) सुरक्षा पहलू :

(i) साधन विनियोग और नियन्त्रण युक्तियां

(ii) कोड और मानदंड

(ङ) पर्यावरणीय पहलू :

(च) हाइड्रोजन ऊर्जा पर सार्वजनिक शिक्षा।

ट्रेवल एजेंटों की नियुक्ति

3461. **श्री विजय सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ट्रेवल एजेंटों की नियुक्ति आवश्यक समझता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने ट्रैवल एजेंट नियुक्त किये गये; और

(ग) इन एजेंटों को अदा किये गये "कमीशन" का ब्यौरा क्या है और क्या हाल ही में कमीशन में कटौती की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख)	1982	1983	1984
यात्री बिक्री अभिकर्त्ता	शून्य	27	24
माल बिक्री अभिकर्त्ता	शून्य	22	43

(ग) यात्री बिक्री अभिकर्त्ता को अन्तर्देशीय बिक्री पर 5% तथा अन्तर्राष्ट्रीय बिक्री पर 9% की दर से कमीशन दिया जाता है जबकि माल को अन्तर्देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों की बुकिंग पर कमीशन 5% है। हाल में कमीशन की दरों में कोई कटौती नहीं की गई है।

भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच दैनिक विमान सेवा

3462. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच दैनिक विमान सेवाओं को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार का विचार वाराणसी होकर काठमाण्डू और भुवनेश्वर के बीच नई सेवा शुरू करने का भी है;

(ग) क्या सरकार ने भुवनेश्वर और कोणार्क, भुवनेश्वर और गंजाम जिले में गोपालपुर तथा भुवनेश्वर और मध्य प्रदेश में रायपुर के बीच वायुदूत सेवाएं शुरू करने के बारे में भी निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों के विकास और विमान सेवाओं के बारे में अन्य सुझावों के बारे में केन्द्र सरकार को पेश की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) क्षमता में वृद्धि हो जाने पर तथा आर्थिक साध्यता होने पर इस मामले पर विचार किया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारी जल की आवश्यकता

3463. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 के दौरान भारी जल की एकक-वार आवश्यकता कितनी है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : नीचे यह बताया जा रहा है कि 1985 में प्रत्येक यूनिट के लिए कितना भारी पानी आवश्यक होगा :

राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट	—	18 मीटरिक टन
राजस्थान परमाणु बिजलीघर का दूसरा यूनिट	—	15 मीटरिक टन
मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना का पहला यूनिट	—	12 मीटरिक टन
मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना का दूसरा यूनिट	—	250 मीटरिक टन

एयरलाइनों की सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी का संकलन

3464. **श्री शरद दिघे** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान फ्लाइट इन्टरनैशनल द्वारा 1983-84 में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप को छोड़कर सभी प्रमुख कैरियर की सुरक्षा के बारे में हाल ही में संकलित की गई जानकारी की ओर दिलाया गया है जिसमें 18 देशों के सर्वेक्षण में भारत का स्थान नीचे से चौथा है; और

(ख) एयरलाइन सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

फ्लाइट इन्टरनेशनल जनरल (26 जनवरी, 1985 के अंक) में 1973-84 की अवधि के लिए "विश्व एयरलाइन सुरक्षा" तालिका में मुख्य एयरलाइन सुरक्षा के आंकड़ों को शामिल किया गया था जिसमें भारत का स्थान 15वां है।

(ख) अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा प्रचालित विमानों और इनके इंजिनों के दिन प्रतिदिन के कार्य निष्पादन की देखरेख विनियामक प्राधिकरण द्वारा की जाती है। भारत में अनुसूचित एयरलाइनों के विमानों की सभी घटनाओं/दुर्घटनाओं की जांच की जाती है। इसी प्रकार की त्रुटियों/कमियों की पुनरावृत्ति को रोकने के बारे में की गई उपयुक्त सिफारिशों की देख-रेख नियमित आधार पर की जाती है। उड़ान प्रचालनों में सुरक्षा मानकों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उड़ान सुरक्षा मानकों की जांच करने तथा अपने कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने के लिए हमारी राष्ट्रीय एयरलाइनों के अपने सुरक्षा निदेशालय भी हैं। इनके द्वारा कर्मीदल के कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा विकास कार्य किए जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विनियमों के अनुरूप तथा नागर विमानन महानिदेशालय, आई० सी० ए० ओ०, आई० ए० टी० ए० तथा विमान विनिर्माताओं के परामर्श से प्रचालन नीतियां और प्रक्रियाओं का निर्धारण करने के लिए उनका अपना सुरक्षा तरीका है। कर्मीदल में सुरक्षा जागरुकता उत्पन्न करने के लिए वे दुर्घटनाओं और घटनाओं से सम्बन्धित सूचना अन्य एयरलाइनों को भी देते हैं।

लेह और मनाली मार्ग पर आंतरिक रेखा प्रतिबन्ध

3465. **श्री पी० नामग्याल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख में उपशी और जिया गांवों के बीच कुछ किलोमीटर मार्ग जो कि आंतरिक रेखा की श्रेणी में आता है, को छोड़कर शेष सारा लेह-मनाली मार्ग विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों के लिए अप्रतिबन्धित और खुला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त मार्ग पर, जो कि भारत-चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सैंकड़ों मील दूर है, आंतरिक रेखा सीमा के प्रतिबन्ध हटाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर में लेह-मनाली सड़क उपशी तक खुली है तथा केवल जम्मू-कश्मीर में उपशी के दक्षिण से हिमाचल प्रदेश में सरचु तक बन्द है। फिर भी, विदेशी पर्यटकों को, उपशी के दक्षिण में स्थित गया में गोम्पास, मीरू तथा रूम्टसे में भ्रमण करने की अनुमति दी जाती है। यदि उनके पास सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त किए गए आवश्यक परमिट हों, 20 व्यक्तियों के समूहों में यात्रा करें तथा उनके साथ जम्मू तथा कश्मीर राज्य के प्राधिकारियों द्वारा दिया गया मार्ग दर्शक हो। भारतीय पर्यटक, राज्य अधिकारियों से परमिट प्राप्त करके इन क्षेत्रों का भ्रमण कर सकते हैं।

जहां तक सम्भव है इसमें पहले ही छूट दी जा चुकी है।

बंगलौर और नई दिल्ली के बीच इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में विलम्ब

3466. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और नई दिल्ली के बीच इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों के प्रस्थान और आगमन में प्राय: विलम्ब होता है;

(ख) 1 जून से 30 जून, 1985 के बीच कितनी बार एक घण्टे से अधिक का विलम्ब हुआ; और

(ग) बंगलौर और दिल्ली के बीच इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों के प्रस्थान तथा आगमन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं, । बंगलौर और दिल्ली के बीच 1985 के प्रथम छः महीनों के दौरान प्रचालित कुल 346 उड़ानों में से, 81 प्रतिशत से अधिक उड़ानें समय पर थीं ।

(ख) तेईस ।

(ग) इन तेईस उड़ानों में से, एक विविध तथा 22 परिणामी विलम्ब की थीं (अर्थात् जिन विमानों से ये उड़ानें परिचालित की जानी थीं वे पिछले सैक्टरों की उड़ान परिचालित करते समय विलम्ब से पहुंचे थे) ।

विश्वविद्यालय छात्रों की युवा गतिविधियां

3467. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युवाओं विशेषकर विश्वविद्यालय छात्रों को युवा गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) युवा गतिविधियों के लिए कितनी धनराशि देने का विचार है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) युवा कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए युवा लोगों और विशेषकर विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए यवा कार्य और खेल विभाग द्वारा संचालित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों में से कुछ अगले पृष्ठ पर उल्लेखनीय हैं :—

(i) सामाजिक सेवा के जरिए छात्रों के व्यक्तित्व के विकास पर लक्षित राष्ट्रीय सेवा योजना;

(ii) राष्ट्रीय विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में ग्रामीण युवाओं को शामिल करने के लिए नेहरू युवक केन्द्र;

(iii) युवा स्नातक विशिष्ट अवधि के लिए स्वैच्छिक सामाजिक सेवा प्रदान कर सकें, पर लक्षित राष्ट्रीय सेवाकर्मी योजना;

(iv) युवा व्यक्तियों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और सहनशीलता के प्रति सदा तैयार रहने की क्षमता, जोखिम लेने, सहयोगी टीम का कार्य करने की भावना पैदा करने के लिए साहस का विकास;

(v) युवा व्यक्तियों में भ्रमण को बढ़ावा देने के लिए युवा छात्रावास;

(vi) युवा व्यक्तियों को अपनी रुचि के विभिन्न स्थानों का दौरा करने के लिए अवसर प्रदान करना ताकि वे देश की विशालता, उसकी विविध पद्धतियों और इससे भी अधिक मूल एकता की सराहना कर सकें पर लक्षित राष्ट्रीय एकात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम; और

(vii) युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्वयं रोजगारोन्मुख पर लक्षित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्वैच्छिक युवा संगठनों को सहायता देने की योजना।

विभिन्न युवा कार्यकलापों के वित्त पोषण के लिए 1985-86 के लिए बजट में 1,804·60 लाख रुपये की कुल राशि की व्यवस्था की गई है।

मन्दिरों का रख-रखाव

3468. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में ऐतिहासिक जगन्नाथपुरी मन्दिर और कोणार्क मन्दिर की मरम्मत और रख-रखाव की योजना तैयार की गई है, यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च करने का अनुमान है;

(ख) उक्त मन्दिरों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए क्रमश: अब तक कितनी धनराशि मंजूर और जारी की गई है और कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा पुरी मन्दिर के बारे में किए गए काम का निरीक्षण किया है और क्या उन्होंने कोई सलाह दी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सलाह दी गई है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जगन्नाथ मन्दिर, पुरी के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। सूर्य मन्दिर, कोणार्क के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसके लिए अनुमानित राशि 28.55 लाख रुपये है।

(ख) सूचना नीचे दी गई है :

नाम	संस्वीकृत राशि	प्रदान की गई राशि (1985-86)	खर्च की गई राशि (1985-86)
जगन्नाथ मन्दिर	मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।	3,12,330 रु०	37,252 रु० यह व्यय पलस्तर उतारने के कार्य के लिए है जो चल रहा है।
कोणार्क मन्दिर	28,55,000 रु०	4,96,913 रु०	58,800 रु०

(ग) और (घ) जी, हां। उन्होंने सलाह दी है कि श्री जगन्नाथ मन्दिर और गौण मन्दिरों के संरक्षण के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाए, ताकि सम्पूर्ण मन्दिर परिसर का संरक्षण परिरक्षण और सौन्दर्यकरण किया जा सके। तदनुसार मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

प्रशासन में भ्रष्टाचार की सम्भावना वाले क्षेत्र

3469. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन में भ्रष्टाचार की सम्भावना वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सभी मंत्रालयों/विभागों से

भ्रष्टाचार का गुंजाइश वाले क्षेत्रों का पता लगाने के सम्बन्ध में अध्ययन प्रारम्भ करने को कहा गया है।

(ख) और (ग) सतर्कता कार्रवाई के कैलेण्डर के साथ एक "कार्य योजना" भी तयार की गई है तथा इसे नीचे दी गई विभिन्न मदों पर कार्रवाई करने के लिए मई 1985 में सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया है :—

(1) देरी को कम करने तथा आम जनता की कठिनाइयों को कम करने की दृष्टि से विद्यमान नियमों, प्रक्रियाओं आदि को सरल तथा कारगर बनाने के लिए अध्ययन।

(2) सतर्कता तथा भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को सुदृढ़ बनाना तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों के रिक्त पदों को भरा जाना।

(3) बकाया पड़े अनुशासनिक जांचों/मामलों का समयबद्ध आधार पर निपटान करना।

(4) भ्रष्ट तथा अकुशल तत्वों की छंटनी करने के लिए, उन सरकारी कर्मचारियों के मामलों की नियमित पुनरीक्षा करना जिन्होंने 50/55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है अथवा जो 30 वर्ष की सेवा पूरी कर लेंगे।

(5) लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परिचालित आदर्श आचरण (अनुशासन तथा अपील) नियमावली को उन सभी उपक्रमों द्वारा अपनाया जाना जिन्होंने अभी तक इसे नहीं अपनाया है।

(6) लम्बित जांच-पड़तालों, जांचों आदि पर मासिक/तिमाही पुनरीक्षा के माध्यम से प्रभावी ढंग से निगाह रखी जानी तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को एक तिमाही विवरणी का प्रस्तुत किया जाना।

प्रत्येक राज्य में खेल होस्टल

3470. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खेल संस्थान ने प्रत्येक राज्य में खेल होस्टल बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में अपने कुछ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ खेल छात्रावासों को संलग्न करने की एक नई योजना का प्रस्ताव दिया

है। छात्रावासों में दाखिल पुरुष/महिला खिलाड़ियों को नि:शुल्क आवास और भोजन प्रदान किया जाएगा और उन्हें क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में खेलने और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

यात्रियों को लाने ले-जाने में एयर इण्डिया की अकुशलता

3471. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जुलाई, 1985, के स्टेट्समैन में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यात्रियों को लाने ले जाने में एयर इंडिया की अकुशलता, यात्रियों की निगरानी और लदान के दौरान यात्रियों के सामान की चोरी के बारे में उल्लेख किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) सामान संभाल के बारे में एयर इण्डिया का रिकार्ड सामान्यतया अच्छा रहा है।

गुजरात के राजकोट जिले में जल प्रदूषण

3472. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राजकोट जिले में व्यापक पैमाने पर जल-प्रदूषण हो रहा है क्योंकि जैतपुर नगर से औद्योगिक प्रोसेस के अपशिष्टों के बहाव के परिणामस्वरूप भदर नदी प्रदूषित होती है;

(ख) क्या सरकार ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि धोराजी नगर के लोग बीमार हो रहे हैं; और क्योंकि इस नदी का पानी पीते हैं; और

(ग) प्रदूषण के खतरों से धोराजी और इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों की रक्षा करने के लिए क्या निवारक उपाय किए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अनुसार, इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

(ग) भदर नदी में प्रदूषकों के बहिस्राव को रोकने के उद्देश्य से, जैतपुर क्षेत्र से बहिस्रावों

के एकत्रण एवं व्ययन प्रणाली क्रियान्वित की गई है। यह प्रदूषित जल को धोराजी में जाने से रोकेगी।

नये हवाई अड्डे

3473. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितने हवाई अड्डे निर्माणाधीन हैं और प्रत्येक के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ख) राज्यवार निर्माण कार्य किन-किन वर्षों में प्रारम्भ किए गए और प्रत्येक हवाई अड्डे का निर्माण किन-किन वर्षों में पूरा होगा; और

(ग) कितने हवाई अड्डों का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम में पीछे है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) केरल में एक हवाई अड्डा नामत: कालीकट निर्माणाधीन है, जिसकी स्वीकृत लागत 114·66 करोड़ रुपये है। सातवीं योजना में 8·21 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

(ख) निर्माण कार्य अप्रैल, 1983 में शुरू किया गया था और इसके दिसम्बर 1987 तक पूरा होने की आशा है।

(ग) कुछ नहीं

कुतुब खाना असाफिया

3474. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुतुब खाना असाफिया उर्दू और फारसी की दुर्लभ पुस्तकों का सबसे बड़ा संग्रहालय है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस पुस्तकालय की हालत खराब है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इसे राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित करने का विचार है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) असाफिया पुस्तकालय आंध्र प्रदेश सरकार के नियन्त्रण में है, जिससे अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

गोरखपुर में होटल खोलना

3475. **श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर, अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों विशेषकर बुद्ध धर्मावलम्बियों के लिए पर्यटन आकर्षण का स्थल है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां सरकारी क्षेत्र में एक होटल खोलने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से गोरखपुर तक विमान सेवा बढ़ाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) कुशीनगर, श्रावस्ती, लुम्बिनी (नेपाल) और पिपरवाह की यात्रा करने वाले बौद्ध तीर्थ-यात्रियों के लिए उत्तर प्रदेश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में गोरखपुर एक महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र है।

(ख) फिलहाल भारत पर्यटन विकास निगम (आई० टी० डी० सी०) का गोरखपुर में एक होटल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत पर्यटन विकास निगम की सातवीं योजना में भी देश में कोई नया होटल खोलने के लिए कोई योजनागत प्रावधान शामिल नहीं है।

(ग) इस समय इंडियन एयर लाइंस दिल्ली-आगरा-लखनऊ-गोरखपुर रूट पर एच० एस०—748 सर्विस का सप्ताह में चार बार और कलकत्ता-वाराणसी-गोरखपुर रूट पर एफ-27 सर्विस का सप्ताह में तीन बार परिचालन करती है। इस समय उपलब्ध क्षमता मांग की पूर्ति कर रही है और गोरखपुर के लिए/से एयर सर्विस में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला

3476. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशालाएं हैं और वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) 1984-85 के दौरान इन सभी प्रयोगशालाओं पर कितना खर्च हुआ;

(ग) इन क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा 1984-85 के दौरान क्या वैज्ञानिक आविष्कार

फार्मूला अथवा अन्य खोजें की गईं; और

(घ) क्या इन अविष्कारों, फार्मूलों अथवा खोजों में से किसी को वाणिज्यिक प्रयोग में लाया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) के अन्तर्गत 6 क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशालाएं हैं जो भोपाल, भुवनेश्वर, हैदराबाद, जम्मू, जोरहाट और त्रिवेन्द्रम में स्थित हैं।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान इन क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं पर 14.32 करोड़ रुपयों का व्यय हुआ।

(ग) वर्ष 1984-85 में इन प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित नवीन अन्वेषणों के लिए 18 पेटेंटों के आवेदन फाइल किये गए। पहिले के फाइल किए गए 17 पेटेन्टों के आवेदन स्वीकार किये गए थे। वर्ष 1978-79 से 1984-85 तक 90 से अधिक पेटेन्ट आवेदन फाइल किए गए थे और 70 से अधिक प्रक्रम इन प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित किए गए थे।

(घ) इन विकसित किये गए 70 प्रक्रमों में से 60 वाणिज्यिक उपयोग के लिए उद्योग को विमोचित किए गए हैं। वर्ष 1984-85 के दौरान किये गए आविष्कारों और नवीन अन्वेषणों का वाणिज्यिक उपयोग करने में बहुत थोड़ा समय मिलेगा।

बम्बई और मद्रास से त्रिवेन्द्रम के लिए एयर इण्डिया की उड़ानें

3477. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बहुत अधिक संख्या में विदेशों में काम करने वाले केरल वासियों की सुविधा के लिए बम्बई और मद्रास से त्रिवेन्द्रम के लिए एयर इंडिया की उड़ानों को बढ़ाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) सरकार को इण्टर नेशनल केरल ट्रेवलर्स एसोसियेशन, पश्चिम जर्मनी से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें पश्चिम में उपयुक्त केन्द्रों को और वहां से जोड़ते हुए एयर इंडिया के बम्बई-मद्रास-कुआलालम्पुर-सिंगापुर और वहां से वापसी सेवाओं के मार्ग को त्रिवेन्द्रम होकर पुनः निर्धारित करने के अनुरोध किए गए हैं।

(ख) प्रचालन और क्षमता से सम्बन्धित कठिनाइयों के कारण फिलहाल एयर इंडिया की

उड़ानों को बम्बई और मद्रास से त्रिवेन्द्रम तक बढ़ाना व्यावहारिक नहीं हो सका है। बम्बई-मद्रास और त्रिवेन्द्रम के बीच इंडियन एयर लाइन्स की सुविधाजनक उड़ानें उपलब्ध हैं।

जनजातीय विकास निगम संघ की स्थापना

3478. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय आयोग द्वारा अपनी तीसरी रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि राष्ट्रीय स्तर पर एक जनजातीय विकास निगम संघ की स्थापना की जाए जो जनजातीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे राज्य स्तर के निगमों की समस्याओं को देख सके;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित अथवा प्रस्तावित इन उपर्युक्त निगमों का स्वरूप क्या होगा;

(घ) क्या अनुसूचित जनजाति का कोई संसद सदस्य इस निगम में नियुक्त किया जाएगा यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी होगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय सहकारी विपणन संघ (टी० आर० आई० एफ० ई० डी०) स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। उक्त निगम के स्वरूप तथा उप नियमों इत्यादि के ब्यौरों को तैयार किया जा रहा है तथा अभी उन्हें अन्तिम रूप दिया जाना है।

सौर ऊर्जा का उपयोग

3479. **श्री चित मोहन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों विशेषकर सौर ऊर्जा का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो इस बारे में क्या-क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि अब तक डिजाइन की गई सौर ऊर्जा जल ताप इकाइयां बहुत मंहगी और अव्यवहारिक हैं और वे लोकप्रिय भी नहीं हो सकी हैं; और

(ग) क्या बिजली पर निर्भरता कम करने के लिये घरों के लिए व्यावहारिक और उपयोगी सौर ऊर्जा जल ताप इकाइयां शीघ्र तैयार की जा सकती हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) देश में विभिन्न निर्माताओं द्वारा घरेलू प्रयोग के लिए सौर गर्म जल प्रणालियों का निर्माण अब शुरू किया जा चुका है।

एशियाड 82 पर हुआ व्यय और उससे हुई आमदनी

3480. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड 82 पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई और इस समय राजधानी में कितने मूल्य की स्थायी परिसम्पत्ति है;

(ख) एशियाड के समापन के बाद बेची गई सम्पत्ति से कुल कितनी आमदनी हुई; और

(ग) एशियाड की टिकटों की बिक्री से अधिकतम औसतन आय कितनी हुई और किस खेल से सबसे अधिक आय हुई ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) सम्बन्धित एजेंसियों से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इलैक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में नई परियोजनाएं

3481. श्री मोहन भाई पटेल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनेक नई परियोजनाएं मंजूर की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के लागू करने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा निम्नलिखित नई योजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है :

1. इलेक्ट्रॉनिकी संघटक-पुर्जा विकास कोष।

2. अनुसंधान तथा विकास और पावर सेमीकंडक्टर युक्तियों का उत्पादन केन्द्र।

3. टेलीमैटिक्स विकास तथा संवर्धन कार्यक्रम।

4. पांचवें सोपान के सुपर-मिनी कम्प्यूटर डिजाइन कार्यक्रम।

5. कम्प्यूटर नेटवर्किंग में उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम।

6. सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन कार्यक्रम।

7. उपकरण अनुरक्षण कार्यक्रम।

8. उत्पादकता तथा उत्पादन प्रौद्योगिकी के लिए इलेक्ट्रॉनिकी केन्द्र।

(ग) इन योजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा कुल 17.0 करोड़ रुपये के परिव्यय को अन्तिम रूप से अनुमोदित किया गया है, जिसमें से वर्ष 1985-86 के लिये 2.20 करोड़ रुपये निर्धारित किये गए हैं।

इन योजनागत परियोजनाओं के अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यक्रम के अन्तर्गत संघटक-पुर्जों, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी, कम्प्यूटर, यन्त्रीकरण, रेडार और इलेक्ट्रॉनिकी के अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं निरन्तर प्रारम्भ की जाती हैं।

[हिन्दी]

सोवियत रूस के साथ सांस्कृतिक करार

3482. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत रूस और कुछ अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक करारों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हमारे सांस्कृतिक कार्यकलापों के विकास में उनके द्वारा क्या योगदान दिए जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (ग) भारत ने सोवियत रूस सहित

72 देशों के साथ सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इन द्विपक्षीय सांस्कृतिक करारों में कला और संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जन-स्वास्थ्य, खेल, जनसंचार माध्यमों आदि के क्षेत्रों में भारत और सम्बन्धित देशों की संस्थाओं और संगठनों के बीच सहयोग तथा आदान-प्रदानों की व्यवस्था है। तथा यह समय-समय पर सम्पन्न 2-3 वर्ष के सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों की पद्धति के माध्यम से कार्यान्वित किये जाते हैं। इस प्रकार के आदान-प्रदान हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी कराने के अलावा हमारे सांस्कृतिक विकास से सम्बन्धित स्थिति की ओर ध्यान केन्द्रित करते हैं।

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री के विशेष दूत द्वारा नेपाल के साथ किए गए समझौते/वार्ता

3483. श्री प्रकाश चन्द्र
श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने हाल ही में नेपाल को विदेश दूत भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा के दौरान भारत और नेपाल के बीच क्या समझौते/वार्ता हुई; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रधान मन्त्री के विशेष दूत श्री पी० शिवशंकर, संसद सदस्य ने 5 जुलाई, 1985 को नेपाल नरेश महामहिम वीरेन्द्र से भेंट की और इस अवसर पर पारस्परिक हित के क्षेत्रों से सम्बद्ध कई विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। इनमें आपसी सुरक्षा सम्बन्धी विषयों, नेपाल में हाल की आतंकवाद की घटनाओं और नेपाल में महेन्द्र राज मार्ग के पूर्व-पश्चिमी भाग के निर्माण में नेपाल की सहायता करने के लिए भारत के अनुदान की पेशकश की चर्चा की गई। उनकी इस यात्रा के दौरान कोई औपचारिक करार सम्पन्न नहीं हुआ।

राज्य संवर्गों में राज्य से बाहर के आई० ए० एस०/आई० पी० एस० अधिकारी

3484. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय का कोई निर्णय लिया है कि प्रत्येक राज्य में 50 प्रतिशत आई० ए० एस०/आई० पी० एस० अधिकारी राज्य से बाहर के होने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब से लागू किया गया है;

(ग) उन राज्य सरकारों के नाम, यदि कोई हों, क्या हैं जिन्होंने इस निर्णय को कार्यान्वित किए जाने का विरोध किया है और इस सम्बन्ध में उनके विरोध किए जाने के कारण क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस निर्णय को एक समान रूप से लागू किया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) वर्ष 1984 तक केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करती रही है कि किसी विशेष संवर्ग को आवंटित कम से कम 50 प्रतिशत अधिकारी सम्बन्धित राज्य से बाहर के हों। राज्य सेवाओं से पदोन्नति कोटा 33⅓ प्रतिशत है और इस प्रकार संवर्ग की कुल पद संख्या में बाहर के व्यक्तियों का अनुपात काफी कम हो जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, जुलाई, 1984 में यह निर्णय किया गया था कि राष्ट्रीय एकता तथा प्रशासन में और अधिक कुशलता लाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय सेवाओं के सीधी भर्ती कोटे में "बाहरी व्यक्तियों" के अनुपात को बढ़ाकर 66⅔ प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक संवर्ग में "बाहर के व्यक्तियों" तथा "संवर्ग के व्यक्तियों" के बीच समग्र अनुपात में सुधार हो सके। इस संशोधित प्रतिशतता को वर्ष 1984 से शुरू हुए सीधी भर्ती के बैच से लागू किया गया है।

परिस्थितिकीय तदुद्देश्यीय दलों का कार्यकरण

3485. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थापित परिस्थितिकीय तदुद्देश्यीय दलों के कार्यकरण और विस्तार के सम्बन्ध में क्या प्रगति है;

(ख) क्या कुछ और राज्यों ने इन तदुद्देश्यीय दलों की स्थापना के लिए मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) इस समय दो पारिस्थितिकीय कृतिक बल कार्य कर रहे हैं। राज्य के वन विभाग द्वारा बनाए गए जलसंभर प्रबन्ध के कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु पारि कृतिक बल (टी० ए०-127) को जनवरी, 1983 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर ब्लाक में मोहन्द पास के सन्निकट कार्य पर लगाया गया था। इसके बाद, इस परियोजना में संशोधन किया गया तथा पारिस्थितिकीय कृतिक बल ने मार्च, 1985 में इस परियोजना को पूरा कर दिया था एवं क्यारकुली ब्लाक में खनन क्षेत्रों के सुधार हेतु अब इसे मसूरी के ढालुओं पर ले जाया गया है। इस कृतिक बल में 243 आदमी काम कर रहे हैं तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसकी संख्या 443 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

दूसरे कृतिक बल (टी० ए०-128, को जुलाई, 1983 में राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के बाएं किनारे पर वनीकरण, बालू के टीलों को स्थाई करने के लिए एवं चरागाह विकास के कार्यों में लगाया गया था। इस कृतिक बल में इस समय 668 आदमी काम कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश के किन्नोर एवं लाहुल स्पिति क्षेत्र में एक कृतिक बल को काम पर लाने से पूर्व ही, पौधालयों की एक शृंखला बनाई गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा महाराष्ट्र राज्यों से कृतिक बलों की स्थापना की परियोजना रिपोर्टें मिली हैं। केरल एवं सिक्किम राज्यों से भी पूछताछ की गई है। इन पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

उड़ीसा में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास के लिए अमरीकी सहायता

3486. श्री के० प्रधानी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए संयुक्त राज्य अमरीका ने उच्च प्रौद्योगिकी का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या केन्द्र ने भुवनेश्वर में क्षेत्रीय सुपर कम्प्यूटर संस्थापित करने और राज्य की राजधानी को "सॉफ्टवेयर सिटी" के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) क्या इसके लिए कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग और प्रयोग के विषय में सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाएगा, यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रॉनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) कुछ अमरीकी कम्पनियों ने उड़ीसा में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी जानकारी प्रदान करने की पेशकश की है।

(ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने भुवनेश्वर में एक क्षेत्रीय सुपर कम्प्यूटर स्थापित करने का निर्णय किया है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने उड़ीसा सरकार के साथ चर्चा की थी और उड़ीसा सरकार ने सुपर कम्प्यूटर लगाने के लिए एक भवन की विशिष्ट रूप से व्यवस्था की है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा यह भवन शीघ्र ही अपने अधीन कर लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकी तथा कम्प्यूटरों के उपान्त उपस्करों (पैरीफेरलों) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास के लिए उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर के चान्दका नामक स्थान पर 100 एकड़ जमीन की विशिष्ट रूप से व्यवस्था की है।

(ग) जी, हां। इसके लिए कम्प्यूटर प्रोग्रामन और अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

"कम्प्यूटरों का परिचय" नामक विषय पर पहला प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अगस्त के अन्तिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा जिसमें उस क्षेत्र के अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों के भी भाग लेने की सम्भावना है।

उदार इलेक्ट्रॉनिकी नीति

3487. **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक एककों को नए सिरे से प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले सत्र में सभा में घोषित उदार इलेक्ट्रॉनिकी नीति के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री, (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की प्रगति एवं उसके विकास के लिए अनेक प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है। जिनमें लाइसेंस नीतियों को उदार बनाना, खुले सामान्य लाइसेंस तथा शुल्क में रियायत शुल्क के अन्तर्गत कई पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना, रियायती शुल्क पर कच्ची सामग्रियों तथा संघटक पुर्जों का आयात करना, आदि शामिल है। यह आशा की जाती है कि इसके फलस्वरूप, योजनानुसार इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की प्रगति एवं उसके विकास के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

(ग) मार्च, 1985 को संसद में एकीकृत नीति की घोषणा की गई थी। हाल ही में घोषित उदारीकरण की इस नीति का क्या प्रभाव पड़ा है, अभी इसका मूल्यांकन करना कठिन है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

बंगलादेश को विमान द्वारा आवश्यक दवाइयां पहुंचाना

3488. **श्री नारायण चौबे** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक दवाइयों के 200 पैकिटों को विमान द्वारा बंगलादेश ले जाने में विलंब हो गया था जैसा कि 6 जून, 1985 के स्टेट्समैन (कलकत्ता) में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) खबर सही नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए परिव्यय

3489. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 के दौरान (1) अनुसंधान और प्रशिक्षण, (2) अनुसूचित जनजातियों के लिए कन्या छात्रावास और (3) स्वयंसेवी संगठनों को सहायता के तीन केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ख) उड़ीसा को कितनी राशि आवंटित की गई है और उन गैरसरकारी स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें सहायता दी गई है अथवा दी जा रही है तथा कितनी राशि दी गई है;

(ग) अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए भी छात्रावास योजना का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर लड़कियों और लड़कों के छात्रावास बनाये गये हैं ;

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) वर्ष 1985-86 के लिए अनुसूचित जातियों के लिए तीन केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों का आवंटन निम्न प्रकार से है :—

क्रम सं०	योजना	1985-86 के लिए कुल आंबटन
		(रु० लाखों में)
1.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	75.00
2.	कन्या छात्रावास	150.00
3.	स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	75.00

अनुसंधान और प्रशिक्षण और कन्या छात्रावासों के संबंध में राज्यवार आबंटनों पर, राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया जाता है। उड़ीसा के लिए आबंटन पर राज्य सरकार से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना के अन्तर्गत कोई राज्यवार आंबटन नहीं किया जाता है। संगठनों को अनुदान सीधे दिया जाता है। उड़ीसा में जनजातियों में कल्याण कार्य करने के लिए 1984-85 में जिन संगठनों को सहायतानुदान दिया गया वे इस प्रकार हैं :—

1. ग्रामीण विकास के लिए	
टैगोर सोसाइटी	2,15,600.00
2. भारतीय आदिमजाति	
सेवक संघ (वनवासी सेवा	
समिति वालिगुडा के लिए)	13,640.00
3. निखिल भारत वनवासी	
पंचायत	1,89,136.00

(ग) अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए छात्रावास का निर्माण करने के लिए कोई केन्द्रीय क्षेत्र योजना नहीं है।

(घ) राज्यों में संस्थानों के विशिष्ट स्थानों के बारे में कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

अन्तर्राज्यीय विवादों के लिए अंतर्राज्यीय परिषद

3490. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में केन्द्र और राज्यों के बीच और अन्तर्राज्यीय विवादों से निपटने में अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना में सरकार की असफलता की ओर ध्यान दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो इस असफलता के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना हेतु संविधान के उपबंध को शीघ्र कार्यान्वित किया जायेगा और कई अन्तर्राज्यीय विवादों को हल कर लिया जायेगा;

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) प्रशासनिक सुधार आयोग ने अन्तर्राज्यीय परिषद स्थापित करने में सरकार की असफलता की बात नहीं कही है बल्कि सिफारिश की है कि संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन एक अन्तर्राज्यीय परिषद गठित की जाए।

(ग) उक्त सिफारिश की जांच की गई थी और यह निर्णय किया गया कि चूंकि पहले ही पर्याप्त व्यवस्था विद्यमान है इसलिये कोई अन्तर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

अन्य देशों के साथ डिगरियां लागू करने के बारे में प्रबन्ध

3491. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय दीवानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दी गई डिगरियों को लागू करने के लिए अन्य देशों, विशेषकर अमरीका के साथ पारस्परिक प्रबन्ध करने में असफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदर्भ और मराठवाड़ा के लिये सांविधिक विकास बोर्ड

3492. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र विधान सभा ने विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अन्तर्गत सांविधिक विकास बोर्ड की स्थापना संबंधी संकल्प पारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों के लिए सांविधिक विकास बोर्ड की स्थापना को स्वीकृति देने का अनुरोध किया है।

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें राज्य विधान सभा के दोनों सदनों द्वारा पारित संकल्प के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 371 (2) के उपबंधों के अन्तर्गत विदर्भ, मराठवाड़ा तथा शेष महाराष्ट्र के लिए अलग-अलग विकास बोर्डों को स्थापित करने बारे में सिफारिश की गई थी।

(ग) तथा (घ) महाराष्ट्र सरकार से प्रस्तावित विकास बोर्डों को स्थापित करने की योजना का समुचित मसौदा भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इसके भेजे

जाने की प्रतीक्षा है। इस स्थिति में यह कहना संभव नहीं होगा कि ये बोर्ड कब तक स्थापित किये जायेंगे।

डाक्टरों की उपाधि-धारकों के लिए उद्योग में बेहतर अवसर प्रदान करना

3493. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे विशुद्ध विज्ञान में डाक्टरों की उपाधि-धारक सामान्य विज्ञान क्षेत्र में कार्यकरण अच्छा समझते हैं तथा औद्योगिक क्षेत्र में हतोत्साहित महसूस करते हैं तथा औद्योगिक एककों में केवल 10 प्रतिशत डाक्टर उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले को उद्योग मंत्रालय के साथ उठाया गया है कि हमारे उद्योगों के हित में उन्हें अधिक लाभकारी अवसर दिये जाने चाहियें जबकि हम विदेशों में कार्यरत वैज्ञानिकों को वापस बुलाने का हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या यह मामला शीघ्र ही उद्योग मंत्रालय के साथ उठाया जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा देश की अनुसंधान एवं विकास स्थापनाओं, जिनमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उद्योग सम्मिलित हैं, जिनमें मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानान्तर्गत अनुसंधान एवं विकास इकाईयां हैं, में नियोजित विज्ञान और प्रौद्योगिकी डाक्टरेटों का एक नमूना अध्ययन हाल ही में किया गया था। इस अध्ययन के परिणामों से यह निष्कर्ष निकला कि जिन उद्योगों को नमूना अध्ययन में सम्मिलित किया गया उनमें से लगभग 9 प्रतिशत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी डाक्टोरेट्स कार्यरत हैं।

(ग) और (घ) यह रिपोर्ट उद्योग मंत्रालय सहित केन्द्र सरकार के सभी विभागों एवं राज्य सरकारों को भेज दी गयी है।

हिन्द महासागर संसाधनों के उपयोग के लिए कोलम्बो सम्मेलन

3494. **श्री सनत कुमार मंडल**
श्री जी० एम० बनातवाला
श्री जी० जी० स्वैल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर संसाधनों के उपयोग के लिए श्रीलंका द्वारा गत माह कोलम्बो में बुलाये गये सम्मेलन में भारत ने भाग नहीं लिया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार—विमर्श किया गया और हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाने के विषय पर तटवर्ती राज्यों में मतभेद कराने की इच्छुक कुछ बड़ी शक्तियों ने इसमें क्या भूमिका निभाई;

(ग) क्या भारत हिन्द महासागर क्षेत्र में समुद्री संसाधनों के उपयोग का कार्य जारी रखेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां। कोलम्बो में 15 से 20 जुलाई, 1985 तक नई समुद्री व्यवस्था के सन्दर्भ में तटवर्ती मामलों के क्षेत्र में हिन्द महासागर में आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी जो सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत ने भाग नहीं लिया था।

(ख) सरकार को उस बैठक के निष्कर्षों के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें हिन्द महासागर का नौवहन के उद्देश्य से उपयोग करने वाले कुछ प्रमुख देशों ने भाग लिया था। सरकार का विचार यह है कि इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि हिन्द महासागर को अविलम्ब शांति का क्षेत्र घोषित करने से संबद्ध घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए सम्मेलन अविलम्ब बुलाने की कोशिश की जाए। यह सम्मेलन ही सबसे महत्त्वपूर्ण है। ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे इस मुख्य उद्देश्य को धक्का लगे।

(ग) और (घ) भारत ने, जिसे समुद्री कानून सम्बन्धी तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा प्रस्ताव 2 के संदर्भ में 30 अप्रैल 1982 को मुख्य निवेशक का दर्जा दिया गया है, अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण संबंधी तैयारी आयोग को हिन्द महासागर क्षेत्र में खान भूमि के पंजीकरण और आबंटन के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है। पंजीकरण के नियमों को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद भारत के आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा। इस मामले पर आगे कार्रवाई चल रही है।

काबुल समझौते के लिए संयुक्त राष्ट्र की पहल

3495. **श्री बी० वी० देशाई** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने काबुल समझौते के लिये संयुक्त राष्ट्र से पहल करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया है कि अमरीका तथा

सोवियत संघ के दोनों ही इस मामले को हल करने के इच्छुक हैं;

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान अमरीका और सोवियत संघ के नेताओं के साथ इस मामले को उठाया था और उनसे चर्चा की थी;

(घ) क्या कोई सौहार्दपूर्ण समझौता होने की संभावना थी;

(ङ.) क्या पाकिस्तान ने अफगान समस्या के समाधान के लिये अमरीका से सीधी बातचीत का सुझाव दिया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (च) भारत का हमेशा से यही मत रहा है कि अफगान स्थिति से संबंधित सभी मामले केवल बातचीत करके राजनीतिक समाधान के माध्यम से सुलझाये जा सकते हैं। तदनुसार सरकार ने इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की पहलकदमी का समर्थन किया है। प्रधान मंत्री की सोवियत संघ और अमरीका यात्रा के दौरान सोवियत और अमरीकी नेताओं के साथ विचार-विमर्श में इस संबंध में हमारे विचारों को दोहराया गया।

इस मामले पर सान्निध्य वार्ता का पांचवा दौर 27 अगस्त को जेनेवा में शुरू हो रहा है। सरकार इसकी सफलता की कामना करती है।

(ङ.) अफगानिस्तान की स्थिति के संबंध में पाकिस्तान और अमरीका के बीच बराबर परामर्श चल रहा है।

महाराष्ट्र में "हाल्बा" समुदाय में रोष

3496. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र राज्य में "हाल्बा" समुदाय में भारी रोष व्याप्त है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि महाराष्ट्र सरकार ने उक्त समुदाय को मिलने वाली सुविधाओं को समाप्त कर दिया है;

(ग) क्या "हाल्बा" समुदाय भी गत अनेक दशकों से वही सुविधाएं प्राप्त कर रहा था जो अनूसूचित जनजातियों को प्राप्त है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को भी उक्त समुदाय को अनुसूचित जन-जातियों की सूची में शामिल करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और केन्द्रीय सरकार का उक्त समुदाय की अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने के लिए कब आदेश जारी करने का विचार है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) समय-समय पर यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के संबंध में केवल हाल्बा, हाल्बी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। "हाल्बा कोशटी" को अनुसूचित जनजाति मानने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार ने अनजाने में हाल्बा कोशटी को अनुसूचित जनजाति घोषित करते हुए एक आदेश जारी किया था जिन्होंने आदेश को भारत सरकार के ध्यान में लाये जाने के बाद इसको वापस ले लिया। वास्तव में यह आदेश भारत के संविधान के विरुद्ध था क्योंकि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत ऐसा आदेश जारी करने की कोई शक्ति नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप कोशटी मूल के हाल्बा समुदाय के लोगों द्वारा प्राप्त रियायतों जैसे निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियां, सेवाओं में आरक्षण आदि को वापस ले लिया गया था।

(घ) लोक हित में महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त टिप्पणियों को नहीं बताया जा सकता।

(ङ) उक्त प्रस्ताव को अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ इस मामले में अनुसरण किए जाने वाले संबंधित मानदण्ड के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के संदर्भ में विचार किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों की टिप्पणियों की अभी प्रतीक्षा है। सभी राज्य सरकारों से पूरी टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद इस मामले में अन्तिम दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341(2) और 342(2) की दृष्टि से केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

नासिक में बायोगैस केन्द्र की स्थापना

3497. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन का नासिक में एक राष्ट्रीय बायोगैस केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) नासिक के अपने वर्तमान केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में "बायोगैस प्रशिक्षण केन्द्र" के भवन-निर्माण के लिए ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत आयोग ने खादी ग्रामोद्योग आयोग को 25 लाख रुपए की राशि के

आबंटन की स्वीकृति दी है। इस प्रयोगजन के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग को एक लाख रुपए की राशि पेशगी के रूप में पहले ही दी जा चुकी है।

परमाणु विद्युत परियोजनाओं में कामगारों की मांगें

3498. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलपाक्कम स्थित मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के कामगारों तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच उपयुक्त कामगारों की मांगों के बारे में लम्बे अरसे से विवाद चल रहा है;

(ख) यदि हां तो क्या प्रमुख विवाद प्रोत्साहन बोनस योजना लागू करने के बारे में है;

(ग) क्या तमिलनाडु परमाणु विद्युत कर्मचारी संगठन ने 26 जून, 1985 को हड़ताल करने की सूचना दी है; और

(घ) कामगारों की मांगों को शीघ्र मैत्रीपूर्ण ढंग से हल करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना कर्मचारी यूनियन (तमिलनाडु परमाणु विद्युत कर्मचारी यूनियन) ने 26-5-85 को हड़ताल का नोटिस दिया था। तथापि, मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के कर्मचारियों की इस मांग का समाधान कि प्रोत्साहन बोनस योजना लागू की जाए कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके मैत्रीपूर्ण ढंग से निकाला गया तथा प्रबन्धकों ने और मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना कर्मचारी यूनियन ने समझौते के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

फ्रांस में भारत महोत्सव से "मुन्ना" भालू का अपहरण

3499. **श्री इन्द्र जीत गुप्त** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाचने वाला मुन्ना नामक भालू जो भारत महोत्सव के लिए पेरिस ले जाया गया था फ्रांस में अपने प्रवास के दौरान गुम हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि मुन्ना का कुछ "पशु प्रेमियों" द्वारा अपहरण कर लिया गया था;

(ग) "मुन्ना" के रखवाले का जो उसके अपहरण को रोकने में असफल रहा क्या हुआ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) भारतीय होटल निगम द्वारा, भारतोत्सव के उद्घाटन मेले में जिसके वे खान-पान प्रबन्धक थे, प्रदर्शन के लिए और बाद में उनके पेरिस स्थित रेस्तरा में प्रदर्शन के लिए नृत्य करने वाला मुन्ना नामक भालू पेरिस भेजा गया था और यह फ्रांस में गुम हो गया।

(ख) अपने आपको "ओपरेशन विक्टर ह्यूगो" बतलाने वाले एक दल ने समाचार पत्रों में इसका अपहरण करने का दावा किया।

(ग) मुन्ना और उसका रखवाला 1 अगस्त, 1985 को भारत वापस आ गये।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

कथपुदियाछीना सेराघाट के बीच मोटर सड़क का निर्माण

3500. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कथपुदियाछीना सेराघाट के बीच मोटर सड़क के निर्माण के कारण वृक्षों और वन भूमि को नुकसान पहुंचा है;

(ख) क्या उन्हें इस तथ्य का भी पता है कि इस सड़क पर लाखों रुपये खर्च किए जा चुके हैं परन्तु वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवश्यक मंजूरी न मिल पाने के कारण यह सड़क गत पांच वर्षों में केवल आधी ही बनी है; और

(ग) इस सड़क को पूरा करने के लिए कब तक आवश्यक मंजूरी मिलने की संभावना है;

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अल्मोड़ा जिले में कथपुदियाछीना सेराघाट सड़क के निर्माण के लिए 2.208 हैक्टेयर वन भूमि को बदलने की मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। वन भूमि का उपयोग करने से बचते हुए सड़क को बनाने के सुझाव के उत्तर में उन्होंने सूचित किया था कि वन भूमि के एक भाग सहित सड़क की कुछ लम्बाई पूरी की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि सड़क को अभी आगे पूरा किया जाना है। चूंकि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अपेक्षित वन भूमि को बदलने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्ण मंजूरी प्राप्त नहीं की गयी थी, अतः अधिनियम के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई तथा भविष्य में ऐसे उल्लंघन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किए गए उपायों के बारे में सूचित करने के लिए राज्य सरकार से कहा गया था। राज्य सरकार की सूचना की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

नेहरू युवक केन्द्र का कार्यक्षेत्र

3501. **श्री हरीश रावत** : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू युवक केन्द्र के कार्यक्षेत्र के विस्तार और उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाने की कोई योजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) हाल ही में नेहरू युवक केन्द्रों के कार्यकलापों का क्षेत्र बढ़ाया गया है और चरित्र निर्माण, संस्कृति तथा शारीरिक उपयुक्तता के विकास पर बल देते हुए मार्गदर्शी रूपरेखाओं का एक नया सैट इस सन्दर्भ में जारी किया गया है। मार्गदर्शी रूपरेखाओं के कार्यान्वयन को सुसाध्य बनाने को ध्यान में रखकर प्रत्येक केन्द्र का वार्षिक बजट 1.22 लाख रुपये से 1.68 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है।

बरेली को वायु सेवा से जोड़ना

3502. **श्री हरीश रावत** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली को वायु सेवा से जोड़ने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वायुसेवा कब से शुरू किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बरेली को विमान सेवा से जोड़ने के लिए इंडियन एयरलाइन्स की कोई योजना नहीं है। वायुदूत इस समय अपने विस्तार की पहली अवस्था में पहले से ही चुने गए स्टेशनों को विमान सेवाएं उपलब्ध करवाने में लगी हुई है तथा इसलिए इसका इस समय बरेली को विमान सेवा द्वारा जोड़ने का इरादा नहीं।

[हिन्दी]

वन क्षेत्रों का सफाया

3503. श्री विष्णु मोदी
श्री शांति धारीवाल } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जून, 1985 को "जन सत्ता" में देश के वन क्षेत्रों का चिंताजनक सफाया शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा एकत्रित आंकड़ों और उपग्रह द्वारा भेजे गए आंकड़ों के बीच अन्तर के बारे में सरकार का क्या मत है;

(घ) क्या सरकार निर्वनीकरण से चिंतित है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार की प्रतिक्रिया प्रश्न के भाग (ङ) के उत्तर में दर्शायी गई है।

(ग) सरकार द्वारा पहले समेकित किए गए आंकड़ों से वनों के रूप में कानूनी रूप से घोषित क्षेत्र की सीमा का पता चलता है जबकि राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी ने वनों के अन्तर्गत क्षेत्र की सीमा का मूल्यांकन करने के लिए उपग्रह से लिए गए प्रतिबिम्बों का उपयोग किया है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी ने दो अवधियों अर्थात् 1972-75 और 1980-82 के बीच 91.70 लाख हैक्टेयर वन क्षेत्र की हानि का भी निर्धारण किया है। अनुमानों का विश्लेषण और परिशोधन किया जा रहा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) वनों को कटाई से बचाने और वनों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित ठोस कदम उठाए गए हैं :—

(1) वनों की अनधिकृत कटाई को रोकने के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 और विभिन्न अन्य अधिनियमों को लागू करना।

(2) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को लागू करना।

(3) अधिकतर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में वनों के कार्यकलापों में ठेकेदारों की एजेंसी को समाप्त करना।

(4) दीर्घकालीन हल ढूंढने की दृष्टि से वनों में चराने, अनधिकार-प्रवेश करने और "झूम खेती" की समस्याओं का गहन अध्ययन।

(5) लुगदी और लकड़ी की खपची पर आयात कर की छूट दी गई है तथा कुछ विशेष आकारों की लकड़ी पर आयात कर 10 प्रतिशत यथामूल्य तक घटा दिया गया है।

(6) लकड़ी के स्थान पर अन्य उत्पादों के प्रतिस्थापन पर अध्ययन करने के लिए एक अन्तर मंत्रालयी दल की स्थापना की गई है।

(7) ईंधन की लकड़ी और चारे के पौधों के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 50 लाख हैक्टेयर भूमि लाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। वन रोपण हेतु एक जन आंदोलन विकसित किया जा रहा है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में वन रोपण और संरक्षण के सम्बन्ध में प्रयास तीव्र किये जा रहे हैं।

(8) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे जैव गैस और ईंधन की बचत करने वाले यंत्र जैसे उन्नत चूल्हों, सौर कुकरों और पानी गर्म करने वाली प्रणालियों, धूप में लकड़ी को पका कर तैयार करने की भट्टियों इत्यादि को लोकप्रिय बनाना।

[अनुवाद]

विदेशी सहयोग से टेलीविजन सैटों का निर्माण

3504. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि देश में रंगीन टेलीविजन के निर्माता रंगीन टेलीविजन के निर्माण क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों (एम० एन० सीज०) के प्रवेश का जोरदार विरोध कर रहे हैं, जैसाकि 22 जुलाई, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में एक समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस समाचार के विरुद्ध 23 जुलाई, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित देश के निर्माताओं की प्रतिक्रिया को भी देखा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश के टेलीविजन निर्माताओं को 1983 में दिये आश्वासन, कि रंगीन टेलीविजन के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों तथा विदेशी ब्रांड नामों की अनुमति नहीं दी जाएगी, से मुकर जाने के क्या कारण हैं;

(घ) जैसाकि देश के टेलीविजन निर्माताओं ने आरोप लगाया है, क्या विदेशी शेयरों की

भागीदारी वाली भारतीय कम्पनियां लघु क्षेत्र के निर्माताओं द्वारा निर्मित टेलीविजन सैटों को अधिक कीमत लगाकर बेच रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) रंगीन दूरदर्शन रिसीवर सैटों के लिए फरवरी, 1983 में घोषित औद्योगिक एवं लाइसेंसिंग नीति के अनुसार उद्योग के सभी क्षेत्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। किन्तु रंगीन दूरदर्शन के विनिर्माण के लिए विदेशी साम्यापूंजी वाली कम्पनियों को अनुमति नहीं दी गई थी।

"इलेक्ट्रोनिकी से सम्बन्धित नीति पर एकीकृत उपाय" के अन्तर्गत संसद में दिनांक 21 मार्च, 1985 को घोषित नीति के अनुसार 40 प्रतिशत अथवा उससे कम विदेशी साम्या-पूंजी वाली भारतीय कम्पनियों को इलेक्ट्रोनिकी के किसी भी क्षेत्र, जो संगठित क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के लिए खुले हैं, में उत्पादन पर अब केवल इसी कारण प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकेगा कि उनके पास विदेशी साम्या-पूंजी है। सरकार की राय में यह नीति रंगीन दूरदर्शन के विनिर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के बजाए गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी में सुधार के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों का बेहतर ख्याल रखेगी।

(घ) और (ङ) भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह पहलू भी शामिल है। यह अभ्यावेदन सरकार के विचाराधीन है।

रंगीन टी० वी० पिक्चर ट्यूब का निर्माण

3505. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में रंगीन टी० वी० पिक्चर ट्यूब के निर्माण के लिए एक कार्यक्रम बनाया है;

(ख) क्या इस योजना से विदेशी मुद्रा में बचत और रंगीन टी० वी० के मूल्यों में कमी होगी;

(ग) क्या इस योजना में ट्यूब के लिए ग्लासशेल बनाना भी शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो इस निर्माण के लिए किन व्यक्तियों को लाइसेंस दिए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। देश में रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों का विनिर्माण करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) रंगीन पिक्चर ट्यूबों के लिए ग्लासशेलों का विनिर्माण करने की इस समय कोई योजना नहीं है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

नागपुर में साईंस स्पार्क स्कीम आरम्भ करना

3506. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर शहर (महाराष्ट्र राज्य) में साईंस स्पार्क योजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और उक्त योजना नागपुर शहर में कर आरम्भ की जाएगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नागालैंड की राष्ट्रीय समाजवादी परिषद के विद्रोहियों द्वारा व्यक्तियों का अपहरण

3507. **श्री बी० बी० देसाई**
श्री बी० तुलसी राम } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड की राष्ट्रीय समाजवादी परिषदी के विद्रोहियों द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले के लाजु मंडल गांवों से 16 व्यक्तियों का अपहरण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत बर्मा सीमा से सक्रिय नागालैंड राष्ट्रीय समाजवादी परिषद् के उग्रवादियों ने क्षेत्र में अपनी आतंकवादी गतिविधियां हाल में और तेज कर दी हैं तथा वे जबरन कर वसूली तथा स्थानीय ग्रामीणों के अपहरण की हरकत कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन उग्रवादियों को पकड़ने के लिए पड़ोसी देश बर्मा से सहायता मांगी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्। तिराप

जिले से 16 व्यक्तियों का अपहरण किया गया।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

जम्मू और कश्मीर के लिए पर्यटक यातायात में कमी

3508. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर जम्मू और कश्मीर में विदेशी पर्यटकों के आगमन में वर्ष 1985 के दौरान अनुदानों की तुलना में काफी तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो यह वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1 जनवरी, 1985 से 30 जून, 1985 में पर्यटक यातायात से किस प्रकार तुलनीय है;

(ग) कम पर्यटकों के आने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितना धन आवंटित किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान तथा जून, 1985 तक पाकिस्तान और बंगला देश के राष्ट्रिकों को छोड़कर विदेशी पर्यटक आगमनों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं : —

वर्ष	विदेशी पर्यटक आगमन	प्रतिशत अन्तर
1983	8,84,731	2.9
1984	8,52,503	— 3.6
1985 (जून तक)	3,86,489	— 11.3*

* गत वर्ष की तत्सम्बन्धी अवधि की तुलना में।

1985 के पूर्वार्ध के दौरान विदेशी पर्यटक आगमनों में आई समग्र गिरावट ने जम्मू व कश्मीर में आने वाले पर्यटक यातायात को भी प्रभावित किया है।

(ग) 1984-85 के दौरान पर्यटकों की संख्या में गिरावट भारत में हुई विभिन्न घटनाओं की विदेशों में प्रतिकूल मीडिया-पब्लिसिटी और कुछ पड़ोसी देशों में बिगड़े हुए राजनैतिक हालात के कारण आई है।

(घ) सरकार ने इंटरनेशनल मीडिया में हुए प्रतिकूल प्रचार को प्रभावहीन करने और विदेशों में भावी पर्यटकों में विश्वास पैदा करने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं। देश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर सुख-सुविधाएं/सुविधाएं प्रदान करने हेतु उठाए गए कदमों में समुद्र-तट विहार-स्थलों का विकास, हिमालय ट्रेकिंग तथा जल क्रीड़ाओं के लिए दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार, राष्ट्रीय-विरासत के क्षेत्रों का परिरक्षण, स्मारकों पर प्रकाशपुंज व्यवस्था, बौध-परिपथों पर सुविधाओं का विकास, स्थल-परिवहन की क्वालिटी में सुधार तथा वन्य-जीव पर्यटन का विकास शामिल हैं।

(ङ) वर्ष 1984-85 के दौरान 5.29 करोड़ रुपये के योजनागत व्यय की तुलना में वर्ष 1985-86 के लिए पर्यटन संवर्धन हेतु केन्द्रीय विभाग का योजनागत आबंटन 13.82 करोड़ रुपये है।

आदिवासी क्षेत्रों का विकास

3509. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 1985-86 के दौरान आबंटित की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए आबंटित धनराशि उपयुक्त समय पर नहीं दी जा रही है और इसके कारण कार्य की प्रगति रुक रही है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए आवंटित धनराशि को तत्काल वितरित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि आदिवासी क्षेत्रों को विकास कार्य पर कोई असर न पड़े ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए निर्धारित विशेष केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विशेष केन्द्रीय सहायता चार तिमाही किस्तों में दी जाती है। 1985-86 के लिए पहली

किस्त मई, 1985 में दी गई थी। इस सम्बन्ध में किसी राज्य सरकार से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

वर्ष 1985-86 के लिए 140 करोड़ रुपये के आवंटन का राज्यवार और योजनावार विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आई० टी० डी० पी०	आदिम जाति	जनजाति बाहुल्य वाले खण्ड (एम०ए०डी०ए०)	कुल
1	2	3	4	5	6
			(रु० लाख में)		
1.	आन्ध्र प्रदेश	519.20	54.00	129.00	702.20
2.	असम	624.89	—	—	624.89
3.	बिहार	1681.39	56.00	208.00	1945.39
4.	गुजरात	993.25	10.00	115.00	1118.25
5.	हिमाचल प्रदेश	192.90	—	12.00	204.90
6.	कर्नाटक	123.13	5.00	—	128.13
7.	केरल	61.57	8.00	—	69.57
8.	मध्य प्रदेश	3312.00	110.00	502.00	3924.00
9.	महाराष्ट्र	822.92	55.00	62.00	939.92
10.	मणिपुर	244.21	5.00	—	249.21
11.	उड़ीसा	1661.23	55.00	168.00	1884.23
12.	राजस्थान	595.13	8.00	300.00	903.13

1	2	3	4	5	6
13.	सिक्किम	38.99	—	—	38.99
14.	तमिलनाडु	133.39	12.00	—	145.39
15.	त्रिपुरा	211.37	16.00	—	227.37
16.	उत्तर प्रदेश	13.34	10.00	4.00	27.34
17.	पश्चिम बंगाल	554.09	25.00	—	579.09
18.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	12.00	18.00	—	30.00
19.	गोवा, दमन और द्वीव	5.00	—	—	5.00
	कुल जोड़	11800.00	447.00	1500.00	13747.00
	आरक्षित	—	53.00	—	53.00
	कलेस्टर अप्रोच (रिजर्व)	—	—	—	200.00
		11800.00	500.00	1500.00	14000.00

पश्चिमी तटीय पारिस्थितिकी को प्रदूषण से खतरा

3510. **श्रीमती किशोरी सिंह**
श्री शांता राम पोतदुखे } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 23 जुलाई, 1985 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पश्चिमी तटीय पारिस्थितिकी को प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या इस प्रदूषण से तटीय क्षेत्र में मछलियों और अन्य समुद्री जीवों अथवा जलचरों के जीवन को खतरा है; और

(घ) क्या इससे मछली प्राप्ति पर भी प्रभाव पड़ा है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं :—

—तटवर्ती क्षेत्रों की पारिस्थितिकी को विघ्न किए बिना सतत् विकास सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार को तटवर्ती प्रबन्ध योजनाएं तैयार करने के लिए सलाह दी गई है।

—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियस, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि आधारित स्रोतों से निस्सरणों को नियमित करने के लिए उपाय उठाये जाते हैं।

—तट-रक्षक प्राधिकारियों के द्वारा तेल के छितराव पर नियंत्रण रखा जाता है।

—औद्योगिक तथा खनन गतिविधियों से प्रदूषण निवारण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए गए हैं।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है।

मैक्सिको में वनों के बारे में सम्मेलन

3511. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जून, 1985 में मैक्सिको में वनों पर हुए सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया और क्या-क्या सिफारिशें की गईं; और

(ग) सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर भारत का मुख्य दृष्टिकोण क्या था ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) जी, हां।

राज्य मंत्री (पर्यावरण और वन) के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने 1 से 10 जुलाई, 1985 तक मैक्सिको में हुई 9वीं विश्व वानिकी कांग्रेस में भाग लिया था।

(ख) विचार-विमर्श किए गए मुद्दों में वन वर्धन और प्रबन्ध वन संसाधनों और वन्य जीवों का संरक्षण और सुरक्षा, वानिकी पर विकास का प्रभाव, उत्पादन का स्तर, उपयुक्त प्रौद्योगिकी और वन उद्योगों का एकीकरण; और वन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, शिक्षा, प्रशासन, नीति तथा विधि निर्माण को शामिल किया गया। सम्मेलन में की गई सिफारिशों में वानिकी क्षेत्र को समाज के

विकास का एक अभिन्न अंग बताया गया, जो अपनी उत्पादकता और सामाजिक क्षमता का पूर्ण उपयोग करके ग्रामीण और शहरी दोनों समुदायों को योगदान दे रहा है।

(ग) सम्मेलन में भारतीय दल ने उपर्युक्त सिफारिशों का समर्थन किया और इस बात पर भी बल दिया कि पर्यावरण की क्वालिटी, सामाजिक कल्याण तथा आर्थिक विकास वानिकी के मुख्य उद्देश्य होने चाहिए।

पारिस्थितिकी आधार बनाये रखना

3512. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारिस्थितिकी आधार को बनाये रखने के लिए जिसे विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की जा रही विकास सम्बन्धी परियोजनाओं द्वारा बड़े पैमाने पर छेड़ा जा रहा है भारत सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने अपने सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को विकास सम्बन्धी कार्यों को शुरू करते समय पारिस्थितिकी आधार के संरक्षण हेतु उचित सावधानी बरतने के लिए विशेष अनुरोध जारी किये हैं; और

(ग) प्रधान मन्त्री के निर्देशों पर विभिन्न राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) पारिस्थितिकीय आधार, जो बड़े पैमाने की विकास परियोजनाओं तथा कई अन्य घटकों से प्रभावित होता है, को बनाये रखने के लिए, उठाये जा रहे विभिन्न कदमों में शामिल हैं :—

—केन्द्र में पर्यावरण विभाग तथा 18 राज्य एवं संघ/शासित प्रदेश अन्य बातों के साथ-साथ विकास परियोजनाओं की पर्यावरणीय दृष्टि से जांच-पड़ताल करते हैं तथा प्रतिकूल असर की रोकथाम हेतु आवश्यक बचाव के तरीके सुझाते हैं।

—केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा 18 राज्यों में इसके प्रतिरूप यह सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न प्रदूषण स्रोतों से वायु तथा जल प्रदूषण निर्धारित सीमा में रहें।

—वन संरक्षण अधिनियम, 1980 से वन भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए उपयोग को काफी कम किया है।

—निम्नीकृत भूमि को उत्पादन हेतु प्रयोग करने के लिए, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई है।

—पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक एवं जैविकीय रूप से समृद्ध क्षेत्रों का राष्ट्रीय उद्यानों,

अभ्यारण्यों तथा प्रस्तावित जीवमण्डल रिजर्वों के रूप में परिरक्षण किया जा रहा है।

— जन भागीदारिता एवं जागरुकता उत्पन्न करने के लिए विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

— पारि-विकास शिविरों, क्षेत्रीय प्रदर्शन परियोजनाओं एवं कार्यमूलक पारि-विकास अनुसंधान क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) पर्यावरणीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर पत्र लिखे गये हैं तथा आमतौर से इनका पालन हो रहा है।

आदिवासी विकास एजेन्सियों के लिए विशेष सहायता

3513. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन और आदिवासी विभाग और विभिन्न विभागों से प्रत्येक समेकित आदिवासी विकास अभिकरण को वर्ष 1983-84 और 1984-85 में कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : राज्यों को, जनजाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता एकमुश्त दी जाती है, जो, यदि आवश्यक हो तो जनजाति विकास परियोजना को सीधे या जनजाति विकास आयुक्तों के माध्यम से चलाने के लिए राशि का एक भाग रखते हुए इसे आगे जनजाति विकास एजेन्सियों/परियोजनाओं को आवंटित करते हैं। आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में एकीकृत जनजाति विकास एजेन्सियां कार्य कर रही हैं, जबकि शेष राज्यों में एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं कार्य करती हैं। एकीकृत जनजाति विकास एजेन्सियों/एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत कुछ क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना से भी विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हैं। वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान जनजाति विकास योजना के लिए राज्यों/संघों शासित क्षेत्रों को दी गई कुल विशेष केन्द्रीय सहायता क्रमशः 110.00 करोड़ और 126.62 करोड़ रु० है।

वनों और आदिवासियों का विकास

3514. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को यह जानकारी है कि वनों और आदिवासियों के विकास के संबंध में मंत्रालयों द्वारा समय-समय पर गठित की गई समितियों ने सरकार को अनेक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हरिसिंह समिति के द्वारा की गई सिफारिशों को लागू किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकारें मध्यस्थों को समाप्त करने के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित कर रही हैं। राज्य सरकारें, जहां कहीं व्यवहार्य है, वहां वनों पर आधारित उद्योग स्थापित कर रही हैं। एक राष्ट्रीय आदिवासी विकास सहकारी निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की नीतियों का कार्यान्वयन

3515. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय (आदिवासी विकास प्रभाग) को तथा आदिवासी विकास के लिए (नोडल) मंत्रालय के रूप में क्या शक्तियां तथा जिम्मेदारियां दी गई हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने भी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों की नीतियों को कार्यान्वयन करने के लिए आदिवासी विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने यह प्रक्रिया अपनाई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और राज्य-वार अपनाई गई वैकल्पिक प्रक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जनजातियों के विकास के लिए गृह मंत्रालय को सौंपी गई शक्तियां तथा उत्तरदायित्व भारत सरकार के (कार्य आवंटन) नियम 1961, के अनुसार नियत किये गये हैं। गृह मंत्रालय अनुसूचित जातियों के विकास के कार्यक्रमों की समग्र नीति नियोजन तथा समन्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। इस समुदाय के विकास के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रमों तथा योजनाओं के बारे में नीति, नियोजन, मानीटर करना, मूल्यांकन इत्यादि तथा उनका समन्वयन भी केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व होगा। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय तथा विभाग अपने सम्बन्धित क्षेत्र के लिए नोडल मंत्रालय तथा विभाग होगा।

(ख) और (ग) जनजाति उप-योजना वाले सभी राज्यों में जनजातियों के लिए विकास को देखने वाला विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तिहाड़ जेल में भूतपूर्व हैड कांस्टेबल द्वारा आत्महत्या का प्रयास

3516. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 जुलाई, 1985 के "पेट्रियाट" में "तिहाड़ जेल में भूतपूर्व हैड

कांस्टेबल द्वारा आत्महत्या की असफल कोशिश" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तिहाड़ जेल में रखे गए दिल्ली पुलिस के एक भूतपूर्व हैड कांस्टेबल ने 17 जुलाई 1985 को आत्महत्या करने का प्रयास किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(घ) क्या इस प्रकार के कार्य के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है ?

उद्योग तथा कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) नई दिल्ली तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में बन्द एक अभियुक्त ने 17-7-1985 को एक टूटे हुए बिजली के बल्ब से कांच के टुकड़े खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उसे उपचार के लिए तुरन्त ,राममनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया और वह अब ठीक है।

(घ) जी हां, श्रीमान्। तिहाड़ जेल प्राधिकारियों ने प्राथमिक जांच के बाद विचाराधीन कैदी द्वारा दिए गए बयान सहित मामले को आगे जांच के लिए दिल्ली पुलिस को भेज दिया है।

[हिन्दी]

वनों के विनाश को रोकने के लिए उपाय

3517. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेवल पथरी की सड़कों को तारकोल वाली सड़कों में बदलने के लिए हर साल लाखों पेड़ प्रयोग में लाए जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इसके परिणामस्वरूप बहुत से वन नष्ट हो गए हैं एवं फार्मवुड का सही इस्तेमाल नहीं किया जाता; और

(ग) क्या सरकार वनों के विनाश को रोकने एवं पारिस्थितिकी एवं हरियाली बनाए रखने के लिए कुछ अन्य कदम उठाएगी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) सड़क बनाने में उपयोग में लाये जाने वाले तारकोल को गर्म करने के लिए ईंधन की लकड़ी का एक परम्परागत स्रोत

है। तथापि इस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वृक्षों की संख्या के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) वनों पर से दबाव कम करने तथा हरियाली और पारिस्थितिकी को बनाए रखने में मदद करने के लिए सरकार ऊर्जा के विकल्प और गैर-परम्परागत स्रोत के विकास को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन दे रही है।

देश को इक्कीसवीं शताब्दी में ले जाने सम्बन्धी कार्यक्रम

3518. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को 21वीं शताब्दी में ले जाने के लिए और इसे विश्व के अतिविकसित देशों के समकक्ष लाने के लिए भारत सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया जा रहा है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विस्तृत कार्यक्रम की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सातवीं योजना में कार्यान्वित किये जाने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कार्यकलापों की तैयारी में यह नोट किया गया है कि विश्व के वैज्ञानिक परिदृष्य पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ ही साथ उनकी सम्भावित प्रायोग्यता के कारण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कई मुख्य नये क्षेत्र आविर्भूत हो रहे हैं। ये क्षेत्र हैं :—सूक्ष्म-इलेक्ट्रोनिकी, सूचना विज्ञान तथा टेलीमेटिक्स, जैव प्रौद्योगिकियां, सामग्री विज्ञान, महासागर विज्ञान, यंत्र विज्ञान, (इन्स्ट्रूमेन्टेशन), रसायन विज्ञान के अनेक क्षेत्र, आधुनिक जीव विज्ञान तथा भूमि विज्ञान, अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकियां इत्यादि। सातवीं योजना, में उपलब्ध राजस्व तथा मानवीय संसाधनों के साथ एक ही समय में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की सभी समस्याओं को हल करना अथवा सभी क्षेत्रों को हाथ में ले पाना सम्भव नहीं होगा। यह आवश्यक होगा कि हम कुछ हद तक कुछ क्षेत्रों का चयन करें और कुछ को प्राथमिकताएं प्रदान करें। इन क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के संवर्धन हेतु सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों की सातवीं पंचवर्षीय योजना में, उपयुक्त प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के विरुद्ध शिकायतें

3519. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में, विशेषकर बड़ी शक्ति कहे जाने वाले राष्ट्रों की राजधानियों में स्थित भारतीय दूतावासों में सम्पर्क कार्य में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि सम्पर्क कार्य और सामान्य जागरूकता के मामले में भारतीय दूतावासों के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें हैं; और

(ग) यदि हां, तो कब से और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों का मुख्य कार्य हमारे राष्ट्रीय हितों और नीतियों को प्रतिबिम्बित करना तथा उन्हें संवर्धित करना और समय-समय पर जारी किये गये सरकारी अनुदेशों को क्रियान्वित करना है, इसमें न केवल मेजवान सरकार के साथ सक्रिय कार्रवाई शामिल है बल्कि जनता, स्थानीय संगठनों, भारतीय समुदाय के लोगों के साथ सम्पर्क बनाये रखना तथा प्रभावी विदेशी प्रचार भी शामिल है। मंत्रालय विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के कार्यकरण पर बराबर निगरानी रखता है और पारिस्थितियों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करता है।

देशी उपकरणों से टेलीविजन का निर्माण

3520. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में खासतौर पर इस कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त सरकारी उपक्रमों द्वारा शत-प्रतिशत देशी उपक्रमों से टेलीविजन सेट का निर्माण किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो कब से और गुणवत्ता तथा अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मानक क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो देशी उपक्रमों के रूप में क्या प्रगति हुई है और अनुमानतः किस समय से शत-प्रतिशत देशी स्तर पर प्राप्त हो जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) एकीकृत परिपथों, सेमीकण्डक्टर युक्तियों तथा कुछ फेराइटों को छोड़कर, श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सैटों के मामलों में लगभग सभी संघटक-पुर्जों का देश में ही निर्माण किया जाता है। रंगीन दूरदर्शन सैटों के मामलों में, विनिर्माण में प्रयोग किये जाने वाले 80% संघटक-पुर्जों का इस समय आयात किया जा रहा है।

रंगीन दूरदर्शन के संघटक-पुर्जों के मामले में, यह अनुमान लगाया गया है कि रंगीन दूरदर्शन के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले अधिकांश इन संघटक-पुर्जों का वर्ष 1988 तक स्वदेशीकरण कर लिया जाएगा।

उड़ीसा की विकास दर

3521. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उड़ीसा की वर्तमान विकास दर के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो पांचवीं योजनावधि के साथ-साथ छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी प्रगति से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है;

(ग) इस राज्य को अन्य उन्नत राज्यों के बराबर लाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना-वधि के दौरान विकास दर बढ़ाने हेतु क्या नये प्रयास करने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं। तथापि, निर्बल राज्य घरेलू उत्पादों के प्राक्कलन राज्य सरकारों द्वारा तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, (1970-71) अचल मूल्यों पर निर्बल राज्य घरेलू उत्पाद, 1973-74 में 1110.50 करोड़ रु० से बढ़ाकर 1978-79 में 1328.20 करोड़ रु० किए गए। 1982-83 के अन्त में यह 1975.50 करोड़ रु० पर था।

(ग) सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

सोवियत संघ/संयुक्त राज्य अमरीका के साथ संयुक्त अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम

3522. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने सोवियत संघ के साथ कोई संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सोवियत संघ राज्य अमरीका के साथ इस प्रकार के संयुक्त कार्यक्रम आरम्भ किये जा सकते हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों मे राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत के सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका सहित कई देशों के साथ अन्तरिक्ष सम्बन्धी क्रियाकलापों में अत्यन्त सक्रिय सहयोग रहे हैं।

सोवियत संघ के साथ सहयोगी प्रयास 1963 में प्रारम्भ हुए थे। कुछ प्रारम्भिक प्रमुख सहयोगी कार्यक्रमों में आर्यभट और भास्कर उपग्रहों का छोड़ा जाना शामिल था। हाल ही की प्रमुख घटनाओं में एक घटना "सेल्यूत" मिशन में प्रथम भारतीय अन्तरिक्ष यात्री श्री राकेश शर्मा की उड़ान थी। इसके अलावा, बड़ी संख्या में वैज्ञानिक परीक्षणों को आयोजित किया गया है, जिसमें मौसम विज्ञान और वायुविज्ञान के क्षेत्र में संयुक्त अध्ययनों के लिए थुम्बा भूमध्यरेखीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र (टर्स) से एम०-100 राकेटों का प्रमोचन, तथा भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत संघ की विज्ञान अकादमी की इन्टर कॉस्मॉस परिषद् के बीच हुए एक करार के अन्तर्गत स्थापित उपग्रह अनुवर्तन तथा सर्वेक्षण केन्द्र कवलूर से उपग्रह पर्यवेक्षण करना शामिल है। इसके अलावा, संभाव्य सहयोग के प्रयासों के लिए कई वैज्ञानिक क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमरीका के साथ 1963 से अन्तरिक्ष कार्यक्रम से प्रमुख संयुक्त उद्यम रहे हैं। एक प्रमुख सहयोगी कार्यक्रम उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन परीक्षण (साइट) था। अमरीकी सुदूर संवेदन उपग्रह लैण्डसैट से और अमरीकी मौसम विज्ञानीय उपग्रहों से भी भारत आंकड़े प्राप्त कर रहा है। एक अमरीकी कम्पनी ने प्रथम पीढ़ी के इन्सैट उपग्रहों का निर्माण किया तथा इन्हें संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रीय वैज्ञानिकी तथा अन्तरिक्ष प्रशासन (नासा) द्वारा छोड़ा गया। एक भारतीय नीतभार विशेषज्ञ जुलाई, 1986 के लिए निर्धारित अमरीकी-नासा अन्तरिक्ष शटल की उडान में इन्सैट-1 सी० के साथ जायेगा। कॉस्मिक-किरणों के अध्ययनों के लिए भारतीय नीतभार "अनुराधा" को अप्रैल, 1985 में छोड़े गए अमरीकी अन्तरिक्ष शटल के साथ जोड़ा गया था। इसके अलावा, संभाव्य सहयोग के नई क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

अन्तरिक्ष अनुसंधान के लिए क्षेत्रीय संस्थान स्थापित करना

3523. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने वैज्ञानिक अन्तरिक्ष अनुसंधान पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या अन्तरिक्ष अनुसंधान के लिए क्षेत्रीय संस्थान स्थापित करने का कोई विचार है ताकि युवा अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों और छात्रों को इसमें शामिल किया जा सके;

(ग) क्या अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए डिग्री या स्नातकोत्तर स्तर पर अन्तरिक्ष के सम्बन्ध में विशिष्ट विषय शामिल करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अन्तरिक्ष विभाग में (अन्तरिक्ष विभाग के अन्तर्गत दो सहायता-अनुदान प्राप्त संस्थानों अर्थात् भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी० आर० एल०), अहमदाबाद और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेन्सी (एन० आर० एस० ए०), हैदराबाद सहित) अन्तरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उपयोगों से सम्बन्धित विविध क्रियाकलापों में

कार्यरत वैज्ञानिकों/इंजीनियरों की संख्या 31-3-1985 की स्थिति के अनुसार 3546 है। इसके अलावा, देश में अनेक वैज्ञानिक विविध शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और उद्योगों में अन्तरिक्ष विज्ञान, अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपयोगों में भी कार्यरत हैं। उनकी ठीक-ठीक संख्या का अनुमान लगाना कठिन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी एक अत्यन्त आन्तर-वैज्ञानिक विषय है, जिसमें कई विषयों की जानकारी की जरूरत होती है। भौतिकी, गणित, रसायनिक और इंजीनियरी की सभी शाखाओं जैसे यांत्रिकी, विद्युत, इलेक्ट्रोनिकी, द्रव्य विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में मूलभूत विज्ञानों के अध्ययन के माध्यम से अर्जित ज्ञान को अन्तरिक्ष में होने वाली विशिष्ट स्थितियों और परिस्थितियों में लागू किया जाता है। उच्च स्तर पर, अन्तरिक्ष के क्षेत्र में थोड़े अधिक विशेष रूप वाले कुछ विशेष विषयों को, मूल विषय में विशेषीकरण के भाग के रूप में उच्चतर ज्ञान के कुछ संस्थानों में पढ़ाया जाता है। इस प्रकार मूल विषयों जैसे गणित, भौतिकी, रसायन, इंजीनियरी इत्यादि में जो पाठ्यक्रम भारतीय स्कूलों और कॉलिजों में पढ़ाया जाता है, उसे देश में अन्तरिक्ष अनुसंधान की वर्तमान जरूरतों की पूर्ति के लिए पर्याप्त समझा गया है, क्योंकि भर्ती किये जाने वाले ऐसे नये कार्मिकों को अन्तरिक्ष विभाग के विभिन्न क्रियाकलापों की ओर अभिमुख करने के लिए कार्यरत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अन्तरिक्ष क्रियाकलापों में प्राप्त अनुभव और प्रगति के प्रकाश में पाठ्य-विषय में आवधिक संशोधन की भी जरूरत होती है। देश की शैक्षणिक जरूरतों की समीक्षा के भाग के रूप में यह एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

पंजाब और दिल्ली के दंगों के शिकार व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास

3524. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1984 से हुए दंगों के बाद पंजाब और दिल्ली में राहत और पुनर्वास कार्यक्रम पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(ख) क्या पंजाब के युवकों को रोजगार के अवसर देने सहित खेल-कूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और महिला कल्याण के बारे में कोई विकास कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) दिल्ली में पीड़ितों को राहत के रूप में 4,66,11,000 रुपये की राशि दी गई है। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति नष्ट हुई/क्षतिग्रस्त हुई उन्हें 27,27,580 रुपये दिये गये और पीड़ितों को 32.50 करोड़ रुपये का बैंक ऋण स्वीकृत किया गया।

पंजाब में जरूरतमन्द परिवारों को नकद और वस्तुओं के रूप में 5,51,493 रुपये की राशि वितरित की गई।

(ख) और (ग) पंजाब में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए 1985-86 के दौरान 102 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई। पटियाला में एक क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। राज्य में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए योजनाएं बनाने के लिए एक कार्य बल गठित किया गया है।

विदेशों में रह रहे भारतीयों के इलेक्ट्रॉनिकी एकक

3525. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों से देश में इलेक्ट्रॉनिकी एकक स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों को स्थापित करने के इच्छुक विदेशों में रह रहे भारतीयों/कंपनियों का ब्यौरा क्या है, ऐसे एककों को कहां स्थापित किया जाना है और उन्हें स्थापित करने में होने वाला अनुमानित व्यय कितना होगा;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में ऐसा कोई यूनिट स्थापित किया जाएगा यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का आंध्र प्रदेश में ऐसे यूनिट स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) टेलीफोन उपकरणों, कम्प्यूटरों, पेजिंग उपस्कर, पे-फोन, जवाबी टेलीफोन मशीनों, लघु कम्प्यूटर, सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित प्रणालियों तथा उससे सम्बन्धित उत्पादों, वीडियो टेप, कम्प्यूटर साफ्ट वेयर आदि जैसे क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक इकाइयां स्थापित करने के लिए अनेक पार्टियों को आशय-पत्र/अनुमोदन दिये गए हैं। इनमें से कुछ इकाइयों को शत-प्रतिशत निर्यात-अभिमुखी इकाई के रूप में अनुमोदित किया गया है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित करने की अनुमति दी गई है। प्रत्येक मामले में पूंजी-निवेश अलग-अलग है।

(ग) जी, हां। आंध्र प्रदेश में कुछ इकाइयां अनुमोदित की गई हैं।

(घ) अनिवासी भारतीयों को अनुमेय क्षेत्रों में से अपनी पसन्द के अनुसार किसी भी स्थान को चुनने की स्वतन्त्रता दी गई है। यह सम्बन्धित राज्य सरकारों का मामला है कि वे अनिवासी भारतीयों को विशेष प्रोत्साहन देकर किस प्रकार उनसे ऐसे पूंजीनिवेश आकर्षित कर सकेंगी।

उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए उपाय

3526. **श्री एम० टोम्बी सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन आसूचना संगठनों को उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार का पता लगाने का कार्य भी करने के लिए सक्षम बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो आसूचना संगठनों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के आधार पर कितने मामलों में कार्यवाही शुरू की गई और कितने मामले निपटाये गए ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) प्रशासन में भ्रष्टाचार से संबंधित मुख्य संगठन होने के नाते, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को इस कार्य को कारगर ढंग से सम्पन्न करने के लिए सक्षम बनाया गया है ।

(ख) 1-1-1985 से 30-6-1985 की अवधि के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 554 मामले हाथ में लिए थे। इनमें से, 334 मामले राजपत्रित अधिकारियों से सम्बन्धित हैं। 554 मामलों में से 471 मामले ब्यूरो के अपने ही स्टाफ द्वारा एकत्रित की गई सूचना के आधार पर दर्ज किए गए थे। इस अवधि मे 559 मामले निपटाए गए जिनमें पहले से दर्ज मामले भी शामिल हैं।

राजकोट हवाई अड्डे को अन्य स्थान पर ले जाना

3527. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट हवाई अड्डे के फनल अथवा हवाई पट्टी पर कुछ अवैध कब्जा कर लिया गया है;

(ख) कब्जों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि कब्जों को खाली कराने में कुछ कठिनाइयां हैं, तो क्या इस हवाई अड्डे को राजकोट शहर के उत्तर में ले जाने पर विचार किया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

गोवा में उद्योगों से प्रदूषण

3528. **श्री दिग्विजय सिंह** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा संघ राज्य क्षेत्र में कौन से उद्योगों से प्रदूषण फैल रहा है; और

(ख) कितने उद्योगों के सम्बन्ध में मुकदमा चलाया गया है तथा उसका परिणाम क्या निकला ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) चार उद्योगों, जो प्रदूषण समस्याओं का कारण बने हुए थे, के विरुद्ध अभियोजन चलाए गए थे। प्रदूषण नियन्त्रक उपायों के अनुपालन करने पर तीन उद्योगों के विरुद्ध अभियोजन वापस ले लिए गए हैं।

दिल्ली में वृक्षारोपण

3529. **श्री चित मोहन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष दिल्ली में 28 लाख पेड़ लगाए जाने हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किए गए इस प्रकार के वृक्षारोपण का ब्यौरा क्या है और उनमें से जिन्दा बचे पेड़ों की दर क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए और उनमें से जिन्दा बचे पेड़ों की दर क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्य निष्पादन सन्तोषजनक समझा गया है; और

(घ) क्या भविष्य में अधिकतम वृक्षारोपण के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) 1985-86 के दौरान दिल्ली में विभिन्न प्रजातियों के 28 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। गत तीन वर्षों के दौरान किए गए वृक्षारोपण और 1983-84 और 1984-85 के दौरान उन पौधों के जिन्दा रहने की दरें एकत्र की जा रही हैं और उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) केन्द्रीय सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के माध्यम से लगाए गए पौधों की संख्या के सम्बन्ध में अलग से सूचना नहीं रखी गई है। तथापि, देश में गत तीन वर्षों के दौरान कुल मिलाकर 713.27 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं। जिन्दा बचे पौधों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) जी, हां।

(घ) 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वन रोपण प्रयासों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	82-83	83-84	84-85
1	2	3	4	5
	1. राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	65	80-90	65-99
2.	असम	65	50-95	60-90
3.	बिहार	86	55-94	83-90
4.	गुजरात	80	50-100	60-100
5.	हरियाणा	75	85-95	85-90
6.	हिमाचल प्रदेश	60-90	90-95	80-100
7.	जम्मू और कश्मीर	65	50-100	50-80
8.	कर्नाटक	75	85-90	×
9.	केरल	75	70-90	70-100
10	मध्य प्रदेश	81	65-96	70-90
11.	महाराष्ट्र	75	90-100	20-95
12.	मणिपुर	71	70-80	65-95
13.	मेघालय	94	80-95	60-95
14.	नागालैण्ड	90	90-100	80-95
15.	उड़ीसा	50	80-98	×
16.	पंजाब	75	90-95	80-95
17.	राजस्थान	75	66-90	उपलब्ध नहीं
18.	सिक्किम	75	75-95	90
19.	तमिलनाडु	73-82	85	75
20.	त्रिपुरा	74	85-100	80-97

1	2	3	4	5
21.	उत्तर प्रदेश	81	80-99	80-95
22.	पश्चिम बंगाल	95	85-90	80-95
	2. संघ शासित क्षेत्र			
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	80	90	×
24.	अरूणाचल प्रदेश	75	79-90	×
25.	चण्डीगढ़	87	95-100	90
26.	दादर और नागर हवेली	75	×	×
27.	दिल्ली	63	90	×
28.	गोवा, दमन और दीव	70	79-90	×
29.	लक्षद्वीप	—	××	××
30.	मिजोरम	80-90	70-100	×
31.	पांडिचेरी	75	××	××

बंगलौर-बेलगाम-बंगलौर विमान सेवाओं का बन्द किया जाना

3530. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर-बेलगाम-बंगलौर विमान सेवाएं बन्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार बेलगाम, हुबली और धारवाड़ से बंगलौर पहुंचने में लोगों को सहायता करने के लिए बंगलौर-बेलगाम-बंगलौर मार्ग पर तत्काल कम से कम वायुदूत सेवा आरम्भ करेंगी ?

× अवधि के दौरान प्रबोधन नहीं किया गया।

×× प्रबोधन करने का प्रस्ताव नहीं है।

वर्ष 1982-83 के लिए सूचना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा भेजी गई सूचना पर आधारित है।

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) कम यात्री मांग के कारण यह सेवा बन्द कर दी गई थी।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

एथलिटों के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण

3531. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए देश के एथलिटों को विशेष वैज्ञानिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो एथलिटों को प्रतिस्पर्धात्मक एवं उनके समग्र स्तर में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय खेल संघ जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों का चयन करते हैं, को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता और चुने हुए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला द्वारा तकनीकी सहायता दी जाती है, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें सम्पूर्ण स्तर और प्रतियोगिता की क्षमता में सुधार किया जा सके।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा जनजातीय विकास

3532. **डा० के० जी० आदियोडी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशिक्षण, प्रदर्शन, क्षेत्र परीक्षण और अनुसंधान के जरिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके जनजातीय विकास को उत्प्रेरित करने हेतु राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) केरल के वायनाड, इदुक्की और पालघाट में इस प्रकार के कितने एकक कार्य कर रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जनजातीय विकास मे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निवेश, वैज्ञानिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालय एवं अन्य शैक्षणिक संगठनों में वैज्ञानिकों एवं अनुसंधान समूहों के समावेशन तथा ग्रामीण क्षेत्रों के स्वयंसेवी अभिकरणों में कार्यरत वैज्ञानिकों के माध्यम से सुसाध्य बनाया गया है। नेशनल रिसर्च एण्ड डिवलेपमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया (एन० आर० डी० सी०) ने देश के विभिन्न भागों में विशेषतौर

से स्थापित किए गए प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से संगत प्रौद्योगिकियों का प्रचार करने का कार्य किया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (सी० ए० आर० टी०) के पास भी ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे जनजातीय विकास के उत्प्रेरण के लिए परियोजनाओं को समर्थन प्रदान किया जाता है जिनमें प्रशिक्षण, प्रदर्शनों, क्षेत्रीय परीक्षणों एवं अनुसंधान के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग किया जाता है। दो योजनाओं को केरल के पालघाट जिले में कार्यान्वित किया जा रहा है। बिहार एवं आन्ध्र प्रदेश में भी योजनाओं को समर्थन प्रदान किया जा रहा है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के निवेश के अनुप्रयोग के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जनजातीय क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए समाज के कमजोर वर्गों के विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए संगत नीचे लिखी योजनाएं बनाई गई हैं।

(1) ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग।

(2) समाज के कमजोर वर्गों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।

(3) महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।

(4) योजना का मुख्य उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से महिलाओं की हालत में सुधार लाना है।"

विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजनाओं में ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के लिए संगत प्रौद्योगिकियों के विकास की परिकल्पना की जाती है। यह अलग-अलग राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि यदि वे आवश्यकता महसूस करें तो ऐसी इकाइयों की स्थापना करने पर विचार कर सकती हैं। फिर भी, केरल में त्रिवेन्द्रम जिले के वेल्लानाद में एन० आर० डी० सी० द्वारा एक प्रदर्शन एव प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है, जो कि जनजातीय क्षेत्र के बहुत समीप है।

एयर इण्डिया में पर्यटकों के लिए रियायती टिकटें

3533. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स में पर्यटकों के लिए रियायती टिकटें शुरू करने के प्रस्ताव हैं; और

(ख) क्या विदेशी पर्यटकों को अथवा जब विमान टिकट विदेशी मुद्रा में खरीदे जाते हैं, तो कोई रियायत दी जाती है और यदि हां, तो कितनी रियायत दी जाती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स विदेशी पर्यटकों को, यदि वे विदेशी मुद्रा में टिकट खरीदते हैं, तो निम्नलिखित योजनाएं पेश करती है :

(1) 375 अमरीकी डालर के लिए "डिस्कवर इण्डिया" किराये जिसमें 21 दिनों की अवधि के भीतर सभी स्टेशनों के लिए असीमित यात्रा की व्यवस्था है बशर्ते कि विमान सेवा किसी स्टेशन से दो बार न गुजरे।

(2) 12 से 30 वर्षों की आयु समूह के भीतर विदेशी राष्ट्रिकों के लिए अमरीकी डालर में 75 प्रतिशत की दर से भारतीय युवा किराये।

(3) सामान्य अमरीकी डालर किराये के 50 प्रतिशत की दर से आई० ए० टी० ए०/एयर लाइन्स एम्प्लाईज़ छूट।

(4) दक्षिण भारतीय भ्रमण किराये—जिसमें सामान्य अमरीकी डालर किराये पर 30 प्रतिशत छूट की पेशकश की गई है।

(5) भारत भ्रमण किराये—प्रत्येक क्षेत्र के लिए 200 अमरीकी डालर की दर से जो 7 दिनों के लिए वैध है।

एयर इण्डिया भी विश्व के अनेक भागों से भारत आने वाले व्यक्तिगत तथा समूह यात्राकर्ताओं, दोनों को ही रियायती किराये की पेशकश करती है।

पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

3534. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए कौन-सी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ऐसी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं; और

(ग) उक्त योजनावधि में उन राज्यों में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) देश में तेज गति से पर्वतीय क्षेत्रों का विकास करने की दृष्टि से पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ अर्थात् 1974-75 से ही एक पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के राज्यों में हैं और पश्चिमी घाट क्षेत्र में हैं, जो महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र गोवा में पड़ता है।

इन क्षेत्रों के विकास की गति तेज करने के लिए राज्यों के अपने प्रयत्नों की अनुपूर्ति करने के

वास्ते पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह विशेष केन्द्रीय सहायता राज्यों को उनकी वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाओं के लिए दी जाने वाली सामान्य केन्द्रीय सहायता के अलावा होती है।

विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य योजना और अन्य स्रोतों से दी जाने वाली धनराशि को समन्वित करने की दृष्टि से इन पर्वतीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में अलग-अलग उप-योजनाएं तैयार की गई हैं। परन्तु, पश्चिमी घाट के राज्यों के मामले में, तालुका स्तर पर राज्य योजना धनराशियों को पृथक करने में आने वाली परिचालन कठिनाईयों के कारण उप-योजना नीति का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

छठी पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की कार्यनीति का मुख्य बल, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हुए, सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने पर रहा है। इस संदर्भ में जो योजना-स्कीमें तैयार की गई हैं उनका उद्देश्य भूमि का और अधिक अच्छा उपयोग करना तथा भूमि के कटाव को रोकना; जल संभरण प्रबंध, वनरोपण, चरागाहों का विकास, ढलानों में पौध की फसलें उगाना और वन-उद्योग है। सभी क्षेत्रीय कार्यकलापों को समन्वित करने पर बल दिया गया है।

सामाजिक वानिकी परियोजनाओं हेतु स्वीडन से सहायता

3535. **श्री हरिहर सोरन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ सामाजिक वानिकी परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए स्वीडन से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो देश में सामाजिक वानिकी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए स्वीडन से कुल कितनी धनराशि की सहायता लिए जाने की संभावना है;

(ग) किन-किन राज्यों में स्वीडन की सहायता से सामाजिक वानिकी परियोजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) स्वीडन से सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजनाएं तमिलनाडु, उड़ीसा और बिहार राज्यों में क्रियान्वित की जा रही हैं। स्वीडन से प्राप्त की जाने वाली संभावित सहायता की कुल राशि 885 लाख अमेरिकी डालर है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य	परियोजना की अवधि	कुल लागत (करोड़ रु०)	एस० आई० डी० ए० सहायता (दस लाख अमेरिकी डालर में)	पौद रोपण कार्यकलाप (हैक्टेयर/दस लाख पौधे)		(एम० एस०)
				कुल परियोजना लक्ष्य	उपलब्धि	1985-86 के लिए लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु	1981-86	45.0	33.0	176450 + 50.1 एम० एस० + 6075 पंक्ति कि० मी०	98053 +63.55 एम० एस० +6052 पंक्ति कि० मी०	35290 +7.50 एम० एस० +1215 पंक्ति कि० मी०
उड़ीसा	1983-88	23.0	19.0	57600 + 51.0 एम०एस०	3519 +14.95 एम० एस०	12320 +12.0 एम० एस०
बिहार	1985-91	53.8	36.5	158100 + 20.5 एम० एस०	—	6200 +5.0 एम० एस०
	कुल	121.8	88.5	392150+ 607 पंक्ति कि० मी०+ 121.6 एम० एस०	101572+ 6052 कि० मी०+ 78.45 एम० एस०	262068+ 1215 कि०मी०+ 24.5 एम० एस०

एम० एस०=दस लाख पौधे

केरल में यात्री निवास स्थापित करना

3536. **श्री टी० बशीर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंतरिक पर्यटन का विकास करने के लिए केरल में सातवीं योजना के दौरान कहीं पर यात्री निवास स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केरल सरकार ने क्विलोन में एक यात्री निवास के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उनसे अनुमानों सहित योजना ब्यौरे भेजने के लिए अनुरोध किया गया है, जिनकी प्रतीक्षा है।

केरल में वायुदूत सेवा

3537. **श्री एम० रामचन्द्रन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में प्रमुख जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली "वायुदूत सेवा" प्रदान करने के लिए उनके मंत्रालय से संपर्क किया है; और

(ख) क्या सरकार कन्नानोर जिले के तीव्र विकास और कन्नानोर से मैसूर और मंगलूर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इन स्थानों को "वायुदूत सेवा" से जोड़ने का विचार कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारतीय इलेक्ट्रोनिक्स निगम लिमिटेड की बिक्री बाद सेवा के विरुद्ध शिकायतें

3538. **श्री नारायण चौबे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इलेक्ट्रोनिक्स निगम लिमिटेड अपने टेलीविजन सैटों को विशेष रूप से कम कीमत के "प्रीमियर" माडल को, मुफसिल कस्बों में नहीं बेचता है;

यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड द्वारा की जा रही बिक्री के बाद की सेवाओं के बारे में गम्भीर शिकायतें हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड अपने टी० वी० सैट केवल उन्हीं क्षेत्रों में बेचता है जहां वह बिक्री के बाद सेवा की सन्तोषजनक सुविधा या तो सेवा की अपनी ही व्यवस्था के माध्यम से या उस बिक्री और सेवा का काम कर सकने वाले प्रशिक्षित डीलरों के माध्यम से उपलब्ध करा सकता है। जहां-जहां ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है, वहां-वहां "प्रीमियर" सैट भी यदि उपलब्ध हों तो बेचे जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

आदिम जाति के लोगों के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

3539. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल**
कुमारी पुष्पा देवी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 16 जुलाई, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "रुपीज 500 करोड़ मास्टर प्लान फार बस्तर" (बस्तर के लिए 500 करोड़ रुपये की मास्टर प्लान) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या आदिम जाति के लोगों को अधिक लाभ देने हेतु एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विकास किया जाना होगा;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस पर कब कार्यवाही शुरू करेगी; और

(घ) इसके विस्तार के बारे में कब तक फैसला हो जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्

(ख) से (घ) ग्रामीण विकास मन्त्रालय कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित कर रहा है तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की कमियों का पुनरीक्षण कर रहा है।

नेहरू युवक केन्द्रों की स्थापना

3540. **श्री एम० रामचन्द्रन** : क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेहरू युवक केन्द्र गैर-छात्र ग्रामीण नवयुवकों को अपने कार्य क्षेत्र में ला सकने में काफी हद तक असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार वायनाड, कासारगोड़ और पाप-नामथिल्ला के पिछड़े हुए जिलों में नेहरू युवक केन्द्र आरम्भ करने का है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार का सातवीं योजना अवधि के दौरान देश के प्रत्येक जिले में एक नेहरू युवक केन्द्र शुरू करने का इरादा है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य योजनाएं

3541. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय विभिन्न राज्य अनुसूचित जाति वित्त सहकारी निगमों के माध्यम से सीमांत धन की व्यवस्था के साथ अनुसूचित जनजातियों के लिए आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जैसा कि इस समय अनुसूचित जातियों के लिए किया जा रहा है;

(ख) क्या इस प्रकार की आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य योजनाएं उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यान्वित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो कब से; और

(घ) उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों के लिए अब तक कार्यान्वित की गई इस प्रकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) (जी हां, श्रीमान्। कुछ राज्य अनुसूचित जाति वित्त सहकारिता निगम अनुसूचित जातियों के लिए इस प्रकार की योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान। उड़ीसा में इस प्रकार की योजनाएं 1983-84 के बाद से कार्यान्वित की गई हैं।

(घ) कुएं खोदने, दुधारू गायों की आपूर्ति, बकरी और भेड़ पालन, कुटीर उद्योग आदि योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। जनवरी 1985 तक 3824 अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लाभ पहुंचाया गया है।

ए० एस० एल० वी० का जोड़ा जाना

3542. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ए० एस० एल० वी० छोड़ने का निर्धारित समय क्या है;

(ख) उक्त ए० एस० एल० वी० को कब अन्तरिक्ष में भेजे जाने की संभावना है;

(ग) क्या इसे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अन्तरिक्ष में भेजे जाने की आशा है; और

(घ) यदि नहीं, तो निर्धारित समय पर ए० एस० एल० वी० को अन्तरिक्ष में छोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सम्वर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए० एस० एल० वी०) का प्रमोचन अक्तूबर, 1985 के लिए निर्धारित था।

(ख) से (घ) चक्रवात के मौसम को टालने के लिए इसके प्रमोचन में 3 महीने का विलम्ब कर दिया गया है और अब इसके 1986 के प्रारम्भ में छोड़े जाने की संभावना है।

"पे लोड अनुराधा" पर खर्च हुई धनराशि

3543. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय "पे लोड अनुराधा" छोड़ने पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ख) क्या अनुराधा अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों की नई कड़ी में पहली कड़ी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी पाटिल) : (क) भारतीय पे लोड अनुराधा छोड़ने पर 30-4-1985 तक 32.96 लाख रुपये की धनराशि खर्च हुई है।

(ख) और (ग) भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम में अनुराधा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परीक्षणों में से एक है। लगभग 33 कि० ग्रा० भार के परीक्षण को प्रघाती कॉस्मिक कणों की दिशा और आगमन काल को मापने के लिए बनाया गया था। इसका डिजाइन विशेष रूप में निम्न ऊर्जा गांगेय और सौर कॉस्मिक किरणों के असंगत घटकों का पता लगाने और इन्हें रिकार्ड करने के लिए बनाया गया था। इस परीक्षण द्वारा एकत्रित नये वैज्ञानिक आंकड़ों से निम्न ऊर्जा वाली कॉस्मिक किरणों के उद्भव को समझने की दिशा में मुख्य सूत्र प्राप्त होने की संभावना है और परिणामस्वरूप ये पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और विकास में कॉस्मिक किरणों की भूमिका के बारे में कुछ अन्तरदृष्टि प्रदान करेंगे। आंकड़ों के विश्लेषण में कुछ महीने का समय लगेगा। अन्तरिक्ष विज्ञान संबंधी परीक्षण भूमि से तथा अन्तरिक्ष प्लेट फार्मों, बेलूनों, राकेटों, उपग्रहों और परिभ्रमणशील अन्तरिक्ष शटलों से किये जाते हैं और इसीलिये,यद्यपि अनुराधा एक महत्वपूर्ण परीक्षण है, यह अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों की नई कड़ी में पहली कड़ी नहीं है।

अन्तरिक्ष अनुसंधान परियोजनाएं

3544. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में अन्तरिक्ष विभाग द्वारा कितनी अनुसंधान परियोजनाएं आरम्भ की हैं;

(ख) उनमें से कितनी अन्तरिक्ष अनुसंधान परियोजनाएं दिसम्बर 1985 के अन्त तक चालू होनी है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वर्तमान में अन्तरिक्ष विभाग द्वारा मंजूर की गई और प्रारंभ की गयी अनुसंधान और विकास परियोजनाएं निम्न प्रकार हैं :—

1. **संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए० एस० एल० वी०) परियोजना :**

ए०एस० एल० वी० परियोजना पृथ्वी की निकट-कक्षाओं में 150 कि० ग्रा० भार की श्रेणी के उपग्रहों (श्रोस पर विस्तृत रोहिणी उपग्रह शृंखलाएं) को छोड़ने की क्षमता में वृद्धि करेगी। परियोजना का उद्देश्य भावी प्रमोचक राकेटों/उपग्रह कार्यक्रमों के लिए उड़ान-जांच की महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए जांच राकेट/वर्क हॉर्स राकेट प्रदान करना तथा स्ट्रैप-ऑन प्रौद्योगिकी, एस० बैण्ड दूरमिति प्रणाली, बन्द पाश मार्ग दर्शन प्रणाली इत्यादि, जो कि बृहत्तर प्रमोचक राकेटों के लिए जरूरी है, जैसी प्रौद्योगिकीयों का विकास और सिद्ध करना है।

2. **विस्तृत रोहिणी उपग्रह शृंखला (श्रोस) परियोजना :**

150 कि० ग्रा० भार की श्रेणी के इन उपग्रहों को ए० एस० एल० वी० प्रमोचक राकेट द्वारा कक्षा में स्थापित किया जायेगा। ये प्रौद्योगिकीय और वैज्ञानिक परीक्षणों तथा अन्य उपयोगों के आयोजन के लिए एक उपग्रह प्लेटफार्म प्रदान करेंगे।

3. **ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी० एस० एल० वी०) परियोजना :**

इस परियोजना में भारतीय रेंज से ध्रुवीय सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा में 1000 कि० ग्रा० भार की श्रेणी के भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह को स्थापित करने के लिए भारतीय प्रमोचक राकेट के विकास की संकल्पना की गई है।

4. **भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई० आर० एस०) परियोजना :**

इस परियोजना में देश में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्ध के लिए सुदूर संवेदन उपयोगों के लिए 900 कि० मी० की ऊंचाई पर सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा में त्रि-अक्षीय स्थिरीकृत उपग्रह के स्वदेशी विकास की संकल्पना की गई है।

5. **इन्सैट-II जांच अन्तरिक्षयान परियोजना :**

प्रथम पीढ़ी के इन्सैट-1 अन्तरिक्षयानों, जिन्हें विदेश से प्राप्त और छोड़ा भी जा रहा है, को द्वितीय पीढ़ी के इन्सैट II अन्तरिक्षयानों, जिन्हें स्वदेशी रूप में डिजाइन एवं निर्मित तथा अन्ततोगत्वा भारत से छोड़ा जायेगा, द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की योजना है। इन्सैट-II जांच अन्तरिक्षयान परियोजना में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा भारत में नई शृंखला के दो जांच अन्तरिक्षयानों के निर्माण तथा अन्तरिक्षयानों के विकास जांच और कक्षीय प्रबन्ध की संकल्पना की गई है।

(ख) और (ग) श्रोस उपग्रह सहित संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट को अक्तूबर, 1985 मे छोड़ा जाना था। चक्रवात मौसम को टालने के लिए इसके प्रमोचन में तीन महीने का विलम्ब किया गया है और इसके अब 1986 के प्रारंभ में छोड़े जाने की संभावना है।

तुर्की के साथ सांस्कृतिक समझौता

3545. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तुर्की के साथ सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) क्या समझौते में भारतीय विश्वविद्यालयों में तुर्की के विषयों के अध्ययन और तुर्की में भारतीय विषयों के अध्ययन की स्थापना करने की व्यवस्था है;

(ग) यदि हां, तो समझौते को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भारत और तुर्की के बीच हुए सांस्कृतिक समझौते का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ग) अंकारा विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययनों के एक पीठ की स्थापना की गई है जबकि तुर्की अध्ययन के एक पीठ की स्थापना जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में की जा रही है।

(घ) सांस्कृतिक करार में अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय शिक्षकों और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों के सदस्यों के आदान-प्रदान; उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने, एक दूसरे के क्षेत्रों में सांस्कृतिक संस्थान स्थापित करने, अन्य बातों के साथ-साथ एक दूसरे के देश से सम्बन्धित विषयों के शिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों में पीठ स्थापित करके सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान-प्रदानों को प्रोन्नत करने, खेल प्रतियोगिताओं और स्काउट संगठनों के बीच सहयोग को

प्रोत्साहित करने, डिप्लोमाओं और डिग्रियों की समकक्षता के लिए प्रयास करने इत्यादि की व्यवस्था की गई है । करार के प्रावधानों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से दोनों देशों ने समय-समय पर 2-3 वर्ष के सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम सम्पन्न किये हैं; जिनमें एक विशिष्ट अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट आदान-प्रदान शामिल हैं। वर्ष 1985-87 के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर 2 मार्च, 1985 को हस्ताक्षर किये गये थे।

संघ राज्य क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

3546. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संघ राज्य क्षेत्रों ने शिक्षा संस्थाओं, व्यावसायिक अथवा अन्य संस्थाओं में तथा लोक सेवाओं में भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो उन संघ राज्य क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों के लिए किये गये ऐसे आरक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों में संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को प्रक्षेपास्त्रों की सप्लाई

3547. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री अजय विश्वास
श्री वी० तुलसीराम
श्री पी० नामग्याल
श्री मुकुल वासनिक
श्री रंजीत सिंह गायकवाड़
श्री के० राममूर्ति
श्री राम सिंह यादव
श्री कमल नाथ
प्रो० के० के० तिवारी
श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका पाकिस्तान को 100 साईडविंडर प्रक्षेपास्त्रों तथा बड़ी संख्या में शोल्डर फायर्ड स्टिंजर प्रक्षेपास्त्रों की सप्लाई कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या चार सौ और साईडविंडर प्रक्षेपास्त्र शीघ्र दिये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या अमेरिका द्वारा हथियारों की सप्लाई के सम्बन्ध में यह निर्णय भारत के प्रधान मन्त्री द्वारा उस देश की यात्रा के बाद किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका सरकार ने इस वर्ष मार्च में यह घोषणा की थी कि वह पाकिस्तान को 500 साईडविंडर मिसाइलों की सप्लाई करने जा रही है। पाकिस्तान का कुछ साईडविंडर मिसाइलों की शीघ्र सप्लाई करने और उन्हें स्टिंगर मिसाइल देने की अमरीकी सरकार की घोषणा 11 जुलाई, 1985 को की गई थी।

(घ) पाकिस्तान द्वारा अमरीका से अत्युन्नत हथियार लेने के बारे में सरकार की चिन्ता से अमरीकी सरकार को अनेक अवसरों पर अवगत करा दिया गया है।

गुजरात में इलैक्ट्रिकल रिसर्च डैवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना

3548. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में इलैक्ट्रिकल रिसर्च डैवलपमेंट एसोसिएशन को हाल ही में अति आधुनिक जांच और अन्य उपकरण दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर कितना व्यय हुआ है और यह कहां से पूरा किया गया है;

(ग) उक्त परियोजना की स्थापना में कौन-कौन सहयोगी हैं और इसकी स्थापना कब की गई थी;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश में इस प्रकार की परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें सहयोग कर्त्ताओं के नाम क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। इलैक्ट्रिकल रिसर्च और डैवलपमेंट एसोसिएशन की बड़ोदरा स्थित प्रयोगशालाओं में आधुनिक विश्लेषणात्मक और परीक्षणात्मक उपकरण लगाये गये हैं।

(ख) 31 मार्च, 1985 तक ई० आर० डी० ए० प्रयोगशालाओं पर पूंजी व्यय रुपये 236 लाख था। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) गुजरात सरकार और ई० आर० डी० ए० क सदस्यों में से प्रत्येक ने इस पूंजी व्यय का एक तिहाई व्यय वहन किया।

(ग) ई०आर०डी०ए० ने अपनी प्रयोगशालाओं में विशेष रूप से मैटीरियल प्रयोगशालाओं की योजना और स्वरूप तैयार करने के लिए लैबोरेटरी सेन्ट्रल डेस इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिक (एल०सी०आई०ई०) फ्रांस से तकनीकी सहायता प्राप्त की थी। मैटीरियल्स और डिस्ट्रीब्यूशन इक्वीपमेंट्स लैबोरेटरी

(प्रयोगशाला) की स्थापना का कार्य मार्च, 1985 में सम्पन्न हो गया था।

(घ) आन्ध्र प्रदेश में ऐसी परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) ई० आर० डी० ए० एक सहकारी अनुसंधान संस्था है, जिसमें निर्माणकर्त्ताओं उपकरणों के उपयोगकर्त्ताओं और विद्युत उत्पादक संगठनों के सदस्य सम्मिलित हैं। इसका अभिकल्पन समस्त राज्यों और क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है।

गुजरात में सेना की तैनाती

3549. **श्री डी० बी०पाटिल**
श्री रंजीत सिंह गायकवाड़
श्री नरसिंह मकवाना } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में आरक्षण विरोधी आंदोलन के सम्बन्ध में सेना तैनात की गई है;

(ख) कितने शहरों में तथा कितनी बार सेना तैनात की गई है तथा प्रत्येक बार कितनी अवधि के लिए सेना तैनात की गई;

(ग) सेना ने कितनी बार गोलियां चलाईं;

(घ) सेना द्वारा गोली चलाये जाने से कितने लोग हताहत हुये और कितने घायल हुये;

(ङ) क्या सेना के कर्मचारियों पर हमला किया गया और यदि हां, तो कितनी बार; और

(च) इन सशस्त्र सेनाओं को तैनात करने पर केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) :(क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) निम्नलिखित अवधि के लिए अहमदाबाद तथा बड़ोदरा में सेना सहायता प्रदान की गई :—

अहमदाबाद

1. 19 मार्च से 2 अप्रैल, 1985 तक।

2. 16 अप्रैल से 16 जुलाई 1985 तक।

बड़ोदरा

21 अप्रैल से 16 जुलाई, 1985 तक।

(ग) सेना ने 32 बार गोलियां चलाईं।

(घ) 28 व्यक्ति मारे गये तथा 40 घायल हुये।

(ङ) बड़ोदरा में टुकड़ियों पर पत्थर फेंकने की दो घटनाएं हुईं।

(च) सूचना एकत्र की जा रही है।

औद्योगिक विकास के लिए राज्यों द्वारा आबंटन

3550. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास के लिए राज्यों द्वारा कितना आबंटन किया गया है; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र में राज्य-वार कितनी पूंजी लगाई गई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) छठी योजना में निजी क्षेत्र में राज्य-वार निवेश के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। छठी योजना के पहले 4 वर्षों में निजी, निगमित और सहकारी क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण वर्तमान कीमतों पर 20964 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

विवरण

राज्यों की छठी पंचवर्षीय योजना के लिए औद्योगिक और खनन क्षेत्र के अन्तर्गत आबंटित परिव्यय

(लाख रु०)

राज्य	ग्रामीण और लघु उद्योग	मझौले और बड़े उद्योग	खनन	जोड़ कालम (2+3+4)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	3000	5566	2000	10566
असम	3000	2200	275	5475
बिहार	4700	4515	650	9865
गुजरात	6150	8810	1150	16110
हरियाणा	1946	1100	40	3086
हिमाचल प्रदेश	905	800	100	1805

1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर	3470	3307	500	7277
कर्नाटक	7400	8660	208	16268
केरल	4980	10820	150	15950
मध्य प्रदेश	3340	2980	575	6895
महाराष्ट्र	6026	12940	250	19216
मणिपुर	1250	700	50	2000
मेघालय	400	450	100	950
नागालैंड	500	440	260	1200
उड़ीसा	2700	3200	600	6500
पंजाब	2061	6087	20	8168
राजस्थान	1950	4509	1900	8359
सिक्किम	360	174	120	654
तमिलनाडु	8000	8992	185	17177
त्रिपुरा	850	536	10	1396
उत्तर प्रदेश	12523	18002	1810	32335
पश्चिम बंगाल	6000	21134	200	27334
कुल-राज्य	81511	125922	11153	218586

स्वदेशी पर्यटन के चुने हुए केन्द्रों का विकास

3551. **श्री रेणुपद दास** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी पर्यटन के यात्रा सर्किट कार्यक्रम के बजाए कुछ चुने हुए केन्द्रों का चयनात्मक विकास करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में राज्य सरकारों से कोई विचार-विमर्श किया है क्योंकि सरकार के निर्णय का अन्य केन्द्रों के विकास पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गलहोत) : (क और (ख)

स्वदेशी पर्यटन के लिए सुविधाओं का विकास करना एक सतत् प्रक्रिया है। इसलिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर के साथ सहयोग करते हुए पर्यटन महत्व के अभिज्ञात केन्द्रों पर आधार संरचना का विकास जारी रखेगी। तथापि, संसाधनों पर नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए, अपर्याप्त संसाधनों को अधिक संख्या में पर्यटक केन्द्रों के विकास पर थोड़ा-थोड़ा छितराने के बजाए, विभाग, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करते हुए चुने हुए केन्द्रों, जो प्रसिद्ध हैं या भरपूर संभाव्यता रखते हैं, पर अपना ध्यान संकेन्द्रित करेगा।

नगर निगम के कर्मचारियों की वरीयता के लिए उनकी पिछली सेवाओं का गणना में लिया जाना

3552. **प्रो० एम० आर० हाल्दर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम सेवा विनियम, 1959 बनाए हैं;

(ख) क्या उक्त विनियमों में यह उपबन्ध है कि उसमें विशिष्ट रूप से उपबन्ध न किए गए मामलों में नगर निगम अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमों और विनियमों से नियंत्रित होंगी;

(ग) क्या नगर निगम के विनियमों और केन्द्र सरकार के नियमों के अन्तर्गत नगर निगम के कर्मचारियों की वरीयता का निर्धारण करते समय किसी सरकारी विभाग में उनकी पिछली सेवाओं की गणना नहीं की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो नगर निगम में हाल ही में पदोन्नत किए गए और सहायक अभियंता अथवा उप-अभियंता के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले कुछ कनिष्ठ अभियंताओं की पिछली सेवाओं की गणना करने के क्या कारण हैं और क्या उनका मंत्रालय आयुक्त को नियमों और विनियमों का पालन करने तथा उन कनिष्ठ अभियंताओं को न्याय दिलाने हेतु जिनकी वरीयता पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश देगा ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) इस मामले में दिल्ली नगर निगम से पूरे ब्यौरे भेजने का अनुरोध किया गया है।

कानपुर से बम्बई, भोपाल, मद्रास और हैदराबाद तक सीधी विमानसेवा

3553. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को व्यापार बढ़ाने की दृष्टि से कानपुर से बम्बई, भोपाल, मद्रास और हैदराबाद तक सीधी विमान सेवा शुरू करने के बारे में कानपुर के लोगों की मांग प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है और उक्त सेवा कब तक शुरू किये जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) विमानक्षमता की कठिनाई के कारण इंडियन एयरलाइन्स फिलहाल ऐसी कोई सेवा शुरू नहीं कर सकती। तथापि, कानपुर से बम्बई तक यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रतिदिन दिल्ली से सुविधाजनक संयोजन उड़ानें और कानपुर-मद्रास-हैदराबाद सैक्टर पर यात्रियों को दिल्ली से चार दिन संयोजन उड़ानें उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

अस्पृश्यता के मामले

3554. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत देश में राज्य-वार कुल कितने मामले दर्ज किए गए और इन मामलों पर क्या कार्यवाही की गई और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) उपर्युक्त मामलों में से कुल कितने मामले जांच करने के पश्चात् न्यायालयों को भेजे गए और कितने मामलों में सजा दी गई तथा कितने मामले बन्द कर दिए गए; और

(ग) क्या उपर्युक्त मामलों की गम्भीरता की दृष्टि से सरकार का विचार कठोर कार्यवाही करने का है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने, वर्ष 1981 और 1982 और 1983 के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पर वार्षिक रिपोर्टों को क्रमशः 23-12-83 और 10-4-1985 को लोक सभा पटल पर रख दिया था। इन रिपोर्टों में, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत देश में राज्य-वार दर्ज मामलों की संख्या, जांच के बाद पुलिस द्वारा बन्द किए गए मामलों की संख्या, दोष सिद्ध और दोष मुक्त हुए मामलों की संख्या के विषय में सूचना है। वर्ष 1984 के लिए रिपोर्ट यथा समय लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जैसा कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15क(2) के तहत अपेक्षित है, राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष न्यायालय/चलते फिरते न्यायालय स्थापित करने के लिए, अनुसूचित जाति के पीड़ितों को कानूनी

सहायता देने की व्यवस्था, मुकदमों पर कार्रवाई प्रारम्भ करने या पर्यवेक्षण के लिए अधिकारी नियुक्त करना, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन की संवीक्षा के लिए उपयुक्त स्तरों पर समितियां गठित करने जैसे उपाय कर रही है।

धार्मिक महत्व के स्थान पर विशेष क्षेत्र प्राधिकरणों का गठन करने की योजना

3555. **श्री मोहम्मद अयूब खां** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बौद्ध तीर्थ स्थल सांची में विशेष क्षेत्र प्राधिकरण का गठन करने के पश्चात् पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यदि हां, तो क्या धार्मिक महत्व के अन्य स्थलों के लिए भी इसी प्रकार के प्राधिकरण गठित करने की कोई योजना है ?

पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बम्बई की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले गंदी बस्तियों के लोगों को नागरिक सुविधाएं

3556. **श्री गुरूदास कामत** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले गंदी बस्तियों के हजारों लोगों को कोई नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं और वे लोग वहां एक दशक से अधिक समय से रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इन बस्तियों को नियमित करने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ताकि राज्य सरकार इन क्षेत्रों मे आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा सके;

(घ) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार का निवेदन केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है और इस मामले में कब तक निर्णय लेने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार महाराष्ट्र सरकार से परामर्श करके इन लोगों को वैकल्पिक स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए शीघ्र कदम उठाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का यह दायित्व नहीं है कि वह उन अतिक्रमण करने वालों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जो बम्बई हवाई अड्डे पर उड़ानों को गम्भीर सुरक्षा और प्रचालन सम्बन्धी खतरे उत्पन्न करें।

(ग) और (घ) अनियमित बस्तियों को नियमित करने हेतु "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी करने के बारे में महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, उस सरकार से अतिक्रमण करने वालों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसे प्रचलनात्मक सुरक्षा की दृष्टि से स्वीकार नहीं किया गया।

(ङ) केन्द्रीय सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार इन अतिक्रमण करने वालों को हटाने के लिए संयुक्त प्रयास कर रहे हैं।

इलैक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए सामग्री के विकास हेतु केन्द्र की स्थापना

3557. **श्री हरिहर सोरन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इलैक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए सामग्री के विकास हेतु एक केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्र की स्थापना कब तक हो जाने की आशा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रॉनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 1986 तक

(ग) अनेक अनुसंधान-संस्थानों के शीर्षस्थ वैज्ञानिकों तथा सरकार के सम्बन्धित तकनीकी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सामूहिक चर्चा की गई है। परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत दस्तावेज तैयार किये जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में वायुदूत सेवा से जोड़े गये स्थान

3558. **श्री सैयद मसुदल हुसेन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक वायुदूत सेवा से जुड़े हुए स्थानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सेवा के द्वारा पश्चिम बंगाल के और स्थानों को जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे स्थानों को कब तक जोड़ा जाएगा और उनके नाम क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) विभिन्न

राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में फिलहाल वायुदूत सेवाओं से जुड़े हुए स्टेशनों के नाम निम्नलिखित हैं :—

आन्ध्र प्रदेश

1. कुडप्पा
2. राजामुंदरी
3. हैदराबाद
4. तिरुपति

आसाम

1. सिलचर
2. गुवाहाटी

बिहार

1. जमशेदपुर
2. रांची

गुजरात

1. काण्डला
2. भावनगर
3. सूरत

हिमाचल प्रदेश

1. कुल्लू

कर्नाटक

1. बंगलूर
2. मैसूर

मध्य प्रदेश

1. इन्दौर

महाराष्ट्र

1. बम्बई
2. औरंगाबाद
3. रत्नागिरी (मानसून के कारण सेवाएं अस्थाई आधार पर बन्द की गई)
4. नांदेड
5. पुणे

मेघालय

1. शिलांग

उड़ीसा

1. राउर केला
2. भुवनेश्वर

पंजाब

1. लुधियाना

राजस्थान

1. जयपुर
2. जोधपुर (सेवाएं अस्थाई तौर पर बन्द की गई)
3. कोटा
4. बीकानेर

उत्तर प्रदेश

1. देहरादून
2. पन्तनगर
3. लखनऊ
4. राय बरेली
5. कानपुर

पश्चिमी बंगाल

1. कलकत्ता
2. कूच बिहार

संघ राज्य क्षेत्र

1. दिल्ली
2. चण्डीगढ़

(ख) से (घ) पश्चिमी बंगाल में कूच बिहार ही एक ऐसा स्टेशन है जिसे वायुदूत के विस्तार कार्यक्रम के प्रथम चरण में विमानसेवा से जोड़ने के लिए चुना गया था। वायुदूत द्वारा पश्चिमी बंगाल में किसी अन्य स्टेशनों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करने की कोई तात्कालिक योजनाएं नहीं हैं। पश्चिमी बंगाल सरकार के अनुरोध पर, वायुदूत को जलपाईगुड़ी माल्दा और पश्चिमी दिनाजपुर के लिए प्रचालनों की साध्यता का आंकलन करने के लिए एक यातायात सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया था। माल्दा और दिनाजपुर के लिए सर्वेक्षण किया गया है। जलपाईगुड़ी के लिए यातायात सर्वेक्षण नहीं किया है। सम्बन्धित सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर, आधारभूत सुविधाओं और विमान क्षमता के उपलब्ध होने पर, वायुदूत चालू योजना अवधि के दौरान इन स्टेशनों को विमान सेवाएं उपलब्ध करा सकती है।

विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय

3559. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 20 जुलाई, 1985 के हिन्दुस्तान में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने यह बताया कहा जाता है कि भारत में "वास्तविक समस्या निचले स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार है"; और

(ख) यदि हां, तो वाणिज्य, उद्योग, पेट्रोलियम, वित्त और टेलीफोन विभाग जैसे जनता से

सम्बद्ध कार्य करने वाले मंत्रालयों में इस बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक त्रिस्तरीय नीति, अर्थात् निवारण, निगरानी तथा जासूसी तथा निवारक दण्डात्मक कार्रवाई को अपनाया गया है तथा वाणिज्य, उद्योग, पेट्रोलियम, वित्त, मंत्रालयों तथा दूर संचार विभाग सहित सभी मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। इन मंत्रालयों द्वारा किए गए कतिपय महत्वपूर्ण उपायों में प्रक्रियाओं तथा परिपाटियों का सरलीकरण तथा उदारीकरण, सतर्कता तंत्र को सुदृढ़ करना, भ्रष्टाचार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों तथा भ्रष्ट तत्वों, जिन पर निगरानी रखी जाती है, का पता लगाना, सुरक्षा व्यवस्था को कठोर बनाना, सतर्कता के मामलों को शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाना शामिल है।

तमिलनाडु में स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि

3560. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के कितने प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानियों, जो पांच वर्ष से अधिक समय के लिए जेल गए थे ने बढ़ी हुई पेंशन के लिए आवेदन किया है;

(ख) तमिलनाडु में तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पेंशन मंजूर करने के लिए उनकी याचिकाओं पर क्या कार्रवाई की गई है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) तमिलनाडु राज्य में दिनांक 1-6-85 से पहले स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के सामने दिखाए गए स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन को बढ़ाकर 500 रु० प्रति माह कर दिया गया था :—

(i) श्री ए० बी० नेगियर—जिला मदुरै

(ii) श्री आर० चिदम्बरा भारती—जिला मदुरै

(iii) डा० टी० कानन—जिला मद्रास

(iv) श्री एस० एन० सोमायाजुलु—जिला तिरूनेलवेली

चूंकि सरकार ने अब दिनांक 1-6-85 से सभी स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन को 500 रुपये तक बढ़ाने का निर्णय किया है अतः व्यक्तिगत मामलों में पेंशन को 500 रु० तक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

वनारोपण और गंगा का शुद्धिकरण

3561. **श्री चिन्त मोहन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या समाज के उन उपेक्षित वर्गों, जो देश का बहुसंख्यक है, के लिए आशा, निश्चिन्तता का और समृद्धि के नये युग लाने के सूत्रपात करने के उद्देश्य से वन रोपण के सम्पूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करने तथा गंगा और अन्य नदियों को साफ करने के उद्देश्य से भू-सेना (लैण्ड आर्मी) की योजना पर विचार किया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : यद्यपि वनरोपण कार्यक्रमों, प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय संरक्षण में अत्यधिक जन सहभागिता ली जा रही है, इस समय इन प्रयोजनों के लिए भू-सेना के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मद्रास हवाई अड्डे की छत का टपकना

3562. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग एक माह पहले नए मद्रास हवाई अड्डे (डोमेस्टिक टर्मिनल) की छत इसके खोले जाने के कुछ सप्ताहों के भीतर ही बहुत अधिक टपकने लगी थी; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार का खराब निर्माण कार्य फिर से न किया जाए, नागर विमानन विभाग या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) पहली वर्षा के दौरान मद्रास विमानक्षेत्र के अन्तर्देशीय अंतस्थ भवन में कुछ थोड़ा-सा रिसाव देखा गया था। यह रिसाव विस्तारित कार्य के जोड़ों से हो रहा था जहां जल-रिसाव को बन्द करने सम्बन्धी कार्य चल रहा था तथा यह कार्य उस समय तक पूरा नहीं किया जा सका था।

(ख) क्योंकि जल-रिसाव, जल-रिसाव बंद किये जाने सम्बन्धी कार्य के पूरा किये जाने से पहले ही हो चुका था, इसलिए न तो भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के किसी अधिकारी के विरुद्ध अथवा न ठेकेदार के विरुद्ध ही कोई कार्यवाही करना आवश्यक समझा गया।

उड़ीसा सरकार द्वारा तीर्थ यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था करना

3563. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने भगवान जगन्नाथ मंदिर के दर्शनों के लिए पुरी आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर आवास सुविधा प्रदान करने के लिए एक होटल का निर्माण करने की योजना तैयार की है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इस संबंध में वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग को, उड़ीसा राज्य सरकार से भगवान जगन्नाथ मंदिर के दर्शनार्थ आने वाले तीर्थ-यात्रियों के लिए बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए पुरी में एक होटल के निर्माण हेतु, वित्तीय सहायता प्रदान करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। तथापि, उत्कल अशोक कार्पोरेशन लिमिटेड ने, जिसका कि भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड तथा उड़ीसा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा सामूहिक रूप से प्रवर्तन किया गया है, पुरी में 190 लाख रु० की अनुमानित लागत से एक 44 कमरों वाले 3-सितारा होटल का निर्माण प्रारम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय यात्री आवास विकास समिति 13.50 लाख रु० की अनुमानित लागत से पुरी में एक यात्रिका का निर्माण कर रही है जिसका 90 प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार वहन करेगी।

वर्दियों की चोरी

3564. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी**
श्री काली प्रसाद पाण्डेय
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री जगन्नाथ पटनायक
श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जुलाई, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एमस्टरडम के डच एयरलाइन "के० एल० एम०" के चालक दल की वर्दियों की चोरी के समाचारों के बाद एयर इंडिया के प्रबन्ध मण्डल ने चालक दल की वर्दियों की संभावित चोरियों के बारे में सारे विश्व में सचेत रहने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) एयर इंडिया के सभी मार्गस्थ स्टेशनों को सतर्क कर दिया गया था और आई० ए० टी० ए० (अन्तर्राष्ट्रीय विमानन परिवहन संगठन) को सूचित किया गया था कि वे अन्य विमान वाहकों को सतर्क कर दें। एयर इंडिया ने अपने सभी कर्मीदलों को एक परिपत्र भी जारी किया था जिसमें उन्हें चेतावनी दी गई थी कि वे इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित करें कि उनकी वर्दी/पहचान पत्र गुम न हो जाएं।

विभिन्न राज्यों में आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी का रुख

3565. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने गत तीन अथवा चार वर्षों के दौरान उनके राज्यों में आने वाले पर्यटकों की संख्या कम होने के रुख के बारे में चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो पर्यटकों का वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) पर्यटन से संबंधित सभी मामलों में, विभिन्न स्तरों पर, राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से चर्चाएं की जा रही हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए केवल जम्मू व काश्मीर सरकार से विशिष्ट अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) फिलहाल, बहुत से राज्यों में पर्यटक आंकड़े एकत्र करने का कोई नियमित तरीका नहीं है। इसीलिए, सरकार स्वदेशी पर्यटन संबंधी आंकड़ों के एकत्रीकरण/संकलन हेतु एक योजना प्रारम्भ कर रही है। देश में पर्यटन संवर्धन के लिए सातवीं योजना के दौरान प्रस्तावित कदमों में आधार-संरचना सुविधाओं में सुधार, राष्ट्रीय विरासत क्षेत्रों का परिरक्षण, स्मारकों पर प्रकाश-पुंज-व्यवस्था, स्थल-परिवहन की क्वालिटी में सुधार, समुद्र-तट, विहार और वन्य-जीवन पर्यटन का विकास, हिमालयन ट्रेकिंग तथा जल-क्रीड़ाओं की सुविधाओं में सुधार करना आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में पर्यटक गांवों की स्थापना

3566. **श्री मोहम्मद अयूब खां :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने वर्ष 1983 के दौरान राज्य में चार स्थानों पर पर्यटक गांव स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था; यदि हां, तो विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार जोधपुर, बाड़मेर, झुनझुन, सीकर आदि में पर्यटक गांव स्थापित करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने पर्यटक गांवों की स्थापना करने में सहायता लेने के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे थे। इसी दौरान पर्यटन विभाग ने पर्यटक गांवों का निर्माण करने की स्कीम सम्बन्धी विचार त्याग दिया था।

तदनुसार, फिलहाल राजस्थान में ऐसी किसी भी प्रकार की स्कीमों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार

3567. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के सतर्कता विभाग ने निगम के इंजीनियरों द्वारा ठेके देने के कार्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का पता लगाया है;

(ख) क्या इस बारे में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मामलों की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सतर्कता विभाग ने मई, 1985 के दौरान विशेष जांच पड़तालों में निविदाओं तथा कार्यों के देने में अनेक अनियमितताओं का पता लगाया।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग दिल्ली नगर निगम ने अभी तक तीन अधिकारियों, जो अनियमितताएं बरतने के लिए प्रत्यक्षत: दोषी थे, के विरुद्ध मुख्य-दण्ड देने हेतु विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की है।

इण्डियन एयरलाइन्स से जुड़े स्थान

3568. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "डिसकवर इंडिया स्कीम' के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइंस से देश के कौन-कौन से स्थान जुड़े हैं;

(ख) उक्त योजना कब से चल रही है;

(ग) इस योजना के बारे में विदेशी पर्यटकों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों की अब तक क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) "दी डिस्कवर इण्डिया" योजना इण्डियन एयरलाइन्स के अन्तर्देशीय नेट वर्क पर उपलब्ध है (बशर्ते) कि स्थानांतरण/संयोजकों के प्रयोजन के अतिरिक्त विमान सेवा किसी शहर से एक बार से अधिक बार न गुजरे।

(ख) यह योजना सितम्बर, 1984 से प्रचालन में है और समय-समय पर इसमें संशोधन किया गया है।

(ग) और (घ) यह योजना लोकप्रिय हुई है। कुछ समय से पर्यटक यातायात में गिरावट आ जाने के कारण, बिक्री पर प्रभाव पड़ा है।

आंध्र प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए धनराशि देना

3569. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं योजना के दौरान सरकार का पहाड़ी क्षेत्रों के विकास पर लगभग 1000 करोड़ रुपये खर्च करने का विचार है;

(ख) अन्य राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों पर इस प्रकार के विकास पर कितनी राशि खर्च किए जाने का विचार है; और

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस बारे में अनुरोध किया है, यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का सातवीं योजना का आवंटन अभी निर्धारित किया जाना है।

(ग) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार से इस बारे में अनुरोध प्राप्त हुआ है कि पूर्वी घाट क्षेत्र को भी पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया जाए। राज्य सरकारों को यह सूचित कर दिया गया है कि नए क्षेत्रों को पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले कार्यक्रमों पर, योजना आयोग द्वारा, सम्बन्धित कार्यदलों की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद विचार किया जाएगा।

कलकत्ता आने वाले विदेशियों की संख्या में कमी

3570. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान कलकत्ता आने वाले विदेशियों की संख्या में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) कलकत्ता आने वाले विदेशियों की संख्या में कब से कमी आनी शुरू हुई है;

(घ) कलकत्ता आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आने के क्या कारण है; और

(ङ) विदेशी पर्यटकों को कलकत्ता आने के लिए आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) विभिन्न नगरों में विदेशी पर्यटक आगमनों के आंकड़े अलग-अलग रूप में उपलब्ध नहीं हैं। तथापि पिछले 3 वर्षों के दौरान कलकत्ता एयरपोर्ट पर उतरने वाले पर्यटकों (बंगला देश और पाकिस्तान से आए पर्यटकों को छोड़कर) की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	पर्यटक आगमन
1982	33,827
1983	36,688
1984	37,021

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विभिन्न पर्यटक स्थलों पर केन्द्र राज्य तथा निजी क्षेत्र के मिले-जुले संसाधनों द्वारा पर्यटन आधार-संरचना का विकास एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार से जब उपयुक्त योजनाएं प्राप्त होंगी तो सरकार उन पर सहायतार्थ विचार करेगी।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत ग्राम स्वराज की विचार धारा पर आधारित योजना

3571. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को महात्मा गांधी के वर्धा जिले के लिए आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त और ग्राम स्वराज की विचारधारा पर आधारित एक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में प्रस्तावित परियोजनाओं और उनके वित्तीय परिव्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार को यह योजना कब प्राप्त हुई;

(घ) इसे मंजूरी देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र से कितनी सहायता मांगी गई थी और कितनी सहायता दी गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) वर्धा जिले के लिए महाराष्ट्र सरकार ने योजना आयोग को एक योजना प्रस्तुत की है।

योजना के प्रारूप में निम्नलिखित क्षेत्रों के अन्तर्गत स्कीमों को शामिल किया गया है (प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रस्तावित परिव्यय इसके सामने दिया गया है)।

स्कीमें	प्रस्तावित परिव्यय (करोड़ रु०)
1. कृषि और संबद्ध सेवाएं	59.96
2. सहकारिता	19.39
3. जल	14.62
4. बिजली (विद्युत विकास)	14.09
5. उद्योग और खनन	27.24
6. परिवहन और संचार	11.62
7. सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	37.02
	183.94

(च) यह योजना आयोग में फरवरी, 1984 में प्राप्त हुआ था।

(छ) योजना आयोग द्वारा योजना के विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है।

(ङ) वर्धा जिले की प्रस्तावित योजना में दी गई वित्त व्यवस्था के स्वरूप से, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए, 183.94 करोड़ रु० के कुल परिव्यय में से 13.91 करोड़ रु० केन्द्रीय सरकार के भाग के रूप में दिखाए गए हैं। वर्धा योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को अभी तक कोई विशेष निधियां नहीं दी गई हैं।

आर्थिक कसौटी के आधार पर आरक्षण

3572. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी नौकरियों और व्यावसायिक/शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के उद्देश्य से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए आर्थिक कसौटी लागू करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) कितने राज्यों ने आर्थिक कसौटी अपनाई है और किन राजनैतिक दलों ने आर्थिक कसौटी के साथ-साथ जाति को भी अर्थात् आर्थिक सीमा अपनाने का सुझाव दिया है;

(ग) ऐसे कितने राज्य और संघ क्षेत्र हैं, जिन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में संवैधानिक निदेशों को लागू नहीं किया है;

(घ) कितने राज्यों ने मिश्रित कसौटी अर्थात् जाति, आर्थिक और व्यावसायिक कसौटी अपनाई है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में किन-किन राज्यों के मामले उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में चल रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। फिर भी, हमारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने की नीति जो अब तक अपनाई जा रही है, से हटने का कोई विचार नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) कोई नहीं।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने गृह मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना काम पहले ही कर चुका हूं। मैंने इसे अग्रेषित कर दिया है। समय आने पर मैं आप से बात करूंगा और हम देखेंगे, इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : महोदय, तीस व्यक्ति मारे गए हैं और मैंने इस सम्बन्ध में नोटिस दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मामला राज्य सरकार का विषय है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं···

(व्यवधान)

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय कोई सुरक्षा नहीं है···

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य सरकार का विषय है। मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : वहां सेना के लोग मौजूद हैं। यह केन्द्रीय सरकार की सेना के हैं···

अध्यक्ष महोदय : यह पहले से ही मेरे ध्यान में है। मैं इसका पता लगाऊंगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपके ध्यान में तथ्य लाना चाहता हूं कि श्रम मंत्री महोदय ने इसी सदन में यह आश्वासन दिया था कि बंधुआ मजदूरों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से कैसे बोल सकते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : आज बंधुआ मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप किसी अन्य विषय के अन्तर्गत इसे उठा सकते हैं। आप इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह सारे भारत की समस्या है।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय अखिल भारतीय निर्णय है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको चर्चा करने से रोक नहीं रहा।

प्रो० मधु दंडवते : श्रम मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए।

जब बंधुआ मजदूर संसद तक आकर न्याय की मांग कर रहे हैं तो उन्हें उस मामले पर वक्तव्य देना चाहिए।

आप उन्हें ऐसा करने के लिए क्यों नहीं कहते ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें कह नहीं रहा तो उन्हें रोक भी नहीं रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : जब वे लोग संसद के समक्ष एक अखिल भारतीय समस्या लेकर आए हैं, उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करवाने के लिए आए हैं तो उन्हें वक्तव्य देना ही चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। यदि वह वक्तव्य देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : आज वे प्रधान मन्त्री से मिल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : महोदय, आपने हमारा स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत करके अच्छा किया···

अध्यक्ष महोदय : अच्छा तो नहीं किया पर उसका कोई आधार नहीं था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय मैं आपसे केवल अनुरोध कर रहा हूं। प्रेस में यह खबरें छप

रही हैं कि असम समस्या के किसी समझौते पर कर हस्ताक्षर लिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : समाचार पत्रों में ऐसा छपा है लेकिन जब तक तथ्य नहीं आते, मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री इंद्रजीत गुप्त : सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिए। गृह मन्त्री को सदन में बताना चाहिए कि समझौते की शर्तें क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : समय आने पर बताएंगे। उससे पहले कैसे बता सकते हैं।

क्या आपको उस घटना के बारे में पता है जो हाउस आफ कामन्स में घटी थी ? वहां एक सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव रखा। उसका कहना था कि एक व्यक्ति को परसों फांसी पर लटकाया जाने वाला है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : कुछ भी हो महोदय मैं स्थगन प्रस्ताव के लिए जोर नहीं दे रहा। लेकिन आपको कोई ऐसा रास्ता ढूंढ़ना चाहिए जिसके माध्यम से सदन को समझौते की शर्तों के बारे में सूचना दी जा सके। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट··· (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : क्या सरकार वायदे से मुकर रही है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम। यह तो महज एक सूचना है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : अध्यक्ष महोदय एक बहुत ही इम्पोर्टेन्ट मामला प्रकाश में आया है। महात्मा गांधी पर एक बहुत बड़ी फिल्म बनी है···

अध्यक्ष महोदय : उस विषय पर हम सोमवार को डिस्कशन कर रहे हैं और उस दिन आप भी बहस में हिस्सा लीजिए।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : मैंने एक नोटिस दिया है। सरकारी नीतियों का फायदा आम आदमियों को नहीं मिल रहा है। मैंने एक नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : बिहार में बाढ़ की स्थिति के बारे में हमने एक नोटिस दिया है। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब समय नहीं है। मैंने एक चर्चा करवा दी है और अब समय नहीं है।

श्री टी० बशीर (चिरायिकिल) : ये समाचार है कि···

अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या है? समाचार का प्रश्न नहीं उठता। आप क्या चाहते हैं?

श्री टी० बशीर : मास्को महोत्सव में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के कुछ सदस्यों ने भारतीय झण्डे नहीं लिए हुए थे।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कुछ लिखित में दिया है?

श्री टी० बशीर : कृपया मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने मुझे कुछ लिखित में दिया है?

श्री टी० बशीर : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : क्या दिया है? पहले मुझे बताइए कि आप किस नियम के अन्तर्गत तथा किस बारे में बोल रहे हैं। क्या आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, या स्थगन प्रस्ताव, या विशेषाधिकार प्रस्ताव या कोई और प्रस्ताव दिया है?

श्री टी० बशीर : मैं आज दे रहा हूं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (हावड़ा) : महोदय मैंने एक नोटिस दिया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में कामकाज पूरी तरह से ठप्प पड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : कलकत्ता विश्वविद्यालय में कामकाज पूरी तरह से ठप्प पड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : किस तरह 'ठप्प' पड़ा है ? (व्यवधान) मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : यह समवर्ती सूची के अन्तर्गत आता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा कि क्या बात है ?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : पूरी तरह ठप्प पड़ा है ··

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा कि क्या बात है।

प्रो० के० के० तिवारी : मेरा प्रश्न यह है कि···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। आप सभी बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप उन्हें क्यों अनुमति दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कौन अनुमति दे रहा है ? आप बेकार ही बात क्यों बढ़ा रहे हैं। अनुमति देना मेरा काम है। अनुमति नहीं है। मुझे तो हर बात पर विचार करना पड़ता है। तथ्यों के बारे में सुनिश्चिय करने के बाद ही मैं निर्णय लेता हूं। बिना विचारे मैं काम नहीं कर सकता।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैंने पांच बार नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका अभी पता लगाता हूं। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : तो आप इस पर विचार कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैंने पहले भी यही बात कही थी। मुझे और कितनी बार कहना पड़ेगा ?

डा० कृपा सिंधु भोई (सम्भलपुर) : महोदय, मेरा निवेदन है कि वित्त मन्त्रालय को एक वक्तव्य जारी करना चाहिए···

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने मुझे कुछ लिखित में दिया है ?

डा० कृपा सिंधु भोई : जी हां, महोदय, दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या दिया है ? किस नियम के अन्तर्गत दिया है ? अगर नहीं दिया होगा तो आप पकड़े जाएंगे। फिर मैं आपसे स्पष्टीकरण मांगूंगा।

डा० कृपा सिंधु भोई : यह मामला बहुत नाजुक है। अगर नहीं दिया होगा तो उसकी जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर लूंगा। मैं नोटिस दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा। हां, श्रीमती गीता मुखर्जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। अगर आपने दिया होगा तो मैं इस पर विचार करूंगा। आप मेरे पास आइए।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव दिया है।

डा० कृपा सिंधु भोई : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : किस बारे में है ?

डा० कृपा सिंधु भोई : वित्त विभाग इस साल बैंक कर्मचारियों पर 1500 करोड़ रुपये व्यय कर चुका है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैं इस तरह काम नहीं कर सकता।

डा० कृपा सिंधु भोई : उन्होंने हड़ताल कर दी है। क्या वह विचार करेंगे कि···

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, असम पर मेरे स्थगन प्रस्ताव को आपने अस्वीकृत कर दिया है। कल 15 अगस्त है सुन रहे हैं कि समझौता···

(व्यवधान)

———

12·06 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस (नियुक्ति तथा भर्ती) (पहला संशोधन) नियम, 1985

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : महोदय, मैं श्री आरिफ मोहम्मद खां की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

"दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अन्तर्गत

दिल्ली पुलिस (नियुक्ति तथा भर्ती) पहला संशोधन नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिल्ली के राजपत्र में 12 जून, 1985 को अधिसूचना संख्या एफ 10/46/83-होम (पी) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1316/85]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के
अन्तर्गत अधिसूचना

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि०633(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 5 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा, 1 नवम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या 234/82-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि किसी औद्योगिक एकक के अपशिष्ट परिशोधन संयंत्र से प्राप्त अवपंक को छूट दी जा सके। सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1317/85]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मैं अटकलें नहीं लगा सकता। नहीं नहीं, अनुमति नहीं है।

अब सभा-पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या हुआ ? महोदया मैंने दूसरा काम शुरू भी कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री सफुद्दीन चौधरी (कटवा) : सदन को गुमराह करने पर गृह मन्त्री के खिलाफ हमारे द्वारा रखे गए विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में आपने कुछ नहीं कहा है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तो आप दूसरी बार क्यों चाहते हैं ? अनुमति नहीं है। मैं आपको पहले जवाब दे चुका हूं। मैंने कहा है कि मैं तथ्य इकट्ठे कर रहा हूं। आपने पहले क्यों नहीं सुना।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम 1985 तथा अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) तीसरा संशोधन नियम, 1985

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 3 अगस्त, 1985 को अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 713 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1318/85]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) तीसरा संशोधन नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 3 अगस्त, 1985 को अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 710 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1319/85]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (चौथा संशोधन) नियम, 1985

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 की धारा 18 के अन्तर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (चौथा संशोधन) नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 27 जुलाई, 1985 को अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 690 में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1320/85]

अनिवार्य सेवा अधिनियम 1981 के अन्तर्गत अधिसूचना

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 की धारा 2 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 595 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 8 अगस्त, 1985 में प्रकाशित हुई थी तथा जो आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 के प्रयोजनार्थ

यूरेनियम उद्योग की किसी सेवा को आवश्यक सेवा घोषित करने के बारे में है, सभा पटल पर रखता हूं।

[पंचालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० –1321/85]

12.08 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 1985 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 7 अगस्त, 1985 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० थाम्बी दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : महोदय, मैं, गृह मन्त्रालय-दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

का प्रशासन-भाग 2—प्रदूषण नियन्त्रण के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (सातवीं लोक सभा) के 81वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.09 म० प०

लोक लेखा समिति

पहला, दूसरा, छठा और सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

1. प्रशिक्षक वायुयान के आयात के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति (सातवीं लोक सभा) के 215वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में पहला प्रतिवेदन।
2. मैट्रो-रेल, कलकत्ता के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति (सातवीं लोक सभा) के 55वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में दूसरा प्रतिवेदन।
3. विरमगाम-ओखा-पोरबन्दर सैक्शन की लाइन में परिवर्तन के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति (सातवीं लोक सभा) के 228वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में छठा प्रतिवेदन।
4. सीमा-शुल्क प्राप्तियां-यात्री सामान पर शुल्क के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति (सातवीं लोक सभा) के 200वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सातवां प्रतिवेदन।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.10 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

[हिन्दी]

वनों के विनाश तथा वायु, जल और वायुमण्डल के प्रदूषण का समाचार

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, वनों के विनाश तथा हवा, पानी और वायुमण्डल के प्रदूषण के समाचार तथा देश में पारिस्थितिक सन्तुलन के संरक्षण और अनुरक्षण के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की ओर पर्यावरण और वन मन्त्री का ध्यान दिलाती हूं।

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : महोदय, सरकार को पारिस्थितिकी सन्तुलन के रख-रखाव और प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता की पूरी जानकारी है। पर्यावरणीय मामलों के बढ़ते हुए महत्त्व को जानते हुए, केन्द्र में नवम्बर, 1980 में पर्यावरण विभाग की एक नोडल विभाग के रूप में स्थापना की गई थी। अभी हाल ही में पर्यावरण और वन मंत्रालय का गठन किया गया था। कई राज्य सरकारों ने भी पर्यावरण विभागों का सृजन किया है अथवा नाम रखा है।

व्यापक आधार पर दीर्घकालीन संरक्षण उपायों को आरम्भ किया गया है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधिनियमन से वनों का गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए प्रयोग में काफी कमी आई है। राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों को सलाह दी गई है कि वे संवेदी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के बारे में विलम्बन लगाएं और वनों की सुरक्षा के लिए अधिक सतर्कता बरतें। वन प्रबन्ध योजनाओं को तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं जिनमें पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और रख-रखाव पर बल दिया गया है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों को बढ़ाया गया है। इस सम्बन्ध में हाल ही में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना करके एक मुख्य शुरूआत की गई है जिसका उद्देश्य प्रतिवर्ष 5 मिलियन हैक्टेयर पर ईंधन और चारे के लिए पौधरोपण करना है।

प्राणी-भौगोलिक क्षेत्रों के 13 स्थलों को जैविक विविधता के संरक्षण के लिए जीव मण्डल के रूप में मनोनयन हेतु पहचान की गई है। विशेषकर छात्रों, महिलाओं तथा ग्रामीण युवकों के सक्रिय जन-भागीदारिता से निम्नीकृत पारि-प्रणालियों के सुधार के लिए प्रोद्योगिकियों के प्रदर्शन के लिए पारि-विकास कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं। विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों में निम्नीकृत पारि-प्रणालियों के संरक्षण के लिए प्रायोगिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। चुने प्राथमिक क्षेत्रों में हिमालयन पर्यावरण तथा विकास संस्थान और उन्नत अध्ययनों के कुछ केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। पर्यावरणीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण को एक विशेष भूमिका सौंपी गई है। प्रमुख विकास

[श्री वीर सेन]

परियोजनाओं में पर्यावरणीय सुरक्षा को शामिल करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार की गई है।

प्रमुख बस्तियों के अनुप्रवाह में, हमारी नदियां नगरीय तथा औद्योगिक अपशिष्टों से अलग-अलग मात्रा में प्रदूषित हो जाती हैं। कुछ शहरी एवं औद्योगिक केन्द्रों के स्थानों पर वायु गुणवत्ता भी खराब हुई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य बोर्डों (अभी तक 18 स्थापित हुए हैं) के क्रिया-कलापों में समन्वय करता है जो अपने-अपने राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्टेशनों के एक तंत्र जाल (नेट वर्क) के माध्यम से जल एवं वायु की गुणवत्ता का प्रबोधन किया जा रहा है। केन्द्रीय बोर्ड ने सभी प्रमुख अन्तर्राज्यीय नदियों का उपयोग के आधार पर जोनिंग एवं वर्गीकरण पूरा किया है। यमुना एवं गंगा नदी के प्रदूषण कार्य उद्योगों की नदी मुहानेवार सूची बनाई गई है। कुछ बड़े उद्योगों के समूह के लिए निस्सरण मानकों को बताने वाले न्यूनतम राष्ट्रीय मानक निर्धारित किये गये हैं। केन्द्रीय एवं राज्य बोर्ड उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपाय करने हेतु समझा-बुझा रहे हैं एवं जहां कहीं आवश्यक होती है प्रदूषणकारी इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। चुनिंदा प्रदूषण कार्य उद्योगों के लिए, आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित करने से पूर्व, स्थल की पर्यावरणीय दृष्टि से सहमति हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए औद्योगिक निस्सरणों एवं वाहन निकासों पर नियंत्रण करने हेतु भी कदम उठाये जा रहे हैं।

माननीय सदस्य को गंगा में प्रदूषण रोकने के लिए, हाल ही में आरम्भ की गई गंगा कार्यकारी योजना के सम्बन्ध में पहले ही जानकारी है।

सरकार द्वारा पारिस्थितिकीय संतुलन के अनुरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कुछ कदमों का मैंने उल्लेख किया है।

वनों तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमारे मन में निम्नलिखित कुछ और पहल हैं :

1. वन कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन किया जाएगा;

2. वन सुरक्षा दलों को मजबूत और आधुनिक बनाया जायेगा;

3. प्रभावी प्रबन्ध और सुरक्षा के लिए कानूनी तौर पर अधिसूचित किए जाने वाले वन क्षेत्रों को अधिसूचित किया जाएगा;

4. वन उपज के कार्य व्यापार पर नियंत्रण लगाने के लिए कदम उठाए जाएंगे;

5. लकड़ी की खपत को कम किया जाएगा तथा जहां सम्भव होगा, लकड़ी के अनुकल्प के लिए वित्तीय प्रोत्साहन सुलभ किए जाएंगे;

6. वन सुरक्षा तंत्र का आधुनिकीकरण और इसे मजबूत बनाया जावेगा;

7. अन्तिम विश्लेषण से, वनों की उत्तरजीविता संरक्षण एवं वनीकरण पर निर्भर होती है जिसे जन आन्दोलन बनाया जा रहा है। यह किया जायेगा;

8. सभी प्रमुख नदी तंत्रों को शामिल करने के लिए, जल गुणवत्ता के प्रबोधन स्टेशनों के एक व्यापक जालतंत्र (नेटवर्क) की स्थापना की जायेगी;

9. वायु गुणवत्ता प्रबोधन स्टेशनों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जायेगी;

10. विद्यमान सभी बड़े एवं मझोले उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करने हेतु समझाया-बुझाया अथवा बाध्य किया जायेगा;

11. महत्वपूर्ण शहरी बस्तियों में नगरीय अपशिष्ट उपचार तथा और अधिक वैज्ञानिक ठोस अपशिष्टों के प्रबन्ध हेतु एक कार्यक्रम बनाया जायेगा;

12. उत्तम पर्यावरणीय प्रबन्ध एवं पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए आंकड़ा आधार प्रदान करने हेतु पर्यावरणीय सूचना प्रणाली मजबूत की जायेगी;

13. पारिस्थितिकीय संरक्षण एवं प्रदूषण निवारण के लिए राज्य सरकारों का शामिल होना तथा पहल करना महत्त्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में अपनी क्षमताएं बनाने के लिए राज्यों को उत्साहित किया जायेगा;

14. प्रदूषण-निरोधक कानूनों के प्रवर्तन पर बल दिया जायेगा तथा कानूनों को और अधि प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक विधायी परिवर्तनों की पहल की जायेगी;

15. अनवरत विकास के लिए ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय संरक्षण नीति बनाने के लिए कदम उठाये जाएंगे;,

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार उनकी चिन्ता में पूर्ण रूप से सहभागी है एवं हमारे पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार हेतु सभी सम्भव उपाय करेगी।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी हमारी ससद में प्रदूषित पर्यावरण से उत्पन्न परिस्थिति के विषय में घोर चिन्ता व्यक्त की गई है यह सत्य है और इसमें दो मत नहीं हैं कि पर्यावरण से जो मानव समाज को खतरा उपस्थित हो रहा है, वह हमें विष भरे जीवन की ओर ले जा रहा है। इसीलिए देश पर्यावरण के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता व्यक्त करता है।

5 जनवरी, 1985 को राष्ट्रीय प्रसारण में भी प्रधान मंत्री ने कहा कि देश के सभी भागों में अधिक साफ हवा और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएंगे और इसीलिए गंगा प्राधिकरण या गंगा नदी की सफाई के महत्त्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान दिया गया है।

[श्रीमती कृष्णा साही]

नदियों से हमारे शरीर में रक्त का संचार होता है और उसमें गंगा नदी हमारी सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक ही नहीं है, बल्कि वह हमारा जीवन है। पर्यावरण पर चिन्ता व्यक्त करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी बहुत पहले इसके ऊपर बल दिया था और 1973 में स्टाक-होम में जब सम्मेलन हुआ था तो श्रीमती गांधी ने उस समय भी कहा था कि विश्व के सामने जो पर्यावरण संकट विद्यमान है, उससे हमारी धरती का भविष्य बिल्कुल बदल जाएगा। आज ऐसा लगता है कि यह हमारे सामने सही हो रहा है।

12.17 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मंत्री महोदय जानते हैं कि 1950-51 से ही संविधान में वन-संरक्षण के महत्त्व पर बल दिया गया है और जब पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारम्भ हुआ तो उस समय भी कृत्रिम मानव-निमित्त वन लगाने पर बल दिया गया था और राष्ट्रीय योजना में वानिकी विकास को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था, फिर भी भारतवर्ष में पारस्परिक संतुलन के लिए 25 प्रतिशत वन-क्षेत्र भी नहीं है।

आप तो इससे सहमत होंगे कि पश्चिमी जर्मनी में 28.10 प्रतिशत वन-क्षेत्र है, जापान में 61.8 प्रतिशत, फिनलैंड में 70 प्रतिशत, अमेरिका में 32.8 प्रतिशत, रूस में 33.9 प्रतिशत और थाईलैंड जैसे छोटे से देश में 77.2 प्रतिशत है। आस्ट्रेलिया में 40 प्रतिशत है और अपने देश में यह क्या है ? मात्र 22.8 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार यहां 37 प्रतिशत वन होना चाहिए था।

गत 30 वर्षों में गंगा नदी के क्षेत्र में ही 40 प्रतिशत वन समाप्त हो गया है और इसे हम सभी जानते हैं। साथ ही साथ एक ब्रिटिश साइंटिस्ट नार्मन मेयर की रिपोर्ट को आप देखें, उसमें उन्होंने बहुत चर्चा की है। भारतवर्ष को एक अरब डालर की क्षति प्रतिवर्ष सूखे और बाढ़ के कारण होती है। 220 एकड़ भूमि कटाव से ग्रसित होती है। इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि लाखों एकड़ भूमि कृषि के अयोग्य हो गई है।

कोयला, खनिज तेलों के जलने से कार्बन डाई-आक्साइड में भारी वृद्धि हो रही है। इससे मानव-जीवन को भी खतरा उपस्थित हो गया है। न केवल सूखे और बाढ़ से बल्कि भूस्खलन और भू-क्षरण की भी भारी समस्या हो गई है और इसकी भी वृद्धि होती जा रही है। इसलिए प्रकृति और मानव में जो संतुलन हो रहा है, जो समन्वय नहीं स्थापित हो रहा है, इस ओर आपका ध्यान जाना बहुत आवश्यक है।

जिन योजनाओं की आपने चर्चा की है, बड़ी अच्छी बात है। आपने अपने वक्तव्य में यह भी कहा है कि राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्रों को सरकार ने वनों की सुरक्षा के लिए अधिक सतर्कता बरतने के लिए कहा है।

इस तरह की और बातें भी आपने अपने वक्तव्य में बताई हैं, परन्तु मैं आपको कहना चाहती हूं कि जब तक कानून को सख्ती से लागू नहीं किया जायेगा, तब तक इसी प्रकार वनों का नाश होता रहेगा। एक तो होता है प्रकृति का प्रकोप लेकिन एक होता है मानव निर्मित, जो मनुष्य के द्वारा परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाती है, जिससे हमारे जीवन को खतरा है, उसे आपको देखना है। मानव के द्वारा जो सर्वनाश हो रहा है, वह हम सबको सर्वनाश की ओर ले जाता है।

आपको मालूम है कि 1974 और 1981 में जल, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण कानून बना था और 1980 में एक बिल उसी से सम्बन्धित संसद में लाया गया था। मुझे स्मरण है कि उस समय भीष्म बाबू मंत्री थे और बिल पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि 1974 में जल प्रदूषण सम्बन्धी कानून को सात राज्यों ने स्वीकार ही नहीं किया था। आपने कानून बना दिया और आदेश निर्गत कर दिया। यह पता लगा कि वन संरक्षण 1980 का जो अधिनियम था, वह वन्य जीवन संरक्षण पहली बार 1972 में भी था, फिर भी वनों की इस तरह अन्धाधुन्ध कटाई हो रही है। उसे कैसे रोका जा सकता है, इसको आपको देखना होगा।

जो आपकी राष्ट्रीय वन नीति प्रारूप है, उसको आप देखिए तो आपको मिलेगा कि राज्यों में वनों की भराई से सम्बन्धित एक विवरण दिया गया है, उसमें देखेंगे तो पता लगता है कि 1980-81, 1981-82 में वह क्षेत्र जिसमें राज्यों द्वारा वन काटे गए, बताये गये हैं। इसमें बिहार के बारे में शून्य लिखा गया है। यानि कि वनों की कटाई ही नहीं हुई।

महोदय, आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा आन्दोलन बिहार में सिंहभूम में चला था। वहां 15 हजार हेक्टेयर में से 10 हजार हेक्टेयर वनों को काट दिया गया। इतना बड़ा आन्दोलन उसको लेकर चला, फिर भी इसमें लिखा है कि कटाई नहीं हुई।

आपको मालूम है कि कितना सुगम्य स्थान छोटा नागपुर का है। उन सबों का सही डाटा मंगाये और देखें तो पता लगेगा कि कितनी अधिक मात्रा में वनों को काट दिया गया। आपने लिखा कि स्टेप्स उठाये जाएंगे और उनको सुधारा जाएगा। यह बातें तो भविष्य काल की हैं, लेकिन जो चला गया वह तो वापिस नहीं आने वाला है, जो वर्तमान है उसको तो आप रक्षा करने की चेष्टा करें।

आपका एक नियम यह भी था कि जहरीले कीट नाशक सम्बन्धी अधिनियम भी था, इसमें यह था कि जहरीले रसायन पदार्थ जो बनाते हैं, उनके निर्माण पर और उसके प्रयोग पर रोक लगाना। लेकिन यह कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ता ही चला जा रहा है। किसान गरीब हैं, वह क्या करेंगे जब हजारों-हजार एकड़ फसल में कीड़ा लगता है तो वह कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। इन सब बातों के बारे में आपके वक्तव्य में इसकी चर्चा नहीं है। यह सब छोटी-छोटी चीजें हैं, जिसको कि महत्व दिया जाना चाहिए। इन सबके कारण कितना प्रदूषण हो रहा है और उनको हम कैसे रोक सकते हैं, इसकी आपने चर्चा नहीं की है।

तटों को साफ करने वाला भी अधिनियम है, लेकिन आप देखें तो आपको पता लगेगा कि गंगा

[श्रीमती कृष्णा साही]

से यमुना किनारे तक कितने तट साफ हैं। उन नियम का जो उलंघन करते हैं, क्या उनको आप सजा देते हैं। आप अपने इस अधिनियम को मजबूत करें और उसको सख्ती से लागू कीजिए। किसान अगर आरोप लगाता है कि उसकी फसल किसी पास के कारखाने के वायू प्रदूषण से खराब हो गई है तो उसके कहने के बाद भी कारखाने का काम नहीं रोका जाता, न ही उसको मुआवजा समय पर मिलता है। और न ही न्यायालय में जाने पर न्याय मिल पाता है। मैं आपको अपने क्षेत्र की बात बताऊं। मोकामा में शराब फैक्ट्री है वहां पर मेंकजेअल फैक्ट्री गंगा के किनारे है और इस कारखाने से इतना अधिक प्रदूषण निकलता है कि लोग कहते हैं कि हम नदी के पानी से स्नान नहीं करते हैं, बल्कि शराब में स्नान करते हैं। उनके लिए क्या कानून बना है? जनता ने उनके ऊपर मुकदमा किया। सरकारी कानून के बावजूद सरकार ने कुछ नहीं किया, राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब जनता ने मुकदमा किया तो वह मुकदमा रफा दफा कर दिया गया और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि नीचे से ऊपर तक चाहे न्यायालय हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, सभी जगह बड़ी-बड़ी फैक्ट्री वाले पैसे देकर उनका मुंह बन्द कर देते हैं।

इसी तरह से देखिए धनवाद में और कोयला खानों में कितना प्रदूषण होता है। इसलिए अभी जरुरत इसकी है कि कानून को ठीक से परिभाषित किया जाय जो पर्यावरण को प्रभावित करने से रोक सके। लंदन में तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा साफ हवा कानूनों के लागू होने के बाद 1956 की अपेक्षा अब जाड़ों में अधिक धूप लोगों को मिलती है और वह सुख शांति से जीवन बसर करें इसके लिए लोग प्रयत्नशील हैं। हमारी सरकार भी प्रयत्नशील है और काफी चिन्तित है।

यह तो आप जान ही रहे हैं कि नदी, झील, झरना, तालाब, विशाल समुद्र, हरे भरे वन, वनस्पतियां, शुद्ध हवा, उपजाऊ जमीन और नील गगन ये सब प्रकृति से मानव को वरदान के रूप में मिले हैं और यह उपहार है। लेकिन फिर भी हम इनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या करेंगे उन गरीब मानवों की बस्तियों को जहां गन्दगी और प्रदूषण है, खुले नाले हैं और मच्छर हैं और साथ-साथ जो बीमारियां फैली हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? कितनी ऐसी जगह हैं कि जहां पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता है। तो इस तरह से जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? जहां हमारी ऐसी मानव बस्तियां हैं,जहां गरीब लोग रहते हैं, गावों में जहां लैट्रिन की कोई व्यवस्था नहीं है वह क्या करेंगे? इसलिए आप को अब यह सोचना है और देखना है कि किस तरह से जो आपके द्वारा सम्भव हो सकता है वह करें। जो कस्बों में गन्दगी हो रही है सरकार पहले उसको रोके। उस प्रदूषण को आप पहले समाप्त कीजिए। इतनी तरह की गाड़ियां आज सड़कों पर आ रही हैं, पहले मुझे याद है अस्पताल के सामने हार्न नहीं बजाए जा सकते थे, लेकिन अब यह सब समाप्त हो गया है।

इसलिए जो विषाक्त पदार्थ अधिनियम हैं उसको कठोरता से लागू कीजिए। गंगा किनारे दस वर्ग मील क्षेत्र में जहां हमारा क्षेत्र है आपका दरौनी का कारखाना है, तेल शोधक कारखाना है, फर्टिलाइजर का कारखाना है और ये सारे कारखाने जहां हैं वहां भूमि के कटाव की समस्या से लोग

पीड़ित हैं। सारी जमीन आपकी कटने वाली है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि कानून में सख्ती कीजिए और देखिए कि राज्य सरकार उस पर कहां तक अमल करती है। कानून को व्यावहारिक बनाएं। साथ ही साथ आप को समाज में जागृति पैदा करनी होगी, जागरूकता लानी होगी।

जैसे कि आपने कहा भी है कि नई शिक्षा-पद्धति जो आने वाली है, जो उस में परिवर्तन होने वाला है उसमें आप बचपन में क्लासेज के अन्दर बच्चों के लिए इसे सिलेबस में रखिए और कोर्स के रूप में इस को रख दीजिए, लेकिन साथ ही साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि टेलीविजन, फिल्म वृत्त चित्र और अन्य जन-संचार के माध्यम से उनको बताया जाय कि गंगा के प्रदूषण को या अन्य प्रकार के प्रदूषणों को कैसे रोका जाय, विशेषकर गांवों में।

इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने बहुत कुछ किया है और करना चाह रहे हैं। लेकिन उससे भी उतनी बात नहीं बनेगी जितनी कि समाज में जागृति लाने से बनेगी। इसलिए आपको सामाजिक समन्वय के साथ-साथ राजनीतिक समन्वय करना पड़ेगा। तभी देश में इसकी रक्षा हो सकती है।

अन्त में मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि वनों के सम्बन्ध में सदियों पूर्व गौतम बुद्ध ने कहा था—

वन असीम दया और परोपकार की ऐसी विशेष देन है जो अपने निर्वाह के लिए कुछ मांग नहीं करता है और अपने जीवन के उत्पादों को उदारतापूर्वक देता है, यह सभी जीवों को संरक्षण प्रदान करता है और लकड़हारे को भी छाया देता है जो कि उसका विनास करता हैं।···इसलिए हम सभी को इसको देखना है और इसको संभालना है।

श्री बीर सेन : उपाध्यक्ष महोदय, नियमों के अनुसार तो कोई एक विषय जो कि निहायत अर्जेन्ट हो जिसके ऊपर विचार करना रोका नहीं जा सकता, और अगर रोक दिया जाय तो उससे ऐसी हानि होने की सम्भावना है जिसको कि पूरा नहीं किया जा सकता, तो ऐसे विषयों को मैं समझता हूं कालिंग अटेंशन मोशन में लेना चाहिए, लेकिन आज जो कालिंग अटेंशन मोशन है इसमें कोई एक विषय नहीं, सारी मिनिस्ट्री आफ एन्वायरन्मेन्ट और मिनिस्ट्री आफ फारेस्ट दोनों को ही वह कवर करता है। इसलिए मैं समझता हूं यह भी विचारणीय है क्या ऐसे विशाल स्कोप वाला भी कोई प्रश्न कालिंग अटेंशन मोशन के द्वारा उठाया जा सकता है या नहीं।

जो प्रश्न हमारे सम्मुख है, उसका उत्तर बहुत व्यापक तौर से मैंने अपने स्टेटमेन्ट में दे दिया है और मैं समझता हूं शायद मैंने कोई प्रश्न छोड़ा नहीं था। जहां तक वनों की सम्पदा और वनों के महत्त्व का प्रश्न है, उसके बारे में भी सरकार बहुत जागरूक है और जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं उसी दृष्टि से उठाए जा रहे हैं। यह बात हम स्वीकार करते हैं कि मानव का सर्वाइवल, जिन्दा रहना, मानव जाति का जिन्दा रहना वनों पर ही निर्भर करता है। ··· (व्यवधान)

आपने बीस मिनट में बहुत सारी बात कही हैं, आप शायद यह आशा करती हैं कि उन सभी

[श्री वीर सेन]

के बारे में मैं एक या दो वाक्यों में ही जिक्र कर दूं। आपने शुरू में वही चीजें कही हैं जैसे हमारे देश में वन सम्पदा 22.8 ही रह गई है और दूसरे देशों के आंकड़े भी आपने दिए हैं। वास्तव में आपने अध्ययन बहुत किया है जिसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आप बहुत दिलचस्पी ले रही हैं। यह बिल्कुल सही बात है कि हमारे देश में वनों का भारी कटाव हुआ है और उसका एक कारण वनों की हमारी नीति भी रही है। लगभग 1892 में जब यहां पर अंग्रेज सरकार थी तब वनों की पहली नीति बनाई गई थी लेकिन उसमें भी वनों को महत्व नहीं दिया गया था, रेवेन्यु अर्निंग्ज का ख्याल रखा गया था। लेकिन देश आजाद होने के बाद 1952 में वन नीति में बहुत फर्क किया गया। वनों के सम्बन्ध मे इस नीति में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है और मैं आशा करता हूं कुछ अरसे के बाद आपके सामने हम वह नीति-पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। उसमें आप देखेंगे कि ज्यादा जोर हमने इस बात पर दिया है···

12.32 म० प०

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

श्रीमती कृष्णा साही : फैक्टरीज की वजह से हमारे यहां गंगा में प्रदूषण हो रहा है।

श्री वीर सेन : हम जल प्रदूषण पर विशेष तौर से बल दे रहे हैं, वायु प्रदूषण पर भी हमारा बल है लेकिन ध्वनि प्रदूषण पर अभी हमारा ज्यादा ख्याल नहीं है। जहां तक जल प्रदूषण का सम्बन्ध है, आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ी योजना ढाई सौ करोड़ की गंगा के जल प्रदूषण को रोकने के लिए बनाई गई है। जितनी भी नदियां हैं उनमें जो प्रदूषण होता है उसमें लगभग 90 प्रतिशत नगरों द्वारा प्रदूषण है और 10 प्रतिशत औद्योगिक प्रदूषण है। खास तौर से 7 प्रतिशत प्रदूषण बड़े-बड़े उद्योगों का है जैसे कि डिस्टिलरीज वगैरह हैं। तो इन सब की तरफ हमारा पूरा ध्यान है। हम बहुत जोर देकर सभी जगह दबाव डाल रहे हैं, बहुत से प्राजीक्यूशंस भी किए हैं। यदि आप आंकड़े चाहेंगे तो वह भी हम बता देंगे कि कितने प्राजीक्यूशंस किए और कोर्ट में कितने केसेज में सफलता मिली है। कितने केसेज में सफलता नहीं मिली है। बहरहाल जो हमारा प्रयत्न है उसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं है। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि उद्योग अपने यहां प्रदूषण दूर करने के संयंत्र लगायें। मैं समझता हूं दो प्रकार के उद्योग हैं एक तो ऐसे उद्योग हैं जो पहले से ही मौजूद हैं, अधिनियम बनने के पहले से ही मौजूद हैं, उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वे प्रदूषण दूर करने के संयंत्र लगायें। लगभग 4000 उद्योग प्रदूषण करने वाले हैं जिनमे 1966 (लगभग 50 प्रतिशत) उद्योगों ने कोई न कोई संयंत्र प्रदूषण दूर करने के लिए लगा लिए हैं या संयंत्र लगाने का कार्य चल रहा है जो कि जल्दी पूरा हो जायेगा।

जहां तक छोटे-छोटे उद्योगों का ताल्लुक है, इन उद्योगों के लिए हम कम्बाइन्ड ट्रीटमेंट प्लान्ट की योजना बना रहे हैं। इस प्रकार की योजना कुछ राज्यों ने बना ली हैं, जैसे गुजरात ने बनाई है और उस पर ठीक तरह से अमल हो रहा है। मैं समझता हूं, जहां तक इन उद्योगों का ताल्लुक है, उसमें काफी प्रगति हो रही है। इस दिशा में हम काफी जोर से चल रहे हैं।

जहां तक वायु प्रदूषण का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि वायु प्रदूषण दो तरीके से होता है : एक चिमनियों से और दूसरे मोटर गाड़ियों से। इसको रोकने के लिए हमारी तरफ से काफी कोशिश हो रही है। पैट्रोल में सीसे का अंश काफी होता है, इस बात की कोशिश हो रही है कि उसको घटाकर नीचे लाया जाए। स्टैंडर्ड 0.56 मिली ग्राम पर-लिटर माना जाता है, लेकिन इससे कोई हानि नहीं होती है, परन्तु फिर भी इस बात की कोशिश हो रही है कि इसको नीचे उतार कर 0.20 मिलीग्राम पर-लिटर ले आयें जिससे इसके द्वारा भी प्रदूषण कम किया जा सके। जहां तक एग्जास्ट से धुंआं निकलता है, इसके लिए भी हम उद्योगों से कह रहे हैं कि वे इस प्रकार के संयंत्र बनाए, ताकि हम उनको एग्जास्ट-पाइप में लगा लें और उसको कन्ट्रोल किया जा सके। इसी तरीके से चिमनियों से धुंआ निकलता है, उसमें भी इलेक्ट्रो-स्टेटिक -प्रेसिपिटेटर लगाए जा रहे हैं, काफी तादाद में इनको लगाने के लिए जोर दिया जा रहा है, ताकि इस प्रदूषण को भी कम किया जा सके। इलैक्ट्रो-स्टेटिक-प्रैसिपिटेटर से लगभग 99.5 प्रतिशत प्रदूषण को दूर करता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों की तरफ हमारा काफी ध्यान है।

जहां तक नदियों और झीलों के प्रदूषण का सवाल है, उसके बारे में आप जानती हैं कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण हम एक साथ इनको नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमारी नीति और हमारी योजनायें इस प्रकार की हैं कि जहां-जहां भी प्रदूषण है, उसको दूर करेंगे। जहां तक नदियों के प्रदूषण का ताल्लुक है, नदियों के प्रदूषण की मोनिटरिंग हमने कर ली है और कर रहे हैं। मोनिटरिंग करने के बाद डाटा-ऐनालिसेस करेंगे, जिसमें कि तीन-चार-पांच साल लग जायेंगे, जो ज्यादा प्रदूषण वाली नदियां हैं, उसी के हिसाब से योजनायें बनाकर हम उनको लेंगे। इसके बारे मे भी स्टडी शुरू हो चुकी है। इसलिए इस दिशा में भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।

वनों के बारे में आपने विशेष रूप से हमारा ध्यान दिलाया है। वनों के बारे में आप जानती हैं कि वनों का कटाव काफी हुआ है। परेशानी यह है कि हमारा वन-अधिनियम, 1927 का बना हुआ है। पुराना हो गया है इसलिए उसमें संशोधन की आवश्यकता है। इस वक्त हम इस संशोधन के बारे में जो संशोधन आने चाहिए, उनके बारे में विचार कर रहे हैं। उनके ऊपर विचार होने के बाद उस अधिनियम को संशोधित करने के लिए सदन के सामने लायेंगे। अधिक प्रभावशाली वन-कटाव को रोकने के लिए हम काफी कदम उठा रहे हैं। इस मामले में भी माननीय सदस्या संतुष्ट होंगी कि हम इस दिशा में चल रहे हैं।

आपने बहुत सारी बातों के बारे में जिक्र किया है, जैसे सूखा स्खलन, अयोग्य कृषि भूमि, कार्बन-डायक्वाइड और असंतुलन इत्यादि तथा जहरीले पदार्थों के उद्योगों के बारे में भी जिक्र किया है। जो उद्योग आगे आने वाले हैं, इनके लिए हमने प्रावधान कर दिया है जब तक इन्वायर्नमेंट विभाग से क्लीयरैंस नहीं मिलती है, साथ ही उद्योग को किस जगह पर स्थापित किया जाना चाहिए, तब तक उनके लाइसैंस और लैटर-आफ-इन्टैंट को तरमीम नहीं दी जाएगी। यह आप देख रहे हैं कि हम चारों दिशाओं की ओर चल रहे हैं। इन सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्या संतुष्ट होंगी।

[अनुवाद]

श्री डी० एन० रेड्डी (कडुप्पा) : सभापति महोदय, अभी मान्य मंत्री महोदय ने दो टिप्पणियां की जो बहुत ही अनोखी तथा संदर्भ से बाहर थीं। एक यह थी कि विषय इतना अविलंबनीय नहीं था कि इसके लिए ध्यानाकर्षण की सूचना देनी पड़े। दूसरी बात यह थी कि वह विषय से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध नहीं है, कई अन्य मंत्रालय भी इससे सम्बद्ध हैं।

श्री वीर सेन : मैंने यह नहीं कहा था कि कई मंत्रालय इससे सम्बद्ध हैं।

श्री डी० एन० रेड्डी : परन्तु क्या आपने नहीं कहा कि यह इतना अविलंबनीय मामला नहीं था कि इसके लिए ध्यानाकर्षण की सूचना की आवश्यकता पड़े ?

अध्यक्ष महोदय ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुमति देते हैं। मेरे विचार में, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना के सम्बन्ध में इस प्रकार की टिप्पणी करना आडंबर की चरम सीमा है। एक बार माननीय अध्यक्ष द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाय तो आपको अध्यक्ष महोदय की आज्ञा का पालन करना होगा, चाहे आप मंत्री हो अथवा कोई मंत्री नहीं हों। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और आपका काम तथा कर्त्तव्य है हमारी बातों का उत्तर देना। आप ध्यानाकर्षण की सूचना के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर सकते।

वन सम्पदा मानव जाति को प्रकृति की देन है। यह देश का हरा सोना है। अपने जीवन के अस्तित्व के लिए मनुष्य वृक्षों पर निर्भर है। बहुत कम स्थल पूर्ण विकसित तथा फलों और फूलों से लदे पड़े हैं वृक्षों से अधिक सुन्दर दृश्य बहुत कम है। बन सम्पदा आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। प्रत्येक आधुनिक उद्योग कुछ न कुछ हद तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वन उत्पादों पर निर्भर करता है। वनों से हमें खाद्य पदार्थ, ईंधन, तेल तथा कागज और कपड़ा उद्योगों के लिए सामग्री मिलती है और इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है वायुमंडल की कार्बनडाईआक्साइड को सोख कर जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करना।

विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान भूमि का 33 प्रतिशत भाग वनों से ढ़का हुआ होना चाहिए और केवल तभी पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखा जा सकेगा एवम् मनुष्य जाति को लाभ पहुंच सकेगा। अब यह हिसाब लगाया गया है कि भूमि के केवल लगभग 23 प्रतिशत भाग में वन हैं और यह प्रतिशत तेजी के साथ घट रहा है क्योंकि वनों को बिना सोचे विचारे काटा जा रहा है तथा उनको बर्बाद किया जा रहा है। गत तीस वर्षों में देश के लगभग 43 लाख हैक्टेयर वनों को काटा जा चुका है। संभवतः उस क्षेत्र को फिर से वन में बदलने में शायद तीस वर्ष ही लगें और हो सकता है इसमें 300 वर्ष लग जायें। मुझे बहुत खुशी है कि इस विषय को प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने अधीनस्थ रखा है और उन्होंने एक बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की है जिसका लक्ष्य लगभग 50 लाख हैक्टेयर भूमि में प्रति वर्ष वन रोपण करना है। मुझे आशा है कि माननीय प्रधान मंत्री यह देखेंगे कि इस योजना को ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है और वह सिर्फ आंकड़ों से सन्तुष्ट नहीं होंगे।

सभी जगह जंगलों की कटाई हो रही है या उनको नष्ट किया जा रहा है। अगर यह प्रक्रिया

जारी रही तो इस सदी के अन्त तक मुझे डर है, कोई जंगल सुरक्षित नहीं रह पायेगा जिसे जंगल कहा जा सकेगा।

हमारे विशेषज्ञों का कहना है कि विनाशकारी बाढ़ों, विश्व के विभिन्न भागों में वर्षा में कमी आना तथा वायुमंडल का प्रदूषित होने का कारण, अंधाधुंध जंगलों की कटाई है।

मनुष्य जाति की सेवा करने की शक्ति को मानव ने स्वयं नष्ट किया है। यही हमारी त्रासदी है और यह गत काफी वर्षों से जारी है। स्वाभाविक है कि सरकार को वृक्षों की कटाई को रोकने सम्बन्धी बहुत ही कठोर कानून बनाने होंगे। इस संदर्भ में, मैं यह कहता हूं, और मेरे विचार में, माननीय मंत्री महोदय इससे पहले ही अवगत हैं, कि सिर्फ धनी लोग तथा समाज के उच्च वर्गों के लोग ही वास्तविक दोषी हैं और गरीब लोग केवल ईंधन के लिए सूखी लकड़ी लेते हैं। अमीर लोग तथा कान्ट्रेक्टर लोग वास्तविक खतरा बने हुए हैं और वे लोग ही देश में वनों के विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। मेरे क्षेत्र रायलसीमा के कुरनूल में एक कागज बनाने का कारखाना है। वहां केवल नाममात्र का एक जंगल, नालामाला, है। वे योजनाबद्ध तरीके से जंगलों का सफाया कर रहे हैं और उस लकड़ी की बिना लाइसेंस के तस्करी करते हैं। उस क्षेत्र में सिर्फ वही एक वन है और वृक्ष काटकर उसका भी सफाया किया जा रहा है।

सिर्फ दो या तीन वर्ष पहले यह अफवाह बहुत ही अधिक थी—मैं नामों का जिक्र नहीं करूंगा—कि शिमला में, बहुत ही उच्च वर्ग के लोग जंगलों की कटाई के मामले में आलिप्त पाये गये थे, परन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। उनको सजा देने की बजाय उन्हें पुरस्कृत किया गया था। ये लोग हैं जो प्रकृति की पवित्रता नष्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं।

मैं एक और बात का, जो बड़ी मात्रा में नये वनों का विकास करने से संबंधित है, उल्लेख करना चाहूंगा। हमें कम से कम अभी ही से शुरुआत करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें आशीर्वाद दें न कि हमें अभिशाप दें क्योंकि अगर वर्तमान स्थिति चलती रही तो कोई भी वन बाकी नहीं बचेगा।

कितने भी कठोर कानून क्यों न हों, लोगों के सहयोग के बिना परिणाम नहीं निकल सकते। उदाहरण के तौर पर मैं दो बातों का उल्लेख करूंगा सबसे पहले, चिपको आन्दोलन का, जो उत्तर प्रदेश के दूरस्थ छोटे से गांव से आरम्भ हुआ (मैं नहीं जानता कि ठीक से यह कहां स्थित है), जहां औरतों ने स्वतः प्रेरित होकर पहल की और इस जंगल की कटाई को रोक दिया। मैं वास्तव में उनको बधाई देता हूं और वास्तव में इसका अनुकरण किया जाना चाहिये। एक और दूसरे गांव में इसका भी मुझे नाम याद नहीं है, गांव के सयाने लोगों ने इकट्ठे होकर गांव में बकरियों के आने पर रोक लगा दी जिससे पेड़ों की रक्षा की जा सके। ये लोग हैं जो हमारी वन सम्पदा को सुरक्षित रखने में कामयाब होंगे। अवश्य ही कानून बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है जो भी कानून आप बनायें वे कानून बहुत कठोर भी होने चाहिएं। परन्तु साथ ही आपको लोगों को शिक्षित भी करना चाहिए ताकि आपको उनका पूरा सहयोग मिल सके।

[श्री डी० एन० रेड्डी]

मामले का एक दूसरा पहलू और है। जहां कहीं भी योजनाबद्ध तरीके से जंगलों की कटाई होती है वहां आपके कर्मचारियों का भी हाथ होता है। यह सबसे अधिक भ्रष्ट विभाग है और इस विभाग की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, लकड़ी को बाहर नहीं ले जाया जा सकता तथा वन-सम्पदा को गुप्त तरीके से बाहर नहीं भेजा जा सकता। अतः पहले आप अपने कर्मचारियों को ठीक करें और उसके बाद लोगों का सहयोग मांगें।

दूसरे, मुझे केरल के 'साइलेंट वैली' आन्दोलन का उल्लेख करना है। मैं अपने मित्रों का धन्यवाद करता हूं क्योंकि जब केन्द्र ने उस क्षेत्र में पन-विद्युत परियोजना का प्रस्ताव सामने रखा तो वे काफी कठिनाइयों के बावजूद इसे रोकने में सफल रहे हैं। परियोजना की स्थापना हो सकती है परन्तु इसे किसी अन्य स्थान पर स्थापित किया जा सकता है ताकि 'साइलेंट वैली', जो दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है, को बचाया जा सके।

प्रधान मन्त्री ने स्पष्ट कहा है कि अधिक साफ हवा तथा पानी की उपलब्धि देश के सभी भागों में सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएंगे। यह पहली मूल समस्या है और इसे हल करना सरकार का प्रथम तथा प्राथमिक कर्त्तव्य है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता है कि प्रधान मन्त्री ने इस विषय को अपने क्षेत्राधिकार में ले लिया है और मुझे विश्वास है कि वह तत्काल कदम उठाएंगे जिससे कि कम से कम कुछ चरणों में वन-रोपण और पारिस्थिति सन्तुलन बना रहेगा।

बेशरमी के साथ मनुष्य उस पवित्र गंगा को अपवित्र कर रहा है, जिसे हम गंगा मां कहते हैं और उसी को अपवित्र किया जा रहा है। हाल ही में, कुछ माह पूर्व कुछ अन्य माननीय सदस्यों के साथ मैं ऋषिकेश और हरिद्वार गया था और वहां जो कुछ हो रहा है उसे देखकर मेरा माथा शर्म से झुक गया। खैर सरकार एक विशाल योजना लेकर आगे आई है; और मुझे आशा है कि अब स्थिति सुधर जाएगी।

अब वाराणसी को लीजिए। मैं जान-बूझ कर वहां नहीं जाता क्योंकि मुझे यह बताया गया है कि यह विश्व में सबसे गन्दा शहर है।

एक माननीय सदस्य : पवित्रतम भी।

श्री डी० एन० रेड्डी : जी हां, पवित्र है किन्तु गन्दा भी। मैं उत्तर का सबसे गंदा शहर देखने की अपेक्षा सबसे पवित्र शहर देखना चाहता हूं। हमें कठोर कदम उठाने होंगे जिससे कि लोग अपनी आदतें सुधार लें और इसलिए अपनी नदियों की पवित्रता बनाये रखने के लिए हमें कठोर कदम उठाने चाहिएं। लोग बेहिचक पवित्र गंगा को गन्दा करते हैं, आक्सीजन और पानी देने वाले और भूमि का कटाव रोकने वाले अत्यधिक उपयोगी जंगलों को नष्ट करते हैं। भूमि का कटाव बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय है। इसे रोकने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारें करोड़ों रुपए व्यय कर रही हैं। इसके साथ ही पेड़ काट करके तथा वनों को उजाड़ करके हम भूमि का कटाव को बढ़ा रहे हैं

और इसके बाद अपनी मिट्टी की रक्षा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। यह दुःखद स्थिति है। अब समय आ गया है जबकि सरकार वास्तविकता को समझे और व्यावहारिक कदम उठाये। यह बहुत ही महत्त्व का विषय है और किसी भी परिणाम पर पहुंचने के लिए हमें तत्काल कदम उठाने होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सघन वन-रोपण का फल प्राप्त करने में काफी समय लगता है।

संत ज्ञानेश्वर जो 500 वर्ष पूर्व पैदा हुए थे, प्रथम पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे और वह इन सब बुराइयों के विरुद्ध थे। 500 वर्ष पूर्व वह एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। हम स्वयं को सभ्य कहते हैं किन्तु उनकी महत्त्वपूर्ण सलाह मानने तथा वातावरण में पारिस्थितिक सन्तुलन बनाए रखने के लिए उनके अनुदेश मानने में हमने अभी भी बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई है। यदि हम सचेत नहीं होंगे तो न केवल अपने राज्यों में अपितु विश्व के अन्य भागों में हम जो दूषित वातावरण पैदा कर रहे हैं, उसके लिए हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी।

श्री वीर सेन : महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, मैं सबसे पहले उसी प्रश्न को लेना चाहता हूं। मैं आरम्भ में ही बता चुका हूं कि किसी भी विषए के लिए नियमों की व्यवस्था है। इसका मतलब पूरे मन्त्रालय से नहीं है। यह बात केवल एक विषय पर नहीं अपितु सभी विषयों पर लागू होती है·····

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपसे इन सभी बातों पर चर्चा किये जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है। आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं···

(व्यवधान)

श्री वीर सेन : क्या प्रश्न स्वीकृत हो गया है ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि अध्यक्ष ने इसे स्वीकार कर लिया है, तो आपको उत्तर देना ही होगा।

श्री वीर सेन : महोदय, मैंने अपना कर्त्तव्य पूरा कर दिया है, और मुझ से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर दे चुका हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब वह प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री वीर सेन : अब, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरे विचार से सदस्य ने वर्षा, पर्याप्त वर्षा न होने और इसी प्रकार के अन्य प्रश्न पूछे थे जिसके बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है। माननीय सदस्य तथा मैं भी इस बात को मानता हूं कि मानव जाति के जीवित रहने के लिए वनों का बहुत महत्त्व है। इसलिए, इसके बारे में कोई विवाद नहीं है। उन्होंने धनी व्यक्तियों, विशेषकर ठेकेदारों

[श्री वीर सेन]

की ओर ध्यान दिलाया है। वन सम्बन्धी कार्यों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के लिए सरकार पहले ही कदम उठा चुकी है। अनेक राज्यों में ठेकेदारी प्रथा है ही नहीं। राज्यों में गठित निगमों द्वारा वनों के काटने तथा पौधों का प्रबन्ध कार्य किया जाता है। इसलिये, मुझे आशा है कि जिस सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है; वह इस उत्तर से सन्तुष्ट हो जाएंगे।

माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि हम अब से आरम्भ कर दें। वस्तुतः, हम लोग माननीय सदस्यों की इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि हमें आरम्भ कर देना चाहिए किन्तु काम तो हम पहले से आरम्भ कर चुके हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत भी हम उस दिशा में कदम उठा चुके हैं। 5 जनवरी को प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की थी कि विशेषकर ईंधन और चारे के लिए हम लोग 50 लाख हैक्टेयर भूमि में हर साल वन लगाएंगे। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं और अभी ही नहीं, अपितु इस दिशा में हम पहले से ही कदम उठा रहे हैं।

अब माननीय सदस्य ने चिपको आंदोलन के बारे में कहा था। वह चिपको आंदोलन की बात नहीं कर रहे थे किन्तु उनका विचार था कि चिपको कोई गांव है। किन्तु मैं उन्हें याद दिला दूं कि चिपको कोई गांव नहीं है अपितु एक आंदोलन है। यह आंदोलन श्री सुन्दरलाल बहुगुणा द्वारा आरम्भ किया गया था जो इस आंदोलन के समर्थक हैं। वृक्षों की रक्षा के लिए उन्होंने यह आंदोलन आरम्भ किया था। यदि कोई व्यक्ति वृक्ष काटने के लिए आता है तो आप उससे चिपक जाइये और उसे बचाइए। दूसरे शब्दों में आप वृक्षों का आलिंगन कीजिए। इसी के लिए उन्होंने यह आंदोलन आरम्भ किया था और सुन्दरलाल बहुगुणा···गया है···(व्यवधान)

श्री डी० एन० रेड्डी : कृपया इसे पेड़ों में लगाइए। वास्तव में ऐसी चीजें···(व्यवधान)

श्री वीर सेन : यदि आप समझते हैं कि कहीं अवैध रूप से पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए वह तरीका अपना सकते हैं। यह बड़ा प्रभावी तरीका है; मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

मेरे विचार से दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य ने भी जन-सहयोग तथा जनता द्वारा इसमें भाग लिए जाने की बात कही थी। निस्सन्देह हम जनता से इसमें शामिल होने के लिए कह रहे हैं। चिपको आंदोलन भी एक ऐसा तरीका है जिसमें जनता को शामिल किया जा सकता है और उसका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

उन्होंने जल प्रदूषण, पारिस्थितिक प्रदूषण और विशेषकर गंगा मैया के प्रदूषण के बारे में कहा था। मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि हरिद्वार के प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए विशेष प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए लगभग 98 लाख की परियोजना स्वीकृत की जा चुकी है। इस परियोजना पर कार्य चल रहा है और हमें आशा है कि परियोजना जनवरी, 1986 तक पूरी हो जाएगी। हम हरिद्वार से काम प्रारम्भ कर रहे हैं और आप देखेंगे कि जनवरी 1986 तक हरिद्वार में लगभग सफाई हो जाएगी।

जहां तक वाराणसी का संबंध है, उसके बारे में वह कह रहे थे कि वह सबसे गंदा शहर है। माननीय सदस्य को मैं बता देना चाहता हूं कि हम वाराणसी के बारे में भी कदम उठा रहे हैं। जो गन्दगी नदी में गिर रही थी उस गन्दगी को मल-जल निर्यास व्यवस्था, द्वारा जिसे गंगा के साथ-साथ बनाया जा रहा है ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। निस्सन्देह वहां सीवर लाइन तो उपलब्ध है किन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण वह चालू नहीं है। अब हमने आर्थिक सहायता प्रदान की है जिससे पम्पिंग स्टेशन चालू हो गया है। गन्दा अथवा प्रदूषित जल निकाला जा रहा है। उसे नदी में नहीं गिराने दिया जा रहा है। इस प्रकार, हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं।

मेरा विचार है, कि माननीय सदस्य द्वारा उठाए गये सभी मुद्दों के बारे में मैं कह चुका हूं।

सभापति महोदय : श्री जी० एम० बनातवाला यहां नहीं हैं। अब श्री श्रीहरि राव बोलेंगे।

***श्री श्रीहरि राव** (राज मुंद्री) : सभापति महोदय वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ था। पांच वर्ष बीत चुके हैं। वनों को अब भी नष्ट किया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि अब उन्हें और तेजी से नष्ट किया जा रहा है। वनों को नष्ट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार असफल रही है।

सभापति महोदय : श्री राव आप मध्यान्ह के भोजन के बाद बोल सकते हैं। अब सभा स्थगित होती है और 2 बजे म० प० पुनः समवेत होगी।

1·00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2·04 म० प०

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बज कर 4 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

वनों के विनाश तथा वायु, जल और वायु मण्डल के प्रदूषण का समाचार (जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री श्रीहरि राव अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

---

* तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*श्री श्रीहरि राव : उपाध्यक्ष महोदय, वन संरक्षण अधिनियम बनाकर केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के सारे अधिकार ले लिए हैं। राज्य सरकारों की स्थिति गौण हो गई है। वन लगाने के कार्यक्रम को लागू करने के लिए राज्य सरकारों के पास कोई संसाधन नहीं हैं। अधिक वन लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को धन नहीं दे रही है। इन कारणों से हमारे वनों का समुचित विकास नहीं हुआ है।

महोदय, देश में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम व्यक्तियों द्वारा अनियमित रूप से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ व्यक्ति यूकलिप्टस तथा अन्य वृक्ष लगाने के लिए सरकार से धन प्राप्त कर लेते हैं। किन्तु 4 या 5 वर्ष के बाद लगाए गए सभी वृक्षों को वे लोग काट देते हैं। इससे केवल यही व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं। पर्यावरण में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इस कार्यक्रम से देश में सामाजिक वनों का कतई विकास नहीं हुआ है। इससे पता चलता है कि सरकार की नीति कितनी दोषपूर्ण है।

महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण वन नीति ही दोषपूर्ण है। सरकार किसी ऐसे स्थान को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करती है जहां एक झाड़ी तक नहीं होती है। उन क्षेत्रों में कोई पशु यहां तक कि एक कुत्ता तक नहीं होता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। राजा मुंदरी के बीचों बीच 2,000 एकड़ से भी बड़ा क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र है। यह क्षेत्र उस समय आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया था जब राजा मुंदरी एक छोटा-सा नगर था और उसकी आबादी 40,000 थी। इस आरक्षित वन में एक भी वृक्ष नहीं देखा जा सकता है। इस शहर की आबादी अब 4 लाख हो गई है। नगर में बहुत भीड़-भाड़ हो गई है। इसका विकास करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। नगर विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि इसके एक ओर गोदावरी नदी है और दो तरफ यह आरक्षित वन है। इस नगर की सीमाएं बहुत समय पहले निश्चित की गई थीं। इसकी सीमाओं को परिवर्तित करने की आवश्यकता है क्योंकि उपलब्ध स्थान 4 लाख की आबादी के लिए पर्याप्त नहीं है। यह आरक्षित वन जो वास्तव में वन नहीं है, इस नगर के विकास में बाधक है। इस क्षेत्र को सुन्दर पार्क में बदलने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है जिससे कि कम से कम नगर का सौन्दर्य तो बढ़ जाता। वर्तमान नीति कितनी दोषपूर्ण है। यह बताने के लिए यह उदाहरण पर्याप्त है। महोदय, बेकार भूमि को वन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए और नगर के बीचोंबीच की उपयोगी भूमि को नहीं। इस नीति में इस प्रकार से संशोधन करने की आवश्यकता है। वास्तव में, मैं सरकार की वन नीति में आमूल-संशोधन किये जाने की मांग करता हूं।

सरकार की नीति कितनी दोषपूर्ण है यह बताने के लिए मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। तेलगु गंगा परियोजना को जिससे मद्रास के हमारे तमिल भाइयों को पेय जल सप्लाई करने में मदद मिलेगी और रायल सीमा तथा आंध्र प्रदेश के अन्य जिलों की लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। केन्द्र द्वारा अभी तक इस आधार पर स्वीकृति नहीं दी गई है कि नहर आरक्षित वन क्षेत्र से होकर जाती है। यह एक मूर्खतापूर्ण तर्क है। यद्यपि जिस क्षेत्र से होकर तेलगु गंगा बहती है, वह

* तेलुगु में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आरक्षित वन क्षेत्र है, जहां कोई भी वृक्ष नहीं है। यह नहर वन को नष्ट नहीं करती है अपितु इसके विपरीत अपने चारों ओर वन के विकास में सहायक है। यह परियोजना मद्रास के लोगों के लिए पेय जल की व्यवस्था करने में सहायक है। इससे रायल सीमा और आंध्र के अन्य क्षेत्रों की लाखों एकड़ भूमि की सिचाई होती है। अधिक अन्न उपजाया जा सकता है। सारे देश को लाभ हो सकता है। तो भी इतनी महत्वपूर्ण परियोजना को केन्द्र ने इस आधार पर स्वीकृति नहीं दी है कि यह आरक्षित वन से होकर बहती है और इसलिए उस वन को नष्ट करती है। इस उदाहरण से पता चलता है कि सरकार की नीति कितनी दोषपूर्ण है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार समूची नीति को पूर्णतया संशोधित करने जा रही है।

महोदय, सरकार वनों के विकास के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। धन राशि समुचित रूप से व्यय नहीं की जा रही है। इसलिये अधिनियम में परिवर्तन किया जाना चाहिए। यह ठीक है कि अधिनियम में परिवर्तन करने भर से काम नहीं चलेगा। सामाजिक जागृति पैदा करनी होगी। लोगों के दृष्टिकोण और विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा। पेड़ों के काटे जाने से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को स्वयं ही महसूस करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है।

श्रीमन्, श्री सुन्दरलाल बहुगुणा द्वारा आरम्भ किया गया चिपको आंदोलन, सारे विश्व में, विशेषकर यूरोप और आस्ट्रेलिया में काफी लोकप्रिय हो गया है। यह खेद की बात है कि इस देश में हम दूसरे का अनुकरण, नकल करते हैं। हम अपने लोगों का, जो कि इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, सम्मान करना नहीं जानते। श्री सुन्दरलाल बहुगुणा के 'चिपको आंदोलन' की तरफ हमारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। सरकार को इस प्रकार के आंदोलनों को बढ़ावा देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार के आंदोलनों को कहां तक सहायता देगी। लोगों को अधिक पेड़ों को उगाने की जानकारी होनी चाहिए। तभी हमारे वन विकसित होंगे।

नदियों के किनारे स्थित फैक्टरियों से निकलने वाले दूषित पदार्थों से भी हमारी नदियों का पानी प्रदूषित हो जाता है। देश में नदियों का पानी कई उद्योगोंद्वारा प्रदूषित किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कार्यवाही की है? मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक कितने उद्योगपतियों को दण्ड दिया गया है। पानी को प्रदूषित करने के लिए कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया है? माननीय मन्त्री ने इस सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा है। अब सरकार नये उद्योगों को तभी लाइसेंस जारी कर रही है, जबकि उनके पास प्रदूषण रोकने की व्यवस्था है। लेकिन जो उद्योग पहले ही स्थापित हो चुके हैं, उनके बारे में क्या होगा? वे लगातार वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए उद्योगपतियों से 'इलेक्ट्रो-स्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स' लगाने के लिए कहने जा रही है। प्रदूषण रोकने के कई तरीके हैं। इसके लिए अधिनियम हो सकते हैं। लेकिन सरकार को उन्हें सख्ती से लागू करना चाहिए।

श्रीमन् सरकार ने फैसला किया है कि गंगा के पानी को साफ किया जाए। मैं इस फैसले की स्वागत करता हूं। सारा देश एक है। उत्तर की नदियों को साफ करते हुए, सरकार को दक्षिण की

[श्री श्रीहरि राव]

नदियों को नहीं भूल जाना चाहिए। कृष्णा और गोदावरी जैसी बड़ी नदियां हैं। गोदावरी काफी बड़ी नदी है और गंगा मां की तरह पवित्र है। इस नदी के आस पास स्थित उद्योगों द्वारा गोदावरी नदी का जल भी प्रदूषित किया जा रहा है। क्या सरकार ने गोदावरी को साफ करने का भी फैसला किया है। एकता और अखण्डता की बात कहना तभी अर्थपूर्ण होगा जब देश के सभी भागों और नदियों को एक समान समझा जाए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गंगा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की तरह इस उद्देश्य के लिये एक बोर्ड की स्थापना करेंगे। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इसका उत्तर दें।

श्रीमन् मद्रास की बकिंघम नहर और हैदराबाद की मूसी नहर, इन शहरों के लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित हो रही हैं। वे न केवल दुर्गंध ही फैलाती है बल्कि कई बीमारियों का भी स्रोत है अगर वहां के निवासियों को बचाना है, तो इन नहरों को शीघ्र ही साफ किया जाना चाहिए। गंगा जैसी बड़ी नदियों को ही नहीं अपितु नहरों को भी जो इन शहरों के लिए कलंक हैं, को भी शीघ्र साफ किया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर भी विचार कर रही है।

श्रीमन्, वायु-प्रदूषण के बारे में बोलते हुए, मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में यह बहुत ज्यादा है। तापीय सयंत्रों की चिमनियां दिन-रात धुआं छोड़ती रहती हैं। ताजमहल जो कि दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, विश्व की सात आश्चर्य जन वस्तुओं में से एक है। लेकिन प्रदूषण के निर्दयी हाथों से हमारी यह मूल्यवान धरोहर ही बच नहीं सकी है। मथुरा तेल शोधक कारखाने से इस भवन को नुकसान पहुंचा है। इस मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया गया था। इस समिति की क्या सिफारिशें हैं और क्या सरकार ने उनको लागू किया है? श्रीमन् वायु-प्रदूषण एक खतरा बन गया है। क्या सरकार ने सभी उद्योगपतियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने यहां 'इलेक्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स' जैसे उपकरण लगाएं? क्या सरकार ने उन्हें ऐसा करने के लिए निर्देश दिया है।

श्रीमन्, मैं मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे प्रश्नों का उत्तर दें और मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वीर सेन : समूची सभा की यह राय है कि वनों की रक्षा की जानी चाहिए और मैं देख रहा हूं कि श्री राव इस विचार से सहमत नहीं है। अच्छा हमें तो वनों का संरक्षण करना है। सरकार अपने इस प्राथमिक कार्य को करना चाहती है।

उन्होंने वन (संरक्षण) अधिनियम की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इस अधिनियम की वजह से कुछ नगरों, विशेषकर राजा मुन्दरी क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। इस अधिनियम का उद्देश्य वनों की रक्षा करना है। राज्य सरकारों द्वारा बांध बनाने जैसी कुछ परियोजनाओं को आरम्भ किया गया है, जहां जलाशयों का निर्माण किया जाना है और ट्रांसमीशन लाइनों को बिछाया जाना है। केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए ये परियोजनाएं आने वाली हैं और इस अधिनियम द्वारा

केन्द्रीय सरकार को प्राधिकृत किया गया है कि वह पर्यावरण और वानिकी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् इसे मंजूरी दे या न दें। मानव जाति के प्रति हमारा प्रथम कर्त्तव्य है कि हम वनों की रक्षा करें, ताकि मानव जाति को बचाया जा सके और यह जीवित रह सके। अतः जहां कहीं विकास की आवश्यकता होती है, हम इस बात को भी ध्यान में रखते हैं कि क्या यह पर्यावरण की आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं और क्या वे इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके साथ ही हम इस बात पर भी विचार करते हैं कि क्या वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था करके वनों को बचाया जा सकता है जब विकास के लिए वनों को काटना आवश्यक हो तभी हम ऐसा करते हैं और मंजूरी देते हैं। अन्यथा अगर हम महसूस करते हैं कि परियोजना को दूसरी जगह स्थापित किया जा सकता है तब हम इस बारे में जानकारी मांगते हैं।

माननीय सदस्य ने परियोजनाओं को मंजूरी दिये जाने में होने वाले विलम्ब के बारे में कहा है। हम परियोजनाओं की मंजूरी दे रहे हैं, लेकिन हमें मुख्य रूप से इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि कभी-कभी पूरी जानकारी नहीं दी जाती है और जब हम सूचना देने के लिए कहते हैं तो, कभी-कभी इसमें वर्षों लग जाते हैं। सामान्यतः ऐसी आशा की जाती है कि वे तीन सप्ताह के अन्दर मांगी गई जानकारी भेज दें, लेकिन कभी-कभी बार-बार अनुस्मारक देने पर भी हमें जानकारी नहीं मिलती है। इसीलिए परियोजनाएं केन्द्र के पास पड़ी रह जाती हैं। मैं विशेषकर मैं यह कहना चाहता हूं कि हम परियोजनाओं की मंजूरी देने में देरी नहीं करते, बल्कि राज्य सरकारें खुद इसके लिए जिम्मेवार हैं।

श्री श्रीहरि राव : तेलगु गंगा के बारे में क्या राय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप वनरोपड़ चाहते हैं या वनों की कटाई चाहते हैं ?

श्री वीर सेन : इस मामले में भी हमने तमिलनाडु राज्य सरकार से कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी थी और हाल ही में, 23 जुलाई को हमें वह जानकारी प्राप्त हुई है। हम इस पर विचार करेंगे और मैं समझता हूं कि थोड़े समय बाद हम इसे या तो मंजूरी दे देंगे या अस्वीकृत कर देंगे। वास्तव में देरी हमारी तरफ से नहीं है। हम परियोजना को जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें राज्य सरकारों से जानकारी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

एक माननीय सदस्य : जल्दी, कितनी जल्दी होती है ?

श्री वीर सेन : वास्तव में, अगर हमें सारी जानकारी प्राप्त हो तो, सामान्यतः हम तीन माह में परियोजना को मंजूरी दे देते हैं। लेकिन हम भी मजबूर हैं··· (**व्यवधान**)।

श्री मो० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : आप को किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं ?

श्री वीर सेन : वास्तव में मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि तीन माह से लम्बित पड़ी परियोजनाओं की संख्या हमारे पास 13 हैं। इस प्रकार काफी परियोजनाएं

[श्री वीर सेन]

लम्बित नहीं हैं। हमने उनमें से काफी को निपटा दिया है। जब कभी भी हमारे पास ये परियोजनाएं आती हैं, हम बहुत शीघ्रता से कार्यवाही करते हैं।

माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न, सामाजिक वानिकी और यूकलिप्टस के पेड़ उगाने के लिए अनुदान देने के बारे में पूछा है। केवल वन विभाग के प्रयत्नों से ही वनरोपण कार्यक्रम सफल नहीं बनाया जा सकता, इसमें लोगों का सहयोग भी आवश्यक है। हम यह चाहते हैं कि आमतौर पर इस आन्दोलन में लोगों का सहयोग भी प्राप्त हो। इसीलिए हम सामान्यत: लोगों, गांववासियों से, गांवों की महिलाओं से, शिक्षा संस्थाओं के युवकों से और यहां तक कि बच्चों से सहायता ले रहे हैं। हम आशा करते हैं कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक पौधा लगाए, ताकि वह इसमें दिलचस्पी ले, उसकी देखरेख करे और वनरोपण कार्यक्रम में सहायता दे।

यह सही है कि कुछ लोग यूकलिप्टस को पसन्द करते हैं, क्योंकि यह जल्दी बढ़ता है और जल्दी आमदनी देता है। कई ऐसे पेड़ हैं जिनके तैयार होने में 10 या इससे भी अधिक वर्ष लगते हैं। लेकिन यह एक ऐसा पेड़ है जो 5 वर्ष में तैयार हो जाता है और 15 वर्ष की आयु में अधिकतम लाभ देता है। अगर आपको आम लोगों का सहयोग प्राप्त करना है तो आपको उन्हें बताना होगा कि इसके आर्थिक लाभ भी हैं। अगर हमें ग्रामवासियों को कुछ अवसर देना है तो हमें उन्हें लाभों के बारे में बताना होगा। और मैं समझता हूं कि अगर पांच वर्ष पश्चात् उन्हें कुछ लाभ मिल जाता है तो यह उनके लिए प्रोत्साहन होगा और वे पेड़ उगाने में दिलचस्पी लेंगे।

जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आम लोगों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। इसीलिए हम चाहते हैं कि गांवों में व्यक्तिगत रूप से नर्सरियां तैयार की जाएं। अगर वन विभाग नर्सरी तैयार करता है तो उन्हें बांटना लाभकारी नहीं होगा और परिवहन खर्च भी बहुत अधिक है। अत:, हम यह चाहते हैं कि मुफस्सल क्षेत्रों और भीतरी ग्रामीण क्षेत्रों में नर्सरी तैयार की जाए। ऐसा करने से एक ओर जहां थोड़े से फासले पर ही पेड़-पौधे लगाने का सामान उपलब्ध हो सकेगा, वहीं लोगों को नर्सरी लगाना भी लाभदायक होगा।

माननीय सदस्य ने कहा है कि अपने आरक्षित वनों को काटने की बजाए, हमें बेकार पड़ी अपनी लाखों हैक्टेयर भूमि का इसके लिए उपयोग करना चाहिए। वास्तव में, मैं सुझाव के प्रथम भाग से सहमत नहीं हूं। लेकिन जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं और हम यही कर रहे हैं। 5 जनवरी को प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि देश में 50 लाख हैक्टेयर बंजर भूमि में वन लगाए जाएंगे। मैं समझता हूं कि उस पक्ष के सदस्य इस दृष्टिकोण को स्वीकार करेंगे और उसकी सराहना करेंगे।

मै माननीय सदस्य का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस अधिनियम में संशोधन करने की बात कही है। लेकिन किस अधिनियम में संशोधन करना है? संरक्षण-अधिनियम में नहीं, परन्तु वन-अधिनियम में और हम वन-अधिनियम में ऐसे संशोधन लाने की सोच रहे हैं, जिनसे वनों का संरक्षण अधिक कार-

गर ढंग से हो। अवैध रूप से पेड़ काटने वालों के विरुद्ध हम दांडिक उपबन्ध करने पर विचार कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने कारखानों द्वारा होने वाले प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों के बारे में बताया है। मैंने अपने पहले दिये गए वक्तव्य में और श्रीमती ऊषा चौधरी के प्रश्न के उत्तर में भी मैंने कहा था कि जहां तक औद्योगिक प्रदूषण का सम्बन्ध है, हमारे यहां दो प्रकार के उद्योग हैं, एक तो वे उद्योग हैं जो जल प्रदूषण अधिनियम और वायु प्रदूषण अधिनियम लागू होने से पहले ही स्थापित हो चुके हैं और दूसरे वे उद्योग हैं जो इन अधिनियमों के लागू होने के बाद स्थापित हुए हैं। जो उद्योग इन अधिनियमों के लागू होने के बाद स्थापित हुए हैं, उनके लिए हमने यह जरूरी कर दिया है कि वे प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को योजना और परियोजना प्रतिवेदन में ही सम्मिलित करें। इसे परियोजना का अंग माना जाए। उनके प्रस्ताव और उनके उपकरणों की जांच की जाएगी। प्रदूषण बोर्ड इस बात की जांच करेगा कि क्या उपकरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपयुक्त है और जब तक बोर्ड इस बारे में प्रमाण-पत्र नहीं जारी कर देगा; आशय-पत्र को लाइसेंस के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। इस तरह से हम, इस बारे में भी सावधानी बरत रहे हैं।

खतरनाक उद्योग स्थापित करने के लिए भी हम सावधानी बरत रहे हैं और उपबन्ध कर रहे हैं। अगर हम समझते हैं कि कुछ उद्योग खतरनाक हैं या हानिकारक हैं तो पर्यावरण विभाग से मंजूरी लिए बिना इसे स्थापित नहीं किया जा सकता।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : पुराने उद्योगों के बारे में क्या है ?

श्री वीर सेन : जहां तक पुराने उद्योगों का सम्बन्ध है पहले हम उन्हें इस बात के लिए राजी करेंगे। अगर वे नहीं मानते हैं तो हम उन पर मुकदमा चलाएंगे। कई मामलों में न्यायालय की शरण ली गई है और कुछ मामलों में मुकदमें चलाए गए हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, लेकिन उपलब्ध जानकारी में से उन्हें ढूंढने में मुझे कुछ समय लगेगा। अतः अगर माननीय सदस्य इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो मैं उन्हें बाद में पूरी जानकारी दे दूंगा।

अब मैं दिल्ली और आगरा की वायु-प्रदूषण की समस्या पर आता हूं मैं समझता हूं कि दिल्ली में 40% वायु-प्रदूषण तापीय केन्द्रों की वजह से है। जहां तक राजघाट तापीय केन्द्र का सम्बन्ध है, हमने इस एकक को बन्द करने के लिए कहा है। निश्चय ही अन्य एकक इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर्स का प्रयोग कर रही हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर्स लगाने का सुझाव दिया है, हम पहले ही से इस पर जोर दे रहे हैं और कुछ एकक इसका प्रयोग कर भी रहे हैं। दिल्ली में कुछ अवक्षेपक (प्रेसीपिटेटर्स) पुराने हो गए हैं और वे इतने प्रभावी नहीं हैं। अतः हम उन एककों को नये अवक्षेपक लगाने के लिए कह रहे हैं। निश्चय ही आमतौर पर नया इलैक्ट्रो स्टेटिक अवक्षेपक 99.5 प्रतिशत प्रदूषण पर नियंत्रण करने का सामर्थ्य रखता है। अतः उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और जहां कहीं आवश्यक होता है, हम अदालत में जाते हैं और आवश्यक कार्यवाही करते हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : आप कलकत्ता में प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।

श्री वीर सेन : जो कदम हम अन्य राज्यों में उठा रहे हैं, कलकत्ता में भी वही लागू होते हैं।

मैं आगरा में तथा ताज पर परिष्करणशालाओं द्वारा पड़ने वाले प्रदूषण के प्रभाव के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। वास्तव में वहां की वायु की जांच की गई है और यह पता चला है कि वह ताज के लिए घातक नहीं है। ताज की सुरक्षा के लिए हमने अन्य उपाय किए हैं। एक क्षेत्र को ट्रैपीजियम (समलंब) नाम दिया गया है और उस क्षेत्र में हम ऐसा कोई उद्योग लगाने की अनुमति नहीं देते जिससे प्रदूषण हो। निश्चय ही कुछ उद्योगपतियों ने उद्योग लगाने की अनुमति मांगी है। मुझे याद है हमारे पास एक मामला आया था, हमने उस क्षेत्र में उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी है। हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर आगरा और ताज के बारे में बहुत सतर्क हैं। हम इस बारे में बहुत सतर्क हैं कि वहां ऐसा कोई उद्योग स्थापित न हो। मैं समझता हूं मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

श्री श्रीहरि राव : जल प्रदूषण के सम्बन्ध में आपका क्या विचार है ?

श्री वीर सेन : हम गंगा को स्वच्छ कर रहे हैं। वास्तव में जब मैं माननीय सदस्या के प्रश्न का जवाब दे रहा था तो मैंने सोचा कि आप उपस्थित नहीं हैं।

श्री श्रीहरि राव : आप गंगा के साथ-साथ गोदावरी की भी सफाई क्यों नहीं करवाते ?

श्री वीर सेन : सभी नदियों की देखरेख की जा रही है। कुछ नदियों की सफाई पूरी होने वाली है। लेकिन जहां तक परियोजनाओं का सम्बन्ध है, धन उपलब्ध होने पर हम उन्हें पूरा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री धर्म पाल सिंह मलिक (सोनीपत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले वक्ताओं ने इस विषय पर काफी प्रकाश डाला है. क्योंकि इस विषय पर बोलने वाला मैं आखिरी वक्ता हूं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा, उन चीजों को न दोहराऊं।

उपाध्यक्ष जी, तीसरे संसार के सामने सबसे बड़ा काम शांति स्थापित करना है और मैं यह समझता हूं कि दूसरा सबसे बड़ा काम है पर्यावरण को दूषित होने से बचाना। जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया है कि दुनिया का अधिकांश भाग जल और वायु प्रदूषण से काफी परेशान है और इस समस्या को हल करने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। दुनिया के हजारों नर-नारी पानी की कमी या जल प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। अनुमान है कि 70 प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं और 30 प्रतिशत बीमारियां वायु के प्रदूषण के कारण। गंगा और महानदी हमारे देश के आठ राज्यों से होकर गुजरती हैं। इन राज्यों के बहुत सारे शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के 26 शहर, बिहार के 15 शहर और वैस्ट बंगाल के 59 शहर। इसी प्रकार

इस महानदी के किनारे 132 कल-कारखाने भी लगे हुए हैं। इस प्रकार देश की आबादी का 37 प्रतिशत भाग इस गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इन सभी कारखानों का गन्दा पानी गंगा मे जाकर गिर जाता है, जिससे गंगा के तमाम पानी को दूषित कर देता है। इसी तरह से यमुना और अन्य नदियों का पानी भी दूषित होता रहता है, जिससे इन्सानों और मवेशियों की बीमारियां फैलकर सहज ही मृत्यु हो जाती है। यह पानी पीने के लिए तो दूर नहाने के काबिल भी नहीं रह जाता है। गंगा के किनारे रहने वाले लोग प्रदूषित पानी के कारण हैजा, पोलियो, टाइफाइड, पेट के रोग तथा कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों के शिकार होते रहते हैं। इतना ही नहीं प्रदूषित जल से मछली पालन व कृषि उद्योग में भी काफी हानि होती है। सरकार ने गंगा जल सफाई योजना बनाई है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी अपने पहले पब्लिक वक्तव्य में इस बात पर काफी बल दिया है, परन्तु योजना आयोग ने सातवें प्लान में केवल 80 करोड़ रुपये निर्धारित किया है, जबकि हमारी सरकार की मांग थी कि कम से कम ढाई सौ करोड़ रुपये की मंजूरी की जानी चाहिए। 1985-86 के लिए केवल 10 करोड़ रुपये गंगा सफाई योजना के लिए निर्धारित किए गए हैं।

दूसरा विषय है, वायु प्रदूषण—मोटर गाड़ियों द्वारा, कल-कारखानों के द्वारा और इण्डस्ट्रियल वैस्ट के द्वारा। आजकल जंगल अधिक काटे जा रहे हैं और नये कम लगाए जा रहे हैं, जबकि जंगल बाढ़ और सूखे की समस्या को रोकने के लिए केवल एकमात्र साधन है। अभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि वृक्ष और वायु दोनों का आपस में बहुत गहरा सम्बन्ध है। मैं यह तो कहूंगा कि जल के साथ भी इन दोनों चीजों का बहुत गहरा सम्बन्ध है। वृक्ष और पौधे जो कार्बन डायक्साइड, सोलर एनर्जी और पानी से अपनी खुराक पैदा करते हैं और बदले में आक्सीजन छोड़ते है, जो कि प्राणी के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षों का लगाना बहुत ही आवश्यक है। हमारे देश में बहुत ज्यादा मात्रा में वृक्ष काटे जा रहे हैं। और जो दरख्त हर साल लगाये जाते हैं वे कटने वाले दरख्तों के रेशों से बहुत ही कम हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि दरख्तों से हमें आक्सीजन मिलने के साथ-साथ दरख्त हमें वर्षा देते हैं, दरख्तों से हमें औषधियां मिलती हैं, खेतों में देने के लिए पानी का साधन बढ़ता है। इन वृक्षों के कटने से हमारे देश का जो वर्षा क्रम था वह भी अब बिगड़ता जा रहा है।

इस विषय पर दूसरे माननीय सदस्यों ने काफी विचार रखे हैं, मैं अब कुछ सुझाव रखना चाहूंगा और उसके बाद मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा।

मेरा सुझाव यह है कि केन्द्र व राज्य सरकारों को चाहिए कि वे प्रदूषित जल व धुंआ आदि छोड़ने वाले सभी कारखानों को निर्देश दे कि वे अपने यहां शोधन संयंत्रों की तुरन्त स्थापना करें ताकि प्रदूषित जल नदियों में जाने से रोका जा सके और प्रदूषित वायु वातावरण को खराब न करे इससे दो लाभ होंगे— एक तो नदियों का पानी दूषित होने से बचेगा, दूसरे जो शोधित पानी व गैस मिलेगी उसका उपयोग अन्य लाभकारी कार्यों में किया जा सकता है।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार इस बात पर जोर दे कि हमारे शिक्षा संस्थान स्कूलों के बच्चों को जंगलों को न काटने और नये वृक्ष लगाने के बारे में पढ़ाएं। बच्चों के सिलेबस, कोर्स में भी इस विषय को रखा जाए जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को इस

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]

बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त हो सके और वे दस्तों को सुरक्षित रखने के लिए पूरा प्रयास कर सकें।

मैं यह भी चाहूंगा, जैसी कि प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञों की राय है कि पर्यावरण में प्रदूषण के बढ़ने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि हमारे वर्तमान जल प्रदूषण नियंत्रण कानून, 1974 में अनेक खामियां हैं। मेरे से पहले बोलने वाले सभी लोगों ने यह कहा है और बाहर आम आदमी के विचार भी ऐसे ही हैं कि यह कानून वर्तमान समय और परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। जो उद्योग अपना गन्दा पानी व खतरनाक अवशिष्टों को बिना सोचे समझे गलत ढंग से नदियों में बहा देते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में अनेकों अड़चनें आती हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या इस विषय में इस कानून में संशोधन इसी सत्र में आ सकेगा या नहीं ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि गंगा व अन्य नदियों का जल-प्रदूषण समाप्त करने के लिए कितने सालों की योजना है और इस बारे में सरकार क्या करने जा रही है ताकि बढ़ती हुई आबादी, कारखाने व लोगों के शहरीकरण की भावना से जल व वायु प्रदूषण की समस्या हमारे देश के सामने कभी भी न आए ?

तीसरे, भारत में जल व वायु प्रदूषण से कितने लोगों की सालाना मृत्यु होती है और पिछले तीन सालों में इसमें कितना बढ़ाव हुआ है ?

चौथे, पिछले तीन सालों में वायु और जल प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सरकार ने कुल कितना पैसा खर्च किया है ?

पांचवें, एसिड वर्षा होने के क्या-क्या कारण हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय हैं ? क्या भारत भी एसिड रेन से प्रभावित हो सकता है और इसकी रोकथाम की भारत में क्या सम्भावनाएं हैं ?

छठे, हर वर्ष गंगा घाट पर काफी डैड बाडीज का संस्कार किया जाता है। गंगा सफाई योजना में डैड बाडीज के डिस्पोजल का कोई जिक्र नहीं है, केवल इतना जरूर आया है कि गंगा के अन्दर कोई डैड बाडी न फेंकी जाए। इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस विषय पर सोचकर गंगा घाट पर डैड बाडीज का संस्कार करने वालों को रोकने के लिए एक्ट के अन्दर कोई प्रावधान कर रही है ?

सातवें, अब तक सरकार द्वारा हिन्दुस्तान की कितनी नदियों का सर्वे कराया गया है और नदियों का कितने परसेंट पानी प्रदूषित पाया गया है ?

आठवें, जैसा कि मेरे पूर्व बोलने वालों ने भी जिक्र किया, अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई, उनका प्रोसीक्यूशन किया गया ? एयर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट के तहत मैं जानना चाहूंगा कि पिछले तीन सालों में जल-प्रदूषण करने वाले कितने कारखानेदारों के खिलाफ कार्यवाही की गई, कितनों को सजा दी गई और क्या किसी कारखानेदार को इस सम्बन्ध में

जेल भेजा गया। मुझे जो जानकारी है, उसके अनुसार उन लोगों को 10, 20 या 50 रुपया जुर्माना करके छोड़ दिया जाता है, कोई कड़ी सजा उनको नहीं दी जाती। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि प्रिवेंशन आफ वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 और प्रिवेंशन आफ एयर पोल्यूशन एक्ट 1974 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, तीनों के अन्दर इस किस्म का प्रावधान होना चाहिए कि जिससे से ज्यादा प्रैक्टिकल हों और इसमें ज्यादा से ज्यादा सख्त सजा मिले, ताकि लोगों को जल और वायु प्रदूषित करने से रोका जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में अधिक ये अधिक ध्यान देकर देश को प्रदूषित वायु और जल से बचाएं।

श्री वीर सेन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रस्तावना के तौर पर वनों की ओर ध्यान दिलाया है, उसके बारे में जवाब देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने बहुत से प्रश्न उठाए हैं, उनका मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। एक प्रमुख प्रश्न गंगा योजना के बारे में है कि वे केवल 80 करोड़ रुपया प्लानिंग कमीशन से मंजूर हुआ है, उसके बारे में उन्होंने प्रश्न उठाया है, मैं समझता हूं कि यह बात ठीक है कि योजना में रुपये की कुछ कमी है, लेकिन हम यह विश्वास करते हैं कि इस योजना को अमल में लाने के लिए कोई पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। माननीय सदस्यों को जानकारी है कि जब प्रधान मंत्री महोदय फ्रांस गए थे तो फ्रांस की सरकार ने सहायता देने का उपक्रम किया था, उसके बारे में भी हम विचार कर रहे हैं, उसके साथ ही और भी ऐसे देश हैं, वर्ल्ड बैंक, यू० एस० ए०, यू० के०, स्विटजरलैंड और कनाडा, इन देशों ने हमको सहायता देने का प्रस्ताव किया है, इनके बारे में विचार करेंगे, जिनकी शर्तें स्वीकार करने योग्य होंगी, उनको स्वीकार किया जाएगा और इस योजना को अमल में लाने के लिए कदम उठाया जाएगा।

कुछ सुझाव कारखानेदारों को निर्देश देने के बारे में दिए हैं, वायु प्रदूषण आदि के लिए, इन पर हम पहले ही अमल कर रहे हैं। जो लोग हमारे अनुरोध को नहीं मानते, उनका हम चालान करते हैं। मेरे पास काफी लम्बी-चौड़ी लिस्ट है, अभी मिल नहीं रही है नहीं तो मैं माननीय सदस्य को बता देता कि कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गंटूर) : आप जानकारी दे सकते हैं और सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री वीर सेन : मैं इस सम्बन्ध में जानकारी सभा पटल पर रख दूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : उस तरफ पोल्यूशन ज्यादा है, इसको शुद्ध किया जाए।

श्री वीर सेन : जिधर पोल्यूशन ज्यादा होगा, उसको साफ करने की कोशिश की जाएगी।

(व्यवधान)

इस तरफ तो हमने शुद्ध कर रखा है। अभी मैंने बताया कि कलकत्ता में•••।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप समझते हैं कि सभा पटल पर कुछ पत्र रखने से वे प्रदूषित हो जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री वीर सेन : माननीय सदस्य ने दूसरी चीज शिक्षा के बारे में कही है। शिक्षा के क्षेत्र में हम पहले से ही ध्यान दे रहे हैं और प्राइमरी स्कूल के स्लेबस में इसको शामिल कर रहे हैं और हायर लेवल पर यूनिवर्सिटी लेवल पर भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि डिग्री स्टेज पर भी यह बात आए। उस तरफ हम पहले से ही ध्यान दे रहे हैं। माननीय सदस्य ने नदियों में डैड बाडीज डालने का जिक्र किया है। एक प्रोसेस है जिसे "डी० ओ० डी०" कहते हैं जिसकी वजह से जल प्रदूषित नहीं होता। जीवधारियों के लिए केमिकल की जरूरत पानी में होती है। पानी प्रदूषण समाप्त हो जाए तो जीवधारी पैदा होने लगेंगे। उसका प्रभाव यह होगा कि मछलियां और कछुए भी होंगे। वैसे प्रकृति ने इन्तजाम किया हुआ है। जहां पर प्रदूषण होता है उसको साफ करने का इन्तजाम कछुए और मछलियां करते हैं। फिर भी हम समझते हैं कि इस प्रदूषण को रोकना जरूरी है। अगर बिजली के जरिए से लाशों का इन्तजाम हो सकता है तो वह किया जाना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। माननीय सदस्य ने एसिड रेन्स का भी जिक्र किया। सल्फर आक्साइड जब आकाश में जाता है और एटमास्फीयर से उसका रिएक्शन होता है तो वह एसिड की शक्ल में बदलकर नीचे गिरने लगता है। यह प्रक्रिया हमारे देश में नहीं बल्कि ठण्डे देशों में होती है। उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है और न ही विशेष कुछ करने की जरूरत है। मैं समझता हूं, मैंने माननीय सदस्य के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

2.46 म०प०

कार्य मंत्रणा समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 13 पर चर्चा करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री : (श्री एच०के०एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 13 अगस्त, 1985 को सभा में प्रस्तुत किए गए ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 13 अगस्त, 1985 को सभा में प्रस्तुत किए गए ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.47 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जनक राज गुप्ता—अनुपस्थित

श्री विष्णु मोदी—अनुपस्थित

(एक) मध्य प्रदेश के सात राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता

कुमारी पुष्पा देवी (रायगढ़) : महोदय, सड़क संचार के मामले में मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में आठ राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी कुल लम्बाई 2,676 किलोमीटर है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की औसत लम्बाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 0.92 किलोमीटर है, जबकि मध्य प्रदेश में इसकी लम्बाई केवल 0.60 किलोमीटर है। पिछले दो दशकों से इस राज्य में कोई नया राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बनाया गया है जबकि अन्य राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों में 6% से 83% तक वृद्धि हुई है।

यह बड़े खेद की बात है कि मध्य प्रदेश में नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। चूंकि मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है, इसलिए उत्तर से दक्षिण अथवा पूर्व से पश्चिम की ओर आने-जाने वाले यातायात को इस राज्य से गुजरना पड़ता है। अतः यहां राजमार्ग का बहुत महत्व है।

राष्ट्रीय यातायात नीति समिति ने भारत सरकार से सात राज्यमार्गों—(1) ग्वालियर, झांसी, नौगांव, रीवा (2) नागपुर, अंबिकापुर; (3) जबलपुर, शहडोल, अंबिकापुर, गुनाला; (4) रायपुर, अंबिकापुर, वाराणसी; (5) भोपाल, इन्दौर, झाबुआ, अहमदाबाद, (6) जगदलपुर,

[कुमारी पुष्पा देवी]

राजामुंद्री; और (7) निजामाबाद, जगदलपुर, को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की सिफारिश की है। लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय यातायात नीति समिति की सिफारिशों के संबंध में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। मध्य प्रदेश पिछड़ा राज्य है और मुख्यतः यहां जन-जातियां रहती हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार को उपरोक्त, सात राज्य मार्गों को अविलंब राजमार्ग घोषित करना चाहिए।

[हिन्दी]

(दो) "डाई अमोनिया फास्फेट" और "सुपर फास्फेट क्रिस्टलों" के रंगों में भिन्नता लाने की आवश्यकता

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्याय महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत लोक महत्व के एक विषय की ओर आपका और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। भारत कृषि प्रधान देश है और आज भी कुल आबादी का लगभग 80 प्रतिशत लोगों के जीवनयापन का साधन मात्र कृषि ही है। पिछले वर्षों में निश्चित रूप से उत्पादन काफी बढ़ा है जिसमें मुख्य भूमिका सिंचाई के साधनों की उपलब्धता एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग रहा है। आज भी देश में प्रयुक्त होने वाले उर्वरकों की मात्रा लगभग 60 प्रतिशत उत्पादन अपने देश में होता है और 40 प्रतिशत देश के उर्वरक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विदेशों से आयात करना पड़ता है। जो उर्वरक विदेशों से मंगाये जाते हैं उनकी री-बैगिंग बन्दरगाह पर ही की जाती है। इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि वह उर्वरक किसान तक पहुंचने में 50 किलो से कम वजन का होता है जबकि उसे 50 किलो होना चाहिए। इसका कारण ठीक से तोलकर न भरना तथा हुक प्रयोग करना मुख्य रूप से माना जाता है और साथ ही यह उर्वरक मिश्रण हमारे देश में कई श्रेणियों में बनाये जाते हैं और उनके बिक्री के मूल्यों में काफी असमानता रही है किन्तु यदि बोरों में से उर्वरक निकाल दिये जाएं तो सभी प्रकार के उर्वरक रूप रंग और आकार प्रकार में एक जैसे दिखाई देते हैं और परिणाम यह होता है कि सस्ते उर्वरक को बड़ी आसानी से महंगे उर्वरक के नाम पर बेच दिया जाता है।

ऐसी परिस्थिति में गरीब किसान ठगा जाता है। उदाहरण के लिए सिंगल सुपर फास्ट क्रिस्टल, जिसका मूल्य लगभग 50 रुपया प्रति बैग है, उसे डाई अमोनियम फास्फेट के नाम पर 175 रुपया प्रति बोरा बड़ी आसानी से बेचा जाता है, क्योंकि दोनों के रंग रूप और आकार-प्रकार एक जैसे होते हैं।

अतः मैं माननीय उर्वरक एवं रसायन मन्त्री जी से मांग करता हूं कि डाई अमोनियम फास्फेट को सिर्फ एक ही रंग में बनाने की इजाजत दी जाए जो सुपर फास्फेट क्रिस्टल के रंग से भिन्न हो, ताकि जो बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो रही है, उसे रोका जा सके।

[अनुवाद]

(तीन) सातवीं योजना के दौरान मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा को पर्याप्त प्राथमिकता देने की आवश्यकता

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेस) द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में किए गए सर्वेक्षण से जो आंकड़े मिले हैं, वह चौंका देने वाले हैं। उनसे पता चलता है कि 40 लाख भारतीय विभिन्न मानसिक रोगों से पीड़ित हैं। लेकिन छोटी-मोटी मानसिक खराबियों से तो 3 करोड़ से 4 करोड़ भारतीय बच्चे पीड़ित हैं। मानसिक रोग से पीड़ित बच्चों की संख्या भी बहुत अधिक है अर्थात 1 प्रतिशत। अतः देश में जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, वे बहुत ही अपर्याप्त हैं। इस अध्ययन से यह भी पता चला है कि अल्कोहल और औषधियों पर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या में भी बहुत वृद्धि हुई है। देश में इसकी चिकित्सा सुविधाएं केवल 20,000 लोगों के लिए ही उपलब्ध हैं और जिन लोगों को तुरन्त मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा की आवश्यकता है, ये सेवाएं ऐसे केवल 10% लोगों को ही उपलब्ध हैं। दुर्भाग्य से लोगों को यह जानकारी भी नहीं है कि इस रोग का अच्छी तरह से और वैज्ञानिक इलाज भी किया जा सकता है जिससे लोगों में अन्धविश्वास बना हुआ है। इसलिए सातवीं योजना में मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा को उपयुक्त प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है।

(चार) नलगौंडा के लिए दूरदर्शन रिले केन्द्र

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगौंडा) : महोदय नलगौंडा हैदराबाद से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर है। यह दुःख की बात है कि इस बड़े जिले में, जहां 15 ताल्लुक हैं, दूरदर्शन रिले केन्द्र नहीं हैं। इस जिले के लोगों की मांग है कि यहां एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किया जाए। हैदराबाद स्थित दूरदर्शन केन्द्र का इन लोगों कोई लाभ नहीं है क्योंकि चित्र बहुत धुंधले आते हैं विशेषकर नागार्जुन सागर, कोडेडा और देवरकौंडा ताल्लुक हैदराबाद से बहुत दूरी पर हैं और वहां की जनता इस सुविधा से वंचित है। इस क्षेत्र के विकास के लिए और जनता की शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए वहां पर दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना करना आवश्यक है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि नलगौंडा क्षेत्र की जनता के लाभ के लिए वहां शीघ्र ही एक दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना की जाए।

[हिन्दी]

(पांच) छितौनी और दीघाघाट में रेलवे पुलों का निर्माण करने तथा बिहार के सीवान स्टेशन और दिल्ली के बीच एक और रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत लोक

[काली प्रसाद पाण्डेय]

महत्व की अत्यन्त महत्वपूर्ण निम्नलिखित रेलवे की समस्याओं की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं :—

"1974 में स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कर कमलों द्वारा बिहार के पश्चिम चम्पारण में छितौनी रेलवे पुल का शिलान्यास कार्य सम्पन्न हुआ, लेकिन आज तक इसका निर्माण नहीं हुआ। जब कि इस पुल के बन जाने से उत्तर प्रदेश एवं बिहार से सीधा सम्पर्क तो होगा ही, साथ ही नेपाल को भारत से जोड़ने में भी यह सहायक होगा।

स्व० रेल मन्त्री श्री केदार पांडेय ने बिहार वासियों को आश्वासन दिया था कि दीघाघाट (पटना) रेलवे पुल का निर्माण होगा, लेकिन आज तक यह पुल नहीं बन सका। यह पुल उत्तरी एवं दक्षिणी बिहार को जोड़ने के लिए अति आवश्यक है। आज कोई भी रेलवे द्वारा सीधा सम्पर्क सूत्र उत्तरी एवं दक्षिणी बिहार के बीच नहीं है। फलतः यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

सीवान रेलवे स्टेशन (बिहार) पर टिकटों की बिक्री प्रतिदिन 2 से 2.50 लाख रुपए तक है और हजारों यात्री प्रतिदिन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एवं पंजाब के लिए यहां से यात्रा करते हैं। लेकिन यहां से एकमात्र ट्रेन जयन्ती जनता गुजरती है। फलतः यात्रियों को कितनी परेशानी होती है यह अकथनीय है साथ ही सैकड़ों यात्री छूट भी जाते हैं।

अतः मैं सदन के माध्यम से रेल मन्त्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बिहार एक पिछड़ा प्रदेश है और उसमें उत्तरी बिहार खासकर। इसलिए रेल मन्त्री जी निम्नलिखित कामों को अविलम्ब कराने का कष्ट करेंगे :—

1. छितौनी रेलवे पुल का निर्माण
2. दीघाघाट (पटना) रेलवे पुल का निर्माण एवं
3. सीवान स्टेशन (बिहार) होकर दिल्ली तक जयन्ती-जनता की तरह एक और ट्रेन चलाने की व्यवस्था।"

(छः) मुरैना जिले में चम्बल नदी पर एक पक्का पुल बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता।

श्री कमोदी लाल जाटव (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय उठाना चाहता हूं :—

मध्य प्रदेश के जिला मुरैना की अम्बाह तहसील में चम्बल नदी बहती है जिससे समीपवर्ती प्रदेश उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान भी जुड़ते हैं, किन्तु इस नदी पर कोई पक्का पुल नहीं है। जिस

कारण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के बीच आवागमन में जनता को न केवल असुविधा तथा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, अपितु मार्गों के विरुद्ध होने के फलस्वरूप दस्यु प्रभावित इन क्षेत्रों में जन-जीवन भी खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि विशेषकर पुलिस के आवागमन में व्यवधान रहता है। इसके अतिरिक्त इस पिछड़े क्षेत्र का सम्पर्क आगरा, फिरोजाबाद तथा इटावा आदि के राष्ट्रीय मार्गों से न होने के कारण यहां की उपज की निकासी भी पूर्णतः असंतोषजनक है, जो उसके आर्थिक विकास में बाधक है। अतएव चम्बल नदी पर उसैलघाट तथा खुर्द रायपुर व नमला सिलावली के बीच में एक पक्के पुल का निर्माण अनिवार्य है। इसके लिए मेरे से पूर्व संसद् सदस्यों ने 38 वर्षों की लम्बी अवधि में इस पुल के निर्माण की मांग की है, किन्तु अभी तक कुछ भी नहीं हो सका है। अतएव भारत सरकार से निवेदन है कि मध्य प्रदेश को वांछित आर्थिक सहायता देकर राष्ट्रीय हित के इस पुल का यथाशीघ्र निर्माण कराने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(सात) पश्चिमी बंगाल में मालडिब्बों के लिये पर्याप्त क्रयादेश देने के लिये कदम उठाने की आवश्यकता

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : महोदय, पश्चिम बंगाल में मालडिब्बा (वैगन) उद्योग की देखभाल मुख्य रूप से क्रमशः सरकारी क्षेत्र के तीन एककों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के एक एकक; अर्थात बर्न स्टैंडर्ड एण्ड कं०, जेसप एण्ड कं०, बैथवेट एण्ड कम्पनी और टेक्समाको लि० द्वारा की जाती है। प्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग में 25000 से अधिक लोग लगे हुए हैं। यदि इसके सहायक उद्योगों, आदि को भी लें तो इसमें लगे हुए लोगों की कुल संख्या लगभग 50000 होगी।

भारत में मालडिब्बा (वैगन) उद्योग इस कारण घाटे का धंधा नहीं है क्योंकि रेलवे की काफी मांग रहती है तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी निर्यात के लिए काफी मांग है। पर्याप्त मालडिब्बों के बिना बढ़ते माल-यातायात के लिए व्यवस्था नहीं की जा सकती तथा मूल्य वृद्धि पर नियन्त्रण नहीं हो सकता।

दुर्भाग्य से इस वर्ष रेलवे द्वारा उत्पादन आदेशों में भारी कटौती की गई है जिसके परिणाम-स्वरूप इन एककों में गम्भीर संकट पैदा हो गया है।

जबकि यह सच है कि प्रत्येक सरकारी विभाग में संसाधनों का भारी अभाव है, तब मालडिब्बों के उत्पादन में कटौती किये जाने की बात को कोई कैसे न्यायोचित ठहरा सकता है, जो कि कभी बेकार नहीं जायेगा। इसमें निवेश व्यर्थ होगा।

बर्न स्टैंडर्ड एण्ड कं० मेरे निर्वाचन क्षेत्र हावड़ा में एक प्रमुख उद्योग है और यदि रेलवे अब इसको पर्याप्त क्रयादेश नहीं देगा तो इसका बंगाल के अन्य सह-उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

[श्री प्रिय रंजन दास मुंशी]

अतः मैं रेल मन्त्री तथा वित्त मन्त्री से निवेदन करता हूं कि इस उद्योग को बचाने के लिए पर्याप्त आदेश दिये जायें।

3.00 म०प०

भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री बंसी लाल द्वारा 13 अगस्त, 1985 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी; अर्थात :

"कि भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सी०पी० ठाकुर। मेरा सदस्य से निवेदन है कि वह संक्षेप में ही बोलें। प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट दिये जाते हैं।

श्री सी०पी० ठाकुर (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय; श्रीमान, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में इस संशोधन का मैं समर्थन करता हूं।

3.01 म०प०

(श्री एन० वेंकट रत्नम पीठासीन हुए)

यह एक अत्यन्त साधारण संशोधन है। इसमें रेलों में बाधा पैदा करने के लिए दण्ड को बढ़ाया जा रहा है।

रेलवे दो मुख्य कार्य करता है—एक तो यह परिवहन का साधन है तथा दूसरे यह एक विकास का साधन। यह संशोधन दूसरे लक्ष्य को ध्यान में रख कर लाया गया है ताकि देश में विकास की गति को बढ़ाया जा सके।

कुछ सदस्यों ने रेलों में समय पाबन्दी का मामला उठाया था। मैं कहना चाहूंगा कि नये मन्त्रालय ने समय पाबन्दी में सुधार लाने तथा भारतीय रेलवे की सेवा में सुधार करने के लिए काफी कार्य किया है।

अपने बिहार राज्य की कुछ समस्याओं को लेते हुए यदि हम रेलवे को विकास का एक साधन मानें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में बिहार की रेल मन्त्रालय द्वारा पूरी तरह से उपेक्षा

की गई है। कुछ समस्याएं रेल मन्त्रालय के पास लम्बे समय से पड़ी हुई हैं जोकि हमारे राज्य के विकास के लिए अत्यावश्यक हैं। जैसा कि मेरे राज्य के एक सदस्य ने अभी अभी बताया है कि पटना में गंगा नदी पर पुल न केवल उत्तर तथा दक्षिण बिहार को जोड़ेगा परन्तु यह उत्तर बिहार को शेष भारत के साथ जोड़ेगा। यह अभी भी अलग-थलग है। मैं समझता हूं कि इस पुल के लिए पर्याप्त इंजीनियरिंग कार्य किया गया है। मैं रेल मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह इस पुल को इसी योजना-वधि में ही लें।

दूसरी बात यह है कि बिहार से कोई माल गाड़ी दक्षिण भारत नहीं जाती है। दो गाड़ियां, महानगरी और गंगा कावेरी वाराणसी तक जाती हैं, और यदि उन्हें पटना तक बढ़ा दिया जाये तो इससे पटना से दक्षिण जाने वाले लोगों का उद्देश्य पूरा हो जायेगा।

राजधानी एक्सप्रेस बिहार की राजधानी से होकर नहीं जाती है। मैं रेल मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कम से कम सप्ताह में दो बार राजधानी एक्सप्रेस पटना से होकर जाये।

कुछ छोटी समस्याएं हैं जैसे बांकाघाट स्टेशन जैसे (छोटे स्थानों के निकट) रेलवे क्रासिंग का निर्माण जिसके लिए मैंने पहले भी निवेदन किया था। इससे वास्तव में लगभग 40000 लोगों को सहायता मिलेगी। सरकार के पास लम्बे समय से विचाराधीन एक और समस्या भवनाथपुर और जदुनाथपुर के बीच बड़ी लाइन तथा सोन नदी पर रेलवे पुल के निर्माण की है। इस क्षेत्र में चूने का पत्थर काफी मात्रा में उपलब्ध है तथा एक सीमेंट उद्योग की मंजूरी बिहार सरकार ने दी है और यदि रेलवे लाइन बन जाती हैं तो इससे क्षेत्र के विकास में गति आयेगी। दूसरी समस्या मुजफ्फरपुर तथा नरकटियागंज के बीच बड़ी लाइन का निर्माण तथा उसका रक्सौल तक विस्तार की है। इससे भी उत्तर बिहार क्षेत्र का विकास होगा। बिहार सरकार वहां पर कागज का कारखाना लगा रही है। यदि वहां पर बड़ी लाइन बना दी जाती है तो इससे उस क्षेत्र में माल यातायात बढ़ जाएगा। सरकार के पास कई अन्य परियोजनाएं विचाराधीन हैं। एक है हजारीबाग जिला मुख्यालय जिसे स्वतन्त्रता के 37 वर्षों के बाद भी रेलवे लाइन से जोड़ा नहीं गया है।

रांची-लोहारडागा-टोरी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा लालमटिया और पीर-पन्ती के बीच नयी बड़ी लाइन के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी-अभी मैं इस सभा में यह जिक्र कर रहा हूं कि पश्चिमी चम्पारन और उत्तर प्रदेश सीमा पर गंडक नदी पर पुल, जिसका शिलान्यास 1976 में प्रधान मन्त्री द्वारा किया गया था, का निर्माणकार्य पूरा होना समस्तीपुर दरभंगा और जयनगर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना और बड़वाडीह से चिरमिरी के बीच नई बड़ी लाइन का निर्माण तथा दरोदा-महाराजगंज रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना अत्यन्त आवश्यक है।

मैं रेल मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह बिहार के प्रति कुछ सहानुभूति रखें क्योंकि बिहार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है और यदि प्रति व्यक्ति अथवा क्षेत्रवार विचार करे तो बिहार कई अन्य राज्यों से रेलवे के मामले में बहुत पीछे है।

[श्री सी० पी० ठाकुर]

मैं रेलवे द्वारा अच्छा कार्य करने सम्बन्धी कुछ अन्य समस्याओं को लेता हूं। एक है, गाड़ियों में डकैतियां। इस वर्ष गृह राज्य मन्त्री ने वक्तव्य दिया कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में रेलों में डकैतियों की अधिक घटनाएं हुई। इस संदर्भ में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक कनिष्ठ डाक्टर को धनबाद डिवीजन में तैनात किया गया था। उसकी तैनाती के तीन दिन बाद एक युवा ड्राइवर ने उसके पास आकर यह कहा कि उसे दो दिन के लिए बीमार घोषित कर दें। डाक्टर ने उससे इसका कारण पूछा। ड्राइवर ने बताया कि उसे इतने दिन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन माल गाड़ी ले जानी है जोकि डाकुओं द्वारा लूट ली जाएगी। मुझे तो केवल गाड़ी की गति धीमी करनी है। वे गाड़ी में चढ़कर मेरे हाथ बांध देंगे और लूटेंगे। मैं गाड़ी को अगले स्टेशन पर ले जाकर पुलिस को बता दूंगा। मुझे 5000 रुपये मिलेंगे। परन्तु मैं यह नहीं चाहता। अतः उसने बीमारी की छुट्टी ले ली। उसके बाद वही हुआ।

मैं यही कहना चाहता हूं कि रेलों में होने वाली डकैतियों की बहुत सी घटनाओं में पुलिस अधिकारियों तथा अपराधियों के बीच सम्बन्ध होता है···

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : बिना टिकट यात्रा की क्या स्थिति है।

श्री सी०पी० ठाकुर : रेल डकैतियों से निपटने के लिए हम कड़ा कानून चाहते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, आप बहुत अच्छा बिल लाये हैं और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं हाल में रेल से बिहार जा रहा था। एक यात्री ने बहुत दिलचस्प बात कही। उसने कहा कि पहले नारा था "लाइफबॉय है जहां तन्दुरुस्ती है वहां" इस बार नारा लगा कि "बंसीलाल जी हैं जहां, चुस्ती है वहां"। इस प्रकार लोगों के मन में एक भावना है कि रेलवे मिनिस्टर बड़े चुस्त हैं और इस मुल्क में रेल का उद्धार हो सकता है।

जैसा कि अभी मेरे साथी डा० ठाकुर ने कहा कि आपके रेल कर्मचारियों की कन्नीवेंश से डकैतियां होती हैं और लोग मारे जाते हैं तो उसके लिए क्या सजा होगी, इस बारे में कभी आपने सोचा है।

आप पटना से साहबगंज खास तौर से पैसेंजर ट्रेन में चले जाइये तो एक बहुत दिलचस्प बात होती है। क्यूल और जमालपुर के बीच में बगल में लोग 5-5 और 10-10 का नोट खड़ा करते हैं, इंजन का ड्राइवर गाड़ी को धीरे करता है और उनसे पैसा लेता जाता है। उसके पांच मिनट के बाद कोयला गिरता जाता है, पहले 10 रुपये का कोयला गिरता है, उसके बाद पांच रुपये का कोयला गिरता है। इस प्रकार 5-10-20 रुपये का अलग-अलग कोयला गिरता है। आगे जाकर जमालपुर में गाड़ी बन्द हो जाती हैं क्योंकि इसमें कोयला नहीं बचता। उस गाड़ी से एक आदमी अपना इलाज

कराने के लिए जा रहा है और गम्भीर बीमारी की हालत में है, वह बीच में ही मर जाता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? क्या आप इस बारे में कोई कानून बनायेंगे।

आप थ्री टायर में जाइये तो आप देखेंगे कि मुगलसराय पहुंचने पर एक भगदड़-सी मच जाती है और कहते हैं कि सचेत हो जाओ बिहार आ गया यानि कि लोग लूट लेंगे। मैं यह नहीं कहता कि बिहार के लोग लूटते हैं। वहां एक ऐसा वातावरण बन गया है।

महोदय, बिहार में डब्ल्यू० डी० बहुत अधिक होता है। उससे इंटीगरल कोच फैक्ट्री तीन तो अवश्य ही लग सकती हैं।

[अनुवाद]

समापति महोदय : कृपया अपने को संशोधन तक सीमित रखें।

डा० गौरी शंकर राजहंस : यह संगत बात है, असंगत नहीं। मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि यदि इस तरह के अपराध के लिए दण्ड है तो अपराध करने वाले उन अन्य लोगों के लिए भी दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए जो इससे भयंकर अपराध करते हैं।

[हिन्दी]

आप थर्ड क्लास या फर्स्ट क्लास किसी में चले जाइए। वहां पर लोग सिक्योरिटी गार्ड की परवाह नहीं करते हैं। वह आपस में मिले होते हैं और वहां पर बैठकर शराब पीते हैं। कोई फेमिली के साथ वहां जा नहीं सकता है। कम्प्यूटर जो कि हुलीगंस होते हैं जबर्दस्ती चढ़ जाते हैं, इससे लोगों की इज्जत खतरे में पड़ जाती है। मैं कहूंगा रेल मंत्री जी से कि आप बहुत चुस्त हैं, बुरुस्त हैं, आप की प्रतिष्ठा है, आपने हरियाणा जैसी बंजर जमीन में हरियाली ला दी, आप चाहिएगा तो बिहार में रेलवे का उद्धार हो सकता है।

एक ही बात और कहूंगा कि दरभंगा समस्तीपुर रेलवे लाइन के लिए स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र ने नींव डाली थी और कई बार उसकी चर्चा हुई। यहां तक हुआ कि लाइन बिछने लगी थी। लेकिन वहां की लाइन काट कर भूतपूर्व रेल मन्त्री उसे मालदा ले गए। इससे बड़ा अन्याय नाथ बिहार के साथ और क्या हो सकता है ? आप के एक भूतपूर्व रेल मन्त्री ने उस लाइन को उखाड़ कर मालदा में दे दिया। यह अन्याय न होने दीजिए। यदि नाथ बिहार की बात लोग नहीं उठा सकते तो आप उनके साथ अन्याय कीजिएगा ?

सकरी हसनपुर लाइन का सर्वे हो गया, उसके लिए सारा खर्चा मंजूर हो गया। लेकिन वह लाइन आज तक नहीं लगी। बहुत दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि बिहार में एक कोच फैक्ट्री लगाई जाए। बिहारी मजदूर जब दिल्ली आते हैं, गाजियाबाद आते हैं, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ आते हैं तो हम शर्म से गड़ जाते हैं। उनके लिए वहीं रोजगार क्यों न खोजा जाए। उनको वहीं रोजगार और काम देना चाहिए। इसके लिए आप एक कोच फैक्ट्री बिहार में बैठाइए। मैं आप

[श्री गौरी शंकर राजहंस]

मे कह रहा था कि जितने डब्लू० टी० बिहार में चलते हैं और जितनी हेराफेरी बिहार में होती है उतने पैसे से वहां एक फैक्ट्री बैठाई जा सकती है। रेलवे का प्राबलम जितना एक्यूट बिहार में है उतना कहीं भी नहीं है। इसलिए इसको इन आल सीरियसनेस समझना चाहिए। मैं रेल मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह स्वयं रेल से बिहार के क्षेत्र का दौरा करें खासकर दिल्ली से कलकत्ते तक भागलपुर के इलाके से होते हुए और फिर देखें कि किस तरह के क्राइम होते हैं और वह बिना इन्फार्मेशन के जाएं जैसे प्रधान मन्त्री जी बिना इन्फार्मेशन के ट्राइबल एरिया में जा रहे हैं। उसी तरह वह जाएं और देखें कि रेल कर्मचारियों की कन्नीवेंस से किस तरह के क्राइम होते हैं, किस तरह से रेलवे की प्रापर्टी लूटी जाती है, जाली टिकट बेचे जाते हैं। यह पैसा किसका जाता है, आखिर हमारा आपका ही जाता है। तो रेल की समस्या बिहार में एक बहुत ही गम्भीर समस्या है, रेल मन्त्री जी उसे गम्भीरता पूर्वक देखें और समझें।

[अनुवाद]

*श्री एम० सुब्बा रेड्डी (नन्दयाल) : सभापति महोदय, मेरा सम्बन्ध नन्दयाल निर्वाचन क्षेत्र से है। जिसका प्रतिनिधित्व इस सम्मानित सभा में श्री पी० वेंकट सुब्बय्या ने किया था। अपने समय में उन्होंने वहां के लोगों के साथ दो वायदे किए थे। मैं रेल मन्त्री को उनके वायदों को ही याद दिलाता हूं तथा उन वायदों को निभाया जाना चाहिए। महोदय, श्री वेंकट सुब्बय्या का एक वायदा था नन्दयाल के निकट एक ऊपरी पुल का निर्माण तथा दूसरा नन्दयाल और येरागुंट्ला के बीच रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण। वह अपने वायदों को पूरे नहीं कर पाये। कम से कम अब वर्तमान रेल मन्त्री श्री वेंकट सुब्बैय्या के वायदों को पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वह नन्दयाल पर ऊपरी पुल के निर्माण का कार्य हाथ में लेंगे।

महोदय, तुंगभद्रा एक्सप्रेस गाड़ी सिकन्दराबाद और कुरनूल के बीच चलती है। इस गाड़ी से सरकार को ज्यादा आमदनी नहीं है। यह सिकन्दराबाद से 5.30 बजे शाम को चलती है और 10.30 बजे रात को कुरनूल पहुंचती है और पूरी रात वहां पर रहती है। यदि इस गाड़ी को गुन्टाकल तक बढ़ा दिया जाये तो इससे न केवल अधिक आमदनी होगी अपितु इस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी। कुछ समय पहले मैंने रेल मन्त्री को तुंगभद्रा एक्सप्रेस को गुन्टाकल तक बढ़ाने के लिए एक पत्र लिखा था। मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया कि वह मामले पर विचार करेंगे। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं एक बार फिर इस सम्मानित सभा के माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस गाड़ी को गुन्टाकल तक बढ़ाने के बारे में निर्णय लें। यदि इस गाड़ी को गुन्टाकल तक बढ़ा दिया जाता है तो इसका बम्बई-बंगलौर मेल गाड़ी के साथ मेल हो जाएगा जो कि गुन्टाकल 10 बजे पहुंचती है। तुंगभद्रा एक्सप्रेस गाड़ी यदि बढ़ाई गई तो गुन्टाकल 1 बजे रात को पहुंचेगी। अतः यह गाड़ी गुन्टाकल तक बढ़ाये जाने से रायल सीमा

* तेलगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

के लोगों के लिए वरदान सिद्ध होगी जिन्हें इस समय कोई परिवहन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यदि इस क्षेत्र के लोगों को बंगलौर जाना होता है तो केवल बसों द्वारा ही जाना होगा जोकि काफी कठिन है। इस समय उन्हें रेल सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। यदि यह गाड़ी गुन्टाकल 1 बजे रात को अथवा उससे पहले पहुंचती है तो यात्रियों को बम्बई-बंगलौर मेल गाड़ी पकड़ने का अवसर मिल सकेगा। इसलिए मैं रेल मन्त्री से शीघ्र निर्णय लेने को कहता हूं। इससे रेलवे को पर्याप्त राजस्व भी मिलेगा।

सिकन्दराबाद-गुन्टाकल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का भी प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव कई वर्षों से सरकार के विचाराधीन है। इस बारे में अभी तक न तो कुछ किया गया है न कहा गया है। देश के दक्षिणी भाग की उपेक्षा जारी है। अब समय आ गया है कि दक्षिण के बारे में सोचा जाये। सिकन्दराबाद-गुन्टाकल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने से कई स्थानों की दूरी में सैकड़ों किलोमीटर की कमी हो जायेगी। इससे मद्रास और बंगलौर जाने वाले यात्रियों को लाभ होगा। इससे माल ढोने में भी मदद मिलेगी। इससे इन क्षेत्रों के लोग अपना माल अन्य क्षेत्रों को भेज पाएंगे। चूंकि यह लाइन मीटर गेज लाइन है, इसलिए लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। विभिन्न रेलगाड़ियों के मेल का तारतम्य है ही नहीं। सबसे बढ़कर इस परिवर्तन से इस क्षेत्र के किसानों की आवश्यकताएं पूरी होंगी। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि सिकन्दराबाद-गुन्टाकल लाइन को यथा शीघ्र बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया जाए।

महोदय, सरकार ने बहुत पहले तिरुपति में एक कोच-फैक्टरी लगाने की स्वीकृति दी थी। इस मामले में आंध्र प्रदेश के साथ बहुत अन्याय किया गया है। सरकार ने अभी तक इस फैक्टरी का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया है। इससे हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आंध्र प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तिरुपति एक औद्योगिक केन्द्र है। यह एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। केन्द्र द्वारा दिया गया यह आश्वासन कि तिरुपति में एक कोच-फैक्टरी स्थापित की जायेगी, अभी तक पूरा नहीं किया गया है। सरकार को अपना वचन निभाने के लिए कम से कम अब तो यह फैक्टरी स्थापित कर देनी चाहिए। श्रीमती इन्दिरा गांधी से लेकर वर्तमान प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी तक सभी ने तिरुपति में एक कोच-फैक्टरी स्थापित करने का पक्ष लिया है। मुझे आशा है कि वर्तमान प्रधान मन्त्री महोदय तिरुपति में कोच-फैक्टरी की स्थापना करके राज्य के साथ न्याय करेंगे। सभी प्रकार का आधारभूत ढांचा वहां पर उपलब्ध है और इस फैक्टरी के लिए आवश्यक कच्चा माल भी वहां उपलब्ध है तथा यह इस प्रकार की फैक्टरी के लिए सर्वाधिक आदर्श स्थल है। मुझे आशा और विश्वास है कि सरकार इस कोच-फैक्टरी को स्थापित करने में अधिक समय बर्बाद नहीं करेगी।

बिना टिकट यात्रा करने वाले रेलवे के लिए सिर दर्द बने हुये हैं और इस कारण सरकार को बहुत अधिक राजस्व की हानि हो रही है, जिसके लिए रेलवे अधिकारियों को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है और यह मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। जब मैं हैदराबाद से रेल यात्रा कर रहा था तो मैंने देखा कि सैकड़ों बिना टिकट यात्री महबूब नगर उतर रहे थे। रेलों में चैकिंग (जांच-पड़ताल) बहुत ही कम होती है। यदि रेलवे बिना टिकट यात्रा पर नियन्त्रण कर ले तो उसको घाटा

[श्री एम० सुब्बा रेड्डी]

होगा ही नहीं। मैं आशा करता हूं मन्त्री महोदय बिना टिकट यात्रा रोकने हेतु कदम उठायेंगे।

रेलवे के अधिकारियों का आचरण भी सन्तोषजनक नहीं है। उनका व्यवहार इतना अभद्र होता है कि वे सांसदों तक की भी परवाह नहीं करते हैं। यदि अधिकारीगण सांसदों तक की परवाह नहीं करते हैं तो कोई भी यह भली भांति कल्पना कर सकता है कि वे आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। रेल मंत्री महोदय को यह देखना चाहिये कि रेल कर्मचारी सबके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। महोदय, एक बार मुझे अपने मित्रों के साथ रेल से हरिद्वार जाना पड़ा। रेल देर से चल रही थी और इसलिए मैंने स्टेशन मास्टर से आराम कक्ष खोलने के लिए कहा जिससे कि हम वहां कुछ समय के लिए आराम कर सकें। परन्तु किसी ने आराम कक्ष नहीं खोला। ऐसा तो रेलवे कर्मचारियों का व्यवहार है। यदि वे मेरे जैसे संसद सदस्य की भी परवाह नहीं करते हैं तो आम जनता की आवश्यकताओं पर कैसे ध्यान देंगे। यह एक गम्भीर मामला है, और रेल मंत्री महोदय को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं मन्त्री महोदय को श्री वेंकटसुब्बैय्या द्वारा नन्दयाल उपरिपुल के निर्माण और नन्दयाल-येरागुन्टला लाइन के सर्वेक्षण के बारे में किये गये वायदों की याद दिलाना चाहूंगा। नन्दयाल में उपरिपुल न होने के कारण प्रतिदिन बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही हैं। दूसरे अनेक स्थानों पर विभिन्न निर्माण कार्यों पर धन खर्च किया जा रहा है। नन्दयाल में उपरिपुल के निर्माण का प्रस्ताव गत 10 वर्षों से सरकार के पास अनिर्णीत पड़ा हुआ है। सर्वेक्षण बहुत पहले किया गया था। मैं आशा करता हूं कि और अधिक समय नष्ट किये बिना इस पर कार्य आरम्भ किया जायेगा।

महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : सभापति महोदय, मैं भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक 1985 का समर्थन करता हूं। महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे कुछ और अधिक समय दें जिससे मैं विषय से सम्बद्ध कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोल सकूं। मैं अपने भाषण को विषय तक ही सीमित रखूंगा और दिए गये समय से अधिक समय नहीं लूंगा।

महोदय, इस विधेयक में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या प्रस्तावित दण्ड रेल पथों पर 'रेल-रोको' आन्दोलन, प्रदर्शन आदि करने वालों पर भी लागू होगा या नहीं। मैं यह निवेदन हूं कि मन्त्री महोदय चर्चा का उत्तर देते समय मेरे द्वारा उठाए गये मुद्दों को स्पष्ट करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जैसा कि आप जानते हैं, रेल पथों पर 'रेल रोको' प्रदर्शन और अन्य ऐसे ही प्रदर्शन, हमारी जीवन चर्चा की नियमित नीति बन गये हैं। अभी हाल ही में अन्य कुछ जगहों की तरह कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल में भी रेल-रोको आन्दोलन हुए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह अधिनियम उन पर भी लागू होगा या नहीं। निस्सन्देह, मन्त्री महोदय यह कहेंगे कि इन मामलों से निपटने के लिए कुछ और भी

प्रावधान हैं, परन्तु प्रक्रिया इतनी लम्बी है कि सुनवाई चार-पांच वर्षों तक चलती रहती है और रेलवे को खर्चा उठाना पड़ता है और अभियुक्त को भी पीड़ित किया जाता है। मैं अपने स्वयं के कटु अनुभव से बता सकता हूं कि 1979 में, तत्कालीन जनता सरकार ने मेरे और मेरे 21 अन्य सहकर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। मुकदमा 1979 में आरम्भ किया गया था और 1984 के मध्य में ही खत्म किया गया था। लम्बे पांच वर्षों तक हमें कष्ट उठाने पड़े और रेलवे को भी खर्चा उठाना पड़ा। अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक के पास हो जाने के बाद, इसको और ऐसे ही अन्य प्रकार के अधिनियमनों को सख्ती से लागू किया जाए तथा ऐसे मामलों को या तो कैम्प अदालतों या तुरन्त मुकदमों (समरी ट्रायल) द्वारा निपटाया जाना चाहिये अन्यथा ये अधिनियमन संविधि-पुस्तिका में ही पड़े रहेंगे और हम अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में असफल रहेंगे और इस प्रकार की अराजकता चलती रहेगी।

दो दिन पहले ही रेल मन्त्री महोदय ने बताया था जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"समयनिष्ठ, आरामदेह, सुरक्षित और निश्चिन्त रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सर्वोपरि ध्यान दे रही हैं।"

यह कैसे सम्भव हो सकता है ? मुझे मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होंने लाखों रेल यात्रियों की आन्तरिक भावनाओं का अनुभव किया है। यात्री सभी प्रकार के आराम और सुरक्षा के साथ यात्रा करना निश्चय ही चाहते हैं, परन्तु यह कैसे सम्भव हो सकता है, जब तक कि अराजकतावादी गतिविधियों, जैसे बार-बार रेल की जंजीर खींचना, विभिन्न प्रकार से रेलों के संचलन में व्यवधान डालना, रेल रोको आन्दोलन आदि से कठोरता से नहीं निपटा जाता है। हम सभी जानते हैं कि यदि कोई रेलगाड़ी आधा मिनट भी रुकती है तो गाड़ी 15 मिनट लेट हो जायेगी। अतः यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि होज-पाइप काटने, रेल की जंजीर खींचने जैसी घटनाओं को तुरन्त रोका जाना चाहिये। वास्तव में ऐसा विधेयक बहुत पहले लाया जाना चाहिये था।

यदि अपनी मन-मर्जी से प्रायः रेल की जंजीर खींचते रहें और अपने गंतव्य स्थानों के निकट उतरते रहें तो सुरक्षित और सुनिश्चित रेल यात्रा कैसे सम्भव हो सकती है। और यह भी उन रेल यात्रियों द्वारा किया जाता है जिनके पास टिकट भी नहीं होता है ये लोग अपनी मन-मर्जी से रेल की जंजीर खींचते हैं, जबकि उन्हें बाजार या सिनेमा अथवा कालिज के निकट उतरना होता है। बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिये।

अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जब रेल की जंजीर को खींचने या होज पाइप को अलग करने में कुछ असामाजिक तत्व लगे होते हैं तो न तो अन्य यात्री और न ही रेलवे कर्मचारी हस्तक्षेप करते हैं। यदि यात्री अथवा रेलवे स्टाफ इसका विरोध करते हैं तो आप जानते हैं, उनका क्या होता है। उनके साथ मारपीट की जाती है, उनका अपमान और मानमर्दन किया जाता है। उन पर हमला किया जाता है और उन्हें डराया-धमकाया भी जाता है। अतः, आमतौर पर रेलवे स्टाफ या यात्रियों के बचावे के लिए कोई नहीं आता है और कोई भी इस प्रकार की अराजकता का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाता है। अतः, मैं रेल मन्त्री महोदय को सुझाव दूंगा कि सभी रेलों

[श्री चिन्तामणि जेना]

में पर्याप्त संख्या में रेलवे सुरक्षा बल तैनात किया जाए। इस सम्बन्ध में, मैं यह भी सुझाव दूंगा कि तुरन्त मुकदमा रेलों में ही चलाया जाए। सभी रेलों और सभी डिब्बों में रेलवे सुरक्षा बल तैनात किया जाए।

कुछ सदस्यों ने कठोर कानूनों के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है, परन्तु उनके विचारों से सहमत होते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे जैसे प्रजातान्त्रिक देश में, लोगों को अपनी कठिनाइयों को आन्दोलनों, प्रदर्शनों आदि के माध्यम से व्यक्त करने का अधिकार है। परन्तु वह राष्ट्रीय कोष आदि को नुकसान पहुंचाकर नहीं होना चाहिये और न ही उन लाखों यात्रियों को नुकसान पहुंचा कर जो रेलों में यात्रा करते हैं।

महोदय, कुछ विकसित देशों की तरह, क्या हमें भी वैसे प्रबन्ध पर विचार नहीं करना चाहिये जिसमें सवारी डिब्बे का दरवाजा केवल वास्तविक किराया चुकाने और टिकट प्राप्त करने के बाद ही खुलता है ? इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये, क्योंकि इससे बिना टिकट यात्रा की समस्या काफी सीमा तक हल हो जाती है।

सुरक्षा उपकरणों/यन्त्रों को लगाये जाने के कार्य को, जिसको कम से कम कुछ सीमा तक मानवीय असफलता को दूर करने हेतु नियोजित किया गया है, अभी भी लागू किया जाना है। रेल मन्त्रालय को इस दिशा में, कार्य में तेजी लानी चाहिये। जब वर्तमान रेल मन्त्री महोदय प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक सहस्र से अधिक रेलवे स्टेशनों पर सिगनल करने के उपकरणों को बदलने की आवश्यकता की ओर संसद का ध्यान समिति के प्रतिवेदन के माध्यम से खींचा था। मैं इस दिशा में की गई कार्यवाही और प्रगति के बारे में जानना चाहता हूं। हाल ही में रेल कर्मचारियों के एक सम्मेलन में, सुरक्षा उपकरणों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए, सुरक्षा निदेशालय के अधीन एक सुरक्षा कक्ष स्थापित करने की सिफारिश की थी। अभी तक यह ज्ञात नहीं हो सका है कि इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या प्रगति हुई है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं रेल मन्त्री महोदय का ध्यान कुछ ऐसी घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो जनता की अप्रसन्नता की आग में घी का काम कर रही हैं और अन्ततः लोगों की जब उचित एवं छोटी मांगों को भी पूरा नहीं किया जायेगा तो उन्हें आन्दोलन के तरीकों को अपनाना पड़ेगा। इन मांगों को पूरा करने की अपनी वचन बद्धता के बावजूद, रेलवे ऐसा करने में असफल रही है और इसी कारण लोगों को आन्दोलन करने व ऐसे ही कदम उठाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में, मैं रेल मन्त्री महोदय का ध्यान रेलों के रोकने, सवारी-गाड़ियों के हाल्टों (रुकने) में सुधार करने, रेल-फाटकों का निर्माण आदि जैसी बहुत ही उचित और मामूली मांगों की ओर दिलाना चाहूंगा, जिन्हें पूरा किया जाना है।

इन शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर इस संशोधन विधेयक का पूर्ण हार्दिक समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामश्रेष्ठ खिरहर (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, सरकार द्वारा रेलवे विधेयक में जो संशोधन लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यह बिल दोनों पक्षों पर लागू होने की बात है, रेलवे कर्मचारी और जन साधारण। जहां तक मेरा अनुभव है, जन साधारण को इस बिल द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, निश्चित रूप से हौज-पाइप काटना और चलती गाड़ी को अवरुद्ध करना अपराध है और इस पर सजा होनी चाहिए, लेकिन जनसाधारण की सुविधाओं का भी ख्याल करना आवश्यक है। अनुभव यह कहता है कि इस तरह के हौज-पाइप रेल यात्री या जनसाधारण काटते हैं और गाड़ी को अवरुद्ध करते हैं, यह उन क्षेत्रों में होता है जहां छोटे-छोटे स्टेशन हैं या ग्रामीण क्षेत्रों से रेल गुजरती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देश में संतुलन नहीं है। हमको रेलवे के संतुलन को बनाना होगा। आज लम्बी दूरी की गाड़ियां चलती हैं, सुपरफास्ट ट्रेन चलती है, लेकिन लोकल ट्रेन की सुविधा भी बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि छोटी जगहों पर गाड़ियों को गलत ढंग से न रोका जाए और यात्रियों में, ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक असंतुलन न बढ़े। मेरा कहना यह है कि पिछले दिनों से इस असंतुलन में बढ़ोत्तरी हुई है। उदाहरण के लिए नेपाल-इंडो बार्डर पर बगहा से दरभंगा तक 422 किलोमीटर की दूरी है, यहां पर आठ-दस घन्टे तक रेल देखने को नहीं मिलती। उत्तरी क्षेत्र के सांसदों ने एक प्रतिवेदन भी रेलवे मन्त्री जी को दिया था कि इस तरफ से चलने वाली गाड़ी को समस्तीपुर तक और वहां से हाजीपुर तक जाती थी, उन गाड़ियों को क्यों रोक दिया गया। इसी तरह से समस्तीपुर-दानापुर एक्सप्रेस जो चलती है, उसको भी रोक दिया गया। इस तरह से छोटे-छोटे स्टेशनों पर रुकने वाली गाड़ियां विघड़ा होती रही हैं और जनसाधारण को सुविधा नहीं दी गई है, उनका मानसिक संतुलन बनाए नहीं रखा गया। इसके बारे में रेल मन्त्री जी ने यह जवाब दिया कि उस तरफ क्योंकि सड़क की सुविधा अधिक है, इसलिए रेल सुविधा की आवश्यकता नहीं है। यह बड़ा हास्यास्पद जवाब है। अगर कहीं पर सड़क है, तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन रेल सुविधा से वह क्षेत्र वंचित नहीं रहना चाहिए। जब तक यह असंतुलन रहेगा तब तक हौज पाइप आदि काटने की घटनाओं को चैक नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करते हुए सरकार से यह मांग करता हूं कि छोटे-छोटे स्टेशनों पर और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसुविधाओं को देखते हुए वहां पर अधिक से अधिक रेलवे की सुविधाएं प्रदान की जाएं, ताकि वहां पर मानसिक संतुलन कायम रखा जा सके और जनसाधारण में इस अपराध को रोका जा सके।

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का कुछ हद तक स्वागत करता हूं। परन्तु इस विधेयक में सभी तथ्य सम्मिलित नहीं किए गए हैं। इसमें बिना टिकट यात्रियों और गाड़ियों में हो रही चोरियों की समस्या को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए था।

महोदय, हाल ही में मैंने आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस द्वारा हैदराबाद से दिल्ली तक की यात्रा की थी। उसी गाड़ी में एक महिला का 10,000 रुपये का सामान गुम हो गया। मैं माननीय मन्त्री से भोपाल से झांसी के बीच इन बातों को रोकने के लिए कड़े उपाय करने का अनुरोध करता हूं। मैं नहीं

[श्री एम० रघुमा रेड्डी]

जानता कि वे बिना टिकट यात्रियों को कैसे रोकेंगे ? लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं उनमें कौन चोर है और कौन वास्तविक यात्री हम नहीं जानते।

महोदय, अपने राज्य की समस्या के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि 1974 में नाड़ीकुड़ी-बीबीनगर लाइन स्वीकृत की गई थी। पहले इसे पांच वर्षों के अन्दर पूरा किया जाना था परन्तु अब ग्यारह साल हो गए हैं और यह अभी तक पूरी नहीं हुई है। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो मेरे ख्याल में इस काम को पूरा करने में और ग्यारह साल लगेंगे। केवल चार करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं और इस काम को पूरा करने के लिए अभी और 15 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि माननीय मन्त्री महोदय यह राशि कब आबंटित करेंगे। आन्ध्र प्रदेश में स्वतन्त्रता के बाद केवल यही नई रेल लाइन है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस अनुरोध पर विचार करें और कम से कम अगले वर्ष पन्द्रह करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आबंटित कर दें। यह लाइन 1986-87 में पूरी हो जानी चाहिए।

अब मैं मछरेला-बीबीनगर लाइन को मीटर गेज से ब्राड-गेज मे परिवर्तित करने की बात को लेता हूं। यह काफी लम्बे समय से विचाराधीन है। इसके लिए केवल 75 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से इसे पूरा करने के लिए अधिक राशि आबंटित करने का अनुरोध करता हूं। इस लाइन के निर्माण के बाद मद्रास और हैदराबाद के बीच दूरी कम हो जाएगी और दिल्ली तक भी 75 किलोमीटर तक दूरी कम हो जाएगी।

इसके बाद मैं हैदराबाद के इर्द-गिर्द परिक्रमा लाइन को लेता हूं। हैदराबाद देश का पांचवां सबसे बड़ा शहर है। परन्तु मन्त्री महोदय ने कोई रुचि नहीं ली है। उनसे पहले वाले मन्त्री महोदय ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था। उन्होंने तकनीकी आर्थिक संम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार कर लिया था और रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत कर दिया था। यह उसके विचाराधीन है। पर उन्होंने भी कोई रुचि नहीं ली है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से उस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। हैदराबाद में यातायात में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। इस समय 30 लाख की आबादी है। चार से पांच लाख दैनिक यात्री हैं। हैदराबाद में यातायात की भीड़-भाड़ समाप्त करने के लिए हमें इस परिक्रमा लाइन की आवश्यकता है। कृपया इस पर विचार करें।

इसके बाद देवरकोंडा और गढ़वाल होते हुए रायचूर और मच्छेरला लाइन के बारे में बात आती है। चार वर्ष पूर्व सर्वेक्षण किया गया था परन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह लाइन दो कपास उत्पादक क्षेत्रों को जोड़ेगी। कर्नाटक से आए कई मित्र सभा में उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि किसी राजनीतिक लिहाज के बिना, वे इस मामले को उठायें। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह लाइन दो कपास उत्पादक क्षेत्रों को जोड़ेगी।

आप एक नई वस्त्र नीति बनाने जा रहे हैं। इस लाइन से बम्बई और मद्रास की दूरी कम हो जाएगी बम्बई और सरकास के बीच भी दूरी कम हो जाएगी। आपको इस मामले पर प्राथमिकता के

आधार पर विचार करना चाहिए। यह लाइन अधिकतर सूखाग्रस्त क्षेत्रों से और मेरे निर्वाचन-क्षेत्र नलगोंडा से गुजरेगी। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के तीन-चार ताल्लुके भी इसमें आ जायेंगे। इसमें कर्नाटक के अन्य निर्वाचन-क्षेत्र भी आ जाएंगे। अत: कृपया इस पर विचार करें।

मिरियालगुडा क्षेत्र में बीस सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। जाग्गय्यापेट से मिरियालगुडा के बीच एक रेल लाइन इन बीस सीमेंट फैक्ट्रियों को जोड़ देगी। इन फैक्ट्रियों के मालिकों ने मुझे अभ्यावेदन भेजे हैं। उन्होंने आपके पास भी अभ्यावेदन भेजे होंगे। कृपया इसे आरम्भ कीजिए। उनमें लगभग 6000 टन सीमेंट का प्रतिदिन उत्पादन होता है। इस सीमेंट को देश के विभिन्न भागों में भेजने में उन्हें अत्यन्त कठिनाई होती है। वहां और सीमेंट फैक्ट्रियां भी लग रही हैं। अत: मैं आप से इस अनुरोध पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

अन्तिम बात यह है कि दिल्ली में काफी संख्या में तेलुगू भाषी लोग रहते हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश, आन्ध्र के तटीय क्षेत्रों में जाने के लिए उन्हें यहां से कोई सीधी गाड़ी नहीं मिलती। मैं आप से वारंगल और विजयवाड़ा होते हुए दिल्ली से विशाखापत्तनम तक रेल सम्पर्क स्थापित करने का अनुरोध करता हूं। इससे इस क्षेत्र के लोगों को भी सहायता मिलेगी। कृपया इस पर विचार कीजिए।

मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से एक छोटी-सी कृपा करने का अनुरोध करता हूं वह यह है कि नरसापुर एक्सप्रेस को बीबीनगर और दक्षिण एक्सप्रेस को मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में भोनगीर पर रोकने का निदेश दिया जाये। मुझे पता है कि रेल मन्त्री हमेशा स्रोतों की कमी की बात करते हैं। परन्तु इसमें चूंकि कोई खर्चा नहीं है, इसलिए मैं उनसे इसे स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

मैं रेल मन्त्री से स्रोत जुटाने वाला मन्त्री बनने का अनुरोध करता हूं। वह अधिकाधिक स्रोत जुटायें और उन्हें उन रेल लाइनों पर खर्च के लिए दें जिनका मैंने उल्लेख किया है।

आंध्र प्रदेश में यद्यपि तेलगू देशम् का राज है फिर भी, वह हमारे देश का एक भाग है। यह भारत का अभिन्न अंग है। कृपया आन्ध्र प्रदेश को भारत से बाहर न समझें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और रेल मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे सुझावों पर अनुकूल दृष्टि से विचार करें।

[हिन्दी]

श्री एम० एल० भिकराम (मंडला) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत इण्डियन रेलवेज अमैंडमेंट बिल, 1985 का मैं समर्थन करता हूं। वास्तव में रेलों में हौस-पाइप वगैरह निकालने से रेलों के चालन में बहुत बाधा पहुंचती है और यह बड़ी खतरनाक चीज है। कभी तो इसके कारण बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। यह एक अपराध है इसको रोकने के लिए जो प्रस्ताव किया है कि जुर्माने की राशि को 500 रु० से बढ़ाकर 2000 रु० कर दिया जाए तथा सजा को एक महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दिया जाए, वह बहुत ही उचित है, और काबिले तारीफ है। होनी भी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कोई नियम बना देने से या संशोधन कर देने से

[श्री एम० एल० झिकराम]

ही हमारा उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि उन नियमों या संशोधनों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित न कराया जाए। हम रेलों में अक्सर देखते हैं कि विदाउट-टिकट लोग जहां मर्जी आई गाड़ी पर चढ़ जाते हैं और अपनी मर्जी के अनुसार रेल गाड़ी की जंजीर खींचकर उतर जाते हैं। उनके लिए हमने कायदे-कानून तो बना रखे हैं मगर उनका पालन कहां तक किया जाता है, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। इस कारण हमारे नियम सार्थक नहीं होते हैं। नियम का पालन आवश्यक है।

यहां मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आगरा की तरफ जो गाड़ियां जाती हैं, उसमें बल्लभगढ़ आदि उद्योग नगरियों की ओर दैनिक काम करने वाले कर्मचारी सफर करते हैं उनका प्रतिदिन का यह नियम सा बन गया है कि वे जहां चाहें ट्रेन की चेन खींच देते हैं और उतर जाते हैं। इस कारण उस सैक्शन पर तमाम गाड़ियां विलम्ब से चलती हैं। इस तरफ भी आपका ध्यान जाना आवश्यक है।

दूसरा निवेदन मैं आपसे यह करना चाहता हूं कि जहां छोटी लाइन पर चलने वाली ट्रेनों की बात आती है वहां हमारे यहां जबलपुर से गोंदिया और मंडला से पराशिया तक जहां छोटी लाइन की गाड़ियां हैं, पता नहीं उनके टाइमिंग में क्या वजह है, मैं कह नहीं सकता, परन्तु ये अक्सर लेट पहुंचती हैं। इस पर आक्षेप करते हुए हमारे हिन्दुस्तान टाइम्स के पत्रकार ने 7 जुलाई, 1985 के रविवारीय अंक में एक ग्रेट रेलवे जर्नी के शीर्षक में यह दर्शाया है कि उन्हें चन्द्रपुर से मंडला फोर्ट की रेल यात्रा 24 घंटे में पूरी की जिसकी दूरी मात्र 400 किलोमीटर है। इस स्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता है।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि हमारे यहां नैनपुर जंक्शन आजादी से पहले डिवीजनल हैड-आफिस था लेकिन आजादी के बाद अधिकारियों की सांठ-गांठ के कारण, उसको नागपुर में बदल दिया गया और इस कारण वहां की सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई है। अभी पिछले दिनों, 15 अगस्त, 1984 की रात को उसी सैक्शन के चरेगांव स्टेशन पर रेलवे की भयंकर दुर्घटना हुई थी जिसमें एक पुल बह जाने के कारण दो डिब्बे नीचे चले गए थे। तत्कालीन रेल मन्त्री जी के सामने दुर्घटना स्थल पर वहां के लोगों ने यह मांग भी रखी थी कि डिवीजन हैड आफिस को नागपुर से बदलकर फिर से नैनपुर में ले आया जाए। उन्होंने इसका आश्वासन भी दिया था इसी सिलसिले में हमारे मुख्य मंत्री की ओर से केन्द्रीय रेलवे को 75 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाये जाने का प्रस्ताव भी किया गया था। मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्रीय समस्या की ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

इसके अलावा मैं एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि जबलपुर से गोंदिया रेलवे लाइन को ब्रौडगेज में परिवर्तित करने के लिए भारत सरकार द्वारा पहले एक अनइकानामिक ब्रांच लाइन कमेटी गठित की गई थी। उसने सर्वे करने के बाद अपना प्रतिवेदन रेलवे बोर्ड के सामने प्रस्तुत कर दिया था परन्तु उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई वह अभी तक उसके पास विचाराधीन है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओर भी ध्यान देकर उस लाइन को ब्रौडगेज में परिवर्तित कराने का कष्ट करेंगे क्योंकि वह एक पहाड़ी अंचल है और वहां के लोगों की काफी समय से यह मांग रही है।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : सभापति जी, रेल मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत इस इण्डियन रेलवेज अमैंडमैंट बिल, 1985 का मैं समर्थन करता हूं। दरअसल 1890 में जो रेलवे एक्ट बना था, कायदन उस सारे एक्ट पर फिर से विचार होना चाहिए था, फिर से उसको रिव्यू करने की आवश्यकता थी, लेकिन वह इस क्षेत्र से बाहर की बात हो जाएगी और इसलिए मैं सिर्फ अमैंडमैंट पर ही अपने आपको कन्सैन्ट्रेट करूंगा।

यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि रेलों की हमारे जीवन में बहुत महत्ता है। केवल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने या सामान ढोने में ही नहीं बल्कि देश के विकास में रेलों का भारी योगदान है और यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि गत वर्षों में रेलों के चालन में, रेलों के काम में, चाहे चेन पुलिंग करके या होस पाइप काटकर, अनावश्यक विलम्ब किया जाता रहा है। महोदय, रेलवे हमारे आवागमन का इतना महत्वपूर्ण साधन है कि इसमें बीमार व्यक्ति भी चलते हैं, जिनको मैडिकल कालेजों या आल इण्डिया मैडिकल इंसटीट्यूट आदि में जाना होता है, वे भी इसमें चलते हैं, स्कूलों-कालेजों में जाने वाले विद्यार्थी भी इसमें चलते हैं, किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाने वाले और किसी निश्चित तिथि पर साक्षात्कार हेतु पहुंचने वाले एप्लीकेंट्स भी इसमें सफर करते हैं और मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं कि हिन्दुस्तान की इस सर्वोच्च संस्था पार्लियामैंट को अटैंड करने के लिए हम सदस्य लोग भी इसमें चलते हैं। मगर चेन पुलिंग या होस पाइप कट जाने के कारण कभी हाउस उठ जाता है और···

जो लोग ज्वाइन करने के लिए जाते हैं, वे अपने ज्वाइनिंग टाइम में नहीं पहुंच पाते हैं और टाइम पर न पहुंच पाने के कारण ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से तमाम व्यवधान उत्पन्न किए जाते हैं। ये व्यवधान उत्पन्न करने वाले मुख्यतः चार प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके लिए उनको उत्तरदाई मानता हूं जिनको डकैती करनी होती है। वे ट्रेन की छत पर चढ़ जाते हैं और जहां मर्जी ट्रेन की होस-पाइप काटकर रोक देते हैं। दूसरा स्थान मैं टिकिटलैस ट्रेवलर्स को दूंगा, जो कि स्टेशन आने से पहले होसपाइप को काटकर ट्रेन रुकवा देते हैं और उतर जाते हैं। विद्यार्थी भी कभी-कभी ऐसा कर देते हैं तथा चौथे स्थान पर मैं रेलवे कर्मचारियों को मानता हूं जो कि अपने निहित स्वार्थों के लिए ये कर्म करते हैं। कभी-कभी अपनी मांगों की पूर्ति के लिए और कभी-कभी अपनी सुविधाओं के लिए इस तरह का क्रियाकलाप करते हैं।

श्रीमन्, मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाए, मैं सूक्ष्म रूप में इस बारे में सुझाव देना चाहता हूं। रेल हमारे सब क्षेत्रों की प्रगति के लिए अत्यन्त उपयोगी है इसलिए इसके चलने में विलम्ब नहीं होना चाहिए। जो होस-पाइप इत्यादि काटकर ट्रेन को बिना स्टॉपेज के रोकते हैं, उसके लिए मैं ये सुझाव देना चाहता हूं—

(अ) अक्सर छत पर बैठे हुए व्यक्ति भी कोच के पीछे से लगी सीढ़ियों से उतरकर हौज पाइप के बफर हैड पर बैठकर पाइप काट देते हैं। अतः छत पर बैठने पर भी कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और इसके लिए दण्ड की व्यवस्था करना अनिवार्य है।

[डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी]

(आ) ऐसे तत्वों को पकड़ने के लिए काफी संख्या में पुलिस-जन और रेल-कर्मचारियों की संख्या होनी चाहिए।

(इ) होज पाइप कट जाने से कभी-कभी इंजन के वैक्युम-काम्बिनेशन का चैम्बर भी ब्लास्ट हो जाता है जिसके कारण ब्रेक गाड़ियों के पहिए में लगी रह जाती है और घंटों का विलंब हो जाता है तथा गाड़ी जब तक नहीं चल पाती जब तक कि दूसरा इंजन न मंगाया जाए।

(ई) होज पाइप को काटने से रोकने के लिए अकेले कानून ही काफी नहीं हैं बल्कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पाइप काटा ही न जा सके--जैसे होज पाइप के एक सिरे पर अंदर की तरफ रबर होज पाइप में निकल थ्रेड बंद करके मेल फीमेल दोनों होज पाइप को एक दूसरे को नट बोल्ट की तरह बढ़ाकर और बाकी दो सिरों को जिनके मुंह प्लेन होते हैं उन्हें वैक्युम ट्रेन पाइप के ऊपर क्लिप के द्वारा खूब टाइट फिट कर दिया जाए, तो आसानी से होज-पाइप नहीं काटा जा सकता है। इसके लिए होज-पाइप निर्माता को अपने निर्माण की प्रक्रिया में माडीफिकेशन करना पड़ेगा।

(उ) अथवा एयर ब्रेक सिस्टम के अन्तर्गत एक कोच से दूसरे कोच को लिंक-अप करने के लिए फ्लैकिसीबल मेटालिक एयर पाइप लगाकर भी होज पाइप कटने की सम्भावना को दूर किया जा सकता है।

मान्यवर, मैं इस बिल का समर्थन तो करता ही हूं साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि जुर्माने की रकम भी कम है और सजा की अवधि भी और बढ़ाई जानी चाहिए। आई-विटनैस के अभाव में भी कभी-कभी अपराधी छूट जाते हैं, तो इसके लिए भी आप कानून में कोई ऐसी व्यवस्था करें, जिससे यह अनावश्यकरूप से होने वाला विलम्ब दूर किया जा सके। मैंने कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी के समक्ष पेश किए हैं, मैं समझता हूं कि उनका ध्यान इन सुझावों की तरफ आकर्षित होगा और वे कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे होज-पाइप काटा ही न जा सके।

[अनुवाद]

श्री के० आर० नटराजन (डिंडीगुल) : अखिल भारतीय अन्ना दविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। जिसका उद्देश्य गाडियों के चलने में रुकावटें पैदा करने के लिए सजा को बढ़ाना है इसके साथ ही मैं रेलवे के बारे में दो शब्द बोलना चाहता हूं।

करूर से डिंडीगल के बीच बड़ी लाइन के निर्माण का काम बड़ी धीमी गति से हो रहा है। अधिक राशि उपलब्ध करा कर इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। इस काम के लिए कम से कम 15 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने होंगे।

डिंडीगुल कस्बे में रेलवे लाइन के ऊपर एक उपरिपुल बनाया जाना है। यह वहां के लोगों के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

पांडियन एक्सप्रेस जब मद्रास से मदुरै तक जाती है तो शोलावन्दन पर रुकती है परन्तु वही गाड़ी मदुरै से मद्रास आते समय वहां नहीं रुकती। वहां के लोगों तथा आस-पास के लोगों की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए इस गाड़ी को शोलावन्दन पर रोका जाना चाहिए।

उस्लामपट्टी एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रभागीय राजस्व अधिकारी का मुख्यालय है। वहां ताल्लुका कार्यालय, पंचायत यूनियन कार्यालय और कई उच्च विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और एक महाविद्यालय है। वह व्यापारिक केन्द्र है। व्यावसायी वर्ग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना पड़ता है। अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस कस्बे के लिए बस बर्थ अलग रखी जाएं।

डिंडीगुल में पेयजल का भारी अभाव है। राज्य सरकार ने कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयास किया था परन्तु सफलता नहीं मिली। सभी जल स्रोत सूख गए हैं। लगभग 40 वेध-कूप बनाए गए हैं परन्तु जल-पूर्ति पर्याप्त नहीं है। अतः लोग वहां काफी कष्ट झेल रहे हैं। राज्य सरकार ने माननीय रेल मंत्री को त्रिची से मदुरै तक पानी ले जाने के लिए गाड़ी की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से त्रिची से डिंडीगुल तक पानी ले जाने के लिए पर्याप्त वैगन उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती मनोरमा सिंह (बांका) : आदरणीय सभापति जी, मैं रेलवे (अमेंडमेंट) बिल का स्वागत करती हूं और इसमें जो सजा बढ़ाने और दण्ड देने की बात की जा रही है, उसका समर्थन करती हूं।

रेलों में इस तरह की आम शिकायतें बहुत दिनों से चल रही हैं कि रेलों में लोगों का यात्रा करना बड़ा कठिन हो गया है। हमारी रेल व्यवस्था बहुत ही दोषपूर्ण होती जा रही है। इसका एक कारण मैं यह समझती हूं कि तीव्र गति की गाड़ियां बहुत अधिक स्टेशनों पर रुकने लगी हैं। रेलों में उत्पात करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं और वही बिना टिकट यात्रा करने वाले हैं। इसमें कुछ रेल के कर्मचारी और सिपाही भी होते हैं। सिपाही भी अपना एकाधिकार रेलवे पर समझते हैं, वह समझते हैं कि उन्हें कोई टोकने वाला नहीं है और वह किसी को कुछ नहीं समझते हैं, फर्स्ट क्लास हो या एयर-कंडीशन्ड बोगी हो, वह किसी में भी यात्रा करते हैं। आज जितनी रेलों में अव्यवस्था है वह इन लोगों की वजह से है।

रेलें कुछ ऐसी बस्तियों के पास से गुजरती हैं जहां स्कूल रहता है। या कालेज रहता है जिन विद्यार्थियों को कहीं प्रवेश नहीं मिलता है, वह इन स्कूलों, कालेजों में अपना नामांकन करवाते हैं और समझते हैं कि रेल का सफर उनकी तफरी के लिए है, मन बहलाने के लिए है। वह आसानी से रेल में चलते हैं और जंजीर खींचकर उतर जाते हैं। मेरा सुझाव है कि जिस गांव के पास ऐसा होता है। उस गांव के लोगों पर भी दण्ड की व्यवस्था पर सोचा जाये। जिस स्कूल के स्टूडेंट्स ये होते हैं, उस स्कूल के जो पदाधिकारी हैं उन पर भी भार दिया जाए कि यह क्यों होता है, तब यह रुक सकता है।

[श्रीमती मनोरमा सिंह]

आप टिकट चैकिंग को लें। उसमें रेलवे कर्मचारी इतने लिप्त होते हैं कि यह कुछ पैसों के लालच में लोगों को इधर से उधर ले जाते हैं। मैं आपको एक घटना बताती हूं। बिहार में भागलपुर से पटना आते हैं तो 25 रुपये में दिल्ली पहुंच जाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप जो कानून बनाते हैं, उस कानून का पालन बहुत कम होता है। इस मामले में आज तक आपने कितनों को सजा दी है यह मुझे बतायें। लोग ट्रेनों में बैठे रहते हैं कोई चैकिंग स्टाफ नहीं आता है। मैं अब भागलपुर से पटना आ रही थी तो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स चढ़ गए, इस बीच में चैकिंग स्टाफ ने आकर कोई पूछ-ताछ नहीं की। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि सख्ती की जाये तभी कुछ हो सकता है और लोगों का कल्याण हो सकता है। इसमें दण्ड की जो व्यवस्था है, उसको बढ़ाया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे जो बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाडमेर) : सभापति महोदय, भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक 1985 जो सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। वैसे तो भारतीय रेल अधिनियम जो प्रस्तुत हुआ है उसमें काफी संशोधन किए गए हैं, लेकिन इसमें और भी संशोधन करने की आवश्यकता है। इसमें मेरी राय है कि और जितने भी संशोधन की आवश्यकता हो, उस सबको एक साथ में ही प्रस्तुत किया जाये क्योंकि उसमें लोक सभा का बहुत समय चला जाता है और एक संशोधन प्रस्तुत करने में समय भी बहुत लग जाता है।

होस पाइप के कनेक्शन में जो बाधा पहुंचाई जाती है, उसके समाधान के लिए जिस संशोधन का प्रावधान किया गया है, मैं उसका भी समर्थन करता हूं। जैसा कि एक मित्र ने सुझाव दिया कि होस पाइप को डिसकनैक्ट आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए मैं यह कहूंगा इस मामले को साइंटिफिक तरीके से एग्जामिन किया जाना चाहिए और इस बारे में एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिये, उसके बाद ही कोई परमानेंट व्यवस्था की जाये जिससे होस पाइप का डिसकनैक्शन न हो।

आजकल गाड़ियों की छतों पर जो यात्रा करते हैं, उनके लिए मैं यह कहूंगा कि वह शौकिया तौर पर ही ऐसे यात्रा करते हैं। मैंने देखा है कि गाड़ी में स्थान होने पर भी वह जान बूझकर छत पर बैठकर यात्रा करते हैं। इसके लिए आपको सजा का प्रावधान करना चाहिए क्योंकि उसके कारण एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं।

चैन पुलिंग के बारे में जो कानून का प्रावीजन है, उसका कोई पालन नहीं करता है। यह जो गड़बड़ करते हैं, उनको कोई भी सजा नहीं मिलती है, इसी कारण आज कानून का महत्व नहीं रह गया है। इससे गाड़ियों में बहुत विलम्ब हो जाता है। इसके लिए भी आपको व्यवस्था करनी होगी।

मैं इस बात की प्रशंसा करूंगा कि जोधपुर जो कि हमारे नार्दर्न रेलवे का रीजन है, उसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी और एक्चुएलिटी है। यही कारण है कि वहां पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है।

हमारा क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र है। बाड़मेर जैसलमेर बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। उसमें नई रेलों के लिए कोई भी स्थान, मैं देख रहा हूं, नहीं मिल रहा है। जोधपुर के राजाओं ने जो रेलें बनाई उससे आगे एक कदम हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया। मैं बराबर कहता आ रहा हूं कि पठानकोट से लेकर कांडला तक रेल लाइन बननी चाहिए। पठानकोट से बीकानेर तक रेल लाइन बन गई है। बीकानेर से कोलायत तक बनी हुई है। कोलायत से फलूदी 111 किलोमीटर पड़ता है, यह बना देने से जैसलमेर का सीधा सम्बन्ध दिल्ली से हो जाता है। उस जैसलमेर से बाड़मेर तक रेलवे लाइन बनाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। रेगिस्तानी इलाके में हमारी राजस्थान नहर पहुंच गई है और वहां पेट्रोल, डीजल और गैस के मिलने की भी सम्भावना है। यदि यह लाइन बना दी जाय तो यह क्षेत्र विकसित हो सकता है। जोधपुर से अहमदाबाद एवं जोधपुर से दिल्ली जो ट्रेन चलती है वह हफ्ते में तीन दिन चलती है, उसको नियमित किया जाए।

जैसलमेर टूरिस्ट प्वाइंट आफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए जैसलमेर के लिए दिल्ली से नई रेलवे लाइन बनाकर सीधी व्यवस्था होनी चाहिए। जोधपुर तक जो लाइन गई है उसी को जैसलमेर तक बढ़ा दें तो यह काम हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो कुछ सुझाव दिये हैं, मैं चाहूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाए।

4.00 म० प०

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : यह विधेयक एक अत्यन्त सीमित उद्देश्य के लिए है। यह जंजीर खींचने और होज-पाइप को काटने के लिये सजा का प्रावधान करने के बारे में है। पहले जुर्माना 500 रुपये था अब इसे बढ़ाकर 2000 रुपये करने का प्रस्ताव है। और होज पाइप को काटने के लिए 500 रुपये जुर्माने के साथ-साथ छः महीने की कारावास की भी व्यवस्था है।

इसका उद्देश्य गाड़ियों को सुचारू रूप से चलाना है। परन्तु मैं माननीय मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सजा देने के बारे में नियम पहले भी थे और पांच सौ रुपये जुर्माना पहले भी था और अब भी जुर्माने की व्यवस्था है, फिर अब तक कितने व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया है और कितने जेलों में बन्द किए गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं।

मेरा यह निवेदन है कि जब कभी कोई कठिनाई आती है और जब कभी रेलवे स्टाफ जाकर इसे रोकने का प्रयास करता है तो उन्हें मारा जाता है, परेशान किया जाता है। बड़े अधिकारी दूर बैठे ही आदेश जारी कर देते हैं और बेचारे टी० टी० ई० को भुगतना पड़ जाता है। प्रशासन को इस कठिनाई से सख्ती से निपटना होगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा देनी होगी।

4.02 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। पूर्वी तट के साथ-साथ खड़गपुर और हावड़ा के बीच

[श्री नारायण चौबे]

160 किलोमीटर लम्बे मार्ग पर 46 डाऊन और 45 अप गाड़ियों की जंजीर प्रतिदिन खींची जाती है और डी० आर० एम० तथा अन्य अधिकारी मूक बने रहते हैं।

मैं माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में एक और बात लाना चाहता हूं। गाड़ियों को सुचारू रूप से चलाने में कठिनाई केवल जंजीर खींचने के कारण नहीं है बल्कि यदाकदा होने वाली दुर्घटनाएं भी है। इस वर्ष पिछले सात महीनों में 37 प्रमुख दुर्घटनाएं हुई हैं और पटरी पर से उतरने की घटनाएं तो अनेक हुई हैं। संभवतः रेल मन्त्री को ज्ञात नहीं होगा कि पटरी पर से उतरने की कितनी घटनाएं हुई हैं। 6 अगस्त 1985 को बर्दमान के निकट कंचनजंघा एक्सप्रेस की दुर्घटना हुई थी। 14 जून, 1985 को—यह बात समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं हुई है—आती हुई राजधानी एक्सप्रेस की अलीगढ़ के निकट एक खतरनाक दुर्घटना होते-होते बची। एक डिब्बे का एक्सल टूट गया था और सारी गाड़ी को अलीगढ़ के निकट छः घंटे तक रुकना पड़ा।

ऐसी स्थिति आ गई है कि कुछ समय बाद संभवतः कोई भी व्यक्ति जीवन बीमा निगम से बीमा कराए बिना गाड़ी में नहीं चढ़ेगा। मैं सुझाव देता हूं कि आप वित्त मन्त्री से सलाह करके एक नई योजना-रेलवे यात्रा बीमा योजना आरम्भ करें और इसके कार्यालय दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और अन्य स्थानों पर खोलें। सरकार को धन मिलेगा और लोगों को सुरक्षा।

रेलवे प्रशासन को जिस सबसे बड़ी बाधा का सामना करना पड़ रहा है वह है रेल मार्गों का नवीकरण। कम से कम 32,000 किलोमीटर रेल मार्गों के नवीकरण की आवश्यकता है।

इसके बाद खराब पड़े लोको इंजनों की बारी आती है। भाप इंजन कम होते जा रहे हैं। परन्तु आप पर्याप्त संख्या में डीजल लोको इंजन और इलैक्ट्रिक इंजन नहीं चला रहे हैं। इस प्रकार अन्तर बढ़ता जा रहा है। चूंकि आपने आगे और भाप इंजन न बनाने का फैसला किया है, इसलिए आपने फालतू पुर्जे बनाने बन्द कर दिए हैं। भाप इंजनों की मरम्मत के लिए आपके पास फालतू पुर्जे नहीं हैं। आप दुर्घटना ग्रस्त इंजनों का लाभ उठाते हैं। आप उनके फालतू पुर्जे लेकर अन्य इंजनों में लगा देते हैं। यह हो रहा है। आप जब तक पूर्णतया डीजलीकरण नहीं करते और विद्युत चालित इंजन नहीं लाते तब तक आपको भाप इंजनों के पुर्जे बनाते रहना चाहिए।

महोदय, 'रेक' त्रुटिपूर्ण हैं। रेलवे में 'रेक' और डिब्बों की कमी है। सिग्नल भी त्रुटिपूर्ण हैं कच्चे माल और उपकरणों की सप्लाई पर्याप्त नहीं है। आप देखेंगे कि किसी भी लोको शेड में फालतू पुर्जे उपलब्ध नहीं होते। आप उनको सही उपकरण नहीं देते। इस प्रकार मरम्मत कार्य भी ठीक से नहीं होता। इस ओर ध्यान देना चाहिए।

अन्त में मैं कर्मचारियों की कमी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आपने भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। इसलिए आप एक व्यक्ति की भी भर्ती नहीं कर सकते। प्रति मास, प्रति वर्ष लोग सेवा निवृत्त हो रहे हैं, मर रहे हैं परन्तु उनके स्थानों पर भर्ती नहीं कर रहे हैं।

क्या आप इंजीनियरी विभाग के गैंगमेन पर माफलिन फार्मूला, लागू कर रहे हैं ? माफालिन फार्मूले में यह दिया गया है कि एक किलोमीटर रेल मार्ग के लिए इतने गैंगमेन होने चाहिए। क्या आप उसी संख्या में रख रहे हैं ? मुझे विश्वास है कि आप नहीं रख रहे हैं। सारी दुर्घटनाएं इसी कारण हो रही हैं। अतः इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

रेलगाडियों को सुचारू रूप से चलाने हेतु इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये बातें बहुत जरूरी है।

जब भी हम रेल मंत्री को कुछ करने के लिए कहते हैं तो वह कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। पिछले साल रेलवे को 1650 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। इस साल भी इतनी ही धनराशि आबंटित की गई है। हर साल रेलवे को इतनी ही धनराशि आबंटित की जाती है। महोदय एक कहानी है। एक ब्राह्मण था। वह एक बार में एक गांव में एक किलो चावल ही भिक्षा मांग कर इकट्ठे किया करता था। लेकिन अगर उसे सात गांव में जाकर भिक्षा मंगानी हो तो भी वह एक किलो चावल ही इकट्ठे करता था। इसी तरह रेलवे को पिछले साल भी 1650 करोड़ रुपए दिए गए थे और इस साल भी 1650 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस बीच मुद्रा स्फीति के कारण कीमतें बढ़ गई हैं। पिछले साल की तुलना में रेलवे को वास्तव में कम धनराशि मिली है। उसे अपने कार्यों के लिए अधिक धन चाहिए। इस तरह या तो आप रेलों को चला नहीं सकते या फिर आप योजना आयोग के पास जाकर धन मांगिए। अगर आप चाहें तो हम सब आपके साथ योजना आयोग चल सकते हैं और रेलवे के लिए धन मंगाने के लिए योजना आयोग के सामने धरना दे सकते है। आशा है इस काम में आप हमारा साथ देंगे अन्यथा रेलगाड़ियों के सुचारू रूप से चलाने की बात करना व्यर्थ है। इस समस्या का समाधान केवल जंजीर खींचने या होज पाइप काटने आदि की घटनाओं पर रोक लगा कर नहीं किया जा सकता। रेलवे के कार्यकलापों का सम्पादन करने के लिए आपको और अधिक धनराशि लेनी होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान (रोसेरा) : सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री द्वारा जो भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। रेल यात्रियों की यात्रा को कष्टप्रद बनाना वास्तव में बहुत बड़ा गम्भीर अपराध है। मन्त्री जी ने इस ओर जो कदम उठाया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन साथ-साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ होज-पाइप का काटना और चेन-पुलिंग करना रुक जाने से ही रेल यात्रा सुखदायक हो जायेगी, यह कोई जरूरी नहीं है। यह कानून तो था ही लेकिन हो सकता है इस संशोधन के द्वारा रेल यात्रियों की सुविधाओं पर अच्छा असर पड़े और वह पड़ना ही चाहिए।

मान्यवर, रेलवे आर्थिक विकास का आधार स्तम्भ है, व्यापार, उद्योग और आवागमन की दृष्टि से। सरकार की भी यह नीति है कि क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए जहां विकास नहीं हुआ है, वहां पर विकास कार्य होना चाहिए। जब से भारत को आजादी प्राप्त हुई है, तबसे उत्तरी बिहार में रेलवे विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है। एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने के लिए

[श्री राम भगत पासवान]

फास्ट, सुपर-फास्ट गाड़ियां चलाई हैं, लेकिन दुख की बात कि एक है शहर को देहात से जोड़ने के लिए गाड़ियों की संख्या बढ़ने के बजाए घट गई है। जहां तक उत्तरी बिहार का प्रश्न है, अभी हाल ही में 14 जोड़ी गाड़ियां स्थगित कर दी गई हैं। इसका कारण पूछने पर कहा गया, चूंकि बस सेवा वहां उपलब्ध है, इसलिए रेल को चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेल मंत्री जी का जवाब हमारे पास है। रेल जो कि हर विकास का आधार स्तम्भ है, वहां से रेल को हटा लिया जाए तो इससे जनता में आक्रोश पैदा हो रहा है। उत्तरी बिहार के सारे सांसदों ने मिलकर एक मैमोरेंडम रेल मंत्री को सम्मिट किया था, लेकिन पता नहीं रेल बोर्ड क्या कर रहा है। मैमोरेंडम जी०एम० और डी०जी०-एम० तक जाता है और फिर घर में बैठकर रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है कि वहां रेल की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस सेवा चल रही है। जब रेलवे मंत्री श्री बंसी लाल जी बने तो जनता में एक आशा की किरण जागी कि अब हमारे प्रदेश में भी रेल का विकास होगा और वे अफसरशाही को खत्म करेंगे, लेकिन वह समाप्त नहीं हुई। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि वे इस ओर ध्यान दें।

उत्तरी बिहार में रेलवे के विकास के लिए और उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो भी मंत्री आए, उन्होंने सहानुभूति प्रकट की, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं किया। समस्तीपुर से दरभंगा मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज में बदलने की बात कई वर्षों से चल रही हैं। इस लाइन के न बदलने से सरकार को रोज माल के ढोने में 50 हजार रुपया खर्च करना पड़ता है। यदि इस लाइन को बदल दिया जाए तो सरकार का यह पैसा बच सकता है रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र ने वहां पर अपने अंतिम भाषण में कहा है कि ब्राडगेज लाइन बनेगी, कुछ दिनों के बाद काम भी शुरू हुआ, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जब जनता पार्टी का शासन आया, तो वहां का रॉ मैटीरियल दूसरे स्थान पर भेज दिया गया। जबकि उस लाइन के सर्वे के लिए सरकार को 69 लाख रुपया टी० ए० डी० ए० में खर्च हुआ है। इसी प्रकार सकरी हसनपुर क्षेत्र का सर्वे हो चुका है और 90 लाख रुपया टी०ए०डी०ए० के रूप में रेल अधिकारियों को दिया गया है। भूतपूर्व रेल मंत्री श्री केदार पांडे और श्री ललित बाबू की रहनुमाई में यह काम प्रारम्भ हुआ। बाद में यह कह दिया गया कि हमारे पास धन की कमी है और उस काम को रोक दिया गया। सरकार द्वारा जो भी योजनायें बनाई जाती हैं, वे इस प्रकार समाप्त हो जाती हैं। उत्तरी बिहार में पावर की बहुत कमी है। रेलवे स्टेशनों पर अंधेरा रहता है, मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि वे इमरजेंसी लाइट देकर कुछ समस्या का समाधान करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : अगर आप घन्टी बजाते रहे तो मैं भाषण नहीं दे पाऊंगा।··· (व्यवधान)

महोदय, मैं भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, यह समस्या अधिनियम में संशोधन करने से पूरी तरह हल नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपने जंजीर खींचने की घटनाओं का उल्लेख किया है। देखा गया है कि 98% मामलों में जंजीर बिना किसी उचित कारण के खींची जाती हैं और ऐसा करने वालों को कोई सजा भी नहीं दी जाती। 1982 के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि लगभग 2,50,000 मामले दर्ज हुए लेकिन 98% मामलों में चेन बेवजहा खींची गई थीं। केवल 749 व्यक्तियों को ही दंड दिया गया। अतः कानून में परिवर्तन करने; सजा बढ़ाने से इस बुराई को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक सामाजिक वातावरण में परिवर्तन नहीं होगा और कुछ अन्य प्रयास नहीं किये जाते।

महोदय, भिन्न-भिन्न राज्यों में मैजिस्ट्रेटों को भिन्न-भिन्न शक्तियां प्राप्त हैं। उत्तर प्रदेश में फौजदारी मामलों से निपटने के लिए मैजिस्ट्रेटों के पास न्यायिक शक्तियां तो हैं लेकिन प्रशासी शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों में सेवानिवृत मैजिस्ट्रेटों को नियुक्त किया गया है। अतः मन्त्री महोदय से मेरा सुझाव है कि इस अधिनियम को कार्यान्वित करने तथा होस-पाइप काटने, जंजीर खींचने आदि जैसे खतरों का निराकरण करने के लिए रेलवे की न्यायिक व्यवस्था को भी मजबूत किया जाना चाहिए। हमने देखा है कि जब-जब जंजीर खींचने या होस पाइप काटने पर रोक लगाई जाती है तो संगठित रूप से उसका विरोध किया जाता है। इसके लिए भी एक अलग से मशीनरी होनी चाहिए। इसकी सूचना देने वालों को उचित पुरस्कार देना चाहिए तथा उनके नाम गुप्त रखे जाने चाहिए। वाणिज्य अधीक्षक को कुछ धनराशि दी जानी चाहिए ताकि वह सूचना देने वालों को उपयुक्त पुरस्कार दे सके।

एक और बात हमने नोट की है कि कुछ राज्यों में ऐसे अपराधों की घटनाएं कम होती हैं जबकि कुछ अन्य राज्यों में अधिक होती हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि कुल 2,43,696 मामलों में से 1982 में वहां 79,000 मामले थे। बिहार में 41,000, मध्य प्रदेश में 35,000 मामले घटित हुए। होस-पाइप अलग करने के कुल 90,000 मामलों में से 41,000 मामले उत्तर प्रदेश में ही हुए। बिहार में लगभग 20,000 तथा मध्य प्रदेश में 15,000 मामले हुए। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां ऐसी घटनाएं अधिक घटती हैं। उत्तर भारत में भी बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं घटती हैं। होज पाइप काटने के मामलों में वृद्धि होने का एक कारण रेलगाड़ी की छतों पर यात्रा करना भी है। रेलगाड़ी की छत पर बैठकर यात्रा कर रहे व्यक्ति के लिए होस पाइप काटना बहुत आसान काम है। मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह ऐसी गैर-कानूनी यात्रा को भी अपराध की श्रेणी में शामिल करें और ऐसा करने वालों को सजा दी जानी चाहिए।

रेल सुधार समिति ने श्रेणी दो के डिब्बों के दरवाजे डिब्बे के ओर होने के बजाय डिब्बे के बीच में करने की सिफारिश की है। कुछ सैक्शनों में रेलगाड़ियों के चलने के समय में परिवर्तन किए जाने के कारण भी लोग चेन खींचने पर मजबूर हो गए हैं। रेलवे ने कुछ यात्री गाड़ियां रद्द कर दी हैं जिससे उन गांवों में जाने वाले यात्री चेन खींच कर वहां उतर जाते हैं। उदाहरण के लिए बूसाल-मनमाद सेक्शन में पैसेंजर ट्रेन रद्द कर दी गई है। मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस मामले पर पुनर्विचार करें और उस रेलगाड़ी को पुनः चालू करवाएं।

अपराधियों को पकड़ने के लिए आधुनिक तरीके अपनाए जाने चाहिएं। श्रीमती मनोरमा सिंह

[श्री विजय एम० पाटिल]

तथा कुछ अन्य सांसदों ने सामूहिक जुर्माने करने का सुझाव दिया है। कुछ स्थानों पर यात्री समूह में उतरते हैं। उदाहरण के तौर पर उस समय उनकी फोटो खींच ली जानी चाहिए ताकि साक्ष्य उपलब्ध रहें। पुलिस दलों को इस तरह के उपकरणों से लैस किया जाना चाहिए। टिकट चैक करने वाले इंस्पेक्टरों को उचित प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए ताकि वे अपराधियों को पकड़ सकें।

अंतिम बात यह है कि रेलवे में होने वाले अपराधों की इस समस्या पर अन्य परिप्रेक्ष्यों में भी विचार किया जाना चाहिए। रेलगाड़ियों के देरी से चलने से कितने मानव घंटों की हानि होती है ? अगर उत्तर प्रदेश को ही लिया जाए तो जंजीर खींचने तथा होस पाइप अलग करने के कारण रेलगाड़ियों के रुकने से 10,000 से अधिक मानव घन्टों की क्षति होती है। रेलगाड़ियों की गति तथा क्षमता देखें तो एक राज्य में ही लगभग 10 करोड़ रुपए की हानि होती है। हिसाब लगाया जाए तो जंजीर खींचने तथा होस पाइप अलग करने से रेलवे को 100 करोड़ रुपए से अधिक की हानि होती है। इसका नुकसान जनता को होता है।

इसीलिए, संशोधन समय पर लाया गया है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदय, मैं इस बात की शिकायत नहीं करना चाहूंगा कि रेल मन्त्री जी ने या रेल मन्त्रालय ने उत्तर प्रदेश के साथ नई रेलवे लाइनों के कांस्ट्रक्शन के बारे में सौतेलापन बरता है। इस बिल का उद्देश्य बहुत ही सीमित है। आपने जहां ये बिल पेश कर के अपने इस इरादे को जाहिर किया है कि रेलवे में जो अपराध होते हैं, उन पर कड़ाई से नियन्त्रण पाया जाए, वहीं पर मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मात्र सजा की अवधि बढ़ा देने से या जुर्माना बढ़ा देने से रेलवे में अपराध कम नहीं होंगे। मेरे एक मित्र कह रहे थे कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहां बहुत सारे अपराध होते हैं, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार हमारे समाज में कई सारे अपराध होते हैं, उसका बैस्ट रिफ्लैक्शन रेलवे में देखने को मिलता है। रेलवे का इतना बड़ा क्षेत्र है, उसमें हम जितना धन खर्च करते हैं सेफ्टी मेजर्स पर, उससे इनको कंट्रोल करना मुश्किल है। आपके पास साधनों की कमी है, उसके कारण रेलवे प्रोटक्शन फोर्स पर बहुत कम पैसा खर्च करते हैं। जिस प्रकार के मामलों में सेफ्टी फोर्स को बढ़ाया जाना चाहिए, उन पर बहुत कम पैसा खर्च किया जाता है। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि कई प्रांतों में जो अपराध बढ़ रहे हैं और लोगों का जान-माल असुरक्षित होता जा रहा है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को स्ट्रेंगदन करिए और सिगनल तथा अन्य साज़-सामान की देखरेख की उचित व्यवस्था करिए। रेलवे के भ्रष्ट कर्मचारी, व्यापारियों के साथ और दूसरे लोगों के साथ मिलकर क्राइम करते हैं, उनको रोकने के लिए भी कड़े से कड़े कदम उठाइए। आपकी मंशा अच्छी है और आपकी जो इच्छा है इस स्थिति पर नियन्त्रण पाने की वह पूरी हो सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास-उत्तर) : महोदय, मैं आभारी हूं कि मुझे द्राविड़ मुनेत्र कषगम् दल की ओर से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया। चलती गाड़ियों को जगह-जगह पर रोकने का प्रमुख कारण यह है कि ये रेलगाड़ियां रेल यात्रियों के सुविधाजनक स्थानों पर नहीं रुकती हैं। ऐसी सभी जगहों पर रेलगाड़ियां रोकना संभव भी नहीं है। लेकिन, साथ ही रेलवे को पैसेंजर तथा माल गाड़ियों के रुकने के स्थानों का पुनर्निर्धारण करना चाहिए। आखिरकार रेलवे जन उपयोगी सेवा है। जब रेल मन्त्री महोदय यह तर्क देते हैं कि धन की कमी के कारण अपेक्षित संख्या में रेलगाड़ी नहीं चलाई जा सकतीं तो उन्हें रेलयात्रियों की समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए। जंजीर खींचने तथा होस पाइप अलग करने के सभी मामलों में शरारती तत्वों का हाथ नहीं होता। शहरों आबादी बढ़ गई है और भीड़ भी हो गई है।

प्रो० मधु दंडवते : यह काम विपक्षी दलों का है।

श्री एन० वी० एन० सोमू : लोग काम की तलाश में उपनगरों से आते हैं। ·· (**व्यवधान**) इसी तरह उपनगरों में रहने वाले कर्मचारी तथा विद्यार्थी नौकरी और पढ़ाई के लिए उपनगरों से महानगरों में आते-जाते हैं। ऐसे यात्रियों के लिए सुविधाजनक स्थानों पर रेलगाड़ियां नहीं रुकती हैं। रेलवे को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। सजा बढ़ाने मात्र से ही इस समस्या का समाधान नहीं होगा। ऐसे अपराधों से निपटने के लिए तो फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम में धारा 7(1) (क) है।

आश्चर्य की बात है कि मन्त्री महोदय ने 60,000 कि०मी० लम्बी रेल लाइन के आस-पास की रेलवे की भूमि पर गैर-कानूनी कब्जा करने वालों के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था क्यों नहीं की या उसे बढ़ाया क्यों नहीं। जोनल रेलवे अधिकारी रेलवे की भूमि पर गैर-कानूनी कब्जा करने के 82,000 मामले बोर्ड के ध्यान में लाए हैं। इनमें से 15,000 मामलों में जन परिसर (अप्रधिकृत कब्जों को खाली कराना) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। अप्रधिकृत कब्जों के शेष 67,000 मामलों में रेलवे बोर्ड बेदखली की कार्रवाई कब शुरू करेगा ? मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय चर्चा का उत्तर स्पष्ट रूप से दें।

वेदखली के अलावा रेलवे लाइन के साथ की बहुत-सी भूमि बड़े-बड़े उद्योगपतियों, प्रभावशाली व्यक्तियों को पट्टे पर दी हुई है। दिल्ली में कनाट प्लेस में सुपर बाजार के पास रेलवे की 2,700 वर्ग गज जमीन 963 से 1972 तक, 10 साल के पट्टे पर एक उद्योगपति को दी गई थी। उसने दस साल से पट्टा-राशि का भुगतान नहीं किया है और अभी तक जमीन भी खाली नहीं की है। इससे वह व्यक्ति लखपति बन गया है। ऐसे पट्टों को जारी रखने की क्या जरूरत है ? रेलवे बोर्ड, पट्टा अवधि समाप्त होते ही ऐसे लोगों से भूमि खाली क्यों नहीं करवाता ? इस सम्बन्ध में रेलवे को कठोर कार्यवाही करनी चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप कोका-कोला के बारे में कह रहे हैं ?

श्री एन० वी० एन० सोमू : इसका उल्लेख लेखा समिति के प्रतिवेदन में भी है।

चूंकि प्रस्तावित संशोधन रेलवे कामगारों के बारे में है अतः मैं मन्त्री महोदय का ध्यान रेलवे कामगारों की दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। आर्कोनम से हजारों रेलवे कामगार पैरम्बूर वर्कशाप, आई०सी०एफ०, कैरिज वर्क्स, लोको वर्क्स, आदि आते हैं। लेकिन उन्हें केवल तिरूवेल्लूर से पैरम्बूर तक ही रेल यात्रा के लिए निशुल्क रेलयात्रा पास दिए जाते हैं। आर्कोनम से तिरूवेल्लूर आने-जाने के के लिए उनको भाड़े का भुगतान करना पड़ता है। मालूम नहीं रेलवे अपने निवास स्थानों से वर्कशाप आने वाले इन कामगारों पर रोज यह जुर्माना क्यों लगा रहा है। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस पर विचार करके आवश्यक कार्रवाई करें।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मन्त्री जी की इस मंशा का कि वह रेल के कानून में कुछ सुधार लाए और रेल के नियमों तथा कानूनों को सख्त करें, इसी उद्देश्य से यह भारतीय रेल संशोधन विधेयक 1985 लाया गया है जिसका मैं स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। आपके माध्यम से रेल मन्त्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के कई कानून पहले से ही बने हुए हैं। अभी जैसा कि मेरे मित्र श्री नारायण चौबे जी ने कहा था कि पांच सौ रुपए जुर्माने का पहले प्रावधान था लेकिन कितने आदमियों पर वह जुर्माना लगाया गया। आज उसको बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है। मन्त्री जी समझते हैं कि बढ़ाना आवश्यक है तो हम भी समर्थन करने के लिए तैयार हैं। इस बात को देखना चाहिए कि जो आदेश या नियम बने हैं और जो कानून यहां की पार्लियामेंट ने बनाए हैं उनका कितना पालन किया जाता है। दो-तीन महीने पहले तीस-चालीस व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि वे रेल के ऊपर बैठकर यात्रा कर रहे थे। इस पर आपने आदेश जारी किए कि अब कोई रेल की छतों पर बैठकर यात्रा नहीं करेगा लेकिन हम प्रतिदिन देखते हैं कि हर ट्रेन की छत पर 50 से 200 आदमी तक बैठकर यात्रा करते नजर आते हैं। यदि आपके आदेशों का पालन नहीं किया जाता, आपके बनाए हुए नियमों का पालन नहीं किया जाता तो यह बहुत ही गम्भीर विषय है और आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आज रेलों में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है, मैं नहीं समझता कि पिछले एक-दो सालों में उसमें किसी प्रकार की कमी आई है, कोई सुधार आया हो क्योंकि आज भी टी०सी० अपने पुराने तरीके से व्यवहार करते हैं। उनकी हर मण्डल में 5-5 या 6-6 गैंग्स औपरेट करती हैं। वे जिसको चाहे फ्री ले जाते हैं, जिससे चाहें डबल चार्ज वसूल कर लेते हैं और जितना सामान चाहें बिना किसी शुल्क लिए हुए पास कर देते हैं, भले ही वह लिमिट से ज्यादा हो। उनकी हालत में किसी तरह का सुधार पिछले एक-दो सालों में नहीं आया है, उन पर किसी तरह की आपने पाबन्दी नहीं लगायी है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी गैंग्स पर रेड्स डाली जानी चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए अलग से तरीका अपनाया जाना चाहिए। हमारी सरकार आज तक इनको पकड़ने के लिए जिस ट्रेडीशनल तरीके को काम में लाती है, उससे ये पकड़ में आने वाले नहीं हैं। जब तक आप कोई नया तरीका इजाद नहीं करेंगे, आपको सफलता नहीं मिल सकती और

इस प्रकार की घटनाएं बन्द नहीं होंगी जो हमारे रेल प्रशासन के ऊपर एक धब्बा है।

रेलवे आरक्षण में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है और यदि कोई उसकी शिकायत करता है तो उसका हाल दोषी से अधिक बुरा कर दिया जाता है। शिकायत करने वाले को पहले तो पचास चक्कर विभिन्न दफ्तरों या विभिन्न अफसरों के काटने पड़ते हैं जब कि जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है, वह लम्बी प्रक्रिया का लाभ उठा कर या कोई सिफारिश करके अथवा रिश्वत देकर बरी हो जाता है। यही कारण है कि आज अच्छे लोग शिकायत करना पसन्द नहीं करते और आपकी शिकायत की किताबें कम्पलेंट बुक्स, खाली पड़ी रहती हैं।

इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस एक्ट में आप संशोधन करने जा रहे हैं, वह आपका 1890 का बना हुआ है। इसमें एक दो परिवर्तन नहीं, यदि आप पूरे एक्ट को ही परिवर्तित करना चाहेंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे। आपको रेल प्रशासन की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जिसमें आमूलचूल परिवर्तन की सबसे ज्यादा गुंजाइश है और खासकर आरक्षण के सम्बन्ध में, रेलों के समय पर आने-जाने के सम्बन्ध में, रेलों में सफाई पर ध्यान देने के सम्बन्ध में नये सिरे से विचार किया जाना चाहिए।

रेल कर्मचारी अपराधियों से मिलकर रेलवे को जानबूझ कर हानि पहुंचा रहे हैं। मैं कोटा का रहने वाला हूं और मैं रोजाना कोटा के डी०आर०एम० के आफिस में देखता हूं कि जितने खाद्य पदार्थों के पैकेट होते हैं, सबमें गड़बड़ी होती है। मैं स्वयं जानता हूं, पिछले 15 सालों से मेरा बम्बई में रहने वाला भाई हर साल आम की पेटियां भेजता है लेकिन कोटा तक आते-आते वे कभी पूरे नहीं निकलते। शिकायत करते-करते मेरी यह हालत हो गई है कि बस पूछिए मत। दो-चार किलो जितने पेटी में निकलते हैं, उन्हीं को घर ले जाकर संतोष कर लेता हूं। इसके अलावा जितने खाद्य पदार्थों के पार्सल हैं उन सब में जबर्दस्त चोरी होती है। यदि किसी से कुछ कहते हैं तो बाबू लोग चाकू दिखाकर कहते हैं कि यदि आपने शिकायत कराई तो चाकू मार देंगे। इसलिए इस स्थिति में सुधार लाने की बहुत आवश्यकता है।

रिस्पौन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। ये सारी बातें तो हो गईं, अब मैं कुछ मतलब की बात करना चाहता हूं, रेल विकास के सम्बन्ध में। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कई कस्बों में रेलगाड़ियों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कोटा चित्तौड़ रेलवे लाइन को समय पर पूरा किया जाना चाहिए। कोटा में कोच फैक्ट्री की स्थापना का जानी चाहिए। कोटा से मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए ग्वालियर होकर नई रेलवे लाइन बिछाये जाने का सर्वे होना चाहिए। इसके अलावा कोटा से दिल्ली तक एक नई रेलगाड़ी चलाए जाने की बहुत समय से मांग रही है, इस लाइन पर इतना रश रहता है कि यदि आप कभी कोटा पधारें तो मैं आपको बता सकता हूं कि हजारों पैसेंजर्स निराश होकर वापस चले जाते हैं जिनको आपके विभाग के लोग कह देते हैं कि कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। इसलिए कोटा और दिल्ली के बीच में एक नई रेल सेवा आरम्भ की जानी चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

* श्री आर० जोवरत्नम (आर्कोनम) : सभापति महोदय, मैं भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक के समर्थन मे चन्द शब्दों में कुछ कहना चाहूंगा। जंजीर खींचने तथा होस पाईप अलग करने वाले शरारती लोगों को दी जाने वाली सजा में वृद्धि करने का मैं स्वागत करता हूं। लोगों द्वारा जंजीर खींचने के कुछ कारण हैं। मैं उनमे से कुछ का उल्लेख करूंगा ताकि मंत्री महोदय उन कारणों के निवारण के लिए उपयुक्त कदम उठाएं।

उदाहरण के लिए आर्कोनम दक्षिण रेलवे का एक अति महत्वपूर्ण जंक्शन है। आर्कोनम से गुजरने वाली कोई भी एक्सप्रेस गाड़ी इस जंक्शन पर नहीं रुकती। बहुत सी एक्सप्रेस गाड़ियां मद्रास से कोयम्बतूर जाती हैं। जिन लोगों को आर्कोनम में कुछ काम होता है उन्हें वहां उतरने के लिए जंजीर खींचने पर बाध्य होना पड़ता है। मैंने दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक से इस सम्बन्ध में बहुत बार मौखिक और लिखित रूप से कह चुका हूं कि आर्कोनम में कम से कम एक एक्सप्रेस गाड़ी आवश्य रुके। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। मैं इस बारे में रेल मंत्री महोदय को भी लिख चुका हूं। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि वह आर्कोनम जंक्शन पर कम से कम दो मिनट के लिए कोवई एक्सप्रेस को रुकवाने के आदेश दें। इस रेलगाडी के लिए आर्कोनम से 20 सीटें —10 कोयम्बतूर के लिए —तथा 10 मद्रास के लिए —आरक्षित करवाने की सुविधा आर्कोनम में उपलब्ध करवाई जाए। इससे इस क्षेत्र में जंजीर खींचने की घटनाएं कम होंगी। मैंने दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक से अनेक बार अनुरोध किया है कि वह कुछ मामलो में रेल यात्रियों की सहायता का प्रयास करें। वह ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं जो यात्रियों के लिए फायदेमंद हो। अगर मैं उन पर जोर डालता हूं तो वे कहते हैं कि रेल मंत्री निर्देश देंगें तो वह उन्हें लागू करेंगें। कटपड़ी तथा आर्कोनम के बीच इलैक्ट्रिक ट्रेन चलती है। रेल मंत्री महोदय मेरी इस बात का खंडन नहीं कर सकते कि इस मार्ग पर रेलगाड़ियां इस क्षेत्र के लोगों के लिए वास्तव में सहायक होनी चाहिए। इस मार्ग पर इलैक्ट्रिक ट्रेन चलाने के लिए रेलवे के पास भले ही इलैक्ट्रिक ट्रेन के कोच न हों लेकिन रेलगाड़ी विद्युत चालित इंजन से चलाई जा सकती है। यह क्षेत्र औद्योगिक कार्य-कलापों का प्रमुख केन्द्र है। इस मार्ग पर रानीपट्टाई में बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यह क्षेत्र औद्योगिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र है। इस क्षेत्र के व्यावसायियों, व्यापारियों केन्द्रीय तथा राज्य सरकार में कर्मचारियो तथा औद्योगिक कामगारों के लिए रेलगाड़ियां सहायक होनी चाहिए। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 6.30 बजे तथा 8.30 बजे आर्कोनम से कटपडी के लिए चलाई जानी चाहिए। इसी तरह कटपडी से क्रमशः 5.30 बजे तथा 7.30 बजे दो रेलगाड़ियां चलाई जानी चाहिए ताकि वे इस क्षेत्र के यात्रियों के आने जाने और माल की ढुलाई में सहायक हो सकें।

इसी तरह तिरुथानी और आर्कोनम के बीच इलैक्ट्रिक ट्रेन चलती हैं। तिरुथानी तमिलनाडु का अत्यन्त प्रसिद्ध तथा पावन स्थल है जहां लाखों लोग आते हैं मैं मांग करता हूं कि तिरुथानी तथा

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

आर्कोनम के बीच इलैक्ट्रिक ट्रेन चलाई जाए। वास्तव में मेरी मांग यह है कि तिरुथानी से आर्कोनम तक चलने वाली विद्युत गाड़ी को मद्रास तक बढ़ा दिया जाये। इसी प्रकार, जो गाड़ियां कटपडी से आर्कोनम तक चलती है, उन्हें भी मद्रास तक बढ़ा दिया जाये। इस सेक्शन में विद्युत लाइन बनाने के लिये रेलवे ने करोड़ों रुपया खर्च किया है। इसका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है।

तिरुथानी हमारी माननीया समाज कल्याण मंत्री श्रीमती एम० चन्द्रशेखर के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक अंग है। यदि यह गाड़ी तिरुथानी और आर्कोनम के बीच चलाई जाती है तो इससे मेरा निर्वाचन क्षेत्र और श्रीमती एम० चन्द्रशेखर के निर्वाचन क्षेत्र में संपर्क कायम हो जायेगा। मैं यह अनुरोध उनकी ओर से भी कर रहा हूं। माननीय रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस मामले पर ध्यान दें तथा अपेक्षित कार्यवाही तत्काल करें। उन्हें चाहिये कि वह दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक को तत्काल लिखें; अन्यथा वह इस संबंध में कोई निर्णय नहीं ले पायेंगे।

हर वर्ष यात्री किराया और माल भाड़ा की दरें बढ़ाई जाती हैं। किन्तु उसी के अनुपात से यात्री सुविधायें नहीं बढ़ायी जाती हैं। यहां तक कि छोटे से मामले के लिये भी रेल मंत्री तक पहुंचना पड़ता है। यहां तक क्षेत्रीय रेल प्रबन्धक संसद सदस्य जैसे जनता के प्रतिनिधियों के छोटे से छोटे सुझावों को कार्यान्वित करने की परवाह नहीं करते। हर बात के लिये वे रेलवे बोर्ड के निर्णय पर निर्भर रहते हैं वस्तुतः यह जनता के चुने गये प्रतिनिधियों का अपमान है। यहां तक आर्कोनम जंक्शन पर 2 मिनट के लिये कोवाई एक्सप्रेस को रोकने जैसे छोटे मामले के लिये महाप्रबन्धक रेलवे बोर्ड की अनुमति चाहता है। माननीय रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि शक्तियां विकेन्द्रित की जाएं और यह बात सुनिश्चित की जाये कि संसद सदस्य जैसे जन प्रतिनिधियों के सुझावों पर क्षेत्रीय रेल प्रबंधकों द्वारा ध्यान दिया जाय।

दस प्रतिशत रेलवे कर्मचारियों को भी आवास सुविधायें प्राप्त नहीं हैं। सारे देश में बहुत सारी रेल सम्पत्ति पर अनाधिकृत कब्जा दिया गया है। इस भूमि को खाली कराया जाये और उसे रेल कर्मचारियों को पट्टे पर दिया जाय जिससे कि वे लोग उस भूमि पर मकान बना सकें। उद्योगपतियों तथा समाज के समृद्ध वर्ग के लोगों को पट्टे पर भूमि देने के बजाय ऐसी भूमि को रेल कर्मचारियों की आवास सुविधा के लिये नियत किया जाये।

जी० टी०, तमिलनाडु एक्सप्रेस जैसी लम्बी दूरी की एक्सप्रेस गाड़ियों के रद्द होने पर आरक्षण की प्रणाली उन लोगों के लिए सरदर्द बनी हुई है जो आरक्षित टिकटों पर यात्रा करते हैं। जिन लोगों के पास आर० ए० सी० टिकट होते हैं वे गाड़ी में चढ़ जाते हैं और आरक्षित सीटों पर कब्जा कर लेते हैं। आर० ए० सी० टिकट धारकों को सीट अलाट करने में भ्रष्टाचार बरतने की शिकायतें भी मिली है। आर० ए० सी० टिकट रखने वाले लोगों को सीट नहीं मिल पाती है तो वे जंजीर खींचते हैं। मैं चाहता हूं कि आर० ए० सी० प्रणाली पर रेलवे बोर्ड द्वारा पुनः विचार किया जाये। माननीय रेल मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि कोवाई एक्सप्रेस को आर्कोनम पर 2 मिनट के लिए रोकने तथा आर्कोनम जंक्शन पर 20 सीटें आरक्षित करने की सुविधा प्रदान की जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल हन्नान अंसारी (मधुबनी) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो रेल (संशोधन) बिल यहां पेश किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन बात यह है कि किसी जुर्म के खिलाफ हम कोई सजा मुतऐयिन करें, निर्धारित करें, लागू करें तो उससे जुर्म का खात्मा नहीं होगा। उसके लिये जरूरी है कि जो हालात हैं, उनको भी बदलने की कोशिश करें।

इस सभा में खासकर बिहार का इस बारे में बहुत जोरों से जिक्र आया है कि वहां बहुत-चेन-पुलिंग होता है। इसका कारण क्या है, इसकी तरफ भी गौर से सोचना चाहिये। छात्र वर्ग के लोगों के सम्बन्ध में हमारे बहुत से सदस्यों ने कहा कि वह ज्यादातर चेन-पुलिंग करते हैं। इसका भी सबब क्या है ? इसको गहराई के साथ सोचना चाहिये। कुछ स्कूल, कालेज ऐसे देहातों में या ऐसे इलाकों में हैं जहां स्टेशन नहीं है और वहां आने-जाने की कोई सुविधा नहीं है। वह छात्र क्या करें, ऐसी हालत में उनके साथ लाचारी है। मेरा सुझाव है कि ऐसे स्थानों पर एक हाल्ट जरूर बनना चाहिये जहां कि बड़ी तादाद में हमारे छात्र तालीम पाने के लिये आते हैं, उनकी कठिनाइयों को भी मद्देनजर रखना चाहिये। सिर्फ दंड के जरिये से उनको हांकने से काम नही चलेगा।

इन चीजों के बारे में हमारे संसद्-सदस्यों ने यह भी कहा कि इसके लिये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तादाद बढ़ाई जाये। माफ कीजिये, वह प्रोटेक्शन फोर्स, जहां पर लोडिंग और अन-लोडिंग होता है, वहां पहुंचकर लोगों के सामान को गायब करते हैं, आप किससे उम्मीद करते हैं कि वह कानून को सही रूप में इम्पलीमैंट करेंगे ? मैं उन स्थानों को बतलाना मुनासिब नहीं समझता, हमारे मंत्री महोदय पता लगायें कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां करोड़ों रुपये का माल एक साल में गायब किया जाता है और उसको अलग-अलग बांट दिया जाता है।

सबसे जरूरी यह है कि हम उन क्षेत्रों में, जहां कि स्टेशन की सुविधा नहीं है, वह बनाने की कोशिश करें और साथ ही साथ जो छात्रों के सम्बन्ध में कठिनाई है उसको भी हल करने के बारे में कुछ हाल्ट ऐसे बनायें जिससे इस तरह के क्राइम आगे न हों।

आज उत्तर बिहार में ट्रेनों की इतनी कठिनाई है कि जिसको सोचने पर कोई भी आदमी परेशान हो जायेगा। एक तो वह 4,4 और 5,5 डिब्बों की गाड़ी होती हैं और उसमें इंजन जो लगाया जाता है, वह वाशिंगटन के जमाने का या जिसने बनाया हो बहुत पुराने जमाने का होता है। वह बीच में रुक जाता है, कोयला खत्म हो जाता है, पार्ट भी घिसे हुए होते हैं और गाड़ी खींच भी नहीं पाते हैं। ट्रेन में ज्यादा लोग चढ़ जाते हैं। मुश्किल से 2,3 ट्रेन चला करती हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी भयंकर परेशानी इसमे होती है।

हम जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको दंड देने की तो सोच रहे हैं लेकिन उनकी कठिनाइयों की तरफ भी सोचें कि उनको उनसे कैसे राहत मिल सकती है या नहीं। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इन बातों पर वह खासतौर से ध्यान दें और कानून के डंडे से सारी चीजों का निदान नहीं होता है बल्कि उनकी जो परेशानियां हैं उनकी तरफ भी हमें देखना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे मंत्री महोदय इन कठिनाइयों की तरफ कुछ ख्याल करेंगे।

श्री काली प्रसाद पाण्डेय (गोपालगंज) : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री जी द्वारा जो रेल संशोधन विधेयक लाया गया है, मैं निर्दलीय सदस्य होने के नाते निष्पक्ष भावना से इसका समर्थन करता हूं। कारण यह है कि देश का भविष्य एक सूत्र में जोड़ने वाला रेल ही है। गाड़ियों में होस पाइप निकालना, चेन पुलिंग करना निश्चित रूप से अपराध है। कानून इस सदन में बनते हैं, लेकिन जब यहां से कानून बनते हैं और अधिकारियों के पास यह लागू करने के लिये जाते हैं तो हर अधिकारी की जुबान पर एक बात लूट खसौट करने संबंधी बात आ जाती है।

"पहली सीख यही जीवन की, अपने को आबाद करो,
बस न सके दिल की बस्ती तो आग लगा बरबाद करो।"

आप उत्तरी बिहार में देखें, वहां हालत यह है कि जयन्ती जनता जो ट्रेन है, उसमें हम लोग सफर करने के लिये चढ़ते हैं, उसमें दिल्ली से हरियाणा से लोग उस ट्रेन में सफर करने के लिए जाते हैं, उसमें देखते हैं कि वहां पर दलाल, एजेंट परमानेंट मौजूद रहते हैं। गाड़ियों में रिजर्वेशन के लिए एक-एक माह आम जनता तपस्या करती है, उनको स्थान नहीं मिलता है। जितने बड़े-बड़े अधिकारी हैं, चाहे जी० एम० हो, या अन्य उन्हीं के आदेश से यह जयन्ती जनता चलती है। यह गाड़ी बरौनी से गोरखपुर होते हुए आती है। मैं इस गाड़ी में छपरा स्टेशन पर चढ़ा, उसमें मेरा रिजर्वेशन था, टी०टी० से बर्थ मांगा। उसने बताया कि जी० एम० साहब जा रहे हैं, आपका बर्थ गोरखपुर से मिलेगा।

इसी प्रकार सिवान, देवरिया गया छपरा कोई व्यक्ति ए० सी० टू टायर में सफर करता है तो उसे गोरखपुर तक खड़ा ही रहना पड़ता है। वह बेचारा टी० टी० जो कि अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है, वह जी० एम० के सामने क्या कर सकता है। आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो कानून इस सदन में हम बनायें, उस कानून का सही रूप से कार्यान्वियन हो तथा जिन्हें बर्थ आरक्षण हो तो बर्थ मिल जाये।

मुझे उस दिन बहुत ग्लानि महसूस हुई जब मैंने यहां एक प्रश्न उठाया कि आप कान्ट्रेक्ट बेसिस पर ठेका देते हैं। इस सम्बन्ध में आपकी तरफ से यह जवाब आया कि इसमें प्राइवेट कान्ट्रेक्टों को भी घाटा उठाना आज तक मैंने नहीं सुना था कि गवर्नमेंट को घाटा होता है तो गवर्नमेंट उसको सहन कर लेती है, लेकिन प्राइवेट व्यक्ति जो कान्ट्रेक्ट बेसिस पर होगा, वह घाटा सहन नहीं करेगा। मैं आपको एक उदाहरण दूं हमारे गोपालगंज संसदीय क्षेत्र के सिपाहा हाल्ट स्टेशन का ठेका एक ही परिवार को 10 वर्षों से दिया जा रहा है। और फिर भी कान्ट्रेक्टरों के घाटे की बातें कही जा रही हैं। जब तक आपके कान्ट्रेक्ट बेसिस पर जो यह स्टेशन चलाये जा रहे हैं, उसमें परिवर्तन नहीं लायेंगे, तब तक यह कदाचार और भ्रष्टाचार के अड्डे बने रहेंगे। मैं आपको एक और उदाहरण दूं। कोई भी व्यक्ति हाल्ट स्टेशन पर जाता है तो जो हाल्ट स्टेशन पर प्राइवेट कान्ट्रेक्टर होता है, वह टिकट आधे पैसे पर यात्रा करने वाले व्यक्ति को बिना डेट का दे देता है। यात्री अपनी यात्रा पूरी करके वापिस आने पर फिर

[काली प्रसाद पाण्डेय]

टिकट उसे वापिस कर देते हैं। इस तरह से टिकटों की धोखाधड़ी कर, सरकार की जो प्रतिदिन की सेल है, उससे कम दिखाया जाता है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से सिपाहा हाल्ट स्टेशन जाकर देखा है। ऐसा इसलिये किया जा रहा है कि हाल्ट स्टेशन पर मुनाफा न दिखाया जाये और रेलवे टिकट सीधा न बिक्री कर सकें।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सिवान जंक्शन से थावे जंक्शन होकर गोरखपुर जो छोटी लाइन जाती है उसे बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाये। इस परिवर्तन से लाखों लोग प्रभावित होंगे और सरकार को भी अच्छी आमदनी होगी। मैंने पूर्व में भी एक प्रस्ताव रखा था कि थावे जंक्शन से विजयीपुर पगरा होकर भटनी तक रेल लाइन बन जाने से जो गोपाल गंज तथा नेपाल के यात्री हैं, उन्हें देवरिया जाने से और अन्य जगह जाने से 100 किलो मीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी।

1974 में स्वर्गीया प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने छितौनी रेलवे पुल का शिलान्यास किया था। हिन्दुस्तान ही नहीं नेपाल वासी यह आशा लगाये बैठे थे कि इस पुल का निर्माण चन्द दिनों में हो जायेगा, लेकिन वह आशा उनकी पूरी नहीं हुई। मंत्री जी मैं आपसे आशा करता हूं कि इन्दिरा जी की मरी हुई आत्मा को शांति देने के लिये आप शीघ्र ही इस पुल का निर्माण कराकर नेपाल और हिन्दुस्तान को एक सूत्र में बांधेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि खासकर जयन्ती जनता की तरह एक गाड़ी वहां के लिए दें। नेपाल, गोपालगंज और सिवान वासियों को अगर आप सुख देना चाहते हैं तो मैं आपसे दामन फैलाकर भीख मांगता हूं कि जयन्ती जनता की तरह एक ट्रेन और दीजिए। आप देखेंगे कि साढ़े तीन लाख की बुकिंग वहां से होगी। बिहार प्रदेश में पटना के बाद सबसे अधिक बुकिंग अगर कहीं होती है तो सिवान स्टेशन पर होती है।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : सभापति महोदय, मैं भारतीय रेल संशोधन विधेयक 1985 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। रेल मंत्री जी ने इसमें जो कड़े प्रावधान रखे हैं यह इस बात को दर्शाता है कि हमारे रेल मंत्री और रेल मंत्रालय रेलवे में सुधार लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और जो सेफ्टी, सिक्योरिटी और पंक्चुएलिटी का एक लक्ष्य मंत्रालय ने निर्धारित किया है उसको बड़ी सफलतापूर्वक और दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ाना चाहते हैं।

1890 में जो रेलवे का ऐक्ट बना था वह उस समय की परिस्थितियों और देश के हालात को देखते हुए बना था। आज वर्तमान संदर्भ में, बदली हुई परिस्थिति और बदली हुई हालत में यह जरूरी हो गया है कि इसकी समीक्षा करके इसमें भारी परिवर्तन किये जायें। हमारे सामने रेलवे सेफ्टी कमीशन की सिफारिशें हैं, रेलवे रिफार्म्स कमेटी ने जो समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन और सुविधाओं की आवश्यकता के बारे में सुझाव दिये हैं वह भी हमारे सामने हैं। तो माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करूंगा कि आज देश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने में, राष्ट्रीय परिवहन की आवश्यकता को पूरी करने में रेलवे का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है, इससे कोई इनकार नहीं

कर सकता। अकेले एक होस पाइप को काटने के दिए दण्ड का प्रावधान करके हम सेफ्टी और सेक्योरिटी के मेजर को मजबूत नहीं बना सकते। इसके लिए जरूरी है कि सिगनलिंग की प्रणाली को और टेलीकम्यूनिकेशन की प्रणाली को आधुनिक करें। ट्रैक रिन्युअल की बात कई वर्षों से चल रही है। कई वर्षों से लगातार चर्चा होती चली आ रही है कि देश में 2 हजार किलोमीटर रेलवे लाइन का ट्रैक रिन्युअल होना है और प्रति वर्ष 2 हजार 3 सौ किलोमीटर उसमें और गढ़ जाता है। जब इतनी बड़ी लम्बाई में ट्रैक्स को रिन्यू करना हो तो उसमें कोई समय-बद्ध कार्यक्रम निर्धारित करके उसे हासिल कर सकते हैं। इस चीज की निहायत आवश्यकता है क्योंकि वह सेफ्टी से उसी तरह जुड़ा हुआ है जिस तरह से रोलिंग स्टाक को व्यवधान और बाधा उत्पन्न करने वाले अन्य लोग शामिल हैं। इसके लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो आपने 18 हजार 5 सौ करोड़ की योजना रखी है जिसमें ट्रैक रिन्युअल को प्राथमिकता देनी है, जिसमें रोलिंग स्टाक को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता देनी है तो हमें मालूम है कि प्लानिंग कमीशन से बात करने में आप सक्षम हैं, अच्छी तादाद में उसके लिए एलाटमेंट आप लें। साथ ही प्रधानमंत्री जी के समक्ष रेलवे महत्व को देखते हुए और अधिक एलाटमेंट की बात आप करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

अन्त में मैं एक बहुत गंभीर समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। जो रेल की पटरियां हैं उसमे फ्रैक्चर का रेट जो पहले चार हजार प्रतिवर्ष हुआ करता था वह बढ़कर नौ हजार प्रतिवर्ष हो गया है। इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैक रिन्युअल की आवश्यकता है क्योंकि यदि यह बढ़ता गया तो भविष्य में दुर्घटनाएं और तेजी से होंगी। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि सातवीं योजना में जो 18 हजार 5 सौ करोड़ रुपये मांगे हैं और ट्रैक रिन्युअल और ट्रैक निर्माण के लिए जिसमें 5 सौ करोड़ प्रतिवर्ष का प्रावधान है जिससे कि 6 हजार किलोमीटर प्रतिवर्ष रिन्युअल करना चाहते हैं जिसमें 2300 वह है जो प्रतिवर्ष जुड़ेगा और 37 सौ किलोमीटर वह है जो प्रतिवर्ष कवर करेंगे, यदि इस लक्ष्य को निर्धारित करके इसी दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ सकें तब अगले दस साल में पूरे राष्ट्र के अन्दर ट्रैक रिन्युअल की बात आप कर पाएंगे और सेफ्टी, सिक्योरिटी और पंक्चुएलिटी इस लक्ष्य की पूर्ति हो सकेगी। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : सभापति महोदय, रेल मन्त्री ने यह संशोधन पेश किया है कि जो व्यक्ति होज-पाइप काट देगा उस पर दो हजार रुपए जुर्माना होगा लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस 2 हजार की रकम को बढ़ाकर यदि आप 5 हजार भी कर दें तब भी मन्त्री जी के बूते के बाहर का यह काम है कि होज-पाइप काटने वालों को रोक सकें, इसलिए कि जब कानून बनाने वाले ही कानून का पालन नहीं करेंगे तो कोई भी कानून प्रभावकारी नहीं हो सकेगा। अपने देश में कानून बनाने वाले यदि कानून तोड़ने का काम करते हैं, तो यह कानून तोड़ने का काम सबसे बड़े पैमाने पर रेलों में ही होता है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं।

हिन्दुस्तान की सबसे घनी आबादी वाला इलाका उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश है जहां गरीब-गुरबा लोग बसते हैं, वहां के लिए केवल एक सीधी गाड़ी चलती है—बरौनी से दिल्ली और दिल्ली से बरौनी जिसका नाम है "जयन्ती जनता", उसमें 1100 आदमियों के बैठने की क्षमता होती है लेकिन उस गाड़ी से रोज 14-15 या 16 सौ लोग रोज चढ़कर आते हैं, नून की बोरी की तरह से।

[श्री राम बहादुर सिंह]

मैंने माननीय मन्त्री जी से आग्रह किया था कि आप कोई व्यवस्था करें, मिलकर आग्रह किया था कि कोई व्यवस्था करें और लिखकर भी दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आपने बड़ी निष्ठुरता से लिख दिया कि हमारी क्षमता ही नहीं है जो और कोचेज बढ़ाई जा सकें। मैं जानना चाहूंगा तमिलनाडु एक्सप्रेस में क्या 22 कोचेज नहीं लगती हैं या जी० टी० में 22 कोचेज नहीं लगती हैं फिर आप "जनता जयन्ती" में कोचेज को क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं ? उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ आप इस प्रकार का भेद-भाव क्यों करते हैं ?

आपके कानून के अनुसार यदि क्षमता से अधिक लोगों को सफर करने दिया जाए, किसी ट्रेन के डिब्बों में, तो वह एक दण्डनीय अपराध है लेकिन इस तरह के अपराध रोज आपकी जानकारी में होते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? स्पेयर पार्ट्स के अभाव में भी रोज ही गाड़ियां विलम्ब से चलती हैं। गाड़ियां घन्टों स्टेशन्स पर खड़ी रहती हैं और जब रेल के कर्मचारी दूसरी गाड़ी से स्पेयर पार्ट्स लेकर आते हैं, वह लगाए जाते हैं तब कहीं वह गाड़ी चल पाती है। आप विलम्ब से गाड़ियों के चलने के विरुद्ध हैं, आप गाड़ियों की स्मूथ रनिंग चाहते हैं लेकिन यह तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक कि आप स्पेयर पार्ट्स की व्यवस्था नहीं करते हैं।

इसी तरह से आप देखें कि आपने काम में तो बढ़ौतरी कर दी लेकिन आदमियों की भर्ती नहीं की जा रही है। ड्राइवर्स के बजाय फायरमैन गाड़ी चलाने का काम करते हैं। वे अगर गाड़ी चलाने से इन्कार करें तो उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है और जब वे गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं और उसके गले में फांसी का फंदा पड़ता है।

आपने गोरखपुर में एक सिग्नल कारखाना खोल रखा है लेकिन ऐसा मालूम होता है कि कुछ ही दिनों में वह कारखाना बन्द हो जाएगा। कारण यह है कि वहां पर जो वस्तुयें उत्पादित की जाती हैं उनको आपके अधिकारी बाहर से पर्सेन्टेज के आधार पर मंगाते हैं और वहां पर मजदूर बेकार बैठे रहते हैं। तो इसके लिए आपने कौन सा इन्तजाम किया है ?

इतना ही नहीं, रोज कानून तोड़ने का काम किया जाता है और जो लोग कानून तोड़ते हैं आपकी ओर से उनकी रक्षा की जाती है। आपको याद होगा सोनपुर डिवीजन के डि० इंजीनियर पिछले 5 वर्षों से सोनपुर में हैं। जब भी उनकी बदली की जाती है, किसी न किसी बहाने से वे उसको रुकवा देते हैं। उनके खिलाफ चार्जेज हैं, कोर्ट में मुकदमा है, विजिलेन्स को इंक्वायरी भी है और 1982 में चेयरमैन, रेलवे बोर्ड ने अभियोग लगाया था कि आसाम मेल की जो दुर्घटना हुई जी० पी० मिश्रा की गलती से हुई लेकिन फिर भी उनकी बदली नहीं हो सकी। उनके बारे में स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र ने कहा था कि ऐसे अफसर को बिहार के बाहर कर देना चाहिए लेकिन वे फिर भी वहां पर बने हुए हैं। ऐसा मालूम होता है कि उस अफसर के साथ आपका चोली-दामन का सम्बन्ध है।

इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि रेलों में सुधार हो, गाड़ियां समय से चलें और कोई दुर्घटना न होने पावे तो मैंने जो समस्याएं बताई हैं और जो सुझाव दिए हैं उनके

ऊपर आपको मेहरबानी करके ईमानदारी से विचार करना चाहिए तथा इन समस्याओं का निदान निकालना चाहिए।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एन० एफ० रेलवे के अन्तर्गत मनिहारी में जो एक डिग्री कालेज चलता है, आपकी फालतू जमीन पर, और आपके अबैंडंड क्वार्टर्स में, उसको आप वहां के लोगों को दे दीजिए क्योंकि गरीब लोगों के बीच में वह कालेज खुला है, वहां पर आदिवासी जाते हैं, वह बहुत पिछड़ा इलाका है, यदि आप यह दे देते हैं तो आपका बड़ा नाम होगा, आपका यश होगा और गरीबों का उपकार हो सकेगा। (व्यवधान) इस सम्बन्ध में रेल मन्त्री स्व० केदार पान्डेय एवं श्री कमलापति त्रिपाठी ने आश्वासन भी दिया था कि कि उस जमीन को दे दिया जायेगा इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप वह जमीन उस कालेज को दे दें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

5.00 म०प०

श्री मानकुराम सोडी (बस्तर) : सभापति महोदय, माननीय रेल मन्त्री जी ने जो भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया है, उसका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं।

इस विधेयक के पास होने से देश की सम्पत्ति का नुकसान होने से बचेगा। अभी हाल ही में स्टूडेंट लोगों के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव के समय में इस प्रकार का काम सबसे अधिक होता है और रेलवे की सम्पत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया जाता है। इस बिल के पास होने से यदि इसको सख्ती से लागू किया जाएगा, तो काफी लाभ होगा। अन्यथा बिल पास करने के लिए सदन का जो कीमती समय अपना भत्ता पकाने के लिए कर रहे हैं, वहीं तक सीमित रहेगा।

दूसरी बात, आजादी के 37 साल बाद भी हम पैदल चल रहे हैं। रायपुर से जगदलपुर रेलवे लाइन न होने की वजह से हम पैदल चल रहे हैं। इस धरती पर कितने ही आविष्कार हो रहे हैं, लोग चन्द्र लोक तक पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारी बदनसीबी है कि रायपुर से जगदलपुर जाने के लिए तीन सौ किलोमीटर की यह दूरी, लेकिन रेल सुविधा नहीं है। देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए वहां से खनिज को ले जाया जा रहा है। वहां के पूर्वजों ने जो सम्पत्ति गाढ़ रखी थी, वे उसको दे रहे हैं। कम से कम वहां के लोगों की बात को तो आपको सुनना चाहिए। एक बात मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में 75 प्रतिशत आदिवासियों ने रेल को देखा तक नहीं है। वहां के लोगों ने रेल को देखने के लिए मांग की और वे अपनी जमीन मुफ्त में देने के लिए तैयार हैं, मुफ्त में स्लीपर बिछाने के लिए भी लकड़ी देने को तैयार हैं, इतना सब कुछ होते हुए भी यह दुःख की बात है कि वहां के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है, माननीय मन्त्री जी इस गरीब इलाके की ओर ध्यान देंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मैं ऐसे प्रान्त से आता हूं, जहां न चेन-पुलिंग होती है और न होस पाइप कटिंग होती है। मैं क्षमा मांगता हूं, श्रीमान् जितने बिहार, मध्य प्रदेश के

[श्री मूल चन्द डागा]

बोलने वाले थे, ये उनके वे लोग हैं, जिनके लिए कानून लाया जा रहा है !

एक माननीय सदस्य : ये ही वे लोग हैं, जिनके यहां चेन-पुलिंग होती है। ··· (व्यवधान)···

श्री मूल चन्द डागा : क्षमा कीजिए, राजस्थान लॉ-एवाइडिंग स्टेट है। आपके उत्तर प्रदेश के अन्दर 1979-80 में 53,146 घटनाएं हुईं, 1980-81 में 69 हजार और इसी प्रकार से मेरे पास सारे आंकड़े हैं। बिहार में भी इसी प्रकार की घटनाएं होती हैं।

5.04 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

राजस्थान में आज तक यह काम नहीं हुआ है। होज पाइप को डिसकनैक्ट करने वाले कहते हैं कि यह चाचा नेहरू की ट्रेन है, मुफ्त ट्रैवल नहीं करेंगे तो कब करेंगे। यह आपकी ट्रेन नहीं है, चाचा नेहरू की ट्रेन है। अब कहा जाता है कि बंसी लाल जी की ट्रेन है। दादा लोग इस काम करने में बड़ी बहादुरी समझते हैं।

श्रीमान्, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको इसको बन्द करने का तरीका चाहिए तो आपको कुछ स्टेशनों पर गाड़ियों को रोकना होगा। जहां से विद्यार्थी चढ़ते हैं, जहां से इंडस्ट्रियल वर्कर्स चढ़ते हैं, वहां पर रोकना होगा। फिर आपका चेन पुलिंग नहीं होगा, आपके होस पाइप का डिसकनैक्शन नहीं होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि बंसी लाल जी के आने के बाद से ट्रेनों के काम करने के तरीके में काफी अच्छाई आ गई है। गाड़ियां समय पर चलने लगी हैं। और कई मामलों में गाड़ियों में सुधार हुआ है। यह सुनी हुई बात नहीं है, देखी हुई बात है।

आप जो यह कानून बना रहे हैं इसके द्वारा कोई भी हार्ड कोर क्रिमिनल गिरफ्तार नहीं होगा क्योंकि हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और पुलिस में कोई कोआरडिनेशन नहीं है। इससे हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं पकड़े जाते हैं। वे लोग पकड़े जाते हैं जिन्होंने गुनाह नहीं किया है। गुनाहगार नहीं पकड़े जाते हैं, बेगुनाह लोग पकड़े जाते हैं। इसलिए आपके बनाये हुए कानून धरे रह जाते हैं, उनसे आपका उद्देश्य पूरा नहीं होता। उस कानून से वे लोग लाभ उठाते हैं जो लोग हैविचुअल ओफेण्डर हैं। वे लोग ऐसे होते है कि उन्हें सारी बातों का पता होता है। उनसे हमारे पुलिस अधिकारी मिले रहते हैं।

आपने जो 6 महीने की सजा का प्रोविजन किया है, ऐसे ओफेण्डर्स के लिए 6 महीने की सजा काफी नहीं है, पांच सौ रुपये का जुर्माना काफी नहीं है। ये जो हैविचुअल ओफेण्डर्स हैं ये चेन पुलिंग और होस पाइप को काटने के काम इसलिए करते हैं कि हमारी रेलों की व्यवस्था खराब हो जाए,

हमारा फ्यूल बर्बाद हो जाए। ये लोग देश के साथ गद्दारी करने के लिए ऐसा करते हैं। इन असामाजिक तत्वों को कम से कम चार साल तक जेल के सींखचों के अन्दर बन्द कर देना चाहिए।

यह जो हमारा रेलवे कानून है भगवान जाने इसकी क्या हालत हो रही है। इसमें 43 बार अमेंडमेंट हुए हैं। जब श्री ललित नारायण मिश्र रेल मन्त्री थे तो उन्होंने विश्वास दिलाया था कि इसका एक पूरा अमेंडमेंट एक्ट लाया जायेगा। पं० कमलापति त्रिपाठी जी ने भी कहा था। श्री गनी खां चौधरी ने भी कहा था। 1975 में 6 अधिकारियों की एक कमेटी बिठायी गयी थी। उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है लेकिन रेलवे का विस्तृत बिल कभी नहीं आता। यह 1889 का बिल है। हम अब 21वीं शताब्दी में जाने वाले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप ही डाइरेक्शन दीजिए कि यह बिल जल्दी लाया जाए। इस साल में या अगले साल 1986 में यह बिल यहां पारित करा लिया जाए। आपको रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा परिवर्तन करना होगा, पूरा रद्दो-बदल करना होगा जिससे कि आप ऐसे कई मामले आसानी से हल कर सकें।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

[अनुवाद]

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। वादविवाद के दौरान अनेक प्रश्न उठाये गये। यह एक छोटा संक्षिप्त विधेयक है। किन्तु माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ मुद्दों के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा।

श्री बी० एन० रेड्डी ने एक मुद्दा उठाया था कि रेलवे के लिए पृथक बजट नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर बजट चर्चा के दौरान भी किया गया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आज से ही नहीं, अपितु 1926 से है। उन्होंने कहा कि "रेल मन्त्री हर समय यही बात कहते हैं कि धन नहीं है।" उन्होंने परामर्श दात्री समिति की कार्यवाही का भी उल्लेख किया है। मैं यह नहीं कहता कि धन है ही नहीं अपितु यह कि धन की कमी है।

उन्होंने 4 अगस्त को कालका रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा उनके साथ किये गये दुर्व्यवहार का भी उल्लेख किया था मैं इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय समस्याओं की चर्चा स्थानीय स्तर पर ही होनी चाहिए। यह ठीक है। स्थानीय समस्याओं की चर्चा स्थानीय स्तर पर ही की जाती है और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही निपटाया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि योजना आयोग ने चालू वर्ष के दौरान रेलवे द्वारा 2790 लाख टन सामान की ढुलाई का लक्ष्य रखा है। ऐसी बात नहीं है। योजना आयोग और समन्वय सचिव ने वास्तव में हमें 2500 लाख टन का लक्ष्य बताया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंत्रालयों की मांग 2790 लाख टन की थी किन्तु रेल मंत्रालय को 2500 लाख टन का लक्ष्य बताया गया है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस वर्ष 10,000 माल डिब्बे बेकार हो जायेंगे और इस समय तक हमें केवल 5,200 माल डिब्बों के लिए ही धन आबंटित किया गया है। हमें और अधिक मिलने की आशा है और अधिक धन मिल जाने पर हम और अधिक माल डिब्बों का आर्डर दे देंगे। उन्होंने यह मांग की है कि काजीपेट में एक

[श्री बंसी लाल]

सवारी डिब्बा कारखाना होना चाहिए। सवारी डिब्बा कारखाने के बारे में फैसला किया जा चुका है और वह पंजाब में स्थापित किया जायेगा।

प्रो० कुरियन ने बताया कि मानव की गलतियों के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि मानव की गलतियों के कारण दुर्घटनाएं होती हैं— किन्तु गत 6-7 महीनों के दौरान इस कारण होने वाली दुर्घटनाओं की प्रतिशत में कमी आई है और ये काफी कम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि रेलगाड़ियों में सुरक्षा होनी चाहिए। इस बात से सभी सहमत होंगे। हम चाहते हैं कि यात्री रेलगाड़ियों में सुरक्षा के साथ यात्रा करें। हम चाहते हैं कि भाड़े पर जो माल रेल से भेजा जाये, वह प्रेषितों के पास सुरक्षित पहुंच जाये। इसके लिए हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और कुछ सीमा तक हम इसमें सफल भी हुए हैं।

कानून और व्यवस्था बनाये रखने की समस्या राज्य की है। राजकीय रेलवे पुलिस रेल विभाग के अधीन नहीं है। कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित समस्या के बारे में मैंने मुख्य मंत्रियों को लिखा है और उनसे कानून और व्यवस्था की समस्या सुधारने में हमारी सहायता करने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी विशिष्ट मामले में आंध्र प्रदेश में जी०आर०पी० प्रथम सूचना रिपोर्ट तक दर्ज करने से इन्कार कर दिया था। यह बुरी बात है। मैं इस मासले में सम्बन्धित प्राधिकारी को लिखूंगा। उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ यात्री, जिनका रेलगाड़ियों में आरक्षण नहीं होता है, रेलवे कर्मचारियों की मिली भगत से और उनकी जानकारी में होते हुए रेलगाड़ियों में घुस जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किन्तु मैं उनसे ऐसे मामलों का ब्यौरा जानना चाहूंगा और इसके बाद दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध हम कार्यवाही करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि रेलगाड़ियों में यात्रा करते समय पानी खरीदना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है। इस साल, पेय जल के बारे में हमें कोई शिकायत नहीं मिली है और यदि कोई बात हुई है; तो मैं प्रो० कुरियन से उस विशेष मामले का ब्यौरा जानना चाहूंगा जो उनको याद होगा और हम निश्चित रूप से उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे जो कुछ विशेष स्टेशनों पर उसका प्रबन्ध भलीभांति नहीं कर सके। किन्तु मैं यह बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि वह गत ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने कहा कि योजना आयोग को अधिक धन देना चाहिए, और भी अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि रेलवे को योजना आयोग द्वारा अधिक धन दिया जाना चाहिए। यदि योजना आयोग इस संबंध में कोई सहायता कर सकता है तो मैं तथा माननीय सदस्यगण उसके आभारी रहेंगे।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : आपको प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करना होगा।

श्री बंसी लाल : और इसके अलावा एक माननीय सदस्य श्री कृष्णा अय्यर ने कहा था कि दिल्ली और बंगलौर के बीच एक गाड़ी रोज चलनी चाहिये। दिल्ली और बंगलौर के बीच रोज एक रेलगाड़ी चलना इस समय बहुत कठिन है। धन की कमी दूर हो जाने पर हम इस मामले पर विचार करेंगे।

उन्होंने यह भी कहा था कि रेलवे में लूटपाट और डकैतियां बढ़ रही हैं। मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि लूटपाट और डकैती दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं। मैं यह मानता हूं कि बिहार, बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ऐसी कुछ घटनायें घटी हैं। किन्तु हम उन पर काबू पाने की चेष्टा कर रहे हैं। श्री बसुदेव आचार्य ने बताया कि बिना टिकट यात्रा कम नहीं हुई है। हर महीने चार लाख व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं। हमने जांच करने की कार्यवाही तेज कर दी है और भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु श्री बसुदेव आचार्य और उनके दल के लोगों को जो वास्तविक अपराधी है। इस संबंध में हमारी मदद करनी चाहिये।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : जब वे बैठक में भाग लेने के लिए कलकत्ता जाते हैं; तो उन्हें टिकट खरीदकर जाना चाहिये।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : श्री प्रिय रंजन दास मुंशी को भी।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : यही वे लोग हैं जो बिना टिकट यात्रा करते हैं।

श्री बंसी लाल : उन्होंने कहा कि 20,000 कि० मी० के रेल पथ का नवीकरण किया जाना है। मैं मानता हूं। किन्तु हम लोग कदम उठा रहे हैं और माननीय प्रधान मंत्री ने भी हम लोगों को यह आश्वासन दिया है कि रेल पथ के नवीकरण के लिए वह अधिक धन देंगे।

तत्पश्चात उन्होंने दीर्घ-तामलुक लाइन का भी उल्लेख किया है। मुझे खेद है कि योजना आयोग ने इसकी मंजूरी अभी तक नहीं दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की अनेक लाइनें हैं।

श्री बंसी लाल : और इसके बाद श्री अय्यर ने यह कहा कि कर्नाटक के साथ अन्याय किया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : यह सही है।

श्री बंसी लाल : कर्नाटक में हमने बहुत काम किया है; कुछ नई लाइनें बिछाई गई हैं और हाल ही में कुछ लाइनें बड़ी लाइनों में बदली गयी हैं। काम अभी भी चल रहा है। हम पहिया और धुरी के एक संयन्त्र पर लगभग 150 करोड़ से भी अधिक रुपया व्यय कर चुके हैं। किन्तु इसके बावजूद वह कहते हैं कि कर्नाटक के प्रति अन्याय किया गया है।

श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर : हाल में कुछ भी नहीं किया गया है। ये सारे कार्य बहुत पहले किये गये थे।

श्री बंसी लाल : बहुत पहले नहीं। काम अब भी चल रहा है। परियोजना पर अब भी काम चल रहा है और कार्य प्रगति पर है। उत्पादन आरम्भ हो गया है।

श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर : वह बहुत पहले हो चुका था।

श्री बंसी लाल : और तत्पश्चात् श्री सी० पी० ठाकुर ने कहा कि बिहार की उपेक्षा की गई है और उन्होंने कुछ पुलों और रेल में हुई लूट-पाट का उल्लेख किया है। बिहार की उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं की गई है। रेलवे ने किसी राज्य की उपेक्षा नहीं की है।

श्री मूल चन्द डागा : राजस्थान को छोड़कर।

श्री बंसी लाल : बिहार से पांच रेल मंत्री हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : हमारे यहां से मंत्री हुए हैं किन्तु रेल लाइनें नहीं हैं।

श्री बंसी लाल : उनसे जो कुछ किया जा सकता था; उन्होंने वह बिहार के लिये किया। अतः अन्य राज्यों की तुलना में बिहार पीछे नहीं रहा है। श्री राजहंस ने बिहार मे एक सवारी डिब्बा कारखाना लगाने के लिए कहा है। मुझे कहते हुए दुःख होता है कि पंजाब के कपूरथला को छोड़ कर हम कोई और सवारी डिब्बा कारखाना नहीं लगायेंगे। उन्होंने डकैती के लिये सजा के बारे में भी पूछा है। इस सम्बन्ध में, मैं भारतीय दंड संहिता का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में बहुत अधिक लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं। मैं मानता हूं कि बिहार, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने होज पाइप की किस्म के बारे में उल्लेख किया है। मैं उसकी जांच कराऊंगा।

श्री पी० एन० पाटिल ने न्यायिक तंत्र सुदृढ़ करने की बात कही है। मैं न्यायिक तंत्र सुदृढ़ करने की चेष्टा करूंगा।

यह एक बहुत ही छोटा सा विधेयक है। यह उन लोगों के बारे में है जो गाड़ियों के होज पाइप अलग कर देते हैं। उसके लिये न्यूनतम सजा छः महीने की जेल और 2000 रुपये जुर्माना होगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि यह सम्मानित सभा विधेयक को पारित कर दे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डों पर विचार करेंगे।

खण्ड 2—1890 के अधिनियम 9 की धारा 100 ख का संशोधन

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1,— 2

पंक्ति 16 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् : —

"परन्तु यह और कि जहां कोई रेल कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति, इस निमित्त प्राधिकार प्राप्त किये बिना, रेल की पटरियों पर बैठकर धरना देकर या घोषित रेल रोको आन्दोलन करके किसी रेलगाड़ी को जिसमें यात्री हैं, या आवश्यक वस्तुएं ले जा रही किसी मालगाड़ी के चलने में बाधा पहुंचाता है वहां वह कारावास के दण्ड का जिसकी अवधि पन्द्रह दिनों से कम नहीं होगी, और जुर्माने से जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा, भागी होगा।" (1)

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1,— (2)

पंक्ति 16 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् : —

"परन्तु यह और कि जहां कोई कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति, इस निमित्त प्राधिकार प्राप्त किये बिना, रेल की पटरियों पर बैठकर, धरना देकर या रेल रोको आन्दोलन या बन्द के दौरान या खतरे की जंजीर खींच कर या सिग्नल गियर में छेड़छाड़ करके या अन्यथा, किसी रेलगाड़ी, मालगाड़ी, या रेल यान आदि के, जो यात्री या माल ले जा रही हो, के चलने में बाधा पहुंचाता है या बाधा उत्पन्न करवाता है, वहां वह कारावास के, जिसकी अवधि तीन महीने (नब्बे दिन) से कम नहीं होगी, या जुर्माने के जो एक हजार रुपये कम नहीं होगी, दण्ड का भागी होगा।" (4)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1,—

पंक्तियों 6 और 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"(i) "अथवा जुर्माने से, जो पांच सो रुपये तक का हो सकता है अथवा दोनों से" शब्दों का लोप किया जायेगा।" (5)

पृष्ठ 1, पंक्ति 14 —

"छह मास" शब्दों के स्थान पर "एक मास" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे। (6)

[श्री लालाराम नायक]

पृष्ठ 1, पंक्ति 15,—

"और जुर्माने से, जो पांच सो रुपए से कम का नहीं होगा," शब्दों का लोप किया जायेगा। (7)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह एक छोटा विधेयक है परन्तु उससे सदस्यों को आमतौर पर रेलवे पर बोलने का अवसर मिला है।

इस विधेयक का अभिप्राय यह है कि होसपाइपों को हटा कर रेलों के संचालन में बाधा पैदा करने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम सजा तय की जाए। इसमें कतई कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में मूल अधिनियम में 2 वर्ष की कैद तथा 500 रु० जुर्माना निर्धारित किया गया है। दुर्भाग्य से अभियोजन एजेंसी ने नरमी बरती है। उसी प्रकार रेल अपराधों से निपटने के मामले में न्यायपालिका ने भी नरमी बरती है। आवश्यकता इस बात की है कि अपराधियों के विरुद्ध दण्ड सम्बन्धी उपबन्ध को लागू करने में हमें दृढ़ता बरतनी चाहिए।

मेरे संशोधन का अभिप्राय है कि युवा पीढ़ी अथवा राजनीतिक आन्दोलनकर्त्ताओं, जो रेल रोको आन्दोलन करते हैं, को भी पता होना चाहिए कि उनके लिए न्यूनतम दण्ड निर्धारित किया जाएगा। मेरे संशोधन का अभिप्राय है कि रेल की पटरियों पर बैठकर धरना देने अथवा रेल रोको आन्दोलन में भाग लेकर वे यात्री गाड़ियों अथवा माल गाड़ियों जोकि आवश्यक वस्तुएं ले जा रही होती हैं, को रोकते हैं उनको 15 दिन की न्यूनतम कैद का दण्ड दिया जाना चाहिए तथा उन पर 1000 रुपये का जुर्माना किया जाना चाहिए। निस्सन्देह न्यूनतम सजा का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मजिस्ट्रेट को स्वयं अपनी न्यायिक शक्ति तथा स्वविवेक का प्रयोग करते हुए रेलवे के प्रति किए गए अपराधों को विशेष रूप से जिससे जनता को तथा लम्बी दूरी के यात्रियों को परेशानी होती है तथा आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाली माल गाड़ियों के चलने में बाधा डाली जाती है। गम्भीरता से लेना चाहिए। इन तरीकों से निर्दोष अन्य व्यक्ति ही हानि उठाते हैं। मेरे संशोधन का यही अभिप्राय है। जबकि सरकार एक संशोधन ला रही है कि होसपाइप काटने की न्यूनतम सजा छः महीने होगी तो इसका अर्थ है कि अन्य मामलों में मजिस्ट्रेट नरम रुख अपना सकता है। निश्चय ही सरकार का यह इरादा नहीं है परन्तु दुर्भाग्य से इसका अर्थ यह है कि इन विशेष प्रकार के मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में मजिस्ट्रेट नरमी बरत सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपका इरादा ऐसा नहीं होगा। इस बारे में मैं केवल दो बातें कहूंगा। पहली बात यह है कि रेल मन्त्रालय को एक व्यापक रेलवे न्यायालय की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें अभियोग चलाने वाली एजेंसी अपराधों का पता लगाने की एजेंसी तथा स्वतः पूर्ण न्यायपालिका होनी चाहिए जिसमें मामलों पर संक्षिप्त रूप से विचार किए जाने के बाद दण्ड दिया जा सके। निसन्देह इस समय रेलवे मजिस्ट्रेट हैं और इन मामलों पर मुकदमा रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष चलाया जा रहा है परन्तु रेलवे मजिस्ट्रेट दूर-दूर स्थानों पर हैं। यह प्रक्रिया बहुत समय लेती है। अतः एक स्वतः पूर्ण रेलवे न्यायालय होना चाहिए तथा रेल मन्त्री को छोटे-छोटे विधेयक लाने की बजाय इस बारे में सोचना चाहिए। मेरा यह सुझाव है और मुझे उम्मीद है कि रेल मन्त्री इसे स्वीकार करेंगे।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि रेलवे पर किए जाने वाले उन दावों के बारे में भी साधारण रेल उपभोक्ता को विवश होकर सिविल न्यायालय में जाना पड़ता है जिसमें भी बहुत समय लगता है। रेलवे न्यायालय को एक ऐसी स्वतःपूर्ण प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिसके द्वारा रेलवे पर किए गए दावों के बारे में भी निष्पक्ष रूप से निर्णय हो सके।

मेरे यही सुझाव हैं। मैं सरकार से अपना संशोधन स्वीकार करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे माननीय साथी जिन्होंने, मेरे से पहले अपना अमेंडमेंट पेश किया है, मेरा अमेंडमेंट भी उसी लाइन पर है, मैंने उसमें कुछ कमी पाई है और मैं समझता हूं कि जो अमेंडमेंट मैंने पेश की है, उसमें यही प्रॉबलम बताई है क्योंकि आजकल रेल रोको वाला एजीटेशन हर दूसरे दिन सुनने में आता है या अखबारों में पढ़ने को मिलता है।

दूसरी बात जो चेन पुलिंग की में है, इसमें हमने देखा है कि दस बजे के लगभग जब कि ट्रेन देहली या बड़े-बड़े अन्य शहरों के नजदीक पहुंचने वाली होती है या शहर में दाखिल होने को होती है, तब यह चेन पुलिंग जरूर हो जाता है। मैं आपको इसका एक इंस्टांस बताना चाहता हूं। हम खासतौर से जम्मू मेल या कश्मीर मेल से आते हैं, जब 10 बजे के लगभग ये गाड़ियां दिल्ली में पहुंचने वाली होती हैं, तो चेन पुलिंग अवश्य होता है। दिल्ली में सब्जी मंडी और पुरानी या नई दिल्ली के बीच में कोई स्टापेज नहीं है, वहां पर एक पाइंट है, उस पर हमेशा हर रोज चेन पुलिंग होता है, अब स्थिति यहां तक आ गई है कि जो रेल का ड्राइवर होता है, वह उस स्थान पर खुद-ब-खुद रेल को रोक लेता है क्योंकि उसे मालूम है कि चेन पुलिंग तो रोज होता है और कोई भी पूछने वाला नहीं होता। इसलिए वह सोचता है कि होज पाइप काटने से तो अच्छा है खुद ही रेल को रोक दो क्योंकि यदि होज पाइप काट दिया तो उसको ठीक करने में ज्यादा समय लगता है, इससे क्या होता है कि बगैर टिकट के यात्री हैं, उन्हें जहां उतरना होता है, वे उतर जाते हैं। उसमें टाइम थोड़ा बच जाता है। मैंने एक प्रोवीजो एड किया है प्रोवीजन के नीचे। उसमें एक लफ्ज के बारे में मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। इसकी लास्ट लाइन मैं पढ़ देता हूं --

[अनुवाद]

कारावास के, जिसकी अवधि तीन महीने (नब्बे दिन) से कम नहीं होगी, और जुर्माने के, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा,

[हिन्दी]

इसके शब्द एंड विद की जगह शब्द और विद मैंने सजैस्ट किया है।

मेरी गुजारिश है कि इसको मान लेना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे समय दिया।

شری پی۔ نام گیال (لداخ)

مانیئے اپاد ھیکش جی۔ میرے ماننے ساتھی جنہوں نے میرے سے پہلے اپنا امینڈمینٹ پیش کیا ہے میرا امینڈمینٹ بھی اس لائن پر ہے۔ میں نے اس میں کچھ کمی پائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو امینڈمینٹ میں

पेश की है इस में यही प्राब्लम बताई है क्योंकि आज कल रेल रोको वाला ब्रेकी फेशन हर दूसरे दिन सुनने में आता है या अखबारों में पढ़ने को मिलता है।

दूसरी बात जो चेन पुलिंग की है इस में हम ने देखा है कि दस नीचे के लोग भाग कर ट्रेन दिल्ली या बड़े बड़े शहरों के नजदीक पहुंचने वाली होती है या शहर में दाखिल होने को होती है तब चेन पुलिंग जरूर हो जाता है। मैं आप को इस का एक इंस्टांस बताना चाहता हूं। हम खास तौर से जम्मू मेल या कश्मीर मेल से आते हैं जब 10 बजे के लोग भाग कर गाड़ियां दिल्ली में पहुंचने वाली होती हैं तो चेन पुलिंग आम शै होता है। दिल्ली में सब्जी मंडी और पुरानी दिल्ली के बीच में कोई स्टापेज नहीं है। वहां पर एक पुआइंट है उस पर हमेशा हर रोज चेन पुलिंग होता है। अब स्थिति यहां तक आ गई है कि जो रेल का ड्राइवर होता है वह उस स्थान पर खुद ब खुद रेल को रोक लेता है क्योंकि उसे मालूम है कि चेन पुलिंग तो रोज होता है और कोई भी पूछने वाला नहीं होता। इस लिए वह सोचता है कि हाजीपाइप काटने से तो अच्छा है खुद ही रेल को रोक दो क्योंकि बदी हाजीपाइप काट दिया तो उस को ठीक करने में ज्यादा समय लगता है। इस से क्या होता है कि जो बगैर टिकट के यात्री हैं उन्हें जहां उतरना होता है वह उतर जाते हैं।

इस में टाइम थोड़ा बच जाता है। मैं ने एक पेरा वाइज किया है पेरा वाइज के नीचे। इस में एक लफ्ज के बारे में मैं आप के नोटिस में लाना चाहता हूं। इस की लास्ट लाइन में पढ़ता हूं।

"...not be less than three months (ninety days) and with fine which shall not be less than one thousand rupees."

इस में शब्द "एंड वेद" की जगह "आर वेद" मैं ने सबस्टीट्यूट किया है।

मेरी गुजारिश है कि इस को मान लेना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मुझे समय दिया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : 5.30 बज चुके हैं। इसका समय समाप्त हो गया है। अब हम आधे घन्टे की चर्चा लेंगे।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : चूंकि विधेयक अन्तिम चरण में है। मैं समझता हूं कि हमें इसे पहले समाप्त कर लेना चाहिए। उसमें लगभग 10 मिनट का समय और लगेगा। इसके बाद हम आधे घन्टे की चर्चा को ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : मेरा संशोधन साधारण है जो कि यह है कि यदि हमने सभा में वाद-विवाद को गंभीरता से लिया है तो रेल अधिनियम में प्रत्येक अपराध के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। रेल अधिनियम में लगभग 55 धारायें हैं और दण्ड की व्यवस्था करने के लिए आपको केवल एक धारा में संशोधन करना है वह धारा भी निष्फल हो सकती है क्योंकि मजिस्ट्रेट को जुर्माना करने का विकल्प दिया गया है। अत: यदि अपराध होते हैं तथा मजिस्ट्रेटों को जुर्माना लगाने का विकल्प प्राप्त है तो जुर्माना हो लगाया ही जायेगा तो अपराध करने वालों की संख्या बढ़ती रहेगी। अत: मेरा सुझाव है कि उपबन्ध जो भी तो, जुर्माना किये जाने के उपबन्ध को हटा दीजिए और दण्ड की अवधि जो कि आपने छ: महीने की रखी है उसे एक महीना कर दिया जाये परन्तु निश्चित दण्ड अनिवार्य होना चाहिए। जुर्माना हटाकर अनिवार्य दण्ड के रूप में एक महीने की सजा रखी जाये।

वास्तव में मैं प्रस्ताव करूंगा कि भारतीय रेल अधिनियम का पूरा अध्याय नौ, जिसमें 55 धाराएं हैं पर पूरी तरह से पुनर्विचार किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक धारा में दण्ड बढ़ाया जाना चाहिए। अत: मैं निवेदन करता हूं कि आप इस उपबन्ध को स्वीकार करें, ताकि कठोर दण्ड दिया जा सके।

श्री बंसी लाल : मैं केवल श्री नामग्याल के संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री शान्ताराम नायक : मैं अपना संशोधन संख्या 5, 6 और 7 वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपने संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

संशोधन संख्या 5, 6 और 7 सभा की अनुमति से वापस लिए गये

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अय्यप्पु रेड्डी, क्या आप अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं ?

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : यह तो वही बात है। निसन्देह वह तीन महीने चाहते हैं और

[श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी]

मैंने 15 दिन के लिए कहा है चूंकि इसे न्यूनतम तीन महीने किया जा रहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अपना संशोधन वापस लेने के लिए मैं सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से वापस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 1 :—

पंक्ति 16 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् : —

"परन्तु यह और कि जहां कोई अन्य व्यक्ति इस निमित्त प्राधिकार प्राप्त किये बिना, रेल की पटरियों पर बैठकर, धरना देकर या रेल रोको आन्दोलन या बन्द के दौरान या खतरे की जंजीर खींच कर या सिग्नल गियर में छेड़छाड़ करके या अन्यथा, किसी रेल-गाड़ी, मालगाड़ी, या रेल यान आदि के, जो यात्री या माल ले जा रही हो, के चलने में बाधा पहुंचाता है या बाधा उत्पन्न करवाता है, वहां वह कारावास के, जिसकी अवधि तीन महीने (नब्बे दिन) से कम नहीं होगी, और जुर्माने के, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्ड का भागी होगा।" (4)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय कब प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।

श्री बंसी लाल : मैं प्रस्ताव करता हूं, कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।

श्री सोज।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : शायद, श्री अय्यप्पु रेड्डी ने एक अच्छा सुझाव दिया है कि मन्त्री महोदय व्यापक विधेयक लायें। मैं मानता हूं कि अपराधियों को दण्ड दिया जाना चाहिए। उस ओर के मेरे मित्र भी यही सुझाव दे रहे थे, परन्तु मैं मन्त्री महोदय की इस टिप्पणी की जांच करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि किसी राज्य की उपेक्षा नहीं की गई है।

मैं जम्मू और काश्मीर की तरफ एक मिनट के लिए ध्यान दिलाना चाहूंगा। (व्यवधान) मैं माननीय मन्त्री से केवल यह निवेदन करूंगा कि वह जम्मू और काश्मीर की ओर ध्यान दें। बारामूला और कांजीकुंड के बीच रेल लाइन बनाने के लिए 8 वर्ष पहले सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया था। पिछली बार उनके पूर्ववर्ती श्री गनी खां चौधरी ने बताया था कि धन की कमी है। महोदय, मन्त्री जी एक बहुत ही अमीर विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी लागत सिर्फ 70 करोड़ रुपये आयेगी। विभाग ने पहले ही कई दशक इंतजार कर लिया है। अब उन्हें और अधिक इंतजार न करके बारामूला और कांजीकुंड के बीच रेल लाइन का निर्माण करना चाहिए तथा उधमपुर तथा श्रीनगर के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कराना चाहिए। जहां तक जम्मू और उधमपुर के बीच रेल लाइन बनाने का सम्बन्ध है मैं आपका ध्यान निष्क्रियता की तरफ दिलाना चाहता हूं ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? कृपया मेरी बात सुनिये। यह तृतीय वाचन चल रहा है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : वह सभी राज्यों के विकास की बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की उपेक्षा नहीं की गई है। मैं उन्हें बता रहा था कि उधमपुर और जम्मू के बीच रेल लाइन बनाने के लिए 70 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको ये सब बातें अब नहीं करनी चाहिए थीं। बस।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप कब उस लाइन को पूरा करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात पूछने का समय नहीं है अब मन्त्री महोदय।

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.36 म० प०

कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं विधेयक पेश करना चाहूंगा, ताकि यह जारी रह सके। यह सहायक होगा। अगला विधेयक मेरा है। आप मुझे अब अनुमति दे सकते हैं क्योंकि आपने मेरे लिए थोड़ा समय रखा हुआ है।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन अधिनियम 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

—क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

आप एक या दो लाइनें बोल सकते हैं।

श्री वसन्त साठे : यह एक छोटा विधेयक है। मेरा निवेदन है कि विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। इसे बाद में लिया जायेगा। अब हम अगले मद पर विचार करेंगे।

5.37 म० प०

आधे घण्टे की चर्चा

टायर उद्योग सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम आधे घन्टे की चर्चा आरम्भ करेंगे। प्रो० कुरियन, कृपया संक्षेप में बोलें। कृपया प्रश्न पूछिये। दूसरे लोग भी हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : उपाध्यक्ष महोदय, टायर के मूल्यों में हुई वृद्धि भारी चिन्ता का विषय है। जब 23 जुलाई को इस सदन में प्रश्न पर चर्चा हुई थी तो बहुत से सदस्यों ने टायर के मूल्यों में हुई वृद्धि पर अपनी चिन्ता व्यक्त की थी। मंत्री महोदय ने भी स्वयं इस पर चिन्ता व्यक्त की थी हालाकि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हद तक इस मूल्य वृद्धि को उचित ठहराने की कोशिश' इस तर्क के आधार पर की थी कि निवेश सामग्री के मूल्य बढ़ गये हैं।

दो मौकों पर पहले यह बताया गया था कि मन्त्री महोदय ने भारतीय रबड़ उद्योग संघ की बैठक को सम्बोधित करते समय उद्योग को चेतावनी दी थी कि वे मूल्य-संयम की बात स्वीकार करें और मूल्यों को घटायें। मन्त्री महोदय ने उनसे कहा था कि बार-बार मूल्यवृद्धि होने के कारण उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिरोध होगा और अगर वे मूल्य नहीं घटायेंगे तो वह उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे।

फिर, 17 जुलाई को एक दूसरी बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होंने वही विचार तथा भावनायें व्यक्त की थीं। वह चाहते थे कि उद्योग मूल्यों को घटायें। परन्तु 23 जुलाई को जब वे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने अपना विचार बदल लिया है। उन्होंने कहा कि मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि है और मुख्य कच्चा माल पेट्रोल उत्पादों पर आधारित है और स्वाभाविक है कि पेट्रोल उत्पादों में हुई मूल्य वृद्धि का प्रभाव टायर के मूल्यों पर पड़ेगा। दूसरा [कच्चा माल प्राकृतिक रबड़ है परन्तु मैंने मालूम करके यह पाया है कि गत तीन वर्षों में प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है अत: कच्चे माल के मूल्यों में जो भी वृद्धि हुई है उसका कारण पेट्रोल पदार्थों में हुई मूल्य वृद्धि है और इसीलिए कुछ सीमा तक मूल्य वृद्धि को न्यायोचित ठहराया जा सकता है। यह उनकी दलील थी। परन्तु मूलभूत प्रश्न यह है कि क्या इस मूल्य वृद्धि का अनुपात कच्चे माल के मूल्य में हुई वृद्धि के अनुरूप है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात जानना चाहता हूं। उनके मन्त्रालय ने यह प्रश्न बी० आई० सी० पी० के पास अध्ययन के लिये भेजा था कि क्या मूल्य वृद्धि कच्चे माल में हुई मूल्य वृद्धि के अनुरूप है, क्या यह मूल्य वृद्धि न्यायोचित है। इनके मन्त्रालय ने बहुत पहले मई 1984 में बी० आई० सी० पी० को इस प्रश्न पर विचार करके अपना प्रतिवेदन देने के लिए कहा था। इस प्रश्न के दूसरे पहलुओं का अध्ययन करके एक रिपोर्ट देने के लिए श्री सत्यपाल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। दोनों ही, बी० आई० सी० पी० तथा सत्यपाल समिति को, तीन माह में प्रतिवेदन

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

देने के लिए कहा गया था परन्तु बी० आई० सी० पी० ने एक वर्ष पश्चात् अर्थात्, 18 मई, 1985 को प्रतिवेदन दिया तथा सत्यपाल समिति ने भी अपना प्रतिवेदन बहुत देर के बाद दिया। मैं नहीं जानता कि उन्होंने अपने प्रतिवेदन इतनी देर से क्यों दिये। परन्तु इसके कुछ भी कारण रहे हों इन दो समितियों ने अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं और मैं यह समझता हूं कि मन्त्री महोदय ने इन प्रतिवेदनों के आधार पर ही यह दृष्टिकोण अपनाया है। महोदय, ये प्रतिवेदन विशेषज्ञों के प्रतिवेदन हैं। उन्होंने सभी पहलुओं पर विचार किया है, उन्होंने पेट्रोल पदार्थों की मूल्य वृद्धि पर विचार किया है, उन्होंने उद्योग के अन्य सभी पहलुओं पर विचार किया है और इन सब पहलुओं पर विचार करने के बाद कुछ सिफारिशें की हैं। मेरे विचार में अगर सत्यपाल समिति तथा बी० आई० सी० पी० की इन सिफारिशों को हमें बताया जाये, और प्रकाशित किया जाये, तो बहुत से विवादों से बचा जा सकता है और हम यह निश्चय कर सकते हैं कि क्या मूल्य वृद्धि निवेश सामग्री तथा कच्चे मालों में हुई मूल्य वृद्धि के अनुसार हैं या नहीं। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इन समितियों की सिफारिशें इस सभा में प्रस्तुत करेंगे।

अब टायर मूल्यों के प्रश्न पर आता हूं, हमें पता है कि विभिन्न हित इससे जुड़े हैं, मुख्यतः उपभोक्ता का हित। इसके बाद उद्योग का हित है, और इसके अलावा उत्पादकों का हित है। उपभोक्ता कौन है ? अगर आप जांच करें तो आपको पता चलेगा 80 प्रतिशत उत्पादन ट्रकों के टायरों का होता है। और उन टायरों के अतिरिक्त जो सरकार द्वारा सार्वजनिक गाड़ियों के लिए खरीदे जाते हैं, अधिकतर टायर ट्रक मालिकों द्वारा खरीदे जाते हैं। ज्यादातर ट्रक मालिक स्वयं चालक हैं। वे बैंकों से ऋण लेकर ट्रक खरीदते हैं। उनमें से कुछ के पास एक या दो ट्रक हैं परन्तु जो भी हो ये ट्रक मालिक लघु एकक हैं और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इन एककों को सक्षम होना चाहिए परन्तु सत्य यह है कि ये ट्रक मालिक बैंकों से बहुत ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेते हैं और कभी-कभी निजी पार्टियों से भी ये लोग कर्ज ले लेते हैं। टायर के मूल्यों में तथा डीजल के मूल्यों में भी वृद्धि होने के कारण ये लोग बैंकों की किस्त नहीं दे पा रहे हैं। वे अपनी आय में खर्च पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वे अपनी जीविका चलाने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं जुटा पा रहे हैं और प्रत्येक एकक —प्रत्येक ट्रक मालिक को एक एकक माने—रुग्ण होता जा रहा है। उन्हें कोई बचत नहीं हो रही है। उपभोक्ता पर टायर की मूल्य वृद्धि का यह प्रभाव है। आपको मालूम है कि देश में एक लाख से भी अधिक ट्रक चलाने वाले हैं और वे सभी संकट में हैं। अतः सबसे अधिक चिंता इन लोगों के बारे में होनी चाहिए जो उपभोक्ता हैं।

साथ ही हम टायर उद्योग की तरफ देखें। माननीय मंत्री ने स्वयं कल इस माननीय सभा को एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में यह कहा है। प्रश्न टायर उद्योग को गत तीन वर्षों में हुए घाटे से सम्बन्धित था। उन्होंने बताया था :

> "ऑटोमोटिव टायर निर्माताओं के संघ के अनुसार, टायर कम्पनियों के प्रकाशित लेखे दर्शाते हैं कि उद्योग को 1982 में 27.54 करोड़ रुपए का लाभ हुआ तथा 1983 में 3.79 करोड़ रुपए और 1984 में 60.10 करोड़ रुपए का परिचालन घाटा हुआ। 1983 और 1984 में उद्योग को हुये घाटे का कारण टायरों का अलाभकारी मूल्य बताया गया है।"

अत: इस उत्तर में, यद्यपि, वह आटोमोटिव टायर निर्माताओं के संघ को उद्धृत कर रहे हैं, पर वह स्वयं यह कह रहे हैं कि उद्योग को 1983 में 3.79 करोड़ रुपए का तथा 1984 में 60 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हुआ है। यह भी समाचार है कि अधिकतर टायर एकक रुग्ण हैं। वे बहुत घाटे में चल रहे हैं। अत:, एक तरफ तो उपभोक्ता: है जिसे बहुत अधिक मूल्य देना पड़ता है। दूसरी तरफ उद्योग कह रहा है कि वह रुग्ण है। यह उद्योग बहुत घाटे में चल रहा है। तब लाभ किसे पहुंच रहा है? क्या उत्पादकों को लाभ पहुंच रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्पादकों द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर गत तीन वर्षों में कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई है और वे अपने उत्पादों के लिए अधिक मूल्य की मांग कर रहे हैं। अगर उपभोक्ता अधिक मूल्य दे रहा है तो किसी के पास तो यह मूल्य की अधिक राशि पहुंचनी चाहिए। फालतू धनराशि कहां है? लाभ को कहां खपाया जाता है? यही पहलू हैं जिस पर गौर किया जाना चाहिए। इसका अर्थ है,सिद्धांत रूप में तथा बुनियादी तौर पर कहीं कुछ गलती है। इस गलती का पता लगाना होगा। इस सम्बन्ध में, मैं मन्त्री महोदय से इस टायर उद्योग के क्रिया-कलाप पर गौर करने के लिए कहूंगा। यह कहा गया है कि उद्योग को 60 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। परन्तु कितने आवेदन आपके पास नये लाइसेंस के लिए पड़े हैं? कितने लाइसेंस आपने जारी किए हैं? पहले ही उद्योग अपनी स्वीकृत क्षमता के अनुरूप पूरा उत्पादन नहीं कर रहा है। अगर मैं सही हूं, क्षमता के सिर्फ 65 प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। उद्योग कहते हैं कि वे पहले ही घाटे में हैं और यह कि वे अपने टायर नहीं बेच पा रहे हैं। उद्योग कहता है कि टायरों का भण्डार जमा होता जा रहा है तथा टायरों को खरीदने वाला कोई नहीं है। अत: वे भारी घाटे में जा रहे हैं। साथ ही लाइसेंसों के लिए बार-बार नए आवेदन आ रहे हैं। नए लाइसेंस भी दिए गए हैं। केशव राम उद्योग को और 12 लाख का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। अन्य आवेदन पत्र भी मिले हैं। ये आवेदन क्यों आ रहे हैं? यह कुछ ऐसी बात है जिसे समझना कठिन है। वे कहते हैं कि उद्योग घाटे में चल रहा है परन्तु उसी समय नये लाइसेंसों के लिए भी आवेदन आ रहे हैं। यह बात है जिस पर मन्त्री महोदय को विचार करना चाहिए। जवाब प्रत्येक व्यक्ति को पता है। यह उद्योग क्या कर रहा है? वे दोनों तरीकों से फायदा उठा रहे हैं। एक यह है कि जब ये उद्योग शुरू करते हैं तो ये कहते हैं कि भूमि, भवन, उपकरण आदि में बहुत अधिक पूंजी निवेश की जरूरत होगी, ताकि ये उद्योग आम जनता का बहुत-सा धन बटोरकर अपनी जेबों में भर सकें। अधिक पूंजी निवेश करना कम्पनी के लिए पूर्णतया घाटे का सौदा है। कुल व्यय जो चाहिए वह 50 करोड़ रुपए है। पर इसको वे 100 करोड़ रुपए दर्शाएंगे और बाकी के 50 करोड़ रुपए काले धन के रूप में उनकी जेबों में चले जाएंगे। अत: जो लोग इस लाइसेंस के लिए आवेदन देते हैं उनकी मंशा अच्छी नहीं होती। वे काला धन पैदा करना चाहते हैं। यह काला धन कमाने वाले स्रोतों में से एक है।

दूसरा पहलू जो आपने स्वयं इस सभा को बताया है कि टायर के मूल्य पर कर का अंश 66 प्रतिशत से भी अधिक है। उत्पाद शुल्क 66 प्रतिशत है। कुल कर का अंश कुल मूल्य के दो-तिहाई से भी अधिक है। इस अधिक उत्पाद शुल्क की वजह से, कुछ उद्यमी क्या कर रहे हैं? वे वस्तुत: कर की चोरी करने की कोशिश करते हैं। कर की चोरी बहुत अधिक की जा रही है। मुझे मालूम है कि कुछ उद्योग हैं जो ईमानदार हैं और ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं।

परन्तु इस टायर बनाने वाले क्षेत्र में बहुत से अन्य उद्योग हैं। वे वास्तव में कर नहीं

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

देते हैं और इस प्रकार से लाभ के रूप में काला धन उत्पन्न होता है। उसे कभी भी लेखा-किताबों में नहीं दिखाया जाता। अतः कम्पनी घाटे में है। यही कारण है कि अधिकतर कम्पनियां घाटे में हैं।

अतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इन उद्योगों और कम्पनियों के कार्यचालन की जांच करनी है। उनके इस तर्क में कितनी जान है कि मूल्यों में वृद्धि का कारण काम आने वाली सामाग्री के मूल्यों में वृद्धि है। उनके इस तर्क में कितनी सच्चाई है कि उद्योग अर्थक्षम नहीं हैं। इन सब बातों की गहराई से जांच और अध्ययन करने की आवश्यकता है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय इस पहलू का भी गहन अध्ययन करने के लिए तैयार हैं? इस बात के अध्ययन की आवश्यकता है कि उत्पाद शुल्क से मूल्यों में किस सीमा तक वृद्धि हुई है?

बी० आई० सी० पी० और सतपाल समिति की सिफारिशों के साथ-साथ मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय एक और समिति का गठन भी करें जो इसके सभी पहलुओं की जांच करे और यह पता लगाये कि कौन से ऐसे उद्योग हैं जो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, कौन से ऐसे उद्योग हैं जो ठीक ढंग से काम कर रहे हैं और तथ्यों पर आधारित वैज्ञानिक ढंग से यह भी बतायें कि मूल्यों में वृद्धि किस सीमा तक उचित है, किस सीमा तक उसके लिए उत्पाद शुल्क उत्तरदायी है और यदि यह पाया जाए कि मूल्य वृद्धि कम्पनियों के ठीक से काम न करने के कारण है तो सरकार को इन कम्पनियों को दण्ड देने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। किन्तु यदि वृद्धि उत्पाद शुल्क में वृद्धि के कारण हुई है तो आपको इस उत्पाद शुल्क पर फिर से विचार करने में हिचक नहीं होनी चाहिए ताकि उद्योगों को स्वस्थ्य बनाया जा सके।

रुग्ण उद्योगों से न तो उपभोक्ता बच पाता है और न ही उत्पादक।

पिछले तीन वर्षों में उत्पादकों को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। उत्पादक उद्योग की रीढ़ हैं। वे हमें पर्याप्त प्राकृतिक रबड़ दे रहे हैं और हमारी विदेशी मुद्रा बचा रहे हैं। किन्तु उत्पादकों के उत्पादों के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है जिससे कि वे आवश्यकता से भी अधिक उत्पादन कर सकें।

उद्योगों को पर्याप्त लाभ मिलना चाहिए ताकि वे उत्पादकों को भी लाभ दे सकें। इस पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस परिप्रेक्ष्य में मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह कोई ऐसी समिति बनाने के लिए तैयार हैं जो इस मामले के सभी पहलुओं का गहराई से अध्ययन करे। क्या वह कर सम्बन्धी मसले की जांच कराने के लिए तैयार हैं और यदि यह पाया जाये कि उससे मूल्यों में वृद्धि हुई है तो क्या वह मामले पर फिर से विचार करने और अंततः टायरों के उचित दाम सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं ताकि देश में टायरों का उपयोग करने वाले लाखों व्यक्तियों का और साथ ही देश के रबड़ उत्पादकों का भला हो सके।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रो० कुरियन ने टायरों की कीमतों में वृद्धि पर चिन्ता प्रकट की है। मैं संक्षेप में यह बताने की अनुमति चाहता हूं कि टायरों की कीमतों की समस्या क्या है और अतीत में कीमतों में वृद्धि कैसे हुई ?

सितम्बर 1981 से मई, 1983 के दौरान टायरों की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। सरकार और टायर निर्माताओं के बीच एक अनौपचारिक सहमति थी कि जब कभी वे कीमतों में वृद्धि करना चाहेंगे, वे सरकार के पास आयेंगे, उससे परामर्श करेंगे और तब कीमतें बढ़ायेंगे। वे लोग इस प्रथा का पालन कर रहे थे। मई, 1983 में टायर निर्माताओं ने कीमतें बढ़ा दीं। उस समय यह वृद्धि 8 से 9 प्रतिशत तक थी किन्तु सरकार उस वृद्धि से खुश नहीं थी। सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और सरकार ने टायर निर्माताओं को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे सितम्बर 1981 से पहले की कीमतों को बनाये रखेंगे। उस समय निर्माताओं को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि उनका कीमतें बढ़ाना उचित है तो बी० आई० सी० पी० निश्चय ही इसकी जांच करेगी, और बी० आई० सी० पी० की रिपोर्ट मिलने पर यदि यह पाया गया कि कीमतें बढ़ाना उचित है तो सरकार निर्माताओं को कीमतें बढ़ाने की अनुमति दे देगी।

नवम्बर 1983 में दोबारा कुछ श्रेणी के टायरों की कीमतें बढ़ा दी गईं और जनवरी 1984 में ट्रक और बस टायरों की कीमतों में वृद्धि की गई। जहां तक इस वृद्धि का सम्बन्ध है, हमने पहले ही बी० आई० सी० पी० को मामले के अध्ययन के लिए कह दिया है। मुझे पता चला है कि बी० आई० सी० पी० ने रिपोर्ट दे दी है और उसका अध्ययन किया जा रहा है।

इस समय हमारी चिन्ता निर्माताओं द्वारा इस वर्ष के बजट अर्थात् 1985-86 के बजट पेश किये जाने के बाद टायरों की कीमतें बढ़ाने को लेकर है। निर्माताओं ने फिर से कीमतें बढ़ा दी हैं। जैसा कि माननीय सदस्य प्रो० कुरियन ने अभी कहा है, टायरों की कीमतों में इस वृद्धि के बारे में मैंने बम्बई में रबड़ उत्पाद निर्माता संघ के समक्ष भाषण देते हुए अपनी नाराजगी प्रकट की थी और इस मामले को 17-7-1985 को टायर विकास परिषद की बैठक में फिर से उठाया गया था। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस समय भी हमारे प्रयत्न जारी हैं। मैंने अपने सचिव से विशेष रूप से कहा था कि वह सभी निर्माताओं के साथ बैठक करें ताकि उनको सहमत कराया जा सके और साथ ही यह भी पता लग सके कि कीमतें बढ़ाना कहां तक उचित था। मैं स्पष्टतया स्वीकार करता हूं कि मेरी नाराजगी मुख्यतया इसी कारण से थी। पिछले उन वर्षों में उन्होंने कीमतें बढ़ाई थीं किन्तु बजट पेश किये जाने के बाद जो वर्तमान वृद्धि की गई है, वह सरकार के साथ परामर्श किये बिना की गई है। जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा था प्रथा यह थी कि वे सरकार के साथ परामर्श करें, सरकार को विश्वास में लें लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

6.00 म० प०

मेरा चिंतित होना स्वाभाविक था मैंने सोचा उनका निर्णय एक पक्षीय था। इस बार कीमतों में वृद्धि के मामले में उन्होंने उस प्रथा का पालन नहीं किया जिसका वे करते आ रहे थे। अत: मैंने अपनी

[श्री वीरेन्द्र पाटिल]

नाराजगी प्रकट की। मैं यह महसूस करता हूं कि उनके द्वारा कीमतों में की गई वृद्धि पर कुछ कहना मेरे लिए कठिन होगा क्योंकि अभी अध्ययन किया जा रहा है। मैं बी० आई० सी० पी० की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि उनकी कीमतों में वृद्धि करना पूर्णतया उचित था, आंशिक रूप से उचित था या बिलकुल ही उचित नहीं था। लेकिन मेरी मुख्य आपत्ति यह है कि कीमतों में वृद्धि करने से पहले उन्हें सरकार के पास आना चाहिए था, उन्हें सरकार के साथ परामर्श करना चाहिए था, सरकार को विश्वास में लेना चाहिए था किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।

महोदय टायरों की कीमतों के प्रश्न पर विचार करते समय हमें टायरों मे प्रयोग की जाने वाली सामग्री आदि की कीमतों पर भी विचार करना होगा। मैं सदन को यह भी स्पष्ट रूप से बता दू कि जहां तक टायर उद्योग का सम्बन्ध है सरकार को निर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों के साथ न्याय करना है। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि निर्माता स्थिति का नाजायज फायदा न उठाएं और कृत्रिम कमी पैदा न करें और प्रयोक्ताओं अर्थात् ग्राहकों को कठिनाई में न डालें। इसके साथ ही यदि उनके पास कीमतें बढ़ाने का सही कारण है, यदि टायर बनाने में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं तो हमें उस पहलू पर भी निश्चय ही ध्यान देना होगा। मैं माननीय सदस्य प्रो० कुरियन से पूर्णतया सहमत हूं कि यदि कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं तो उसी अनुपात में टायरों की कीमतों में वृद्धि की जा सकती है। यदि यह वृद्धि अनुपात से अधिक है तो हमें निर्माताओं के इस कदम का विरोध करना होगा।

महोदय, मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं और मैं माननीय सदस्यों को पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे निर्माताओं से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो माननीय सदस्यों के सामने तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : क्या ये तथ्य सही हैं ? क्या इन तथ्यों को निर्माताओं के पक्ष में समझा जा सकता है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं। किसी का पक्ष लेने में लेने की कोई प्रश्न नहीं है। मैंने कह दिया है मुझे उनसे कुछ लेना-देना नहीं है। मैं ये आंकड़े निर्माताओं द्वारा कीमतें बढ़ाने के आधार का समर्थन करने के लिए नहीं दे रहा हूं। सम्मानित सदन को तथ्य जानने का अधिकार है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों के सामने ये तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं।

महोदय, टायर निर्माण में प्रयोग में लाये जाने वाले कच्चे माल का लगभग 75 से 80 प्रतिशत ऐसा होता है जिनके आधार पर बुनियादी कीमतें निर्धारित की जाती हैं। अधिकांश कच्चा माल पेट्रोलियम पर आधारित कच्चा माल होता है। माननीय सदस्य जानते हैं कि हाल में पेश किये गए बजट में पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी हैं।

श्री नारायण चौबे : बजट ही ऐसा था।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जो भी हो, इस समय हम बजट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस समय हम टायर निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर बजट के प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं अब मैं आपको यह बताऊंगा कि कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं। मैं हाल के बजट के सन्दर्भ में आंकड़ें नहीं दे रहा हूं। मेरे पास सितम्बर 1981 से अप्रैल 1985 तक के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के अनुसार टायर निर्माण के लिए देसी, आयातित नायलान टायर-कार्ड कार्बन ब्लैक, आयातित, देसी बूटाइल रबड़, पी० बी० आर०, रबड़ रसायन, बीडवायर, संशलिष्ट रबड़, अन्य रसायन, वी० पी० लेटेक्स और टायर कार्ड जैसे कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इनमें से अधिकांश पेट्रोलियम पर आधारित वस्तुएं है। मैं वृद्धि के सम्बन्ध में सभी आंकड़े उद्धृत नहीं करना चाहता हूं। सितम्बर 1981 में—आयातित नायलान टायर—54 प्रतिशत वृद्धि, देशी—21 प्रतिशत वृद्धि, कार्बन ब्लैक—21.25 प्रतिशत वृद्धि, आयातित बूटाइल रबड़—37.92 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसी प्रकार देशी पी०बी०आर०—44.23 प्रतिशत, आयातित—88.86 प्रतिशत। इसी तरह अनेक मदें हैं। वी० पी० लेटेक्स मामले में यह वृद्धि 50.80 प्रतिशत है।

मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता था कि सितम्बर, 1981 से कीमतों में किस प्रकार से वृद्धि हुई है। केवल कीमतों में ही वृद्धि नहीं हुई है, माननीय सदस्य ने अभी कर ढांचे के बारे में भी सुझाव दिया था, मुझे यह पुनः मान लेना चाहिए कि कर ढांचा ऐसा है—मेरे पास आंकड़े हैं—इसमें काम आने वाली सामग्री और टायरों पर विनिमान शुल्क मिला लिये जाने पर 85 प्रतिशत बैठता है। इनके साथ यदि चुंगी और बिक्री कर भी शामिल कर लिये जायें तो टायरों पर कर 100 प्रतिशत बैठता है। इन्हें स्पष्ट करने के लिए मेरे पास आंकड़े हैं। करों के अतिरिक्त मानव टायर की कीमत 2300 रुपये बैठती है। सभी कर इसके अलावा होते हैं। करों को शामिल करने के बाद टायर की कीमत 3894 रुपये बैठती है। इससे माननीय सदस्यों को टायरों की कीमत में करों की भूमिका का पता लग सकेगा। इसमें काम आने वाली सामग्री की कीमत और कर ढांचे के कारण टायरों की कीमतें ऊंची हो गई हैं।

माननीय प्रो० कुरियन रबड़ की कीमतों के बारे में बात कर रहे थे। रबड़ में हम आत्म-निर्भर नहीं हैं। मैं मानता हूं कि देश में उत्पादित अधिकांश रबड़ का हम टायरों के निर्माण में प्रयोग कर रहे हैं। देश में रबड़ की कमी के कारण हम उसका आयात कर रहे हैं। मेरे पास रबड़ आयात के आंकड़े हैं। 1981-82 में हमने 42,750 मीटरी टन रबड़ का आयात किया। 1982-83 में यह आयात 30050 मीटरी टन था और 1983-84 में इसकी मात्रा 44,350 मीटरी टन थी। माननीय सदस्य इस बात से भली भांति अवगत हैं कि यदि देशी रबड़ की कीमतों की आयातित रबड़ की कीमतों से तुलना की जाये तो आयातित रबड़ काफी सस्ता पड़ता है। मेरे पास आंकड़े हैं जिनसे यह पता चलता है कि रबड़ की कीमतों में वृद्धि हुई है। दिसम्बर, 1981 में रबड़ की न्यूनतम कीमत 14150 रुपये थी और अधिकतम 15400 रुपये थी। ये कीमतें 1981 की हैं। माननीय सदस्य कह रहे थे कि रबड़ की कीमतें नहीं बढ़ी हैं और उत्पादकों को लाभ नहीं हो रहा है। 1984 के दौरान कोट्टायम बाजार में जनवरी में रबड़ का औसत मूल्य 17160 रुपये प्रति मीटरी टन था, जबकि फरवरी में यह 17060 रुपये प्रति मीटरी टन था। मार्च में इसमें थोड़ी कमी आयी और यह

[श्री वीरेन्द्र पाटिल]

घटकर 16960 रुपये हो गया। अप्रैल में रबड़ के मूल्य फिर बढ़ जाने से यह 17340 रुपये प्रति मीटरीटन हो गया।

प्रो० पी० जे० कुरियन : 1984 का औसत मूल्य क्या रहा ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : आपका मतलब समेकित मूल्यों से है ? यदि माननीय सदस्य टायरों की कीमतें घटाने के इतने इच्छुक हैं तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या वह इस सुझाव को मानने के लिए तैयार हैं कि टायर निर्माताओं को जितनी रबड़ की आवश्यकता है, उसे निर्माताओं को आयात करने दिया जाए ?

फिर हम यह कह सकते हैं कि हम आपको एक निश्चित मूल्य पर रबड़ सप्लाई कर रहे हैं इसलिए आप टायरों के मूल्य बढ़ा नहीं सकते। हमारी नीति हमारे रबड़ उत्पादकों को संरक्षण देना है। इसलिए हम केवल अपेक्षित सीमा तक आयात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह बाहर सस्ता है और हम रबड़ का अन्धाधुन्ध आयात कर रहे हैं। यह हमारी नीति नहीं है। हमारी नीति हमारे देश के उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है। माननीय सदस्यों को केवल यह बताने के लिए मैंने इन आंकड़ों को उद्धृत किया था कि यह कहना सही नहीं है कि रबड़ के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है और रबड़ उत्पादकों को मूल्यों के बढ़ने से लाभ नहीं मिला है।

इन आंकड़ों को उद्धृत करने के बाद अब मैं बजट के बाद मूल्यों में हुई वृद्धि के प्रश्न पर आता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हम अध्ययन कर रहे हैं। मैंने बी० आई० सी० पी० से अनुरोध किया है कि वह इस बारे में अध्ययन करें और अपना प्रतिवेदन यथा संभव शीघ्र पेश करें। उस प्रतिवेदन की सिफारिशों के संदर्भ में जो भी कार्यवाही उचित होगी वह हम करेंगे। बी० आई० सी० पी० से प्राप्त प्रतिवेदन पर निर्णय लेने के बाद ही मैं सदन को बता सकूंगा।

महोदय एक सुझाव दिया गया है कि टायरों के मूल्य और उनके वितरण के ऊपर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। हमारे देश में लगभग 200 किस्म के टायरों और ट्यूबों का उत्पादन किया जाता है जिसमें 500 विभिन्न प्रकार की ट्रीडिंग और प्लाई रेटिंग विधाओं को अपनाया जाता है। अतः मूल्य और वितरण को नियंत्रित करना कठिन है। और मेरा अपना यह अनुभव है कि जब कभी हम नियंत्रण के बारे में सोचते हैं तो इससे चोर बाजारी और भ्रष्टाचार बढ़ता है जिससे अन्त में उपभोक्ताओं को नुकसान होता है।

दूसरी बात जो मूल्य नियन्त्रण और वितरण नियंत्रण के विरुद्ध जाती है वह यह है कि हमारा निवेश पर नियंत्रण नहीं है और जब निवेशों के मूल्य बढ़ते हैं तब निर्माताओं से यह कहने का क्या औचित्य है कि उन्हें मूल्य नहीं बढ़ाने चाहिए। यदि टायरों के उत्पादन में लगे निवेशों पर हमारा नियन्त्रण है तो टायरों के मूल्य नियन्त्रण और वितरण नियन्त्रण की बात सोचने में औचित्य है। जब तक हम निवेशों के मूल्यों को नियन्त्रण में करने की स्थिति में नहीं है तब तक मैं समझता हूं कि हमारा यह कहना कि उन्हें मूल्य नहीं बढ़ाने चाहिए। ठीक नहीं है हमको जो बात देखनी है

वह यह है कि मूल्य बढ़ाने में औचित्य हो। अगर औचित्य नहीं है तब सरकार के पास कई ऐसे तरीके हैं जिनके अध्ययन से वह निर्माताओं को सही रवैया अख्तियार करने और मूल्य कम करने के लिए मनवा सकती है ऐसा पीछे हुआ है और आगे भी होगा।

यह भावना है कि टायरों का निर्यात हो रहा है। टायरों के निर्यात से हमें काफी विदेशी मुद्रा मिल रही है। मैं निर्माताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने गत वर्ष 45 करोड़ रुपए मूल्य के टायरों का निर्यात किया और हम विश्व के अच्छे किस्म के टायरों के साथ-बराबरी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस वर्ष वे लगभग 80-85 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के टायर निर्यात करेंगे।

इसके बाद आप कह सकते हैं कि देश के भीतर टायर बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए हमें निर्यात पर रोक क्यों नहीं लगानी चाहिए। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि निर्यात बाजार बनाना बहुत कठिन है। एक बार बने निर्यात बाजार को नष्ट करके दूसरा बाजार बनाना बहुत कठिन होगा। इसलिए मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिससे बना बनाया बाजार समाप्त हो जाये। मैं चाहूंगा कि आने वाले वर्षों में इस बाजार का और विकास हो लेकिन मैं सहमत हूं कि यदि निर्माता औचित्य खो देते हैं। यदि वह कीमतों में आंधाधुन्ध वृद्धि करते रहते हैं। यदि वे सलाह पर ध्यान नहीं देते हैं और यदि वे उचित व्यवहार नहीं करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसके लिए हमारे पास बहुत से उपाय हैं। उनमें से एक उपाय जिसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं यह है कि यदि व्यापारी या उपयोगकर्ता बड़ी मात्रा में टायरों का आयात करना चाहते हैं तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। उन्हें आयात करने दो यदि स्थानीय निर्माता उचित मूल्य पर टायर सप्लाई नहीं करते हैं और डीलर हमारे पास आते हैं और टायरों का किसी भी स्रोत से आयात करना चाहते हैं तो हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं। जहां तक सम्भव हो, हम उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं।

महोदय, मैं भाषण समाप्त करने से पहले एक सूचना देना चाहता हूं। माननीय सदस्य देश के टायर उत्पादक यूनिटों की क्षमता के बारे में जानना चाहते थे। महोदय, 1984 की सूचना के अनुसार इस समय टायर उत्पादन करने की जो अधिष्ठापित क्षमता है वह 136.56 लाख टायर प्रतिवर्ष है। यह क्षमता बनाई गई है। मैं माननीय सदस्य प्रो० पी० जी० कुरियन से सहमत हूं कि जो कुछ क्षमता बनाई गई है उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है। 1984 में 136 लाख टन क्षमता की तुलना में 106 लाख टायरों का उत्पादन हुआ है। अतः 77.88 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हुआ है।

बहुत सी कठिनाइयां हैं। हम निर्माताओं को दोष नहीं देते हैं। पर्याप्त मात्रा में कच्चा सामान उपलब्ध नहीं है। विद्युत की कमी है। उन्हें इन अड़चनों पर काबू पाना है। ऐसे बहुत से टायर उत्पादक यूनिटें हैं जिनके पास अपनी बिजली तैयार करने की क्षमता है। वे हमेशा स्थानीय बिजली ग्रिड़ पर निर्भर नहीं रहते हैं। अतः इन सभी दिक्कतों के कारण वे स्थापित क्षमता का उपयोग नहीं कर सके हैं। लेकिन हम सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 274 लाख टायर प्रतिवर्ष की क्षमता के उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। अतः हमें अतिरिक्त क्षमता बनानी होगी। इसके

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

लिए हम आशय-पत्र जारी कर रहे हैं और हम कुछ और लोगों को भी इस क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य प्रो० कुरियन भी इस तथ्य को जानते होंगे कि हालांकि देश में टायर के उत्पादन के लिए 23 यूनिटें हैं लेकिन केवल 6 या 7 उद्योग गृह ऐसे हैं जिनका वास्तविक रूप से इस बाजार पर एकाधिकार है। देश में ये 6 या 7 गृह ही 70 प्रतिशत टायरों का उत्पादन कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि यहां एकाधिकार निरन्तर बना रहे। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में और अधिक उद्योगपति तथा अन्य छोटी यूनिटें आगे आएं। अतः हमने आशय-पत्र जारी किए हैं।

परन्तु दुर्भाग्यवश उन्होंने टायरों का उत्पादन आरम्भ नहीं किया। जैसा कि स्वयं माननीय सदस्य ने कहा है हमने तीन आशय-पत्र जारी किए हैं परन्तु उन्होंने अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है हम इकाइयां आरम्भ करने के लिए उन्हें पूर्ण सहायता देने का प्रयास कर रहे हैं। यदि दस लाख या पन्द्रह लाख टायरों का उत्पादन करने हेतु हमारे पास कोई आवेदन आता है और यदि वे फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो हम उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। परन्तु किसी प्रकार का एकाधिकार नहीं चाहते।

अन्त में, महोदय, मैं सभा के माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य प्रो० पी० जे० कुरियन द्वारा जो भी विचार अथवा चिन्ता प्रकट की गई है, वह केवल इस सभा में ही नहीं अपितु सभा से बाहर भी प्रकट की जा रही है। मुझे सूचना मिली है कि 1984 में एम० आर० टी० पी० आयोग को एसोसिएशन आफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अन्डरटेकिंग से एक शिकायत भी प्राप्त हुई और जिसमें कहा गया था कि टायर उत्पादकों ने आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य परिवहन उपक्रमों को टायर सप्लाई करने हेतु मूल्य उद्धृत करने से पहले और एक दूसरे से सलाह करके आपस में सांठ-गांठ की थी। आयोग ने एक जांच कराई थी और 13 दिसम्बर, 1984 के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आयोग ने 22 अप्रैल, 1985 को दस टायर कम्पनियों को नोटिस जारी किए थे। जांच अभी चल रही है। हाल ही में मई, 1985 में आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा, टायर कम्पनियों के विरुद्ध नवम्बर, 1984 और मार्च 1985 में मूल्य बढ़ाने के सम्बन्ध में की गई शिकायत पर एम० आर० टी० पी० आयोग विचार कर रहा है। यह आयोग इस मामले की छान-बीन कर रहा है।

मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों को यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि, जहां तक बजट प्रस्तुत होने के बाद मूल्यों में वृद्धि होने का सम्बन्ध है, अध्ययन किया जा रहा है। मैं औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों से चर्चा कर चुका हूं। मुझे आशा है कि औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा जल्दी ही अध्ययन पूरा कर लिया जायेगा और हमें प्रतिवेदन प्राप्त हो सकेगा। प्रतिवेदन के अनुसार यदि मूल्य बढ़ाने का कोई औचित्य न हुआ तो हम निश्चय ही निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। यदि टायरों की कमी है और टायरों का वास्तविक इस्तेमाल करने वाले उनका आयात करना चाहते हैं तो हम उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें आयात करने में सभी संभव सहायता

देने के लिए तैयार हैं। हमारी निर्माताओं से बात-चीत चल रही है। हम उन्हें मनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच यदि हमें औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो का प्रतिवेदन मिल जाता है तो मामला और भी सुदृढ़ हो जाएगा। मुझे आशा है कि निर्माता स्थिति का अनुचित लाभ नहीं उठायेंगे और उपभोक्ताओं का शोषण करने का प्रयास नहीं करेंगे। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, हम यह सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध हैं कि यदि किसी प्रकार का शोषण है तो वह पूर्णतया समाप्त होना चाहिए।

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि बजट प्रस्तुत होने के बाद न केवल टायरों की बल्कि सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं और उन्होंने इस पर अप्रसन्नता भी व्यक्त की है।

सरकार की जन-विरोधी नीति के कारण टायर सम्राट उपभोक्ताओं को लूट रहे हैं। वे कीमतों में वृद्धि कर रहे हैं और सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। उसके विपरीत मन्त्री महोदय मूल्य वृद्धि को उचित ठहरा रहे हैं।

इस आधे घन्टे की चर्चा का सम्बन्ध टायर उद्योग सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों से है। मैं जानना चाहता हूं कि सतपाल समिति की सिफारिशें सरकार को कब प्राप्त हुई और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है। वे सिफारिशें क्या हैं?

ये टायर निर्माता विभिन्न प्रकार कदाचारों में लिप्त हैं – जैसा कि कम बीजक बनाना, कर चोरी करना आदि। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

मन्त्री महोदय स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को टायर निर्माताओं के लागत ढांचे का अध्ययन करने के लिए कहा है। क्या मैं औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के इस अध्ययन का परिणाम जान सकता हूं? इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में इस उद्योग के विकास में सबसे बड़ी कमी अनुसंधान और विकास का अभाव है। अनुसंधान और विकास के लिए यह उद्योग प्रौद्योगिकी के लिए विदेशी सहयोग पर निर्भर है। अतः इस उद्योग में अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी सुविधाओं को सुधारने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य ने तीन या चार प्रश्न पूछे हैं। मैं मूल्य-वृद्धि तथा अन्य सभी बातों को पहले स्पष्ट कर चुका हूं। मैंने बार-बार स्पष्ट किया है कि मैं मूल्य-वृद्धि को उचित नहीं ठहरा रहा हूं। मैंने यह भी स्पष्ट किया है कि मैं अप्रसन्न क्यों हूं। यह वृद्धि उचित है या नहीं, इसकी जांच औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो कर रहा है। चूंकि माननीय सदस्य बार-बार कह रहे हैं कि मैंने मूल्य-वृद्धि को उचित ठहराया है इसलिए मैं दोहराता हूं कि मैंने इसे उचित नहीं ठहराया है।

माननीय सदस्य सतपाल समिति के बारे में जानना चाहते थे। सतपाल समिति ने फरवरी, 1985 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। समिति की सिफारिशें ऐसी हैं कि हमें उन सिफारिशों

[श्री वीरेन्द्र पाटिल]

को विभिन्न मंत्रालयों को विचारार्थ और कार्यान्वयन हेतु भेजनी पड़ेगी। हम भेज रहे हैं। जहां तक उन सिफारिशों का सम्बन्ध है, जिन पर हमें निर्णय लेना है, हम उनकी छानबीन कर रहे हैं।

मैं माननीय सदस्यों की सूचनार्थ यह बताना चाहता हूं कि सतपाल समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जहां तक वितरण और विपणन का सम्बन्ध है, वे नियन्त्रण के विरुद्ध हैं। समिति ने कहा है :

> "आटोमोबाइल टायरों और ट्यूबों के उत्पादन और क्षमता में महत्त्वपूर्ण वृद्धि के फलस्वरूप स्थिति बदल गई है और बाजार विक्रेता की बजाय क्रेता के हाथ में आ गया है। फिर भी उद्योग को स्वेच्छा से डीलर और खुदरा कीमतों तथा छूटों की घोषणा करके अस्वस्थ प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां तक सस्ते टायरों का सम्बन्ध है, उपभोक्ता के समक्ष पर्याप्त विकल्प होने चाहिए।"

सतपाल समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि चूंकि मूल्य नियन्त्रण पर प्रशासनिक स्तर पर दृष्टि रखना अत्यन्त कठिन होगा इसलिए मूल्य नियन्त्रण लागू करना उचित नहीं होगा। मूल्य नियन्त्रण लागू करने के लिए कच्चे माल का वितरण करना आवश्यक होगा जो कि अव्यावहारिक होगा।

जहां तक कदाचारों, करों की चोरी, उत्पाद शुल्क की उचित ढंग से उगाही तथा अन्य बातें हैं, इनसे मेरा सीधा सम्बन्ध नहीं है। मान लीजिए कर चोरी का मामला है तो इसका सीधा सम्बन्ध वित्त मन्त्री से है और संसद भी मौजूद हैं और उन्हें ही इसकी ओर ध्यान देना है।

अनुसंधान तथा विकास पर माननीय सदस्य ने जो जोर दिया है, वह ठीक है। मैंने निर्माताओं से पहले ही कह दिया है कि जहां तक अनुसन्धान और विकास का सम्बन्ध है वे कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे बार-बार जोर देकर कहता रहा हूं कि उन्हें अनुसंधान तथा विकास के लिए कुछ राशि अलग रखनी चाहिए। मैं इस मामले पर फिर बात करूंगा।

श्री अजय बिस्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय मैं त्रिपुरा से निर्वाचित होकर आया हूं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में रेल सम्पर्क का अभाव है। अतः टायर और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर और भी अधिक विपरीत प्रभाव पड़ना निश्चित हैं। वास्तव में हम दो पाटों के बीच में पिस रहे हैं। मन्त्री महोदय ने कहा है कि अनुदेश स्पष्ट है कि निर्माताओं को टायरों के मूल्यों की घोषणा करने से पहले सरकार से विचार-विमर्श करना चाहिए। परन्तु उन्होंने सरकार के निर्णय की परवाह नहीं की। मन्त्री महोदय ने अपनी विवशता प्रकट की है। इस प्रकार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार टायर-सम्राटों के समक्ष बिल्कुल विवश है। मैं नहीं समझता कि सरकार विवश क्यों है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पिछले चुनावों में टायर-सम्राटों ने कांग्रेस (इ) दल के राष्ट्रीय कोष में एक बड़ी रकम दी थी ? अन्यथा मन्त्री महोदय इतने विवश क्यों हैं ?

दूसरा, टायर निर्माताओं के विरुद्ध कुछ विशिष्ट शिकायतें प्राप्त हुई हैं। क्या एम० आर०

टी० पी० इनकी जांच करेगा ? क्या यह सच है कि वे अब भविष्य में निर्माता संघ (कार्टल) के रूप में कार्य नहीं करेंगे ? सरकार ने इन आश्वासनों को स्वीकार किया है । परन्तु वे अब तक उत्पादक-संघ (कार्टल) के रूप में कार्य कर रहे हैं । इस प्रकार यह एम० आर० टी० पी० अधिनियम का उल्लंघन है । क्या सरकार इस मामले को एम० आर० टी० पी० आयोग को सौंपेगी ताकि इस सम्बन्ध में जांच की जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ रथ आप केवल प्रश्न पूछिए ।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : महोदय, मैं राजनीतिक कारणों से आधारहीन आरोप नहीं लगाऊंगा जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने लगाया है । मुख्य प्रश्न यह था कि क्या सरकार टायर उद्योग सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही करना चाहती है । उत्तर था सतपाल समिति की सिफारिशों की सरकार जांच कर रही है ।

इसके बाद टायरों की कीमतों में वृद्धि के बारे में पूरक प्रश्न पूछे गए ।

अत: मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह सभा की जानकारी हेतु समिति की सिफारिशों जो उन्होंने अभी पढ़ी हैं की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे । एक मुद्दा यह है ।

दूसरा मुद्दा मूल्य-वृद्धि के बारे में है । यह कहा गया है कि टायरों के मूल्यों में वृद्धि कच्चे माल के आयात पर, विशेषरूप से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर निर्भर करती है । माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि वह मूल्यों में वृद्धि से प्रसन्न नहीं है और प्रश्न का उत्तर देते समय उन्होंने वास्तव में यह भी कहा है कि उन्होंने कुछ निर्माताओं को मूल्य-वृद्धि के विरुद्ध धमकी भी दी है । इससे पता चलता है कि मन्त्री महोदय को तथ्यों की जानकारी है और वे मानते हैं कि मूल्यों में अधिक वृद्धि हुई है तथा मन्त्री महोदय ने यह भी स्वीकार किया है कि टायर निर्माताओं का एकाधिकार है । क्या माननीय मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाएंगे कि एकाधिकार समाप्त हो और टायर का उत्पादन सरकारी तंत्र की कम्पनियों में हो ?

समिति की सिफारिशों के बारे में मन्त्री महोदय ने कहा है कि उन पर विचार किया जा रहा है । अत: जब वे विचाराधीन हैं तो अन्य विभागों द्वारा सिफारिशों को लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता । इस मामले पर जब टायर निर्माताओं से बात हो गई है, निवेश सामग्री की मूल्य-वृद्धि का पता लगाया जा चुका है और औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा पिछले अवसरों पर की गई टिप्पणियां मौजूद हैं तो यह मामला बार-बार औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के पास क्यों भेजा जाता है और कार्यवाही करने हेतु क्यों उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जाती है ? जब सभी तथ्य मौजूद हैं तो तत्काल कार्यवाही की जा सकती है ।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया बताएं कि क्या कार्यवाही की जाएगी यदि हां, तो कितने दिनों में ? माननीय मन्त्री महोदय ने अभी कहा है कि यदि कोई टायरों का आयात करना चाहता है तो वह कर सकता है । परन्तु यह भी कहा गया है कि टायरों के निर्यात से निर्माताओं ने काफी लाभ यानि कई करोड़ रुपए का लाभ कमाया है । इस प्रकार उत्तर से आसानी से

[श्री सोमनाथ रथ]

यह कल्पना की जा सकती है कि आयातित टायरों की कीमत देश में उत्पादित टायरों की कीमत से कहीं अधिक होगी। क्या यह सच है ? मैं माननीय मन्त्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या आयातित टायरों की कीमत देश में निर्मित टायरों की कीमत से अधिक होगी या कम ? जब टायरों का आयात हो रहा है और भारी लाभ कमाया जा रहा है तो निर्माताओं को निर्यात से होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए देश में स्थानीय खपत के लिए टायरों की कीमतों को क्यों नियंत्रित नहीं किया जाता।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : पहले ही कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मन्त्री जी के स्पष्टीकरण से लगता है कि वह बीमार की मृत्यु के बाद जीवन-दायी दवाइयों का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। मूल्य बढ़ाने के बाद वह क्यों देख रहे हैं कि यह न्यायोचित है या नहीं। बड़ा अजीब तर्क दिया है। अतः पता नहीं सरकार एकाधिकारियों के प्रति, जो उद्योग को नियंत्रित किए हुए हैं, ऐसा रवैया क्यों अपना रही है ?

मन्त्री जी ने माना है कि पांच कम्पनियों ने एक संघ (कार्टल) बना रखा है। इसे समाप्त करने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

पिछले कुछ दिनों से, जब भी यह प्रश्न उठा है, मन्त्री जी उन्हें केवल धमकी दे रहे हैं लेकिन निर्माता उनकी कोई परवाह नहीं करते।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह निर्माताओं को धमकाते हैं ?

श्री हन्नान मोल्लाह : अतः मन्त्री जी को कुछ करना चाहिए, केवल धमकियां नहीं देनी चाहिएं। सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है ?

इस बारे में एक मुख्य कमी यह है कि यह उद्योग आधारभूत और यहां तक कि व्यावहारिक प्रौद्योगिकी के लिए भी बाह्य स्रोतों पर लगातार निर्भर है। सरकार इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय करना चाहती है।

रुग्णता का एक अन्य कारण अत्यधिक क्षमता का होना है और इसमें से कुछ अवैध रूप से निर्मित कर ली गई हैं। इस प्रश्न के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

इस सभा में यह प्रथा बन गई है कि रेल मंत्री कहेंगे कि वित्तमन्त्री पैसा नहीं दे रहे हैं और वित्त मन्त्री कहेंगे कि योजना मंत्रालय मन्जूरी नहीं दे रहा है, आदि जैसे कि 3 या 4 प्रधान मन्त्री हों और उनके नीचे विभिन्न मंत्रालय कार्य कर रहे हों। यह सरकार तो एक ही है। एक मंत्रालय दूसरे को दोष दे रहा है। वे समन्वित रूप से कार्य करते हुए इस बारे में निर्णय क्यों नहीं लेते ?

मूल्य-वृद्धि आदि के बारे में मंत्री जी वित्त मन्त्रालय से बात कर सकते हैं और यह स्पष्टीकरण नहीं दे सकते कि "केवल वित्त मन्त्रालय उत्तरदायी है। मैं क्या कर सकता हूं ?" यह उनका आंतरिक

मामला है और उन्हें इसे आपस में सुलझा कर यहां स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आपस में एक-दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री आम उपभोक्ताओं पर भी ध्यान देंगे जो साइकिल टायर, मोपेड तथा अन्य चीजों का उपयोग करते हैं। क्या सरकार ऐसे उपाय करेगी जिससे आम लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली चीजों के मूल्य नियंत्रित रहें? मेरे ये प्रश्न हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : तीन माननीय सदस्यों ने स्पष्टीकरण मांगे हैं। मुझे खेद है कि पहले सदस्य ने इस अवसर का प्रयोग स्पष्टीकरण चाहने के लिए नहीं बल्कि सरकार तथा सत्ताधारी दल पर दोष मढ़ने के लिए किया है।

एक माननीय सदस्य : वे सदैव ऐसा ही करते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : सरकार तथा सत्ताधारी दल की आलोचना करना उनके लिए स्वाभाविक है। वह समझते हैं कि सरकार बिल्कुल असहाय है। लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार निर्माताओं के प्रति नरम रवैया नहीं अपना रही है। लेकिन निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार के पास समुचित आधार भी होना चाहिए। केवल उनके निर्माता होने से ही सरकार यह नहीं मान सकती कि वे देश का और उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं। ऐसा करना सरकार के लिए उचित न होगा। पहले हम विश्वस्त हों कि वे शोषण कर रहे हैं तभी उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि टायर को आवश्यक वस्तु माना गया है और ऐसी वस्तुएं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आती हैं। यदि निर्माता ठीक से काम नहीं करते तो उन्हें अनुशासित करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां हैं।

एक माननीय सदस्य : लेकिन उनका प्रयोग तो श्रमिकों को अनुशासित करने के लिए होता है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य के इस आरोप का मैं पुरजोर खण्डन करता हूं कि इन निर्माताओं ने सत्ताधारी दल को बहुत रुपया दिया है इसलिए सरकार जानबूझकर उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है।

श्री नारायण चौबे : यदि बहुत नहीं तो कितना दिया है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह बिल्कुल निराधार है, केवल आरोप है। केवल इसलिए कि सदस्य महोदय को सभा में अभिव्यक्ति की आजादी है, उन्हें इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिएं।

जहां तक टायर व्यापारियों के एकाधिकार की बात है, मैंने पहले ही कहा है कि एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग ने मामले की जांच के बाद कुछ लोगों को नोटिस दिए हैं। जांच चल रही है। ऐसा मैंने किसी सदस्य के प्रश्न के उत्तर में नहीं कहा है बल्कि सभा में मैंने स्वयं ही बताया है। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि लगभग आधे दर्जन निर्माता इस स्थिति में हैं कि वे देश में टायरों के कुल उत्पादन का 65 से 70 प्रतिशत तक निर्माण कर सकते हैं।

[श्री वीरेन्द्र पाटिल]

अत: प्रो० कुरियन द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि ऐसे अधिक निर्माता तथा व्यापारी आगे आएं। हम उनका स्वागत करेंगे। हमने हाल ही में तीन नये आवेदकों को आशय पत्र जारी किए हैं, जो अपना काम शुरू कर रहे हैं। यदि अधिक आवेदक आते हैं तो हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या वे उनका निर्माण कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि और लोग भी इस व्यापार में आएं। इस से पता चलता है कि सरकार का इरादा एकाधिकार को बढ़ाना नहीं बल्कि रोकना है।

एक माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि क्या सरकार विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने की स्थिति में है। क्योंकि हमने प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया है इसलिए मैं एक बात कह सकता हूं कि क्योंकि सदस्य महोदय की रुचि है, अत: मैं विशेषज्ञ समिति अर्थात् सत्यपाल समिति की मुख्य सिफारिशों को सभा पटल पर रखने को तैयार हूं।

अन्य बहुत सिफारिशें हैं जिनके सम्बन्ध में अन्य मन्त्रालयों को कार्यवाही करनी है। ऐसी सिफारिशों को कार्यवाही के लिए उन मंत्रालयों के पास भेजना है।

माननीय सदस्य चाहते थे कि वे निर्यात क्यों कर रहे हैं। क्या इससे उन्हें अधिक पैसा मिलता है? मैं सभा को बता सकता हूं टायर का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य उसके घरेलू मूल्य का एक तिहाई है। अत: निर्यात से वे पैसा नहीं कमा रहे हैं। लेकिन अन्य कई रियायतों के कारण वे अधिक निर्यात के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। वे टायरों का निर्यात इसलिए करते हैं ताकि उन्हें शुल्क रहित आयात की सुविधा मिल सके। घरेलू बाजार की अपेक्षा निर्यात बाजार में पैसे की वसूली अधिक होती है। टायरों का निर्यात ओ० जी० एल० के अन्तर्गत होता है। अत: यदि कोई उचित व्यक्ति टायर का आयात करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है।

एकाधिकार के बारे में मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि हम उसके पक्ष में नहीं बल्कि उसे समाप्त करने के पक्ष में हैं।

एक माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि यह मामला बार-बार बी० आई० सी० पी० को क्यों भेजा जा रहा है। एक बार यह बजट पेश किए जाने से पूर्व भेजा गया था क्योंकि मूल्य बढ़ रहे थे। हमें इसे इसलिए भेजना पड़ा ताकि पता चल सके कि क्या निर्माताओं द्वारा मूल्य बढ़ाना उचित है। बजट के बाद हाल ही में उनके द्वारा की गई मूल्य वृद्धि के कारण मामले को बी० आई० सी० पी० के पास भेजा गया है। अध्ययन चल रहा है। विशेषज्ञों का मत जाने बिना मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। मैं सभा को बता चुका हूं कि प्रतिवेदन के आधार पर जो भी कार्यवाही जरूरी होगी हम करने को तैयार हैं।

एक अन्य सदस्य जानना चाहते थे कि हम अधिक कर लगाए जाने की बात क्यों कर रहे हैं।

हम वित्त मंत्रालय से इस पर बात क्यों नहीं करते। जहां तक उत्पाद शुल्क का सम्बन्ध है, हमने वित्त मंत्रालय से बात की है। उत्पाद शुल्क में कुछ राहत दिये जाने की हमने दलील दी है। यदि जरूरी हुआ तो हम वित्त मंत्रालय से आगे और बात करेंगे।

———

6.48 म० प०

उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और देश के कुछ अन्य भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर हुए अत्याचारों, जिनके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अनेक व्यक्ति घायल हुए, के समाचार के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए आवंटित समय से तो हम पहले ही आगे चले गए हैं। लेकिन कुछ सदस्य इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे बहुत संक्षेप में बोलें।

प्रो० मिजिनलंग कामसन (बाह्यमणिपुर) : मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। लेकिन मैं वे बातें जरूर कहूंगा जो अन्य सदस्यों ने नहीं कही हैं।

आज हम स्वतंत्रता के 28 वर्ष पूरे कर रहे हैं। कल हम 39वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। संविधान के अनुसार हम धर्मनिरपेक्षता, भ्रातृत्व आदि बातों के प्रति वचनबद्ध हैं लेकिन दुर्भाग्य से भ्रातृत्व के इस सिद्धान्त के बावजूद हम देखते हैं कि लोगों के कुछ वर्गों पर अत्याचार किये जाते हैं। इस वर्ग को समानता का दर्जा प्राप्त नहीं जो शर्म की बात है। अत्याचारों में वृद्धि का भी समाचार है। प्रतिवेदन में भी कई बातें बताई गई हैं। अत्याचारों के अपराध में हत्या, बलात्कार, हमला, गम्भीर रूप से घायल करना, आगजनी तथा अन्य अपराध शामिल हैं जो भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। कल कई सदस्यों ने इनका उल्लेख किया था। अतः मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। यद्यपि कुछ सदस्यों ने अनुसूचित जातियों/जनजातियों के प्रति अपराराधों का उल्लेख किया है तथापि मैं उनका फिर से वर्णन करूंगा क्योंकि आज भी हम इन पर चर्चा कर रहे हैं। वर्ष 1984 में सबसे अधिक अपराध हुए। अनुसूचित जातियों पर 15,936 तथा अनुसूचित जनजातियों पर 4,223 अत्याचारों के मामले हुए। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि समस्या बहुत गम्भीर है। यद्यपि हम सोचते हैं कि

उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और देश के कुछ अन्य भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर हुए अत्याचारों, जिनके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अनेक व्यक्ति घायल हुए, के समाचार के बारे में चर्चा

14 अगस्त, 1985

[प्रो० मिजिनलंग कामसन]

लोकतंत्र में हम राजनीतिक आजादी के साथ-साथ सामाजिक आजादी तथा सामाजिक लोकतंत्र भी ला रहे हैं लेकिन हम इसमें असफल रहे हैं। अत: हमें पुन: कोशिश करनी चाहिए इन सामाजिक असमानताओं के कारण हमारा लोकतंत्र अपूर्ण है। असमानताओं, छुआछूत, अत्याचारों या दमन का सिद्धान्त लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। अत: हमें सरकार तथा जनता दोनों की तरफ से प्रयास करके इन अत्याचारों और असमानताओं को समाप्त करना है। मैं यही बताना चाहता था।

समयाभाव के कारण मैं वे सब बातें नहीं कह रहा हूं जो कहना चाहता था। फिर भी मैं पुन: स्मरण कराना चाहता हूं कि ये अत्याचार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, हरियाणा और पंजाब में हो रहे हैं। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल राज्यों में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों है। इन राज्यों में अत्याचार क्यों नहीं होते हैं, दूसरे राज्यों में क्यों होते हैं। यह केवल साम्प्रदायिकता का प्रश्न ही नहीं है, इसकी जड़ें गहरी हैं। समय होने पर मैं उनकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा अभी मैं अत्याचार किये जाने के मुख्य कारणों का उल्लेख करता हूं। ये कारण हैं, भूमि-विवाद, न्यूनतम मजदूरी, पुरानी शत्रुता, आदि। भूमि-विवादों के कारण 16 प्रतिशत अत्याचार होते हैं। उसके बाद न्यूनतम मजदूरी आती है। ये सभी प्रतिवेदन में दिये गये हैं। उसमें यह लिखा है :

> "भूतकाल में सवर्ण जातियों तथा उच्च वर्ग के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में इन समुदायों पर आर्थिक तथा सामाजिक प्रभुत्व रखते थे और उनका दमन करते थे। उन दिनों न्यूनतम मजदूरी या भूमि की अधिकतम सीमा का कोई प्रश्न नहीं उठता था।"

राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोगों में अभूतपूर्व जागृति उत्पन्न होने लगी। अत: नियोक्ता और कर्मचारी के बीच टकराव की स्थिति स्वाभाविकत: आई। यही मुख्य कारण था। जैसाकि मैंने अभी कहा है पूर्वी राज्यों में इस तरह के भ्रष्टाचार और सामाजिक भेदभाव नहीं होते हैं क्योंकि उनके इतिहास में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई हैं। मैं एक बार फिर गृह मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय जैसे पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में अनुसूचित जनजातीय रहते हैं किन्तु वे किसी प्रकार का अलगाव, सामाजिक असमानता आदि महसूस नहीं करते हैं। जब उन्हें पता लगता है कि देश की मुख्य भूमि के लोगों के कुछ वर्गों को इन विषमताओं का सामना करना पड़ रहा है तो वे महसूस करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में किस प्रकार समाज के एक बड़े हिस्से के साथ घुल-मिल सकते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें तो इस प्रकार का अनुभव नहीं है। अत: वे इस बारे में काफी सचेत हैं कि समाज में उनके साथ कैसा व्यवहार होगा। मंत्री महोदय को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि लोग इस प्रकार से महसूस न करें।

मैं इस बारे में कुछ सुझाव दे रहा हूं कि सरकार को इस दिशा में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में 6-9-1980 को कुछ मार्ग-दर्शी सिद्धान्त जारी किये थे किन्तु उनका सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि उन मार्गदर्शी सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाए।

दूसरे, मैं चाहता हूं मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अस्पृश्यता को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

इस बारे में कुछ सिफारिशें भी हैं। इनमें से एक है, आपराधिक मामलों को दर्ज करने और मामलों की उचित रूप से जांच करने के लिए एक विशेष कक्ष की स्थापना करना। मेरे विचार से अब तक इस सिफारिश पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया है।

दूसरी सिफारिश भी अस्पृश्यता के मामलों को जल्दी से निपटाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करना है। इस सिफारिश को भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि भूमि विवाद और जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम मजदूरी की मांग ही अत्याचारों के मुख्य कारण हैं। भूमि सम्बन्धी कानूनों में जो कमियां हैं या त्रुटियां हैं। उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं ताकि जमींदारों और मजदूरों में कोई लड़ाई न रहे।

जिस तरह से प्रधान मंत्री ने हाल में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के दूर-दराज के तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का दौरा किया है, मेरा सुझाव है कि सभी मंत्रियों को समय-समय पर सामान्य रूप से देश के सभी भागों का दौरा करना चाहिए ताकि दलित लोगों को कुछ प्रोत्साहन मिल सके।

मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि "अनुसूचित जाति" शब्द को हटाकर कोई अन्य शब्द प्रयुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि "अनुसूचित जाति" को अपमानजनक अर्थ में लिया गया है। और धार्मिक दृष्टि से यह एक कलंक माना जाता है। इसके स्थान पर कोई अन्य शब्द जैसे "अनुसूचित लोग" या "अनुसूचित श्रेणी" का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले लोगों की सूची तो वही रहेगी जो आज है।

मैं और भी अनेक सुझाव देना चाहता था किन्तु समय की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने सुझाव मंत्री महोदय को भेज सकते हैं।

7.00 म० प०

श्री चित मोहन (तिरूपति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे दो मिनट दिये हैं। मैं आपके सामने एक छोटा-सा सुझाव रख रहा हूं। मैं अपनी पार्टी के दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से एक सुझाव देना चाहता हूं। यह मेरी व्यक्तिगत राय है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 38 वर्षों के बाद भी पिछड़े वर्गों, हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार जारी हैं। हमने उन्हें 38 वर्ष तक आरक्षण दिया है जो पर्याप्त समय है। हमें 12 वर्ष तक और आरक्षण बनाये रखना चाहिए। यदि हम इस दिशा में सफल नहीं होते हैं तो हमें उनके लिए आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। तब हमें पिछड़े वर्गों, हरिजनों और आदिवासियों के लिए···*··· देना चाहिए। देखें उन्हें क्या होता है। मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूं···(**व्यवधान**)। मैं इसे फिर से कहता हूं, महोदय। पिछड़े वर्गों को···*···दिया जाना चाहिए। जिन्ना ने लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान पा लिया। पाकिस्तान बनने के समय हम सबने कहा था कि हम आपको बचाएंगे, हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हमने उस समय उनके साथ ये सभी वायदे किये थे। अब हमें उन्हें तंग करने और उन पर अत्याचार करने के बजाय···*···देना चाहिए। धन्यवाद।

7.01 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : महोदय, हम उनकी राय से सहमत नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : वह मजाक कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बापूलाल मालवीय (शाजापुर) : माननीय सभापति महोदय, हरिजनों के ऊपर अत्याचार के सम्बन्ध में इस समय जो चर्चा चल रही है, उसके लिए मुझे भी समय दिया गया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, अगर देखा जाए तो चर्चा में मुख्यतः तीन प्रदेशों के बारे में चर्चा हो रही है, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश···।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अभी माननीय सदस्य ने कहा कि "....*...चाहिए" अगर ऐसा कहीं रिकार्ड में आ गया हो तो वह एक्सपंज होना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं इसे देख लूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : उन्होंने यह बात गम्भीरता से नहीं कही।

श्री राम प्यारे पनिका : इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं देख लूंगा।

श्री एस० एस० भट्टम (विशाखापत्तनम) : वह दल के विचारों को व्यक्त नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इसे स्पष्ट कर दिया है। यह उनकी व्यक्तिगत राय है। हमारा दल इन विचारों से सहमत नहीं है।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बापूलाल मालवीय : सभापति महोदय, हरिजनों को अलग से स्थान दिया जाए, यह भावना गलत है। हरिजन हिन्दू समाज का अंग है, भारत के रहने वाले हैं और...।

श्री नारायण चौबे : भारत का अंग हैं।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी : महोदय, इसे भी कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री बापूलाल मालवीय : जहां तक मैं माननीय सदस्यों के विचारों को सुन रहा था, उनको सुनने के बाद मैंने महसूस किया कि उन्होंने कान्क्रीट सजेशन कुछ नहीं दिया, केवल यही भावना रही है कि हरिजन-आदिवासियों के लिए आंसू बहाएं और आंसू किस तरह से बहाएं जैसे मगर के आंसू होते हैं। वह जिस तरह ये आंसू बहाता है, उसी तरह से उसके आंसू बहते हैं। हरिजन-आदिवासियों के लिए कोई अच्छा सुझाव नहीं आया। मेरा सुझाव यह है कि हरिजन-आदिवासियों के लिए जो

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और देश के कुछ अन्य भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर हुए अत्याचारों, जिनके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अनेक व्यक्ति घायल हुए, के समाचार के बारे में चर्चा

14 अगस्त, 1985

[श्री बापूलाल मालवीय]

रिजर्वेशन रखा है, उस रिजर्वेशन की पूर्ति होनी बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं कि 35-36 साल स्वतंत्रता के बाद अभी भी रिजर्वेशन की पूर्ति नहीं हो पाई है और हम क्या देखते हैं, वह अन्याय देखते हैं कि कई सवर्ण लोग हरिजन-आदिवासी का सर्टिफिकेट लेकर नौकरियों में लग गए हैं। यह बहुत ही गम्भीर बात है। इसका मैं उदाहरण देता हूं, मध्य प्रदेश में देवास जब मैं गया तो एक व्यक्ति ने शिकायत की कि अमुक व्यक्ति हरिजन नहीं है और उसको नौकरी में रखा गया है, उसका परिणाम यह हुआ कि जांच तो नहीं हुई बल्कि शिकायत करने वाले को नौकरी से हटा दिया गया कि तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजन और आदिवासियों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। मेरे पास बंगलौर में जो टेलीफोन इंडस्ट्री है वहां से एक अर्जी आई है। वहां पर दो-तीन हजार आदिवासी हैं। उनके ऊपर सवर्ण लोग जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने मुझे लिखा है कि उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। उन्होंने कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री को रिपोर्ट भी की, लेकिन वहां की सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और हरिजन तथा आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है उसको रोके।

भारत अल्युमिनियम लिमिटेड, कोरबा, मध्य प्रदेश में एक कारखाना है। वहां के हरिजन तथा आदिवासी कर्मचारियों ने लिखकर भेजा है कि वहां के सवर्ण उन्हें परेशान कर रहे हैं और गालियां देते हैं। उनको जो प्रमोशन देना चाहिए वह भी नहीं देते हैं। हरिजन तथा आदिवासियों का जब प्रमोशन का सवाल आता है तो डी० पी० सी० भी नहीं बैठती और न ही उसकी मीटिंग बुलाई जाती है। डाइरेक्ट नियुक्तियां वहां पर हो जाती हैं। इसकी वजह से हरिजनों का हक मारा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि डाइरेक्ट नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सामाजिक दृष्टिकोण से आज हरिजनों की हालत बहुत खराब है। वे बुरी तरह से डिप्रेस्ड, सप्रेस्ड और नैगलेक्टेड हैं। शहरों में हमने देखा है कि सब मूंछें क्लीन हो गई हैं। लेकिन गांव में तीन तरह की मूंछें हैं। एक तो शेर टाइप, दूसरी करजन टाइप और तीसरी भेड़ टाइप। हमने देखा है कि हरिजन अगर शेर टाइप मूंछें रखते हैं तो उनको मारा जाता है। उनको कहा जाता है कि भेड़ टाइप यानी लटकती हुई रखिए। मैं चाहता हूं कि अस्पृश्यता की समस्या के साथ सख्ती से निपटा जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब आप जो भी बोलेंगे उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री बापूलाल मालवीय : ठीक है, मैं अब बैठता हूं।

23 श्रावण, 1907 (शक)

उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और देश के कुछ अन्य भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर हुए अत्याचारों, जिसके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अनेक व्यक्ति घायल हुए, के समाचार के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

* **श्री बी० एन० रेड्डी** (मिरयालगुडा) : सभापति महोदय, मुझे केवल 5 मिनट दिये गये हैं। इसलिए मैं केवल करमचेडु घटना का उल्लेख करूंगा।

महोदय मैं आरम्भ में करमचेडु में हरिजनों की बर्बर हत्या की निंदा करता हूं। 6 हरिजनों को मार डाला गया और अन्य अनेक घायल हुए। मैं इस माननीय सदन के माध्यम से अपनी पार्टी भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की ओर से तथा अपनी ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।

राज्य सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है। आशा है कि रिपोर्ट जल्दी दे दी जाएगी और इस बर्बरतापूर्ण अत्याचार के लिए जिम्मेदार लोगों को दण्ड दिया जाएगा।

यह बात अत्यन्त निंदनीय है कि राज्य में कुछ कांग्रेस-आई नेता इस घटना से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के ये लोग उसे साम्प्रदायिक रंग देकर वास्तविक मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। महोदय, वास्तविक लड़ाई अमीर जमींदारों और गरीब हरिजनों के बीच है। गरीब हरिजनों के मारे जाने का कांग्रेस-आई लाभ उठाने की कोशिश कर रही है और इस घटना को बहाना बनाकर उस राज्य में सरकार के लिए मुश्किल पैदा करने की कोशिश कर रही है। ये लोग जमींदारों के अत्याचारपूर्ण रवैये को साम्प्रदायिक रंग देकर, उस पर पर्दा डाल रहे हैं।

महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि इस दारुण और निर्मम घटना के शिकार लोगों को सभी सम्भव सहायता की जाए। उन सभी लोगों को जो इस घटना के शिकार हुए हैं, समुचित मुआवजा दिया जाए। एन० टी० आर० सरकार पीड़ितों की सहायता के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयत्न कर रही है। दुर्भाग्यवश राज्य में कांग्रेस के लोग राहत कार्यों में अड़चनें डाल रहे हैं। राज्य में कांग्रेस के लोगों का यह रवैया अत्यन्त निंदनीय है।

महोदय, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती राम दुलारी सिन्हा ने करमचेडु का दौरा किया है। हमें उनके वहां जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। वह गृह मंत्री हैं और इस नाते उन्हें वहां का दौरा करने का अधिकार है किन्तु निंदनीय बात यह है कि उन्होंने इस तरह व्यवहार किया जो उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने अपने दौरे के दौरान केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप करने की धमकी देकर काफी विवाद पैदा कर दिया है। गरीब हरिजनों की भावनाओं को शांत करने और राज्य सरकार की

---

* तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और देश के कुछ अन्य भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर हुए अत्याचारों, जिनके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अनेक व्यक्ति घायल हुए, के समाचार के बारे में चर्चा

14 अगस्त, 1985

[श्री बी० एन० रेड्डी]

राहत कार्यों में सहायता करने के बजाय उन्होंने इस दौरे को एन० टी० आर० सरकार को धमकी देने के लिए इस्तेमाल किया। वह वहां विरोधी पार्टी द्वारा चलाई जा रही सरकार को मुश्किल में डालने के लिए ही गई थीं। कांग्रेस-आई का एकमात्र उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि छोटी से छोटी बात पर भी विरोधी पार्टी द्वारा चलाई जा रही सरकारों के लिए कठिनाई पैदा की जाए।

कांग्रेस द्वारा दिखाई गई सहानुभूति बनावटी है। उसकी हरिजनों के हित में कोई रुचि नहीं है। करमचेडु में हरिजनों के प्रति दिखाई गई सहानुभूति वास्तव में नहीं है। ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। हम भली प्रकार से जानते हैं कि जब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का सरकार थी तो उसने हरिजनों के लिए क्या किया था। वेंगलराव की सरकार ने उग्रवादियों के नाम पर हजारों निर्दोष लोगों की हत्याएं करवाई थीं। अतः यह अजीब बात है कि कांग्रेस के वही लोग अब हरिजनों के हितैषी बन रहे हैं।

महोदय, जनता पार्टी के 2½ वर्ष के शासन काल का छोड़कर स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही है। पिछले 38 वर्षों में उन्होंने हरिजनों के लिए क्या किया है ? वे कुछ भी नहीं कर पाए हैं। वास्तविक मुद्दा हरिजनों और सामंतों के बीच संघर्ष है। हरिजनों को न्याय दिलाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि भूमि सुधारों को क्रियान्वित किया जाए। भूमि सुधारों से हरिजनों को अपने पैरों पर खड़े होने और जमींदारों के शिकंजे से निकलने में काफी सहायता मिलेगा। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि केन्द्र सरकार भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में बुरी तरह से असफल रही है। यदि केन्द्र सरकार हरिजनों को जमींदारों के क्रूर हाथों से बचाने में ईमानदार है तो उसे कम से कम अब तो भूमि सुधारों को तत्काल लागू करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

मैं चाहता हूं कि विरोधी पार्टियों के सदस्यों को उपदेश देने की बजाय सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य अपनी सरकार से पूछें कि उसने इतने वर्षों में हरिजनों और गिरिजनों को जमींदारों के शिकंजे से आजाद कराने के लिए क्या किया है।

मुझे बोलने के लिए अवसर देने का धन्यवाद। मैं भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पी० के० थुंगन (अरुणाचल पश्चिम) : सभापति महोदय···

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण 5 मिनट में समाप्त कर लीजिए।

श्री पी० के० थुंगन : मैं इससे भी कम समय में समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

महोदय, यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। जैसाकि अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है, यह

23 श्रावण, 1907 (शक)

उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और देश के कुछ अन्य भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर हुए अत्याचारों, जिनके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अनेक व्यक्ति घायल हुए, के समाचार के बारे में चर्चा

पूरे राष्ट्र के लिए लज्जा की बात है कि हमारे देश के कुछ भागों में लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। मुख्य बात तो हमें समझनी है, वह यह है कि लोगों को पूरी तरह से अवगत रखा जाना चाहिए और उन्हें यह भलीभांति जान लेना चाहिए कि जाति-प्रथा है क्या ?

जैसाकि आपको मालूम है और जैसाकि कुछ सदस्यों ने बताया है। जाति-प्रथा का उद्भव मनु-स्मृति से हुआ किन्तु मनु-स्मृति कहती क्या है ? यदि आप मनु-स्मृति का गहराई से अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि उसमें लिखा है कि जो शासन करता है वह क्षत्रिय है, जो अध्ययन करता है और पूजा करता है, वह ब्राह्मण है, जो व्यापार में लगे हैं, वे वैश्य हैं तथा शेष शूद्र हैं।

क्या मनु स्मृति में कहीं महिलाओं के बारे में उल्लेख किया गया है या नहीं। इसलिए, यदि हम विश्लेषण करने की चेष्टा करें तो हम पाएंगे कि महिला सहित शेष सभी व्यक्ति शूद्र की श्रेणी में आते हैं। मनु स्मृति के अनुसार बच्चे भी शूद्र हैं।

लोग इन बातों को नहीं समझ सके हैं। और इसीलिए, कुछ वर्ग के लोगों ने जनता की अज्ञानता का लाभ उठाया और लोगों में मतभेद पैदा कर दिया।

आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि शिक्षित वर्ग के लोगों में यह मतभेद बहुत कम है। किन्तु यह भावना विशेषकर सुदूर, दूरवर्ती और पिछड़े क्षेत्र में व्याप्त है और कुछ वर्गों के लोग अपने हित के लिए इन मत भेदों का लाभ उठाते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मनु स्मृति की आलोचना करने के बजाय, उसका गम्भीरता से अध्ययन करना चाहिए।

(व्यवधान)

अब मैं संविधान पर आता हूं। सभी पहलुओं का समुचित अध्ययन करने के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने हम सभी को समान अवसर दिए हैं। सभी लोगों को और समाज के हर वर्ग के लोगों को समान अवसर दिए गए हैं। इससे उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार तरक्की करने का अवसर मिलता है।

आपको ज्ञात होना चाहिए कि मनु स्मृति में इसी बात पर बल दिया गया है।

इसलिए, यदि हम संविधान को समझना चाहते हैं; तो हमें मनु स्मृति को समझना होगा। संविधान के अनुसार हम सभी को समान अवसर प्राप्त हैं। तदनुसार व्यक्ति अपनी क्षमता व योग्यता

[श्री पी० के० थुंगन]

से ब्राह्मण, शिक्षा शास्त्री, शासक, प्रधान मन्त्री, मन्त्री, मुख्य मन्त्री या क्षत्री बन सकता है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : बीच में बात न करें। आप, कृपया बोलते रहिए। अन्य सदस्य क्या कहते हैं, उस पर कोई ध्यान न दीजिए।

(व्यवधान

श्री पी० के० थुंगन : मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जैसा कि मैं कह चुका हूं कि खामियों के कारण कुछ वर्ग के लोगों को हीन समझा जाता है, इसीलिए, संविधान में उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। उनमें से कुछ नव बौद्ध बन गए हैं जो हरिजन हैं किन्तु चूंकि उन्होंने नया धर्म अपना लिया है, इसलिए अनेक राज्यों में उन्हें ऐसी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। न केवल केन्द्रीय सरकार अपितु राज्य सरकारों को भी इसके बारे में सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए और उन्हें समुचित सुविधाएं दी जानी चाहिएं।

दूसरे हमारे यहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग है। इस मामले में न तो केन्द्रीय सरकार का इरादा बुरा है और न ही राज्य सरकारों का। केवल कमी कार्यान्वयन की है कि इन बातों की न तो ठीक ढंग से निगरानी की जाती है और न ही उनका पर्यवेक्षण किया जाता है···

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करने की चेष्टा करें।

श्री पी० के० थुंगन : मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं जिस पर गृह मंत्री, महोदय को ध्यान देना चाहिए।

जो सुविधाएं दी जाती हैं, उन्हें ठीक ढंग से, उचित परिप्रेक्ष्य में तथा निष्ठापूर्वक कार्यान्वित किया जाए। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में कुछ सदस्यों की नियुक्ति की जानी अभी शेष है। इस आयोग में ऐसे ही लोगों की नियुक्ति की जाए जो वास्तव में इसके लिए समर्पित हों तथा जो वास्तव में सक्रिय हैं। मैं गृह मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि इस समय दो बहुत कर्मठ सदस्य जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं···

उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और देश के कुछ अन्य भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर हुए अत्याचारों, जिनके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अनेक व्यक्ति घायल हुए, के समाचार के बारे में चर्चा

सभापति महोदय : अब आप अपनी अन्तिम बात कहें।

श्री पी० के० थुंगन : अगला मुद्दा आरक्षण के बारे में है। आपको पता ही है कि आरक्षण के बारे में एक निश्चित कोटा है, जिसे भरना पड़ता है। किन्तु हमारे देश के कुछ भागों में आरक्षण के नाम पर आन्दोलन आरम्भ हो गए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के मन में यह भय व्याप्त हो रहा है कि हो सकता है यह कोई षडयन्त्र हो, यदि उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर में 1990 तक सुधार न हो पाया तो यह सम्मानीय सभा इस सुविधा को भविष्य में और आगे न बढ़ाएगी। इसलिए, सरकार को इन लोगों की सुरक्षा करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के मस्तिष्क में ऐसी भावना न व्याप्त हो।

मैं एक और मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं जो बहुत ही संवेदनशील हैं। महोदय, आप तथा गृह मंत्री महोदय कृपा करके उस पर ध्यान दें। यह मेरा अपना अनुभव है कि प्रायः यह देखा गया है कि अधिकारियों को तैनात करते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के साथ न्याय नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार के मन्त्रालयों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के कितने अनुसुचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारी हैं? क्या उन्हें हमारी कार्य-प्रणाली में भागीदार बनाया जा सकता है? क्या उसमें केवल संसद सदस्य और मन्त्रीगण ही भाग ले सकते हैं? हमारी प्रणाली में अधिकारीगण यदि अधिक नहीं तो, कम से कम बराबर के उत्तरदायी तो हैं ही। इसलिए अधिकारियों को तैनात करते समय उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए।

चूंकि अब समय नहीं है, इसलिए अब मैं अन्तिम मुद्दा लूंगा। अनेक सदस्य इसका उल्लेख कर चुके हैं। उन निदेशों के बारे में मैं विशेष रूप से माननीय गृह मन्त्री के समक्ष एक प्रश्न रखना चाहूंगा, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों में से संवेदनशील क्षेत्रों में जिला मजिस्ट्रेटों के पद पर तथा विशेष न्यायालयों के लिए तैनात करने के लिए 1980 में जारी किए गए थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने राज्यों ने उन्हें स्वीकार कर लिया है तथा कितनों ने नहीं किया है। यदि उन्होंने स्वीकार नहीं किया है; तो क्यों नहीं किया है। ऐसी स्थिति में आप संवैधानिक संशोधन के बारे में विचार अथवा पुनर्विचार कर रहे हैं अथवा कोई ऐसा तरीका निकालने के बारे में विचार कर रहे हैं जिससे उन्हें उन निदेशों का पालन करने के लिए विवश किया जा सके।

महोदय, मेरे पास अनेक सुझाव हैं। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से मुझे अन्य सुझाव भी देने हैं।

सभापति महोदय : आप उन्हें लिखित रूप में गृह मन्त्री महोदय के पास भेज दीजिए।

श्री पी० के० थुंगन : चूंकि आपके पास समय नहीं है अतः मैं माननीय मन्त्री से मिल लूंगा और उन्हें लिख कर दूंगा। धन्यवाद!

उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और देश के कुछ अन्य भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर हुए अत्याचारों, जिनके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अनेक व्यक्ति घायल हुए, के समाचार के बारे में चर्चा

14 अगस्त, 1985

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि 5 घंटे बहस कल भी हो चुकी है और आज भी हो रही है। इस बीच में बार-बार एक चीज दोहरायी जा रही है। आप एक अल्लामां इकबाल का शेर सुन लें :—

"एक ही सफ में खड़े हो गये महमूद व अयाज,
न कोई बन्दा रहा और न कोई बन्दा नवाज।"

अभी हमारे अन्दर यह स्पिरिट पैदा नहीं हुई है, जिसको कि अल्लामामियां इकबाल ने कहा है। शेडयूल्ड कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब को अभी भी बड़ी कौमें नफरत की निगाह से देखती हैं। एक मुसलमान कौम है जो कि एक तबके में खड़ी होती है। वहां यह सवाल नहीं उठता है कि कौन पठान है, कौन शेर और कौन सैयद है, सब एक ही जगह खड़े होते हैं, एक ही थाली में खाना खाते हैं और एक ही गिलास में पानी पीते हैं। अभी भी कास्टीज्म इस हिन्दुस्तान के अन्दर इतना सरगर्म है कि यह एक कैंसर और दीमक के समान बना हुआ हिन्दुस्तान के लिये है। एक मुसलमान कौम ही है जहां कोई तफरका नहीं है। ···(**व्यवधान**)···

श्री सी० माधव रेड्डी : यह हिन्दू मुसलमान की बात कहना ठीक नहीं है।

(**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : यह मुसलमान कौम की फिलौसफी है कि हम एक ही थाली में खाते हैं। अभी भी बड़ी कौमें छोटी कौम वालों को मुंह नहीं लगाती हैं, मंदिरों में नहीं जाने देतीं। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को अभी तक बहुत दबाया जा रहा है। अनटेच्येबिलिटी ऐक्ट जो बना है, उसका आज तक कितना पालन हुआ है, कितने चालान हुए और क्या सजायें दी गई, सिवाय जुर्माना के क्या किया गया। या 3 या 6 महीने की सजा ही की गई।

हमें शेड्यूल्ड कास्ट के भाइयों ने कहा कि हमको मंदिर में नहीं जाने दिया, हमको फलां जगह नहाने नहीं दिया, फलां जगह जाने नहीं दिया गया। मैं देहात में जिन्दगी बसर करता हूं। मैंने स्वयं इसको देखा हैं, उनके साथ बहुत ज्यादतिया हो रही हैं। अभी भी उनको जमादार और मेहतर के नजरिये से देखा जा रहा है।

एजूकेशन पर आ जाइए। यह सरकार सब काम कागज पर कर रही है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, सब कुछ आन पेपर है कि हमने इतना कर्जा बंटवा दिया। लेकिन कितना कर्जा उनको मिला ? 5 हजार रुपया कर्ज उनको लेना होता है तो चार हजार मिलता है। वह बड़े गरीब लोग हैं।

1 हजार रुपया तो आप बाबू साहबान ले जाते हैं और उनकी हिम्मत नहीं होती कि वह शिकायत कर सकें। पुलिस स्टेशन में वह रिपोर्ट लिखाने के लिए नहीं जा सकते। वह लोग इतना डरते हैं। यह जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी हुई है, उसको वोट लेना है। लिहाजा कागज पर वह दिखाते हैं।

कल एक एतराज हुआ था एन० टी० रामाराव के ऊपर। वहां क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में यह नहीं हो रहा है। किस किस तरह से वहां मजालिम किए जा रहे हैं, किस किस तरीके से उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, उनको जलील किया जाता है। यह उनका कांस्टीच्यूशनल राइट है और 18 मार्च सन् 81 को इसी हाउस में यूनानिमसली तय हो चुका था यह रिजर्वेशन का प्वाइंट और पूरे हाउस ने खड़े होकर इस चीज को एक मत से तय किया था। इसकी हिस्ट्री में दो ही एक चीजें ऐसी हुई हैं। एक चाइना के मसले पर भी पूरे हाउस ने एक रेजोल्यूशन सबने मिलकर पास किया था और इसी तरह से 18 मार्च, 1981 को शेड्यूल्ड कास्ट ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का रिजर्वेशन का कानून यहां पर इसी तरह से पास हुआ।

आज जो ज्यादतियां शेड्यूल्ड कास्ट के साथ हो रही है उनको मद्दे नजर रखते हुए उनको फैसिलिटीज दी जाए। अब कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूं, उनको सुन लें। एक तो यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट एन्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए एक अलाहिदा मिनिस्ट्री खोली जाये। इसका जिक्र पहले भी आया है और यह बहुत बड़ा प्राबलम है। इस तरह से इसको आप दबा नहीं सकेंगे। ···(व्यवधान) ···ये 86 परसेंट हैं। ···(व्यवधान) ···सब मिलाकर ये 86 परसेंट हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता है। इनकी एक आवाज उभरेगी, इनमें एक चेंज आयेगा, एक इन्कलाब आयेगा हिन्दुस्तान के अन्दर जो इनको आज दबाया जा रहा है। तो एक तो यह है कि इनकी एक अलग मिनिस्ट्री खोली जाये।

दूसरा यह है कि ऐंटी रिजर्वेशन मूवमेंट को सख्ती से दबाया जाये। तीसरा यह है कि जिन-जिन अजला में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेज पर मजालिम होते हैं और वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस० एस० पी० जो रहते हैं उनकी मौजूदगी में मजालिम होते हैं, उनको वहां से ट्रांसफर किया जाये अगर वह कंट्रोल नहीं कर सकते और उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाये। चौथा यह है कि एक सेल बनाया जाये, एक फोर्स बनायी जाये अलाहिदा शेड्यूल्ड कास्ट ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जिसमें ज्यादातर रेप्रेजेन्टेसिव उन्हीं कौमों के हों। चौथा यह है कि सरकारी नौकरियों में जो अभी उनका कोटा बाकी रह गया है वह पूरा किया जाये और उनको हर किस्म के इन्सानी हकूक दिये जायें। उसमें जाति-पांति का सवाल नहीं होना चाहिए।

मैंने जो कहा था उस पर हमारे एक सीनियर साथी ने एतराज प्रकट किया था। लेकिन उसमें हिन्दू मुसलमान का कोई सवाल नहीं था। मैंने एक शेर कहा था, उसका मतलब यही था कि हम लोगों में एक ऐसी चीज है जो आपमें नहीं है।

श्री माणिक राव होडल्या गावीत (नन्दरबार) : मान्यवर, हरिजनों और आदिवासियों

[श्री माणिक राव होडल्या गावीत]

पर जो हमारे देश के सभी राज्यों में अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, कल से हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने सबकी बातें ध्यान से सुनी हैं। हमारे महाराष्ट्र में आरक्षण का फायदा जो गैर-आदिवासी हैं वह ले रहे हैं, यह बहुत बड़ा अत्याचार है जो आदिवासियों के नाम पर हरिजन यह फायदा उठा रहे हैं और आदिवासी यह फायदा उठा रहे हैं। वह जाति कोली सूर्यवंशी, कोने मच्छीगार और टोकरे कोली के नाम पर आरक्षण का फायदा उठा रही है। दूसरी जाति जो ठाकुर जमींदार हैं वह भी, जो लंगोटी लगाने वाले ठाकुर हैं, उनके नाम पर आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। तीसरी जाति जो हलवा लोग आदिवासी हैं वे हल्वा कुष्टी के नाम पर आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा मन्ना वगोरे जाति के लोग मन्नेवार के नाम पर आदिवासियों का फायदा उठा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे इसकी जांच करवाने की कृपा करें।

दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में गैर आदिवासी लोग आदिवासी के नाम पर मैडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज में एडमीशन ले रहे हैं। कोई व्यक्ति आदिवासी है या नहीं इसके सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन का काम डायरेक्टर ट्राइबल रिचर्स करते हैं। इस निर्णय के पश्चात् छात्र के पिता या अन्य लोग एडीशनल कमिश्नर (ट्राइबल) नासिक के दफ्तर में अपील दाखिल करते हैं और वहां पर आदिवासी होने का सर्टिफिकेट मिलाते हैं। इस प्रकार से आदिवासियों के आरक्षण का फायदा गैर-आदिवासी उठा रहे हैं जोकि आदिवासियों पर एक बहुत बड़ा अन्याय व अत्याचार है। आदिवासियों के नाम पर एम० एल० ए० व संसद सदस्य व अन्य रिजर्वेशन की सीटों पर भी चुनाव गैर-आदिवासी लड़ जाते हैं। इसी प्रकार से पेट्रोल पम्प या गैस एजेंसीज के लिए गैर-आदिवासी जो हैं वे आदिवासियों के नाम पर एप्लीकेशन देते हैं और इस प्रकार से आदिवासियों पर बड़ा अन्याय करते हैं।

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इन बातों की ओर दिलाते हुए प्रार्थना करता हूं कि इन बातों की पूरी जांच होनी चाहिए और इन अन्यायपूर्ण बातों को बन्द किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : सभापति महोदय, अपने स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिये हमारे पास केवल चार घंटे का समय रह गया है। यह वास्तव में विडम्बना और व्यंग्यपूर्ण है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर बढ़ते हुए अत्याचारों की घटनाओं पर हम यहां चर्चा करते हैं। मेरे विचार से यह विषय राष्ट्रीय लज्जा की बात है। लज्जा की इस भावना को सभी राजनैतिक दलों को—चाहे वे सत्ताधारी हों अथवा विरोधी—महसूस करना चाहिये।

महोदय, मैं उन लोगों में से एक हूं जो यह विश्वास करते हैं कि इस मामले पर दुराग्रहपूर्ण

रवैया न अपनाया जाये। आंकड़ों का अध्ययन करने पर पता चलेगा कि देश में अत्याचारों के आंकड़े भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न हैं। जो दल के आधार पर नहीं हैं। अपितु विभिन्न राज्यों की सामाजिक स्थिति के अनुरूप हैं। आप देखेंगे कि देश के अन्य भागों की तुलना में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में अत्याचार अधिक संख्या में होते हैं। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश में कांग्रेस तथा तेलगु देशम् पार्टी दोनों की सत्ता रही है। दलों के बदल जाने से आंध्र प्रदेश में ऐसी घटनाओं में कोई अन्तर नहीं पड़ा। वही स्थिति उत्तर भारत के राज्यों की है। जनता पार्टी तथा कांग्रेस दोनों ही वहां सत्तारूढ़ रही हैं। वहां अत्याचारों की घटनाओं में इससे कोई अन्तर नहीं पड़ा। आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों पर हुए अत्याचारों की कुल संख्या 1980 में 152 थी, 1981 में 206, 1982 में 243 और 1983 में, तेलगु देशम् पार्टी के सत्तारूढ़ होने के बाद 181 थी। मुझे बहुत खेद है कि तेलगु देशम् पार्टी के सत्तारूढ़ होने के बाद भी अत्याचारों की संख्या पर्याप्त कम नहीं हुई है। किन्तु मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राजनैतिक दलों की स्थिति के कारण उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता है, किन्तु उसके साथ ही मुझे इस बात का भय है कि कुछ राजनैतिक दल कुछ वर्गों के लोगों से प्रभावित हैं। उदाहरण के तौर पर बिहार को लीजिये। 1980 में वहां अत्याचारों की 1890 घटनायें घटी थी। मध्य में 3.877 और उत्तर प्रदेश में 4279 थीं। हर वर्ष अत्याचारों की घटनाएं घटती रही। सारे तथ्य और आंकड़े बताकर मैं अपने भाषण से आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता हूं। अनुसूचित जन जातियों के मामलों में भी वही स्थिति है। अनुसूचित जनजाति के मारे गये लोगों के बारे में भी वही स्थिति है। 1984 में आंध्र प्रदेश में सितम्बर 1984 तक अनुसूचित जाति के 17 व्यक्ति मारे गये थे। बिहार में मई 1984 तक, अनुसूचित जाति के 95 व्यक्ति मारे गये थे। मध्य प्रदेश में, नवम्बर, 1984 तक अनुसूचित जाति के 118 व्यक्ति मारे गये थे। हमारे प्रधान मन्त्री के राज्य, उत्तर प्रदेश में नवम्बर, 1984 तक अनुसूचित जाति के 213 व्यक्ति मारे गये थे।

महोदय, 1977 में ठीक उस समय जब जनता पार्टी सत्ता में आई थी; बेलची में एक भयानक काण्ड हुआ। डकैतों के एक दल ने वह अपराध किया था। वस्तुतः उस समय हमारी स्वर्गीया प्रधान मंत्री हाथी पर बैठकर वहां गई थीं। किन्तु जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसी प्रकार घटनायें साधूपुर और देवली में घटी थीं। उस समय केन्द्रीय स्तर का कोई नेता* तक वहां गया तक नहीं। महोदय, यही समय है जबकि हम लोग इस गम्भीर राष्ट्रीय आपदा को राजनैतिक रंग देना बन्द किया जाये।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : सभापति महोदय, यह बहुत ही असंसदीय भाषा है, इसलिए इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

* अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

[अनुवाद]

श्री राम प्यारे पनिका : महोदय, श्री रेड्डी ने * शब्द का जो इस्तेमाल किया है, वह असंसदीय है। (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैंने किसी भी व्यक्ति को *··· या हाथी नहीं कहा है।

श्री राम प्यारे पनिका : महोदय, यह असंसदीय है और इसे कार्यवाही वृत्तांत से अवश्य निकाल दिया जाए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं इसकी जांच-पड़ताल करूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, जांच-पड़ताल करने की कोई बात नहीं है।

सभापति महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है; और मैं उसकी जांच-पड़ताल करूंगा !

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, कर्मचेदू में जो घटना हुई और पुनः चार महीने के भीतर जो घटना कानपुर जिले में घटी, उनको देखकर आंध्र प्रदेश से सदस्य चुने जाने के नाते, मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। इस प्रश्न पर मैंने अभी-अभी सचेत होने की बात कही है और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इस पूरे मामले को राजनैतिक रंग न दिया जाए। गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्रीमती सिन्हा आंध्र प्रदेश गई थीं। वस्तुतः हममे से कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : उनको जाने का पूरा अधिकार है।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमें उनके दौरे पर कोई आपत्ति नहीं है किन्तु जिस ढंग से उन्होंने दौरा किया उस पर हमें आपत्ति है। मैं गृह मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या···उन्होंने सूचना दी थी।

*अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

23 श्रावण, 1907 (शक)

उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और देश के कुछ अन्य भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर हुए अत्याचारों, जिनके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अनेक व्यक्ति घायल हुए, के समाचार के बारे में चर्चा

[हिन्दी]

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : सूचना गई थी।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं नहीं चाहता कि गृह मंत्री महोदय अपने स्थान से उठे बिना ही मुझे परेशान करें। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस स्थान का दौरा करने से पूर्व क्या उन्होंने राज्य सरकार को सूचना भेजी थी। क्या यह सच है कि जातीयता के नाम पर उन्होंने आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्य मंत्री को दोषी ठहराया था; और क्या उन्होंने इस बात की धमकी दी थी आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप करेगी ? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1984 में केन्द्रीय सरकार ने हस्तक्षेप किया था और आपको याद होगा कि 1984 में किए गए उस हस्तक्षेप का क्या परिणाम हुआ था ? आंध्र प्रदेश में कांग्रेस (इ) की स्थिति डांवाडोल हो गई है और यदि आप फिर हस्तक्षेप करना चाहते हैं, तो मुझे इसमें बिल्कुल आपत्ति नहीं है बल्कि मैं तो इसका स्वागत करूंगा क्योंकि ऐसा करने से कांग्रेस (इ) का राष्ट्रीय स्तर पर भी वहां से बिल्कुल सफाया हो जाएगा।

मेरा कहना यह है कि आपको इस प्रश्न पर सहमति प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि मुख्यतया यह एक सामाजिक-आर्थिक मामला है और मैं इस पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

जब कभी भी ऐसी बड़ी घटना में हरिजन या गिरिजन परिवारों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि इन अत्याचारों की न्यायिक जांच अनिवार्यतः होनी चाहिए। जो जिला न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। हमें इस बात पर मतैक्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यह एक सामाजिक समस्या है। अतः, मैं यह सुझाव देता हूं कि सरकार को यह सुनिश्चित करने हेतु कोई कानून बनाना चाहिए कि पुजारियों के व्यवसाय में अनुसूचित जातियों को कुछ कोटा प्रदान किया जाए। जब तक हरिजनों को मन्दिरों की दिनचर्या के संदर्भ में पूर्ण समानता नहीं दी जाती है तो मैं नहीं समझता कि इस सामाजिक बुराई को समाप्त किया जा सकता है।

अब गृह मन्त्री महोदय इस पर घड़याली आंसू बहा रहे हैं, परन्तु मैं एक अन्तिम प्रश्न पूछना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त का पद गत डेढ़ वर्ष से क्यों रिक्त पड़ा हुआ है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, हरिजनों के ऊपर अत्याचार का मामला किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी या एक वर्ग के लिए दुःख की बात नहीं है बल्कि हम सबके लिए

उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और देश के कुछ अन्य भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर हुए अत्याचारों, जिनके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अनेक व्यक्ति घायल हुए, के समाचार के बारे में चर्चा

14 अगस्त, 1985

[श्री हरीश रावत]

और सारे देश के लोगों के लिए और बुद्ध और गांधी के देश के लोगों के लिए निहायत ही शर्म की बात है। हरिजनों के ऊपर अत्याचार अधिकांशतः उन राज्यों में होते हैं, जो राज्य सामन्तवादी व्यवस्था के प्रभाव में रहे हैं और जहां पर जाति पाखंड का प्रभाव ज्यादा रहा है। जो वर्ण व्यवस्था है, उसको हम सामाजिक चेतना से खत्म कर सकते हैं। और उसको कानून बनाकर समाप्त नहीं किया जा सकता है। आज सरकार के प्रयत्नों से हरिजनों में जो आर्थिक उन्नयन की चेतना पैदा हुई है, उसको ले करके एक वर्ग विशेष के आर्थिक हितों को चोट पहुंची है, और जिस वर्ग विशेष के आर्थिक हितों को चोट पहुंचा रही है। वही वर्ग हरिजनों पर अत्याचार कर रहा है। जब हरिजन अपना अधिकार मांगते हैं तो उनके ऊपर चोट करने की कोशिश की जाती है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे ऐसे इलाकों, ऐसेक्षेत्रों को आईडेन्टिफाई करें जहां हरिजनों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं।

जहां हरिजनों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं, आप पाएंगे वे ऐसे क्षेत्र हैं जहां भूमि सुधार कड़ाई से लागू नहीं किए गए। वे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हरिजन दबे हुए हैं और सरकार उनको उठाने का प्रयत्न कर रही है, उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चला रही है, वहां उन पर ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे क्षेत्रों में आप ऐसे अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त करें जोकि हरिजनों के उत्थान के लिए कमिटिड हों, जो आपकी नीतियों के लिए कमिटिड हों, जो भूमिसुधारों के लिए कमिटिड हों।

अभी बहुत समय बीत चुका है, यह भी एक प्रकार का अत्याचार होगा, अगर इस वक्त ज्यादा बोला जाए।

इस सदन में हरिजनों के मामले पर अनेक बार चर्चा हुई है और कांग्रेस पार्टी के मेम्बरों ने अपनी सरकार की आलोचना की है। आज भी जो कार्यवाही हुई या कल हुई उस सारी कार्यवाही को अगर आप पढ़ेंगे तो पायेंगे कि हमारी पार्टी के मेम्बरों ने अपनी सरकार की आलोचना करने में कहीं पर कोई कमी नहीं रखी है। मगर हमारे विपक्ष के मित्रों ने, जिनमें हरिजनों के लिए नया-नया प्रेम जागा है, कांग्रेस के मेम्बरों पर कीचड़ उछालने की कोशिश की और यह सिद्ध करने की कोशिश की कि कांग्रेस के लोगों में हरिजनों के प्रति कोई प्रेम नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस का प्रेम हरिजनों के प्रति हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के काल से चला आ रहा है। महात्मा गांधी, पं० नेहरू आदि इन सब लोगों ने हमेशा हरिजनों के उत्थान और गरीबी के उत्थान को स्वतन्त्रता संग्राम से जोड़े रखा। देश के स्वतन्त्रता आंदोलन से लेकर जब तक वे जीवित रहे, किसी ने महात्मा गांधी से, पं० जवाहर लाल नेहरू से, श्रीमती इंदिरा गांधी से उनकी जाति नहीं पूछी, श्री राजीव गांधी से भी कोई उनकी जाति नहीं पूछ सकता है क्योंकि उनकी जाति मानवता है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग हैं सबको यही संस्कार मिले हैं और वे इन्हीं संस्कारों में पले और बड़े हुए हैं।

अब महज यह कह देना कि श्रीमती राम दुलारी सिन्हा आंध्र क्यों गई उचित नहीं होगा। श्रीमती राम दुलारी सिन्हा कांग्रेस की हैं। उनमें कांग्रेस की सरकारें हैं। वे एक महिला भी है। उनके दिल में आंध्र के हरिजनों के लिए भी वही प्रेम है जो कि उनके दिल में बिहार के गिरिजनों हरिजनों के लिए है। अगर बिहार में गिरिजनों पर अत्याचार हुए तो वे वहां पर भी गईं, आंध्र में पर अत्याचार हुए तो वे वहां पर भी गईं। मेरे मित्रों को इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। हम हरिजनों पर अत्याचार और उनके कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में चर्चा कर रहे हैं। ऐसे मौके पर ऐसी बातें कह कर वे इस विषय को डाइल्यूट करने का प्रयत्न न करें।

अन्त में मैं कहूंगा कि जहां पर भी हरिजनों पर अत्याचार होते हैं वहां की सरकारों को चाहे वे कांग्रेस की सरकारें हों, उनको मजबूती से दबाने की कोशिश करनी चाहिए।

[अनुवाद]

* **श्री चिन्तामणि जेना** (बालासोर) : सभापति महोदय, वाद-विवाद के अन्त में बोलने का अवसर प्रदान करसे के लिए, मैं आपका आभारी हूं। महोदय, मैं अपनी मातृभाषा उड़िया में बोलना पसन्द करूंगा, जिसकी सूचना मैं पहले ही दे चुका हूं।

सभापति महोदय, हम कल से ही नियम 193 के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर किए गये अत्याचारों के मामले पर चर्चा कर रहे हैं। मैं विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों द्वारा दिए गये भाषणों को सुनता रहा हूं। मुझे खेदपूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि उनमें से कुछेक ने इसे राजनीतिक रंग दिया है। फिर भी मैं, श्री जयपाल रेड्डी की इस बात से सहमत हूं कि यह एक सामाजिक बुराई है। हममें से बहुत ही कम लोगों ने यह जानने का प्रयास किया है कि इन समुदायों पर होने वाले अत्याचारों का क्या कारण है। मेरे मतानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों का मुख्य कारण है उनमें गरीबी और शिक्षा का अभाव। सरकार ने उनमें शिक्षा का प्रसार करने के प्रयास किए हैं। उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु अनेक परियोजनाएं चालू की गई हैं, परन्तु इन योजनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है या उनके जीवन स्तर में हमारी आशा के अनुरूप सुधार नहीं हुआ है। वे अभी भी गरीब हैं और घोर गरीबी में अपने दिन गुजार रहे हैं। मैं विशेष-संघटक-योजना तथा आदिवासी उप-योजना लागू करने के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं जो केवल मात्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ लागू की गई हैं। उनकी आर्थिक दशा में सुधार करने हेतु, विशेष केन्द्रीय सहायता भी दी जा रही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण

*उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री चिन्तामणि जेना]

रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम और समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम आदि का भी लाभ मिलता है। परन्तु खेद की बात है कि ये कार्यक्रम भलीभांति लागू नहीं किये जा रहे हैं। भिन्न-भिन्न योजनाओं में, इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु व्यय किया जाने वाला धन बहुत से क्षेत्रों में लाभग्राहियों तक नहीं पहुंच पाया है। यही कारण है, कि इन लोगों की स्थिति आशानुरूप नहीं सुधर सकी। अतः, उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना और उनमें शिक्षा का प्रसार करना, हमारा प्रथम एवं सर्वोपरि कर्त्तव्य है, जिससे कि वे खुद अपनी रक्षा कर सकें।

इस सन्दर्भ में, मैं अपनी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा इन पददलितों के उत्थान हेतु किए गये प्रयासों का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने अपनी अन्तिम सांस तक उनका दर्जा ऊंचा करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया। यह अच्छी बात है कि वर्तमान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने इन लोगों के लिए कार्य करने का बीड़ा उठाया है। वह इन समुदायों के लिए लागू किए गये विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के पूर्ण कार्यान्वयन में गहन रुचि ले रहे हैं। हाल ही में, उन्होंने विभिन्न राज्यों में उन बहुत से क्षेत्रों का दौरा किया जहां आदिवासी और हरिजन बड़ी संख्या में रह रहे हैं। वह तो दुर्गम क्षेत्रों तक में गये और लोगों से बातचीत की। उन्होंने उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा, उनकी दुर्दशा को देखा और यह पता लगाया कि इन लोगों के कल्याणार्थ लागू किए गये कार्यक्रमों को कहां तक कार्यान्वित किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे वर्तमान प्रधानमन्त्री महोदय द्वारा इन लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए उठाये जा रहे कदमों की सारी सभा सराहना करेगी। मैं सभी दलों के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इन लोगों की दशा सुधारने के प्रयासों में प्रधान मन्त्री महोदय को अपना विनम्र सहयोग दें। हमें एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिये। इसे तो हमें एक आन्दोलन के रूप में स्वीकार करना चाहिये।

महोदय, हम जानते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय सरकार तो धन आवंटित करती है और राज्य सरकारों को इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की सलाह देती है। परन्तु इन कार्यक्रमों को लागू करने का समग्र प्रभार राज्य सरकारों का है। अतः, यदि किसी राज्य विशेष में इस प्रकार का कोई आदिवासी कल्याण कार्यक्रम सही ढंग से लागू नहीं किया जाता है तो केन्द्र को दोष देना उचित नहीं है। दोषारोपण करने वाले विपक्ष के मेरे मित्र निश्चय ही उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की सराहना करेंगे, जिन्हें गृह मन्त्री महोदय ने 15 अप्रैल, 1985 को विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भेजा है। सरकार द्वारा इन उपायों के किए जाने के बावजूद भी, विपक्ष के कुछ सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की आबादी वाले क्षेत्रों में कल्याण कार्यक्रमों को लागू न करने के लिए केन्द्र की अनावश्यक रूप से आलोचना कर रहे हैं।

23 श्रावण, 1907 (शक)

उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और देश के कुछ अन्य भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर हुए अत्याचारों, जिनके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अनेक व्यक्ति घायल हुए, के समाचार के बारे में चर्चा

महोदय, हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचारों के कुछ अन्य कारण भी हैं। राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित भूमि सुधार कानूनों को लागू न करना भी इन कारणों में एक है। महोदय, बहुत-सी राज्य सरकारों ने भूमि सुधारों पर विधान पास किए हैं, जो बाद में अधिनियम बन गये। इनमें से अधिकांश भूमि सुधार अधिनियम प्रगतिशील हैं, परन्तु इन अधिनियमों को बहुत से राज्यों में प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है। अतः, आदिवासियों और हरिजनों को अपेक्षित सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। मैं गृह मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उन राज्यों को नये सिरे से मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जाएं जहां इस प्रकार के भूमि सुधार अधिनियमों को सही ढंग से लागू नहीं किया गया है।

महोदय, खेतीहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना भी उनमें बढ़ रहे असंतोष का एक कारण है। बहुत से राज्यों में खेतीहर मजदूरों को मजदूरी के भुगतान में बड़ा ही भेदभाव है। कुछ राज्यों में उन्हें मजदूरी का भुगतान, उस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार किया जाता है। परन्तु उसी राज्य के अन्य क्षेत्रों में मजदूरी की उसी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, खेतीहर मजदूर मुख्यतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ही होते हैं। अतः, इस असमानता को यथाशीघ्र दूर किया जाना चाहिये। हमें इसे आन्दोलन के रूप में लेना चाहिये। तभी अत्याचारों का अन्त होगा।

एक बार भारी संख्या में एकत्र हुए छात्रों को सम्बोधित करते हुए, भारतवर्ष के प्रथम प्रधान मन्त्री, पं० जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, जिसे मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं :

> "यदि वे देश में कोई क्रान्ति लाना चाहते हैं तो उन्हें सर्वप्रथम शिक्षा एवं संस्कृति के माध्यम से लोगों के भीतर क्रान्ति लानी होगी।"

अतः, उनमें साक्षरता के प्रसार पर अधिक बल देना पड़ेगा। यह अच्छी बात है कि हमारे प्रिय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने हमारी शिक्षा नीति और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन का आह्वान किया है। महोदय, आदिवासी और हरिजन हमसे अलग नहीं हैं। वे भी तो प्रभु की सन्तान है। प्राचीन समय में हमारे समाज में जाति-प्रथा थी। जो लोग युद्धों में भाग लेते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, व्यापारी समुदायों को वैश्य नाम दिया गया था। कुछ लोग जो सफाई और इसी प्रकार के कार्य करते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था और बाद में उन्हें हरिजन पुकारा जाने लगा। उन्हें अछूत समझा गया, परन्तु उन लोगों का खून भी हमारे ही जैसा है और किसी भी प्रकार वे हमसे कम नहीं हैं, अतः, उन्हें अछूत करार न दिया जाए। हमें उन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिये। समानता का सन्देश बच्चों में फैलाना चाहिये। प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के पाठ्यक्रम में ऐसे विचारों को शामिल किया जाना चाहिये। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हरिजन के प्रति सन्देश व्यापक रूप से सभी के पास पहुंचाना चाहिए। यदि इन सभी बातों को अध्ययन पाठ्यक्रम में सही स्थान मिले तो बच्चों के मस्तिष्क से छुआछूत की भावना समाप्त हो जायेगी। हरिजनों को छोड़कर जो दूसरे छात्र हैं उनके हृदय में प्रेम

[श्री चिन्तामणि जेना]

और सौहार्द की भावना पैदा हो जायेगी। अतः, मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि वह विद्यालयों और महाविद्यालयों का पाठ्यक्रम बनाते समय इन सभी बातों का ध्यान रखें। शिक्षा मन्त्री महोदय यहां उपस्थित नहीं हैं और मैं आशा करता हूं कि गृह मन्त्री महोदय उन्हें यह बात बता देंगे।

मैं हरिजनों और आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों को समाप्त करने के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात यह है कि अत्याचार किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिये और इन स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस लगाई जानी चाहिये। स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस स्टेशन या कम से कम कुछ स्थानों पर पुलिस चौकियां बनाई जानी चाहियें।

दूसरे आदिवासी और हरिजन बहुल क्षेत्रों में कल्याण योजनाओं को लागू करने हेतु निर्धारित धन को अन्य कामों में नहीं लगाया जाना चाहिए। उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए जो आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने हेतु आवंटित धन का दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान की सभी योजनाओं को समय पर पूरा किया जाना चाहिये।

महोदय, विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के लिए सरकार को दोषी ठहराया है, परन्तु जब जनता सरकार सत्ता में थी, तो उन पर उस समय हुए अत्याचारों का उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है। उस समय तो हमारी स्व० प्रधान मन्त्री महोदया सत्ता में नहीं थीं। जब उन्होंने हरिजनों पर अत्याचारों का समाचार सुना तो वह उन क्षेत्रों में गईं जहां-जहां हरिजन प्रभावित हुए थे। वह बहुत से दुर्गम स्थलों पर भी गई थीं, प्रभावित लोगों से मिलीं और तत्कालीन सरकार से इन लोगों को पर्याप्त संरक्षण और राहत प्रदान करने की मांग की थी।

महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के कारणों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं उड़ीसा में उन पर होने वाले अत्याचारों की कुछ ऐसी घटनाओं के कारण बताना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता के मामले में भारत में उड़ीसा का दूसरा स्थान है। उड़ीसा में कालाहांडी फूलबनी और कोरापुट जैसे बहुत से ऐसे जिले हैं, जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग दुर्दशा में अपना समय काट रहे हैं। हमें स्वतन्त्र हुए 38 वर्ष बीत गये हैं, परन्तु उनके जीवन स्तर में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। विपक्ष में बैठे मेरे मित्र हमारे दल को उनकी दुर्दशा के लिए दोषी ठहरायेंगे, परन्तु मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि गैर-कांग्रेसी दलों के प्रतिनिधि ही उड़ीसा के कालाहाण्डी, फूलबनी, बलोंगीर और कोरापुट जिलो से 15 से 18 वर्षों से जीतते आ रहे हैं। केन्द्रीय

सरकार ने उन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ अनेक योजनाएं लागू की हैं। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही उन क्षेत्रों से जीतकर आने वाले गैर-कांग्रेसी सांसद और विधायक उन लोगों के रुतबे, दर्जे को ऊंचा उठाने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने उन्हें इन तमाम वर्षों में अंधेरे में रखा है। कांग्रेस के सांसद और विधायक तो उन क्षेत्रों से केवल 1980 में चुने गये थे। गैर-कांग्रेसी दल के प्रतिनिधि तो उन क्षेत्रों में अव्यवस्था फैलाते रहे हैं। फिर भी, हमारे कांग्रेसी प्रतिनिधि उन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का अंब भरसक प्रयास कर रहे हैं। अब आप इन लोगों के पिछड़ेपन के कारणों को समझ गये होंगे।

सभापति महोदय, आप तो उड़ीसा के रहने वाले हैं। अतः, आपको तो उन लोगों की स्थिति का भली-भांति पता है। हमारी स्व० प्रधान मन्त्री महोदया, श्रीमती इन्दिरा गांधी अपने जीवनकाल में अनेक बार उन क्षेत्रों के दौरे पर गई थीं और उन्होंने तो अपनी जीवन लीला के अन्तिम दो दिन के दौरान भी उन क्षेत्रों का दौरा किया था। हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री महोदय, श्री राजीव गांधी जी भी उन क्षेत्रों का दो बार दौरा कर चुके हैं, एक बार गत वर्ष और दूसरे हाल ही में। उड़ीसा के अपने हाल ही के दौरे के दौरान वह व्यक्तिगत रूप से उनकी छोटी-छोटी झोंपड़ियों में गये और उनके लिए चालू की गई विभिन्न योजनाओं की कार्यान्विती से प्राप्त सफलता के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा जानकारी प्राप्त की। अतः, उनकी गरीबी को दूर करने हेतु, हमारे प्रधान मन्त्री महोदय द्वारा किये जा रहे ठोस प्रयासों को आप अवश्य ही सराहेंगे।

महोदय, कांग्रेस ही एक ऐसा दल है, जिसने वास्तव में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए कुछ किया है। मुझे गर्व है कि मैं उस दल का सदस्य हूं और मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतता रहा हूं। देश के प्रति नेहरू परिवार का समर्पण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस देश के नागरिक, देश की स्वतन्त्रता के लिए नेहरू परिवार द्वारा निभाई गई भूमिका को नहीं भूल सकते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित लाखों ही पददलितों के उत्थान के लिए इस महान परिवार द्वारा किया गया योगदान उल्लेखनीय है। इस देश की जनता आने वाले कई वर्षों तक श्रीमती इन्दिरा गांधी की लगन और समर्पण को याद रखेगी।

अन्त में, महोदय, मैं विपक्ष के सदस्यों से एक बार फिर अपील करूंगा कि विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर किए जा रहे अत्याचारों के लिए सरकार को दोषी ठहराने के विचार को वे त्याग दें। उन्हें तो देश के उन दूरस्थ स्थानों तक महात्मा गांधी के सन्देश को पहुंचाना चाहिए जहां इन समुदायों के लोग रह रहे हैं। मैं एक बार फिर सरकार से निवेदन करूंगा कि वह विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा तक ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम तैयार करवाये कि छात्रों को, जो राष्ट्र का भविष्य हैं, एक दूसरे के साथ मित्रवत सम्बन्ध बनाने की उपयुक्त और पर्याप्त शिक्षा मिल सके। वे जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए

[श्री चिन्तामणि जेना]

कार्य करेंगे और लोगों के दिल-दिमाग से सदैव के लिए छुआछूत की भावना को निकाल देंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : सभापति जी, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के एक मैम्बर डा० मोहन की तकरीर में उन्होंने जो कुछ कहा, उसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूं।

[अनुवाद]

मैं यह बताकर कार्यवाही वृत्तांत को सही करना चाहता हूं कि हम इस प्रकार की बातों के सख्त खिलाफ हैं।

[हिन्दी]

और मजाक से भी ऐसी कोई बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी। जो कुछ उन्होंने कहा है, बिना सोचे-समझे जो मन में आये वह कह देना, अच्छा नहीं होता है और हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं। इसके साथ ही मैं इस हाउस में मूव करता हूं कि उनके शब्दों को रिकार्ड से एक्सपंज कर दिया जाए। आप एक्जामिन करें और रिकार्ड से उनको निकलवा दें।

हरिजनों और गिरिजनों पर अत्याचार की चर्चा कल भी इस सदन में हुई और आज भी हो रही है। इस विषय पर इधर से भी और उधर से भी कई सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया और अपने विचार व्यक्त किए। बड़ी खुशी की बात है कि पार्टी की हदूद से हटकर कांग्रेस पार्टी के कई मेम्बरान ने और खास तौर पर जो हरिजन और गिरिजन सदस्य हैं, उन्होंने काफी संजीदगी से चर्चा में हिस्सा लिया है और बहुत ही बैलैंस्ड तरीके से अपने ख्यालात पेश किए। थोड़ी-बहुत गर्मी भी आई मगर उन लोगों की वजह से नहीं, बल्कि गर्मी लाने वाले कुछ दूसरे ही लोग थे। वह गर्मी बेकार की गर्मी थी और उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। उसके बावजूद भी यहां कुछ ऐसी बातें कह दी गईं जिसकी वजह से हाउस में गर्मी आई। वे बातें रिकार्ड में रह जाती हैं और उनकी मुखालफत तो होनी ही चाहिए। इसलिए जब मैं कहता हूं तो मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं पूरी बात को रिपीट करना चाहता हूं, इस सदन में कुछ लोगों ने जो चर्चा की, उनको रिपीट करना चाहता हूं।

आंकड़ों की चर्चा मैं यहां नहीं करना चाहता। वैसे कई आंकड़े हमको इस सदन में बताये गए, अभी हमारे दोस्त जयपाल रेड्डी साहब ने भी कुछ आंकड़े बताये, मैं उनमें नहीं जाना चाहता और मुझे

उनकी जरूरत भी नहीं है मगर मुझे इस बात की चिन्ता है कि यहां एक ऐसी कन्ट्रोवर्सी खड़ी की गई जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर मेरे दोस्त चव्हाण साहब वहां होम मिनिस्टर की हैसियत से जाते तो हमें बड़ी खुशी होती और मझे यकीन था कि यह कन्ट्रोवर्सी तो न खड़ी होती, क्योंकि वे काफी संजीदा आदमी हैं और वे जानते हैं कि किस तरह किस मौके पर बात करनी चाहिए, किनसे किस तरह से बात करनी चाहिए। वे जानते हैं कि कहां क्या बर्दाश्त करना चाहिए। हमने कब कहा कि आप लोग वहां नहीं जा सकते। सारा देश आपका है और आन्ध्र प्रदेश की सरकार और भारत सरकार अलग-अलग नहीं हैं, पहले आप इसको समझिए। सरकार एक ही होती है चाहे किसी भी पार्टी की हो। वहां कांग्रेस पार्टी अलग है और हमारी पार्टी अलग है। कांग्रेस और हम में कुछ भी हो सकता है। वहां हम लड़ सकते हैं, एक दूसरे को एक्यूज भी कर सकते हैं मगर सरकार तो एक ही है। जिस संविधान के तहत आप बने हैं, उसी संविधान के तहत हमारी सरकार वहां है। आफ्टर-आल आप वहां जाकर वहां की सरकार से मिलते, वहां के लोगों से मिलते। यदि आप वहां मिनिस्टर से नहीं मिलना चाहते थे, उनको इत्तला नहीं करना चाहते थे तो होम सैक्रेट्री को बुला लेते और बात करते। मगर ऐसा लगता है कि यहां से जब आप जा रही थीं तो एक जहनियत बनाकर आप चल रही थीं कि किसी भी तरह से हो वहां की सरकार की निन्दा करनी है, उसको एक्यूज्ड करना है। नहीं तो क्या जरूरत थी इन सारी बातों की···(**व्यवधान**)···गलती तो यह हुई कि हमने जब बाद में राजीव जी से बात की, जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा—

[**अनुवाद**]

"उन्होंने झंझट पैदा कर दिया है।"

[**हिन्दी**]

उनके ये शब्द थे और राजीव जी ने खुद कहे।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माधव रेड्डी साहब, जब आपकी सरकार को वहां पहले से ही सूचना भेज दी गई थी कि केन्द्रीय गृह राज्य मन्त्री आ रही हैं तो भी आपकी सरकार ने उनको रिसीव करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, आप इस बात को तो नहीं कह रहे हैं।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : श्री माधव रेड्डी जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। गृह मन्त्री का उल्लेख कीजिए। प्रधान मन्त्री को इस तरह बीच में न लाएं। ऐसा करना ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : इन लोगों ने वहां यह वक्तव्य किया कि यह क्यों आई है, वहां मेरे उतरने के साथ ही सारे अखबारों में वहां के होम मिनिस्टर का यह बयान आया है ?

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, उन्हें बोलने दें। छह: घन्टे की चर्चा के बाद पहली बार बोली हैं (व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : उन्होंने बोलना शुरू किया।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह···*···हिम्मत करें·· *···। वह जो बोल रही हैं उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाए।

सभापति महोदय : कृपया उन्हें···*···से सम्बोधित न करें। इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने क्या कहा ?

सभापति महोदय : ···*··· शब्द कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाए। कृपया उन्हें मन्त्री कहें। उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री हरीश रावत : रेड्डी जी ने कहा था ···*···।

सभापति महोदय : मैं पहले ही अपना विनिर्णय दे चुका हूं कि···*···शब्द कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री हरीश रावत : उन्होंने···*···शब्द इस्तेमाल किया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने कहा था···*···साहस।

सभापति महोदय : आप उन्हें मन्त्री कहें ···*···नहीं। यह कोई तरीका नहीं है। कृपया सम्मानजनक ढंग से सम्बोधित करें। और कोई हस्तक्षेप नहीं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। श्री माधव रेड्डी जी, कृपया अपना भाषण जारी रखें।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने कहा था '...* ...साहस' (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। कृपया बैठ जाइए।

एक माननीय सदस्य : क्या विनिर्णय दिया है।

सभापति महोदय : सदन की कार्यवाही को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा।

श्री राम प्यारे पनिका : क्या विनिर्णय दिया है ? उन्हें अपने शब्द वापस लेने होंगे।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री माधव रेड्डी ज़ी, कृपया आप अपने भाषण जारी रखें। अपना भाषण जारी रखें। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। व्यवधान न डालिए। और व्यवधान नहीं।

[**हिन्दी**]

श्री सी० माधव रेड्डी : सर, मुझे श्रीमती सिन्हा के बारे में कड़े शब्द नहीं कहने हैं। जब मैं उनकी तरफ देखता हूं तो मुझे मेरे दोस्त याद आते हैं। उनके पति देव और मैं साथ-साथ काम करते थे। वे भी हमारी ही पार्टी में काम करते थे। तो मेरी अर्ज यह थी कि गवर्नमेण्ट टू गवर्नमेण्ट कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और जब मिसेज सिन्हा जाती हैं, तो मिनिस्टर की हैसियत से जाती हैं। इसलिए पूरे मिनिस्टर उनके साथ जायेंगे, हमारे चीफ मिनिस्टर भी जायेंगे। मगर जब हमारे होम मिनिस्टर वहां गए और उन्होंने उनको रिपोर्ट दी, तो उन्होंने रिपोर्ट फेंक दी। सर, मुझे बड़ा अफसोस है कि आप पहली बार यहां चुनकर आए हैं, आपको कई चीजों को सीखना चाहिए...

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री के० एस० राव (मछलीपट्टनम) : मैं गवाह था।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : इसका जवाब मन्त्री महोदय देंगे। कृपया सुनिए माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सी० माधव रेड्डी : आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि क्या सच है, क्या झूठ है और आपको क्या बोलना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए। इन साम्बशिवराव ने कल ऐसी बातें कहीं, जिन्हें इनको नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे एन० टी० रामाराव के रिलेशन से थे। किसके रिलेशन नहीं हैं? क्या आपके रिलेशन नहीं हैं ··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय इसका उत्तर देंगे। कृपया माननीय सदस्य की बात सुनें।

श्री के० एस० राव : मैंने कभी नहीं कहा कि वे एन० टी० रामाराव के सम्बन्धियों में से थे। देखिए कि क्या इसके बारे में मैंने कुछ कहा था। कृपया गलत मत कहिए। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा।

[हिन्दी]

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं तो कम्मा न हूं, मगर कोई ऐसा कम्मा नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है, जिसका कोई न कोई रिश्तेदार गांव में न हो? और उन्होंने यह भी कहा कि वेंकटेश्वर वहां से चुने गए हैं जो एन० टी० रामाराव के दामाद हैं। मैं आपको बता दूं श्री वेंकटेश्वर राव वहां से नहीं चुने गए हैं, वह उनकी कांस्टीट्यूएंसी नहीं है, वह दूसरे गांव से चुने गए हैं, वे तो अपने गांव में रहते नहीं हैं, यह सब उनको पता है, फिर क्यों सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है? इसलिए सभापति महोदय कि पिछले दो महीने से हमारे यहां आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में एक नई जान डालने की कोशिश की जा रही है। वेंगलर, राव साहब जो चुने गए हैं, प्रेजीडेंट नौमीनेट किए गए हैं, उनकी यह कोशिश रही है। बहुत अच्छी बात है, वह करें। वह आते हैं, और पार्टी को जिन्दा करते हैं, घूमते फिरते हैं, लोगों को मिलते हैं बहुत अच्छी बात है, मगर पिछले 2 महीने से जिस तरह से उन्होंने टाइरेड शुरू किया प्रेस में, गवर्नमेण्ट के खिलाफ, यह उनको ऐसा मौका मिला, कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहते।

[अनुवाद]

क्योंकि वे सरकार को हटाना चाहते हैं और वह भी बिना किसी कारण के।

[हिन्दी]

यह चीज उनको समझनी चाहिए कि यह चीज ऐसी है कि

[अनुवाद]

आप आग से खेल रहे हैं।

[हिन्दी]

हरिजनों के मामले में इतने झगड़े करते हैं। हरिजनों के मामले में सबसे पहली बार हर इश्यू के बाद पूरे स्टेट में बन्द मनाया गया। वह कहते हैं कि सक्सेसफुल बन्द हुआ है। ठीक है, आपकी ताकत है, हम लोग बदनाम हो गए हैं, ताकत नहीं है। क्योंकि आपकी ताकत हो गई है, इसलिए आपने सक्सेसफुल कर लिया है। यह नहीं समझते कि बन्द के खिलाफ कौन थे? हम क्यों करेंगे? हम हरिजनों के खिलाफ थोड़े ही हैं। हम हरिजनों के दोस्त हैं. हम कन्डेम करते हैं कभी भी हरिजनों पर अत्याचार होता है। हमारी सरकार की नीति है उन्होंने कह दिया है कि जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए। हम लोगों के जाने के बाद उन्होंने कहा—नहीं पहले जो आदमी जाने वाला था, वह हमारा चीफ मिनिस्टर था उसी दिन

[अनुवाद]

उसी समय उन्होंने न्यायिक जांच के आदेश दिए।

[हिन्दी]

फिर क्या हुआ? अगर हम लोग कोई गलती किए हुए होते तो हमें डर होता, लेकिन हमें कोई डर नहीं था। अगर गलती किए हुए होते तो वह बराबर जुडिशियल इन्क्वायरी में बात आएगी। एन० टी० आर० ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली है। अगर जुडिशियल इन्क्वायरी में यह आ जाए तो क्या आप समझते हैं कि एन० टी० आर० कुर्सी पर बैठेंगे।

[अनुवाद]

त्याग-पत्र देने वालों में वह पहले व्यक्ति होंगे।

[हिन्दी]

इसलिए उनको डर ही नहीं था। इमीडिएटली उन्होंने जूडिशियल इन्क्वायरी डिक्लेयर कर

[श्री सी० माधव रेड्डी]

दी। आपने यह कह दिया कि आपने ही जुडिशियल इन्क्वायरी करवाई। हरिजनों के अत्याचार पर कभी भी किसी राज्य सरकार ने जुडिशियल इन्क्वायरी बिठाई है क्या और वह भी विदआउट एनी एजीटेशन ?

उन्होंने यह कहा कि जुडिशियल इन्क्वायरी में जज को चेंज कर दिया जाए, जज ठीक नहीं है। वह जज तो वहां के चीफ जस्टिस ने चुना था फिर भी रामाराव जी ने कबूल किया कि ठीक है। अगर उस जज को नहीं चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज को बनायेंगे। क्योंकि यह डिमांड कांग्रेस की थी कि सुप्रीम कोर्ट का जज बने। उनकी डिमांड को मान लिया।

यह गलती हमने जरूर की है और इसका पछतावा जरूर है। जब पूछने लगे तो कहने लगे कि सब पार्टियों की मीटिंग बुलाकर आपको समझाना चाहिए, वह नहीं किया तो इसको बढ़ा-चढ़ाकर कहा। मगर वह मीटिंग भी रामाराव साहब ने बुलाई। दो बार उन्होंने मीटिंग की और कहा कि हरिजनों के मामले में हमको पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिए। सियासत नहीं लानी चाहिए। इतने हद तक कांग्रेस के नेता समझ गएहैं। मुझे बड़ी खुशी है कि वहां शांति हो गई है। मगर इस चीज की कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा देने का डिक्लेयर हुआ है, उसको हरिजन न लें। यह गलत बात है। क्योंकि वह पैसा रामाराव साहब का नहीं है, न हमारा है। पैसा तो गवर्नमेंट का है, आपका ही पैसा है।

[अनुवाद]

वैसे भी पैसा तो एक ही कोष से आता है।

[हिन्दी]

जो पैसा हरिजनों के लिए देते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं लेना यह पैसा, हम आपको गवर्नमेंट से ज्यादा दिलायेंगे। ठीक है आप दिलाइए, हमें बड़ी खुशी है। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : फैक्ट यह है कि जिस दिन आपकी गवर्नमेंट ने एनाउन्स किया, आपका कलैक्टर देने गया तो गांव वालों ने रिफ्यूज कर दिया कि हमको कोई मदद नहीं चाहिए। उसमें कांग्रेस के लोग कहां आ गये ?

श्री सी० माधव रेड्डी : जब पैसा मिलता है, तो उसे कोई क्यों रिफ्यूज करता है। कोई सिखाने वाला है कि हम ज्यादा दिलायेंगे।

23 श्रावण, 1907 (शक)

उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और देश के कुछ अन्य भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर हुए अत्याचारों, जिनके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अनेक व्यक्ति घायल हुए, के समाचार के बारे में चर्चा

कांग्रेस की तरफ से ज्यादा मिले, एक लाख मिले वह दूसरी बात है, कांग्रेस के पास पैसा है। मगर हमारे पास पैसा होता तो हम भी दे देते, क्योंकि जितना भी पैसा मिले वह कम है। ज्यादा देना चाहिए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने दिया और प्राइम मिनिस्टर के फण्ड से भी दिया, यह बहुत अच्छी बात है। मगर यह नहीं कहिए कि राज्य सरकार को पैसा नहीं लेना। आज तक उन्होंने पैसा हमसे नहीं लिया है। (व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका : यह प्राइम मिनिस्टर का बार-बार जिक्र कर रहे हैं। हम लोग जो रहे थे, वहां तो प्राइम मिनिस्टर ने तो मना कर दिया और प्राइम मिनिस्टर को बार-बार वह इसमें घसीट रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। एक अच्छे गुड जेस्चर के लिए हम लोग जा रहे थे तो हमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मना कर दिया गया कि कोई जरूरत नहीं है।

श्री सी० माधव रेड्डी : हम तो चाहते हैं कि आप जायें। हम तो चाहते हैं कि मिसेज सिन्हा भी जाएं। और लोग भी जाएं। उन्होंने कहा कि मैं कि मैं फिर जाना चाहूंगी तो जरूर जाएं। हम आपके साथ जाएंगे। आपको जरूर जाना चाहिए। मैं तो होम मिनिस्टर को भी इनवाइट करने जा रहा हूं। उनको जाना चाहिए। होम सेक्रेटरी को आप भेजिए। क्या गवर्नमेंट ने कोई गलती की है, जो एनाउन्समेंट किया है उसमें कोई कमी है क्या? और क्या चाहते हैं बताइए हमें। हम करने के लिए तैयार हैं। हमको कान्फ्रन्टेशन में क्यों ला रहे हैं। हम तो कान्फ्रन्टेशन से दूर भागना चाहते हैं। आपके साथ मिल करके लोगों की भलाई करना चाहते हैं। एन० टी० रामाराव की गवर्नमेंट आपके साथ मिलकर इसमें काम करना चाहती है। ऐसे मौके पर भी कुछ ऐसे नादान लोग होते हैं यहां वहां कहीं भी, मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूं, वह यह सारी गड़बड़ करते हैं। उसको होने नहीं देते हैं। ऐसे नादान लोग वही होते हैं जो गांवों में जहां-जहां ऐसी सिचुएशन क्रियेट होती है वहां गड़बड़ करते हैं। जो ऊंचे सेक्शन के खाते-पीते लोग हैं, पैसे वाले हैं, ऊंची जाति के हैं ऐसे नादान लोगों की बजह से हमारा सिर नीचे हो जाता है। इसलिए इन नादान लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए।

फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर।
मर्द नादां पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर।
कलमे नर्म नाजुक से नहीं चलेगा, दण्ड से ही काम होगा।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, चर्चा समाप्ति पर है। मैं जो कुछ कहना चाहती

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

हूं उसे कहने का साहस बटोरती हूं। इस बात से सभी सहमत होगें कि मेरे राज्य में हरिजन तथा आदिवासियों पर अत्याचार आमतौर पर नहीं होते। मैं बताना चाहती हूं कि इसके प्रमुख कारण क्या हैं और सदन का ध्यान इनकी ओर दिलाना चाहती हूं। आदिवासियों, हरिजनों, गैर आदिवासियों गरीब किसानों तथा खेतिहर मजदूरों द्वारा भूमि के लिए किए गए संघर्ष के कारण ही मेरे राज्य में ऐसे अत्याचारों की घटनाएं बन्द हुई। मेरे विचार से हरिजनों तथा आदिवासियों की सुरक्षा का यही आधार है। हमें एक बार फिर जाति-पांति को मानने वाले भूमि-मालिकों के खिलाफ भूमिसुधार के लिए संघर्ष कर रहे आदिवासियों, हरिजनों, गैर आदिवासियों, गैर हरिजनों, गरीब किसानों के साथ मिलकर यथा संभव कार्यवाही करनी चाहिए। यह बात हमें याद रखनी चाहिए।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : सभापति महोदय, मैं सदन के दोनों पक्षों के उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अगर मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उल्लेख करूं तो उन सबका सारांश यही है कि विचार तो अच्छे थे पर योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया है। माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा अगर मैं उसे ठीक से समझ पाया हूं तो, उसका सार यही है। वस्तुत: मैं आशा कर रहा था कि कुछ माननीय सदस्य प्रश्न के इस पहलू पर भी प्रकाश डालेगें। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को मार्ग निर्देश भेज रही है और इनसे अनुरोध कर रही है कि वे उन्हें उसी रूप में लागू करें जिस रूप में वे उन्हें दिए गए हैं। मैं इसकी चिन्ता नहीं करता कि कुछ सदस्य क्या कहेगें। ये तो दिखावटी आंसू हैं। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि कुछ माननीय सदस्य इस तरह की पेटेंट शैली का इस्तेमाल करने के आदी हैं। अत: इन बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते। हमें उससे परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। कुछ तो यह माननीय सदस्यों के बोलने की शैली है। कम से कम मैं तो इस तरह की बातों से नहीं घबराता।

महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बात का जबाब दें कि अगर नीति संबंधी कुछ मामलों को कार्यान्वित करने में राज्य सरकारें असफल रहें तो वे केन्द्र सरकार से क्या कार्रवाई करने कीआशा करते हैं समस्या का मूल कारण यही है हमें इसका सटीक उत्तर देना होगा। इसीलिए मैं खंडन करने का प्रयास कर रहा था। हम समस्या से दूर नहीं भाग सकते। मेरे विचार से कोई भी राज्य सरकार यह दावा नहीं करेगी कि अमुक दल के सत्ता में आने से इस राज्य में यह समस्या पैदा हुई या अमुक दल के आने से यह कम हो गई। मैं नहीं सोचता कि उन दलों से समस्या का कोई सम्बन्ध है जो राज्यों में सत्ता में हैं। यहां तक कि केन्द्रीय सरकार का भी इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। अंतत: इसका सम्बन्ध उस सामाजिक ढांचें से है जिसमें रहकर हम प्रशासन का कार्य चला रहे हैं। हम निश्चित रूप

23 श्रावण, 1907 (शक)

उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और देश के कुछ अन्य भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर हुए अत्याचारों, जिनके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अनेक व्यक्ति घायल हुए, के समाचार के बारे में चर्चा

से जानते हैं कि यह एक सामाजिक समस्या है। हम अकारण तनाव पैदा कर रहे हैं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है मैं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कही गई इस बात की सराहना करता हूं कि इस बात को दलगत राजनीति से अलग रह कर सुलझाएं। भले ही हम ऐसा कहते हैं लेकिन कुछ ऐसे प्रलोभन हैं जिनके कारण हम इन बातों से ऊपर नहीं उठ पाते और कहते हैं कि इस राज्य में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमुक दल का अमुक आदमी वहां सत्ता में है।

एक तरफ हम कहते हैं कि इस मामले को इन बातों से अलग रखेंगे लेकिन साथ ही साथ हम इस या उस दल को इसमें शामिल करने का प्रयास भी करते हैं। एक युवा मित्र जो संभवतः पहली बार बोले हैं जो पहली बार चुनाव जीत कर यहां आए हैं, श्री माधव रेड्डी ने एकदम यह कह दिया कि उनका दल उनके मत से सहमत नहीं है। मजाक के तौर पर ही कर रहा हूं कि मालूम नहीं वे इसे समझ पाएं हैं या नहीं। वह इस पर अभी भी हंस रहे हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने महसूस नहीं किया कि उन्होंने क्या कहा है। आपने बहुत गंभीर बात कही है। यह बहुत खतरनाक बात है। मेरे विचार से उनका दल तथा उनका कोई भी मित्र उनके इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं होगा। मैं यह मान लेता हूं कि उन्होंने भूल से मजाक के तौर पर यह कहा है। इसे बहुत महत्व मत दीजिए। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं।

माननीय सदस्य अगर चाहते है तो मैं इसका विस्तार से जवाब दे सकता हूं लेकिन मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण काम से जाना है अतः खेद है कि मैं उतना समय नहीं दे सकूंगा जितना मुझे देना चाहिए था।

मार्गदर्शी सिद्धांतों निर्देशों, में ही यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि तीन-चार कारणों से कुछ क्षेत्रों में अनु-सूचित जातियों का विरोध किया जाता है। पहला कारण भूमि सुधार तथा उसके निहितार्थ हैं। दूसरा कारण न्यूनतम कृषि मजदूरी है जो इन लोगों को दी जानी चाहिए। कई बार लोग आजादी से पहले की स्थिति और वर्तमान स्थिति की तुलना करते हैं और भूल कर यह निर्णय ले लेते हैं कि ब्रिटिश शासन के समय स्थिति अधिक बेहतर थी। वे यह नहीं जानते कि अंग्रेजों ने सभी निहित स्वार्थों की रक्षा की थी और भूमि सुधार का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। इन कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने का प्रश्न नहीं उठता था। तो, इन निहित स्वार्थों के तथा सदियों से ऐसे समाज में रह रहे इन लोगों को मुक्त कराने का प्रयास करने वालों के बीच संघर्ष होता है। कई बार हम किसी स्वाभिमानी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को सहन न कर पाते। उसके द्वारा स्वाभिमान का प्रदर्शन करने पर हमें आघात होता है। यह बड़ी हैरानी की बात है। अगर एक व्यक्ति स्वाभिमानी है तो हमें खुश होना चाहिए। लेकिन हमें इससे चोट लगती है। एक आदमी आत्मसम्मान से जीना सीख रहा है तो इसमें क्या गलत बात है? हम चाहते हैं कि वह आत्मसम्मान से जिए। हम चाहते हैं वह

[श्री एस० बी० चव्हाण]

आत्मसम्मान सीखे। हम चाहते हैं कि वह अपने अधिकारों के प्रति दृढ़ रहे। दुर्भाग्य से सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि हम जो कुछ कहें जाने अनजाने हमारी जाति आदि का प्रभाव हमारे कार्यों पर पड़ता है। दुर्भाग्य से स्थिति यह है। अतः हमें यह मान लेना चाहिए कि इस वर्ग के लोगों के साथ पीढ़ियों से अन्याय हो रहा है अगर वे क्रोधित होकर भी अपने अधिकारों के लिए दृढ़ हैं तो हमें खुश होना चाहिए कि वे अपने अधिकारों के प्रति दृढ़ तो हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम गलत रवैया अपनाते हैं और उनकी सहायता नहीं करते। मैं ऐसे बहुत से क्षेत्रों के बारे में निश्चित रूप से जानता हूं जहां भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम को सही और पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया है। माननीय सदस्यों से यह बात छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कुछ मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि देश के कुछ भागों में नक्सलवादी समस्या बढ़ रही है। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वे इस समस्या का हल दोतरफा ढंग से करें। एक तरफ से गरीबी कम करने के सभी कार्यक्रम, जिनमें भूमि सुधार भी शामिल है, लागू किए जाए। जो उचित है वह उन्हें दें। दुर्भाग्य से गरीबी कम करने के कार्यक्रमों के अन्तर्गत पैसा खर्च किया जा रहा है लेकिन वह पैसा गरीबों को नहीं मिल रहा है। हम यह बात जानते हैं। जब मैं योजना आयोग में था तो मैंने राज्य सरकारों से अनुरोध करते हुए यह बात बार-बार कही थी। ऐसी बात नहीं है कि वहां पर जांच प्रणाली नहीं है। केन्द्र के स्तर पर गृह मंत्रालय में यह प्रणाली है। योजना आयोग में यह प्रणाली है। राज्य सरकार के स्तर पर भी जांच प्रणाली कार्यरत है। जिला स्तर पर इसकी व्यवस्था की जा रही है। इस तरह की जांच प्रणाली के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वस्तुएं वास्तव में लोगों को उस मात्रा में नहीं पहुंच पाती हैं जितनी कि पहुंचनी चाहिए। मुझे खुशी है कि इस देश के प्रधान मंत्री यह पता लगाने के लिए कि क्या कार्यक्रम ठीक तरह से क्रियान्वित होता है, दूर-दराज के गांवों में जा रहे हैं। उन्होंने यह कहने का साहस किया है कि स्थिति वास्तव में अच्छी नहीं है। मैं नहीं समझता कि ऐसा साहस कहीं और देखने को मिलेगा। मैं सम्बन्धित राज्य सरकारों के सभी मुख्य मंत्रियों से भी निवेदन करूंगा कि वे स्वयं अचानक गांवों में जायें तथा इस बात की जांच करें कि क्या कार्यक्रमों की उचित रूप से क्रियान्विती होती है। यदि 10-15 गांवों में ऐसे दौरे किये जायें तो मैं समझता हूं कार्यक्रमों की क्रियान्विति तीव्र गति से होने लगेगी और आप सरकार के समूचे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन मे पर्याप्त सुधार पायेंगे।

मैं भूमि सुधार के कुछ आंकड़े दूंगा। ये मैं पहले भी दे चुका हूं। परन्तु कुछ सदस्य आंकड़े चाहते हैं। इसलिए मैं ये आंकड़े देना चाहता हूं। कुल वितरित की गई भूमि इस प्रकार है। फालतू घोषित किया गया क्षेत्र 72,60,833 एकड़ होगा। कब्जे में लिया गया क्षेत्र 53,86,786 एकड़ होगा। वितरित किया गया क्षेत्र 43,95,184 एकड़ होगा। लाभ प्राप्त करने वालों की कुल संख्या 32,48,319 होगी। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या 12,47,236 है। यह कुल लाभ ग्रहियों का लगभग 38% है।

श्री नारायण चौबे : अनुसूचित जन-जातियों की क्या स्थिति है।

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक अनुसूचित जनजातियों की संख्या का सम्बन्ध है यह 5,88,958 है जो कि 14.7 प्रतिशत बैठता है।

जहां तक भूमि सुधार पहलू का सम्बन्ध है, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत संख्या में बेनामी सौदे होते हैं तथा उनके बारे में ब्यौरों का पता लगाना राज्य सरकारों का काम है, वे यह पता लगायें कि किस तरह से इन धोखाधड़ी के सौदों का पता लगाया जा सकता है और यह सुनिश्चित करे कि फालतू भूमि प्राप्त कर उसे अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों में जो इसे पाने के हकदार हैं, वितरित कर दी जायेगी।

(व्यवधान)

दो और बातें कहकर मैं समाप्त करता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने शायद श्री पनिका ने यह बताया था कि तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी में भी अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पद हैं भरे नहीं जाते। महोदय, मेरे पास आंकड़े हैं। यह 1-1-1983 के हैं : कर्मचारियों की कुल संख्या (प्रथम श्रेणी) —52,683 अनुसूचित जातियों की संख्या 3,566 प्रतिशत 6.71 बैठता है। 'ख' श्रेणी—द्वितीय श्रेणी के कुल पद—62,485 अनुसूचित जातियों की संख्या— 6,951 (प्रतिशत 10.16) 'ग' श्रेणी अथवा (तृतीय श्रेणी) कुल—21,28,650 अनुसूचित जातियों की संख्या 3,10,949 प्रतिशत 14.61 लगभग 15 प्रतिशत)

श्री रामप्यारे पनिका : यह ध्यान दें कि सफाई कर्मचारी इसमें शामिल हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण :—नहीं, नहीं। अंततः जो भी अनुसूचित जातियो में आते हैं ··

श्री नारायण चौबे :— तृतीय श्रेणी में सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० बी० चव्हाण : अब मैं तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के आंकड़े बता रहा हूं। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या 13,02,534 है ? जिनमें से 2,55,094 अनुसूचित जातियों के हैं, जो कि 19.58 प्रतिशत बैठता है। मैं यह तो नहीं कहता कि सुधार की गुंजाइश नहीं है, परन्तु यह कहना कि हम कुछ भी उपलब्ध नहीं कर पाये—कभी-कभी अनावश्यक रूप से हम

[श्री एस० बी० चव्हाण]

अपने को बदनाम करते हैं—जिस हद तक हमने कुछ सफलता पाई है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, कि हमने इन बातों में सफलता पाई है और यदि सुधार की गुंजाइश है तो हमें उसमें तथा यथासंभव सुधार करने की चेष्टा करनी चाहिए।

मेरे पास सरकारी उपक्रमों के आंकड़े हैं। परन्तु मेरे पास समय नहीं है अतः मैं उनको नहीं लेता। ···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मानकू राम सोडी (बस्तर) : पिछड़े हुए क्षेत्रों में सजा के रूप में अधिकारियों को न भेजा जाये।

[अनुवाद]

समापति महोदय : कृपया मन्त्री महोदय को समाप्त करने दें। तब यदि अनुमति हो तो आप प्रश्न पूछें। ···(व्यवधान)

समापति महोदय : केवल स्पष्टीकरण के लिए, मन्त्री महोदय को समाप्त करने दें।

श्री एस० बी० चव्हाण : जन-जातियों के सम्बन्ध में भी आंकड़े मेरे पास हैं परन्तु मेरे पास समय नहीं है। इसी कारण मैं ये आंकड़े नहीं दे रहा हूं। मैं केवल यही कहूंगा कि मार्ग दर्शक सिद्धांतों के अनुसार···

श्री पी० के० थुंगन (अरुणाचल पश्चिम) : मन्त्री महोदय, हम जन-जातियों के आंकड़े चाहते हैं।

समापति महोदय : कृपया बैठ जायें। मन्त्री महोदय को समाप्त करने दें। बाद में यदि अनुमति दी जाये तो प्रश्न पूछें।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं आंकड़े बताने का प्रयास करूंगा। आप मुझे बाद में मिल लें। मैं आपको आंकड़े दे दूंगा।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : अनुसूचित जन-जातियों का प्रतिशत पर्याप्त होगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जायें। कृपया सब्र रखें। मंत्री महोदय को समाप्त करने दें।

श्री एस० बी० चव्हाण : उसी विवरण में अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े भी हैं। मैंने केवल अनुसूचित जातियों के आंकड़े पढ़े हैं।

प्रथम श्रेणी में कर्मचारियों की कुल संख्या 52683 हैं, जिसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या 741 यह 1.40 प्रतिशत बैठती हैं।

द्वितीय श्रेणी में अनुसूचित जन-जातियों की संख्या 915 है तथा प्रतिशत 1.46 है। तृतीय श्रेणी में इनकी संख्या 88,149 है। इस प्रकार अनुसूचित जन-जातियों का प्रतिशत 4.14 बैठता है। श्रेणी 'घ' में कुल संख्या 71,812 तथा प्रतिशत 5.5 है। अतः इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अनुसूचित जातियों की तुलना में भी अनुसूचित जन-जातियों का प्रतिशत संतोषजनक नहीं है। स्थिति को सुधारने के लिए हमें व्यापक कदम उठाने होंगे।

श्री राम प्यारे पनिका : राज्य सरकारों की क्या स्थिति है। यह केन्द्रीय सरकार के आंकड़े हैं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय को समाप्त करने दें।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं सभी राज्य सरकारों के आंकड़े नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें काफी समय लगेगा।

माननीय सदस्यों ने मार्गदर्शनों के बारे में पूछा था। हमने विशेष रूप से सभी राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि जहां पर भी उन्हें यह लगे कि अनुसूचित जातियों तथा गैर अनुसूचित जातियों में तनाव है अथवा उनके बीच कोई झगड़ा होने की संभावना हो तो उन्हें सर्वेक्षण कराकर ऐसे स्थानों पर विशेष प्रबन्ध करना चाहिए जिनमें पुलिस के दल तैनात करना तथा टास्क फोर्स लगाना भी सम्मिलित है। जहां कहीं भी ऐसी घटनाएं होती हैं, उन्हें विशेष न्यायालयों की उन मामलों पर मुकदमा चलाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। छः अथवा सात ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसका गठन किया है, और वास्तव में पहली बार हम देखते हैं कि ऐसे अपराध करने वालों को इन पांच वर्षों में भारी सजाएं दी गई हैं। फिर भी, मैं आंकड़े दूंगा। इन पांच वर्षों में इन मामलों में 6 व्यक्तियों को मृत्यु दण्ड, 204 को आजीवन कारावास और अन्य आठ को कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। यह 1984 के आंकड़े हैं। बाद के वर्षों के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। परन्तु इनसे साफ पता चलता है कि जहां तक इन व्यक्तियों

[श्री एस० बी चव्हाण]

को दण्ड देने का सम्बन्ध है राज्य सरकारें अत्यन्त सक्रिय रूप से कार्यवाही कर रही हैं। और मुकदमे चलाने के बारे में वास्तव में हमने उनसे निवेदन किया है कि वे अनुसूचित जातियों सम्बन्धी मामलों को भारतीय दण्ड संहिता और पी० सी० आर० अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालयों में मुकदमे चलायें। मध्य प्रदेश, जहां पर संभवत: भारतीय दण्ड संहिता का क्षेत्राधिकार अभी भी उच्च न्यायालय के विचाराधीन है को छोड़कर अन्य राज्यों में विशेष न्यायालय खोले गए हैं और उनमें सुचारू रूप से कार्य हो रहा है।...(व्यवधान)

समापति महोदय : कृपया बैठ जायें। मंत्री महोदय को समाप्त करने दें।

श्री एस० बी० चव्हाण : एक बात और है। वह मेरे सहयोगी श्रीमती राम दुलारी सिन्हा की यात्रा के बारे में है। मुझे यह बताते हुए अत्यन्त खेद हो रहा है कि एक बहुत छोटी बात को इतना बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया है कि एक माननीय सदस्य**...के बारे में बोलते समय यह भी भूल गये कि वह भारत सरकार में मंत्री हैं। श्री रेड्डी के स्तर के वरिष्ठ सदस्य से इस तरह के भाषा के प्रयोग किये जाने की उम्मीद नहीं थी। इस तरह की भाषा से मंत्री महोदय की प्रतिष्ठा कम नहीं हुई है परन्तु इससे तो आपकी प्रतिष्ठा गिरी है। यह कहते हुए मुझे खेद हो रहा है। (व्यवधान) मैं इस पर कोई वाद-विवाद नहीं करना चाहता।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं वरिष्ठ मंत्री को सम्बोधित कर रहा हूं। मैंने**...सम्बन्ध में**...इन शब्दों का प्रयोग किया था।

श्री एस० बी० चव्हाण : नहीं, श्री रेड्डी। आपको यह पता होना चाहिए कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि जो कुछ भी आप कहते हैं उसे मैं शान्ति से सुनता हूं। परन्तु जब आपने उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो मैं अपने को रोक नहीं सका। मुझे खड़े होकर कहना पड़ा "यह सही नहीं है।" यह तरीका नहीं है। हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं। आप अपनी बात कहें यह तो ठीक है। परंतु यह तरीका नहीं है। श्रीमती सिन्हा से मैंने पूछा कि सच्चाई क्या है। उन्होंने उन वक्तव्यों से इनकार किया जो कि कुछ सदस्य कहते है कि उन्होंने दिये थे। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसे वक्तव्य नहीं दिये। मैं समझता हूं कि उनके इस कथन के साथ मामला यहीं समाप्त हो जाना चाहिए। इसके बाद चर्चा जारी रखना उचित नहीं है। इसे समाप्त कर देना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि कभी भी उनका कहने का यह अभिप्राय नहीं हो सकता।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

कभी-कभी हरिजनों पर अत्याचार होते देखकर व्यक्ति भावुक बन जाता है। पुरुष उत्तेजित हो जाते हैं। महिलाएं उत्तेजित हो जाती हैं। कभी-कभी जल्दी में कोई बात हो जाती है। उनका यह अभिप्राय नहीं हो सकता। मैं उनके स्वभाव को जानता हूं और इसीलिए मैं नहीं समझता कि इसपर इस तरह चर्चा नहीं की जानी चाहिए थी।

वास्तव में मैं चाहूंगा कि वह फिर आंध्र प्रदेश जायें तथा मैं आंध्र प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि एक राज्य सरकार से अपेक्षित व्यवहार उनके साथ किया जाये।

(व्यवधान)

मैं नहीं समझता कि हमें इस मामले को और तूल नहीं दिया जाना चाहिए।

अन्य अनेक मदों पर चर्चा की गई है। मैं भी उन्हें उत्तर दे सकता हूं। परन्तु मैं समझता हूं कि मुझे इसपर और समय नहीं लगाना चाहिए।

श्री नारायण चौबे : हरिजनों और गिरिजनों के लिए एक अखिल भारतीय आंदोलन आयोजित करें।

श्री एस० बी० चव्हाण : बहुत से सुझाव दिये गये हैं। (व्यवधान)

मुझे खुशी है कि श्रीमती गीता मुखर्जी व्यंग्यात्मक रूप से कहती हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल क विचारधारा में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। मुझे अति प्रसन्नता है। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं शेष देश से प्रार्थना करती हूं।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं आपके साथ सहमत हूं कि जहां तक गरीबी हटाने के कार्यक्रमों तथा गरीब लोगों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों की क्रियान्विति का सम्बन्ध है उन्हें समुचित रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए तथा इसका पूरा लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए।

परन्तु मैं अपने कुछ मित्रों के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि उस क्षेत्र में कोई नक्सलवादी नहीं है। नक्सलवादी वहां पर विद्यमान स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि केवल गोली मारने से आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आपको दोहरी कार्यवाही करनी चाहिए, नक्सलवादी कार्यवाहियों को तभी रोका जा सकता है यदि उनके कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाता है।

यदि आप इस मामले को इस ढंग से लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि अनुसूचित जातियों और

[श्री एस० बी० चव्हाण]

अनुसूचित जन-जातियों के लोग भी यह अनुभव करेंगे कि यहां एक समाज है जो कि वास्तव में हमारे सुख दुःख में हमारे साथ रहना चाहता है।

मुझे खुशी है कि माननीय सदस्यों ने इतना अधिक समय लिया है तथा सही रूप से अपने विचार व्यक्त किये हैं।

मैंने उनके कुछ सुझावों को नोट भी कर लिया है परन्तु चूंकि मेरे पास समय नहीं है कि इसलिए मैं उनकी सभी बातों का स्पष्टीकरण नहीं दे सकता हूं।

मैं फिर सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा शुक्रवार, 16 अगस्त, 1985 के 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

———

8.49 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 16 अगस्त, 1985/25 श्रावण, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53